सोमवार, 26 अगस्त, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 26 अगस्त, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम सं॰	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
iii, 297 और 298	3, नीचे से 1, 3 और 7 तथा 4 और 6	परिचर्चा	परिचर्चा
2	17	" 26 अगस्त, 1996 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर" शब्दों का लोप करें ।	
4	2, 27, 29		
5	1	वैध दाऊ दयाल जोशी	वैद्य दाऊ दयाल जोशी
7-8	नीचे से 6 और 18	श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया	श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया
13	4	श्री विजय हाँदिक	श्री विजय हाण्डिक
22	19	श्रीमती सुष्मा स्वराज्य	श्रीमती सुष्मा स्वराज
26	नीचे से 2	श्री रमेश्वर पाटीदार	श्री रामेश्वर पाटीदार
78	नीचे से 1	"कल्याण" के बाद "मानव" जोड़िए ।	
132	नीचे से 3	श्री देबोनकस सिंह	श्री देबी बक्स सिंह
140	22	श्री इलियास आज़मी	श्री इलियास आजमी
209	नीचे से 5	"राष्ट्रीय भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया" के स्थान पर "राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 को चार लेनों वाला बनाना" पढ़िए ।	
211	21	श्री सुरेश कोडीकुलील	श्री सुरेश कोडीकुनील
212	नीचे से 3	श्री शिवानन्द एव॰ कौजलगी	श्री शिवानन्द एव॰ कौजलगी
264	3	देखिए सं॰ एल॰टी॰ 334/96	देखिए सं॰ एल॰टी॰ 339/96
268	21	श्री रासाहसिंह रावत	श्री रासा सिंह रावत
289, 293	नीचे से 7 7	श्री सत्यनारायण जटिया	डा॰ सत्यनारायण जटिया
298	16	श्री आन्नासाहिब एस॰के॰पाटिल	श्री अन्नासाहिब एस॰के॰पाटिल
312	10	डमडम	दमदम
313	8	श्री मरली मनोहर जोशी	श्री मुरली मनोहर जोशी

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 18, सोमवार, 26 अगस्त, 1996/4 भाद्र, 1918 (शक)

विषय		पृष्ठ
आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत		1
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	341 से 346	2-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	347 से 360	30-54
अतारांकित प्रश्न संख्या	2769 से 3008	55-257
सभा पटल पर रखे गए पत्र		257-267
विधेयकों पर अनुमति		267-269
अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना		269-294
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		269
श्री जसवंत सिंह		269-271
श्री सन्तोष मोहन देव		271-273
श्री सोमनाथ चटर्जी		273
प्रो. चमन लाल गुप्ता		274-276
श्री मंगत राम शर्मा		276-277
श्री चन्द्रशेखर		277-278
डा. मुरली मनोहर जोशी		278-279
श्री गुलाम रसूल कार		279-284
श्री बीजू पटनायक		284
श्री कृष्ण लाल शर्मा		284-286
श्री मधुकर सर्पोतदार		286-287
श्री जय प्रकाश		287-288
श्री एच. डी. देवे गौड़ा		288
श्री सनत मेहता		288-289
श्री पी. आर. दासमुंशी		289-291
श्री राम विलास पासवान		292-294
समितियों के लिए निर्वाचन		295-298
(एक) राष्ट्रीय कैटेड कोर संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति		295
(दो) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की महापरिषद्		295-296
(तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद		296

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + के चिन्ह का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(चार) राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड 296
(पांच) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड 297
(छः) भारतीय परिचर्चा परिषद 297-298

नियम 377 के अधीन मामले 298-302
(एक) पचौरा और गोरेगांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को रेलवे द्वारा स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता
श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल 298
(दो) दक्षिण बिहार को कोयले की आपूर्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा 298-299
(तीन) दिल्ली और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता
डा. वल्लभ भाई कठीरिया 299
(चार) सीमा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत बाड़मेर जिले को आवंटित राशि को उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर व्यय किये जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता
कर्नल सोना राम चौधरी 299-300
(पांच) सघन रोजगार योजना का विस्तार बिहार के समस्तीपुर जिले में किये जाने की आवश्यकता
प्रो. अजिल कुमार मेहता 300
(छः) पश्चिम बंगाल में गंगा नदी द्वारा किये गये अत्याधिक भूक्षरण को रोकने की आवश्यकता
डा. असीम बाला 300-301
(सात) हिमाचल प्रदेश में गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किये जाने की आवयकता
श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी 301
(आठ) अप्रैल, 1995 के असम समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने की आवश्कता
डा. जयन्त रंगपी 301-302

सामान्य बजट 1996-97 सामान्य चर्चा 302-320, 345-352
डा. मुरली मनोहर जोशी 302-320
श्री शिवराज वी. पाटिल 320
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 345-352

मंत्री द्वारा वक्तव्य
व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के संबंध में भारत की स्थिति 333-336

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य
अमरनाथ यात्रा 336-345

लोक सभा

सोमवार 26 अगस्त, 1996/4 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव, सीनेटर, माननीय श्री निक मिनचिन तथा आस्ट्रेलिया के संसदीय शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों जो भारत की यात्रा पर हमारे माननीय अतिथि हैं, का स्वागत करने हुए बहुत हर्ष हो रहा है।

शिष्ट मण्डल के अन्य माननीय सदस्य है:-

1. श्री पीटर नूगेंट, एम. पी.
2. सीनेटर जॉन टियरनी
3. श्री बॉब सरकोम्ब, एम. पी.

शिष्टमण्डल 25 अगस्त, 1996 को दिल्ली पहुंचा। वे अब विशेष कक्ष में विराजमान है। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक निवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम आस्ट्रेलिया के गवर्न-जनरल संसद और आस्ट्रेलिया की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को अपने एक पूर्व सदयोगी श्री सी. श्रीनिवास राव के निधन की सूचना देनी है।

श्री सी. श्रीनिवास राव नौवी लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने 1989-91 के दौरान आंध्र प्रदेश के नालगोंडा संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वह 1967-78 और 1983-85 के दौरान आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री सी. श्रीनिवास राव ने स्वतत्रंता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह व्यवसाय से कृषक थे। उन्होंने शिक्षा के प्रसार और दलितों के उत्थान में बहुत रूचि दिखाई। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्कूलों और वाचनालयों की स्थापना करने में बहुत सेवा की तथा गरीबों और निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने अपने क्षेत्र में खेल-कूद की गतिविधियों का आयोजन किया तथा खेल कूद का सवंर्धन करने के लिए प्रयास किए।

श्री सी. श्रीनिवास राव का 70 वर्ष की आयु में 4 जुलाई, 1996 को हैदराबाद में निधन हुआ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाए भेजने में सदन मेरा साथ देगा।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं अमरनाथ की तीर्थयात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों की प्रतिकूल मौसम के कारण असमय मृत्यु हो गई है। हमें उनके निधन पर भी गहरा शोक है और सभा भी इस सम्बन्ध में अपना शोक प्रकट करता है।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खडे होंगे।

(तत्पश्चात सदस्य गण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

26 अगस्त, 1996 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
शल्य चिकित्सा संबंधी प्रभारों की प्रतिपूर्ति

*341. **डॉ. कृपासिन्धु भोई :-** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में "ओपन हार्ट सर्जरी", गुर्दा प्रत्यारोपण और अन्य बड़ी शल्य चिकित्सा के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पहले अपने संसाधनों से काफी बड़ी धनराशि जमा करानी पड़ती है तथा शल्य चिकित्सा हो जाने के पश्चात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से उसकी प्रतिपूर्ति का दावा करना पड़ता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को शल्य चिकित्सा के लिए इतनी बड़ी धनराशि को व्यवस्था करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था करने का है जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शल्य चिकित्सा शुल्क मंत्रालय से सीधे ही प्राप्त कर ले ताकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को दूर किया जा सके;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) सरकार ने मुख्य सर्जिकल प्रक्रियाओं या संबंधित अस्पताल द्वारा संभावित खर्च के पैकेज को कवर करने के लिए 80 प्रतिशत तक चिकित्सा अग्रिम लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह अग्रिम कर्मचारियों द्वारा अपने संबंधित विभागों से लिया जा सकता है जिनको पहले ही शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। पेंशनर यह अग्रिम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से ले सकते हैं। इस प्रकार लाभ भोगियों की दिक्कतों को कम करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। सरकार द्वारा प्रदान किए गए अग्रिम को मुख्य रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही नहीं अपितु सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों, जहां बड़ी शल्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, में डिस्पोजेबल शल्य चिकित्सीय विविध सामग्री ओर बड़े शल्य चिकित्सीय उपचारों में प्रयोग में लाए जाने वाले कृत्रिम उपकरणों पर खर्च की अदायगी के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सामान्य अस्पताली खर्च के लिए अग्रिम के भुगतान की मांग नहीं करता है। आपाती औषधों और अन्य शल्य चिकित्सीय मदों के जरूरतमंद रोगियों को ये औषधें और मदें अस्पताल द्वारा प्रदान की जाती हैं और इन्हें रोगियों द्वारा उसके बाद बदला जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डा. कृपा सिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक है, लेकिन सामान्यतः दिल (हृदय) की शल्य चिकित्सा स्नायु शल्य चिकित्सा, गुर्दा रोपण तथा अन्य गम्भीर बीमारियों के मामलों मे जब रोगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा देश के अन्य अतिविशिष्ठता प्राप्त अस्पतालों में दाखिल होता हो तो विभिन्न विभागों को चाहिए कि वे रोगी को कम से कम तीन या चार महीने पहले धन उपलब्ध कराएं। अतः मै यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए है अथवा कोई ऐसा तरीका सोचा गया है ताकि बहुत गम्भीर मामलो में प्राक्कलन प्राप्त करने के बाद विभाग सी.टी.वी.एस., अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान के चिकित्सा अधीक्षक के विभिन्न क्षमताओं में पेशेंट अकाऊंट में तुरन्त धन जमा करदें और धन भेज दें। इसके बिना अग्रिम धन के वहां तक पहुचने में तीन से चार महीने लग जाते हैं।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिंता को समझता हूं। इस के लिए हमने कदम उठाए है। मंत्रालयों और विभागों को कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम राशि मंजूर करने के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। वे अग्रिम राशि मंजूर कर सकते है और ऐसे मामलों को हमारे माध्यम से मंजूर किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। कर्मचारी का विभाग 'कुछ पैकेज डील' के आधार पर यह अग्रिम स्वयं ही मंजूर कर सकता है जिसके लिए हमने पहले ही विभिन्न स्तरों पर निश्चय किया हुआ है। चूंकि कर्मचारी का अपना विभाग अग्रिम राशि मंजूर कर सकता है इसलिए विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : कोई और अनुपूरक प्रश्न?

डॉ. कृपासिंधु भोई : जी, नहीं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी अस्पताल ओपन-हार्ट-सर्जरी के लिए अलग-अलग राशि वसूल करते है, जैसे अपोलो अस्पताल एक लाख साठ हजार रुपए, एस्कॉर्ट एक लाख बीस हजार रुपए तथा मद्रास में एक अस्पताल है, जो साठ हजार रुपए चार्ज करते है। मेरा प्रश्न यह है, क्या मंत्री महोदय निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी अस्पतालों में ओपन-हार्ट-सर्जरी के लिए एक समान मूल्य निर्धारित करेंगे? 'ख' भाग - केन्द्रीय सरकार ने इन सभी अस्पतालों द्वारा यन्त्र मंगाने के लिए उत्पादन शुल्क और केन्द्रीय करों में सभी प्रकार की छूट दी है। इसके बावजूद भी इन अस्पतालों में गरीबों के लिए एक भी शैय्या सुरक्षित नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, इन अस्पतालों की स्थापना लिए जो भी सुविधाएं दी गई है, उन सुविधाओं के आधार पर क्या इन गरीब लोगों के लिए शैय्या सुरक्षित करायेंगे?

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, यद्यपि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सम्बन्धित नहीं फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये गैर सरकारी अस्पतालों के मामले हैं और प्रभार वसूल करके तथा उनका आंकलन करने की उनकी अलग प्रणाली है। हम सरकारी मंजूरशुदा अस्पतालों के लिए 'पैकेज डील' का अनुसरण करते हैं।

[हिन्दी]

हम यह पैकेज डील हर मर्ज के ऊपर दे देते है कि ओपन हार्ट सर्जरी का कितना पैसा होगा, renal failure का कितना होगा, एनजीओ प्लास्टीक का कितना होगा। हमारे जो अस्पताल हैं हम उसी के वेसेस पर रेट फिक्स कर देते है। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में दिखाना चाहे या जो हमारे सीजीएचएस से रिकोग्नाइजड अस्पताल है हम वहां पर भी उनको एलाऊ कर देते है। मगर जो हमारे पैकेज डील का पैसा है उसमें हम सैक्शन करते हैं, बाकी उनको अपने पास से करना पड़ता है ... **(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : यह क्यों नही करते?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : वह प्राइवेट अस्पताल हैं। ... **(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आप जब उनको सब प्रकार की सुविधाएं देते है तो उन पर भी आपका कंट्रोल है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : उस पर मैं आ रहा हूं। आपने जो सुविधाओं की बातें की हैं उसमें ऐसा है जब प्राइवेट अस्पताल हमसे एग्जम्पशन लेते है तो उसमें वह एक शर्त रखते है कि 20 परसेंट या 30 परसेंट पेशेंट वह फ्री देखेंगे या वह अस्पताल से फ्री बैंड सप्लाई करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योकि मोनिटर करने का कोई कंट्रोल नहीं है। यह मेटर ऑलरेडी अंडर इनवेस्टीगेशन हैं और इसमें पीआईबी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने वाली है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। ... **(व्यवधान)**

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : इस प्रकार की रिपोर्ट कमेटी ने दी है।

श्री आर.एल.पी. वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार यह घोषणा करती है कि देश में 38 परसैंट से लेकर 45 परसैंट लोग गरीबी रेखा के नीचे है। जिनकी वार्षिक आमदनी 6 हजार से नीचे है, ऐसे व्यक्तियों को अगर ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है तो क्या सरकार इसके लिए फ्री चिकित्सा करने के लिए तैयार है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : फ्री करने का, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है। मगर हैल्थ मिनिस्ट्री का एक बजट होता है जिससे हम उनकी मदद करते है, जो सिर्फ 20 हजार रुपए तक का लिमिटेड बजट होता है। उसके अलावा हम लोग यह कोशिश करते है कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाए तो उनसे बातचीत करके उनको कुछ छूट दिलाने की कोशिश करते है। मगर ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि पूरा खर्चा सरकार करे।

श्री आर. एल. पी. वर्मा : मगर इस पर विचार करना चाहिए।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : हम विचार करेगें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यद्यपि यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना से सम्बन्धित है लेकिन मेरा मुद्दा गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ देने के लिए अपनाई गई प्रणाली के बारे में है पहले जब संसद सदस्य गरीब मरीजो की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधान मंत्री से सिफारिश करते थे तो यह मंजूरी उस अस्पताल के प्रमाण-पत्र के आधार दे दी जाती थी जिस अस्पताल में रोगी दाखिल होता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है अथवा अभी भी है। यदि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है तो क्या इस समय मिलने वाली इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे? अधिकतम 20,000 या 30,000 रुपए प्रधान मंत्री सहायता कोष से दिए जाते है। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि आजकल आपरेशन की लागत 80,000 रुपए से एक लाख रुपये तक हो गई है इसके अतिरिक्त यात्रा जैसे अन्य अनेक खर्चे भी होते हैं। फिर मुद्रास्फोति की दर को ध्यान में रखते हुए दान या सहायता की इस राशि में तदनुरूप वृद्धि की जानी चाहिए। कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, यह मामला महले ही हमारे विचाराधीन है। हमारी राशि मंजूर करने की सीमा है। स्वास्थ्य मंत्री को 20,000 रुपये तक मंजूर करने की शक्ति है। आपरेशन की लागत चाहे 80,000 रुपए हो या एक लाख रुपए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपरेशन किस प्रकार का है। हम इस मुद्दे पर पहले ही विचार कर रहे है। हम अभ्यावेदन करने का प्रयास कर रहे है जिसमें हम यह मांग रहे है कि यह राशि मंजूर करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास पर्याप्त निधियां होनी चाहिए जिसमें से हम मरीजों की आवश्यकता के अनुसार तथा मरीज की चिकित्सा पर आने वाली लागत के अनुसार धनराशि दे सकें।

महोदय, जहां तक प्रधान मंत्री सहायता कोष का सम्बन्ध है यह प्रधान मंत्री का स्वविवेक है। वह 20,000 रुपए या 30,000 रुपए और फिर 40,000 रुपए मंजूर कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को एक मरीज के लिए केवल 20,000 रुपए मंजूर करने की शक्ति है।

[हिन्दी]

जन स्वास्थ्य सेवाएं

*342. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में अन्य एशियाई देशों की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) वर्ष 1996-97 में तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय एशिया के कई अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। एशिया के कुछ देशों में वर्ष 1990 का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय विवरण-I दिया गया है।

(ख) यद्यपि स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का एक विषय है, फिर भी केन्द्र उन सभी संकटपूर्ण क्षेत्रों जो स्वास्थ्य सेवाओं ओर रोग नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। लोगों को जिला और राज्य स्तर के अस्पतालों के साथ-साथ देश भर में स्थापित उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए उन्नायक, निवारक, उपचारात्मक और पुर्नवास स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। देश भर में अनेक संचारी और गैर-संचारी रोग नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय पद्धति के लिए अपेक्षित चिकित्सीय और परा-चिकित्सीय कार्मिको को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को सुदृढ बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं। रोग प्रतिरक्षण सहित शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम पर बल दिया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए जैव चिकित्सीय अनुसंधान सुविधाओं में वृद्धि की गई है। अन्य संबद्ध विभागों से अंतर क्षेत्रीय समन्वय रखने, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में स्वैच्छिक संगठनो/गैर-सरकारी संगठनों और प्राइवेट क्षेत्र को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने हेतु, विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए वाह्य सहायता जुटाने और चुनिंदा

राज्य स्वास्थ्य पद्धतियों को सुदृढ़ बनाने जैसी कुछ नई पहल की गई है।

(ग) 1996-97 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आवंटित निधियां (केन्द्रीय, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेक्टर सहित) इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपए में)

8वीं पंचवर्षीय योजना 1996-97

1.	स्वास्थ्य	7582.19	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी सहित केन्द्रीय क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 815.00 करोड़ रुपए है।
2.	परिवार कल्याण	6500.00	1535.00

विवरण-I

वर्ष 1990 का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय अमरीकी डालरों में

देश	
मलेशिया	71
याइलैण्ड	72
चीन	11
श्रीलंका	18
इंडोनेशिया	12
पाकिस्तान	12
भारत	21
बंगला देश	7
नेपाल	7

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 1995 - अन्तरों को पूरा करना

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब हम सब के लिए स्वास्थ्य की बात कर रहे है तो लगता है कि एक मजाक हो गया है, क्योंकि उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीयकरण की नीति लागू होने के लिए बात हो रही है।

इस नीति के लागू होने के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता का स्तर पहले से नीचे आ चुका है और उसका खर्चा पिछले साल में और पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगातार कम हुआ है। क्या सरकार का ध्यान इस ओर है? हमारे देश में बच्चों के स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुजरात में हमारी सरकार ने इस बार हर बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता की ओर हर बच्चे के स्वास्थ्य की हाल ही में जांच कराई है। क्या भारत सरकार ने हर बच्चे के स्वास्थ्य की जांच कराने के बारे में सोचा है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : हम बहुत सारी स्कीमे चला रहे है। कुछ तो सौ-फीसदी केन्द्र द्वारा संचालित है और कुछ 50-50 बेसिज पर राज्यों के साथ शेयर करके चला रहे है। कुछ जी. डी. पी. के हिसाब से हमारा जो स्वास्थ्य पर खर्चा है वह केवल अमरीका को छोड़कर किसी भी मुल्क से कम नहीं है। लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और हमारे पास फंड की कमी है। इसको देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करते है। हमारे रास्ते में रूकावटें बहुत हैं। हमने अब वर्ल्ड बैंक को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। कुछ राज्यों को भी हमने इसमें शामिल किया है। इसमें पंजाब, वैस्ट-बंगाल, कर्नाटक आदि है। आंध्र प्रदेश को हमने पहले फेज में लिया था। अगले फेज में हम 6-7 और राज्यों को ले रहे है जिससे हमारी जो प्राथमिकता है कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर पर हम इन सुविधाओं को बढ़ाएं और तेजी से इनको लागू करें, वह पूरी हो सकें।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी कहा कि बस्ती के आधार पर वे खर्चा कर रहे है और हमारी सबसे बड़ी समस्या आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी की है। आपने मेरे प्रश्न का जवाब में 11 देशों का नाम बताया है और प्रति व्यक्ति अमरीकी डालर के हिसाब से स्वास्थ्य पर खर्च दिखाया है। आपने जो खर्च भारत के बारे में दिखाया है वह 21 है, जो ठीक नहीं है। ये आंकड़े भी गलत लगते है। दूसरी बात यह है कि हमने यह तय किया है कि एम.बी.बी.एस., एम.डी. या एम.एस. होकर जो कोई भी डॉक्टर बनेगा, उसे दो साल बाद में गांव में जाकर काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी डॉक्टर गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या आपने जांच करने की कोशिश की है। अगर डॉक्टर जाता भी है तो हाजिर नहीं होता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि वहां पर प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है। सड़के नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं हैं। क्या सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास किया है जिससे डॉक्टर गांव में जाकर अच्छी तरह से काम करें।

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : यह वास्तव में चिंता का विषय है। इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वहां डाक्टरों को तैनात करने के प्रयासों के बावजूद डॉक्टर वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां मूलभूत ढांचे का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। हम वहां डॉक्टर तैनात करने का प्रयास कर रहे है ताकि वहां बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन हमारी भी सीमाएं है। हम इस समस्या पर ध्यान दे रहे है।

[हिन्दी]

जैसा आपने सजैस्ट किया है कि हम किसी रेजोल्यूशन के द्वारा इसे करें,

जिससे दो साल की सर्विस डॉक्टरों के लिए गांव में आवश्यक हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मामला हमारे विचाराधीन है।

श्रीमती शीला गौतम : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह ठीक नजर नहीं आ रहा है। सरकार का एक नारा है "सबके लिए स्वास्थ्य"। यह नारा केवल नारा ही बनकर रह गया है। स्वास्थ्य जो कही दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से बच्चे बीमार दिखाई देते है उससे यह नारा केवल नारा ही रह गया है। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए है वे आंकड़े भी सही नहीं लगते हैं। जो आपका बजट है उसमें ढाई पैसा प्रति व्यक्ति आता है। अब ढ़ाई पैसे का क्या मिलता है। अगर हम बाजार से जहर भी खरीदना चाहें तो वह भी नहीं खरीद सकते है, तो दवाई खरीदने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप आठवीं योजना में जनसंख्या के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य में दो तरह की चीजें होती है। एक तो स्वास्थ्य सुरक्षा जिसका मतलब यह है कि हमें मालूम पड़े कि अब कौन सी बीमारी आने वाली है या कौन सी महामारी, हैजा या प्लेग है जिसके लिये हम पहले से ही प्रीकॉशन ले ले और दूसरी होती है रोग चिकित्सा। इसका मतलब यह है कि जब रोग आदमी को हो जाता है, उसका इलाज किया जाये तो मैं जानना चाहती हूं कि इस दोनों चीजों पर आपने कितना कितना धन आबंटित किया है?

[अनुवाद]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जो आंकड़े मैंने कोट किये है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर आधारित है।

[हिन्दी]

हमारे यहां पर सर्वे किया है और वे आंकड़े हमने दिये है। ये आंकड़े W.H.O. के कोट किये है। जहां तक आपने इसके बजट का सवाल उठाया है। इसके लिये मेरा यह कहना है कि हामरी आबादी बहुत है, हम उसी बजट को आप्रेट करते है जो हमें फाईनेंस मिनिस्ट्री से आता है। यदि पापुलेशन को देखते हुये कोट करेंगे तो हमेशा कमी पड़ती रहती है। परन्तु ऐसी परिस्थितियों में हम जितनी अच्छी सुविधायें दे सकते है, कर रहे हैं। हमारी कुछ स्कीमें ऐसी है जो 100 परसेंट सेंटर स्पासर्ड है और बहुत सारी स्कीमें स्टेट बेसिस पर 50-50 परसेंट के हिसाब से शेयर करते है।

जहां तक आपने बीमारी की बात उठायी तो हम यहां से बहुत सारी दवाईयां भेजते है, डी.डी.टी. भेजते हैं। प्रीवेटिव प्रीकॉशन करते हैं। स्टेट हैल्थ सर्विसेज़ के लोगों द्वारा डी.डी.टी. का छिडकाव करना, दवाईयां डिस्ट्रीब्यूट करना, इम्युनाईजेशन करना आदि। यदि वहां पर इन चीजों की कमी हो जाती है, वह इसलिये नहीं होती कि सैंटर ने उनको दवाईयां नहीं भेजी या डी.डी.टी. का स्प्रे नही भेजा। वह कमी इसलिए होती है कि उन्होंने वहां ठीक तरीके से काम किया या नहीं किया, हमारे लिये मानीटर करना मुश्किल हो जाता है। जहां तक आपने स्कीमों के बारे में कहा तो हमारा जहां 1950 में इनफैंट मोरटैलिटी 147 पर थाऊजेंड था, वह 1994 में आकर 74 पर थाऊजेंड हो गया। इसलिये हमने इस तरह के कदम उठाये हैं जिससे ये चीजें इम्प्रूव हुई है। मगर हम सैटिसफाईड होकर बैठ जायें कि हमने सारी चीजें एचीव कर ली हैं तो सही नहीं है क्योंकि हमने हैल्थ फॉर ऑल का प्लान 2000 सन् तक बनाया है और उसमें हमने एक टारगैट फिक्स किया है। एक-दो को तो हमने एचीव कर लिया है, कुछ चीजों में हम पीछे है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एचीव करें।

श्री शिवराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन योजनाओं की जानकारी दी हैं, वे केवल कागज़ पर चलती हैं। आज भी मध्य प्रदेश और दूसरे ट्राईबल इलाकों में बरसात के समय हर साल हैजे, आन्त्रशोध और अतिसार से हजारों लोग मरते हैं और अभी भी मर रहे हैं। आजादी के 50 साल बाद भी इन ट्राईबल ऐरियाज़ और दूर-दराज के इलाको में, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया कि डाक्टर्स जाते नहीं है और सरकार द्वारा पोस्टिंग होने के बाद भी नहीं जाते और जिन उपायों की जानकारी दी, उनका क्रियान्वयन नहीं होता, ऐसे इलाकों में इन महामारियों को रोकने के लिए आप कौन से उपाय कर रहे है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : हमने एक सर्विलेंस प्रोग्राम बनाया है जिनका काम यह है कि एपिडेमिक की प्री-एमप्ट कर सके और हमारी टीमें उन इलाकों में जाती है जहां आल्ट-ब्रेक होता है या होने की संभावना होती है तो ये प्रीवेंट कर सकते है। उसके साथ ही दवाईयों और डॉक्टरो की टीमें कोशिश करते है कि उस बिमारी को जल्दी से जल्दी कंट्रोल कर सकें। इस प्रकार जो सर्विलेंस टीमें है, हम उनको भेजते है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में प्लेग और सैरेब्रल मलेरिया के महामारी के रूप में फैलने के बाद सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्या उस विशेषज्ञ समिति ने जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकार की नीति के बारे में कुछ सिफारिशें की थी; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, मैं इस के लिए अलग प्रश्न का नोटिस चाहूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्लेग फैलने के बाद ही समिति गठित की गई थी और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन प्रश्न का नोटिस मिलने के बाद ही मैं आपको लिखित में उत्तर दूंगा।

श्री वी. एम. सुधीरन : महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की है। उसने कुछ सिफारिशें भी की है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक इन प्रश्न की जांच की है और इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, यह बहुत जवलन्त समस्या है। हम सिफारिशों पर विचार कर रहे है। हम ऐसी नीति बनाना चाहते हैं जिससे ग्रामीण

स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा सके। माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को तैनात करने का प्रश्न उठाया है। यह हमारे विचाराधीन है। मैं बहुत शीघ्र इसका उत्तर दूंगा।

श्री विजय हांदिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के वक्तव्य में कहा गया है कि " 'सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम' पर जोर दिया गया है।"

'उपलपमैन्ट इन प्रैक्टिस-इम्प्रूविंग विमेन्स हैल्थ इन इण्डिया' शीर्षक से हाल ही मे प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 15 प्रतिशत के बराबर है लेकिन यह मातृ मृत्यु दर विश्व की मातृ मृत्य के 25 प्रतिशत के बराबर है। रिपोर्ट में भारत की लाखों महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बहुत शोचनीय स्थिति दर्शाई गई है और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए तुरन्त कदम उठाने का अहवान किया गया है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि सरकार महिलाओं के जीवन जिसका तात्पर्य है महिला स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वचनबद्ध है क्या सरकार रिपोर्ट के निष्कर्षों से सहमत है, और यदि हां, तो देश में मातृ-मृत्यु दर कम करने के लिए क्या विशिष्ट समय बद्ध उपाय करने का प्रस्ताव है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : महोदय, हम राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना पर कार्य कर रहे है। इसे विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। पहले चरण में हमने आंध्र प्रदेश को लिया है। हमें 608 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। दूसरे चरण में हमने कर्नाटक पंजाब और पश्चिम बंगाल को लिया। इसके लिए हमें 1669 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और तीसरे चरण में हम अन्य राज्यों को लेगे जिनके बारे में विश्व बैंक के साथ विचार विमर्श चन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर और ग्राम स्तर पर, जहां अधिकांश लोग रोगों से प्रभावित होते है, मूलभूत-ढ़ाचें और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना है। हमने यह कर्नाटक में किया है पश्चिम बंगाल में किया है, पंजाव और आंध्र प्रदेश में किया है। अब हम अन्य राज्यों के दूसरे क्षेत्रों में यह कार्य कर रहे है यदि हम इन सुविधाओं में सुधार कर सकें और पीड़ित महिलाओं के कष्टों को कम कर सकें।

बन्दरगाहों पर सुविधाएं

*343. **श्री अमर पाल सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात/निर्यात संबंधी दो-तिहाई कार्य समुद्री बन्दरगाहों पर होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार बन्दरगाहों पर सामान की लदाई-उतराई संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। निर्यात/आयात व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत भाग महापत्तनों के जरिए हैंडल किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी हां। आठवीं योजना में महापत्तनों के विकास, जिसमें उनका आधुनिकीकरण और कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन शामिल है, के लिए 3000 करोड़ रु0 का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है। अनेक स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनके पूरी हो जाने के बाद क्षमता, जो आठवीं योजना के प्रारंभ में 160 मिलियन टन थी, बढ़कर 228 मिलियन टन हो जाएगी।

श्री अमर पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि आठवीं योजना में बंदरगाहों की सुविधा तथा आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनेक स्कीमें पूरी की गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन सी योजनाएं है जो पूरी की जा चुकी है तथा वे कौन-कौन से बंदरगाह है जिनका विकास किया गया है तथा उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है?

क्या बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार बंदरगाहों का निजीकरण आवश्यक समझती है? यदि हां, तो उसके लिए अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा तथा उसका क्या विवरण है?

[अनुवाद]

श्री बी. वेंकटरामन टिंडिवनाम : महोदय, जो सूची मेरे मित्र ने मांगी है वह बहुत लम्बी सूची है। अब मै उस सूची का सारांश ही दे सकता हूं। सूची में जो 1992-93 की है, लक्षद्वीप में अंडरोढ द्वीप के उत्तर की ओर ब्रेकवाटर तथा घाट का निर्माण, कोचीन पत्तन के लिए तेल स्किम्मर तथा बोय टेंडर का क्रय शामिल है। लक्षद्वीप में कालपेनी द्वीप के पूर्वी और ब्रेकवाटर का निर्माण तथा पारादीप पत्तन पर बहुउद्देशीय कारगो वर्थ का निर्माण भी इसमें शामिल है।

कलकत्ता पत्तन के लिए पायलट बैसल का क्रय करने के लिए 30.19 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। थर्मल कोयला लाने ले जाने के लिए मद्रास के निकट एन्नोर पर नये पत्तन के निर्माण पर 593.90 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। पाराद्वीप पर मंशीनों से कोयला ढोने की सुविधाएं पैदा करने और 2 वर्थ बनाने के लिए 587.41 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर सर्विस बर्थ तक सम्पर्क पुल का निर्माण करने के लिए 13.09 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। कार निकोबार में एम. यू. एस. पर ब्रेकवाटर और घाट के निर्माण के लिए 47.63 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बम्बई पत्तन द्वारा ड्रैजर विकास बदलने के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मद्रास पत्तन पर तीन 20 टन इलैक्ट्रिक वार्फ क्रेंने खरीदने के लिए 38 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। टूटीकोरिन पत्तन के लिए एक 32 टन उच्च शक्ति वाले वी. पी. ट्रैक्टर टग खरीदने के लिए 15.40 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी आप उन्हें अलग से सूची दे सकते है।

श्री जी. वेंकटरामन टिंडिवनाम : जी महोदय।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि भारतीय बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड का समय 4 दिन से लेकर 10 दिन तक है जब कि विदेशी बंदरगाहों पर यह समय केवल 6 घंटे से लेकर 48 घंटे तक है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय एक्सपोर्टर्स एवं इम्पोर्टर्स को नो सौ करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार इस नुकसान को कब तक रोक देगी तथा क्या सत्य है कि वर्ष 1996 में 15 लाख टन गेहूं के निर्यात के सौदे हुए थे तथा मौलिक सुविधाओं के अभाव के कारण केवल साढ़े सात लाख टन गेंहू का ही निर्यात हो पाया है? यदि यह सत्य है तो केन्द्र सरकार का गेहूं निर्यात किसान की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, उसे पूरा क्यों नहीं किया गया?

[अनुवाद]

श्री जी. वेंकटरामन टिंडिवनाम : महोदय, इसके लिए मैं अलग नोटिस चाहूंगा। इस प्रश्न पर बहुत विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए।

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं देखती हूं कि आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख पत्तनों के विकास और उनके आधुनिकीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब कलकत्ता पत्तन तथा निकटवर्ती नेताजी सुभाष डॉक पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा हुगली नदी के तलकर्षण करने की भी आवश्यकता है क्योंकि इन दिनों पत्तन पर कोई बड़ा जहाज नहीं आ सकता है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आपने कलकत्ता में हुगली नदी के तलकर्षण कार्य के लिए उक्त 3000 करोड़ रुपए में से कोई योजना बनाई है, क्योंकि जब तक हल्दिया तैयार नहीं होती हमें कलकत्ता पत्तन को कार्यशील रखने की बहुत आवश्यकता है।

श्री जी. वेंकटरामन टिंडिवनाम : महोदय, हमने पत्तन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम इस मामले में आगे कार्यवाही करेंगे।

डॉ. के. पी. रामालिंगम : अध्यक्ष महोदय, रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण तमिलनाडु में गेंहू के परिवहन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है यदि व्यापारी तथा राज्य सरकार अनुरोध करे तो क्या मंत्री महोदय का विचार जलमार्ग द्वारा गेंहू पहुंचाने का है।

श्री जी. वेंकटरामन टिंडिवनाम : यदि प्रस्ताव आया तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री पी. एस. गढ़वी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रमुख पत्तनों, विशेषकर कान्डला पत्तन के पास पड़े फालतू धन को प्रयोग में लाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना, परियोजना या दिशा निर्देश तैयार किए है वहां आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे की सुविधाओं में वृद्धि की जा सके? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांडला पत्तन पर कोई धन खर्च नहीं किया जा रहा है उनके पास फालतू निधियां पड़ी हैं लेकिन वे मूलभूत ढांचे, सड़क चौड़ी करने, सफाई करने तथा स्वास्थ्य वर्धक स्थिति पैदा करने के लिए इस धन का प्रयोग नहीं कर रहे है। वहां लोग खडे भी नहीं हो सकते। सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग ऐसी गन्दी परिस्थितियों में कार्य करते है कि वे वहां खड़े भी नहीं रह पाते। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह मूलभूत ढांचे पर उस फालतू धन को खर्च करेंगे अथवा नहीं?

श्री जी. वेंकटरामन टिंडिवनाम : महोदय, यह प्रश्न एक प्रश्न नहीं है उन्होंने बहुत जटिल प्रश्न किया है। मैं एक एक मुद्दे का अलग-अलग उत्तर दूंगा। उन्होंने कांडला पत्तन पर बर्थों को लीज़ पर देने के बारे में पूछा है। मैं उन योजनाओं व परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण रख रहा हूं जो गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए स्वीकृत की गई है जिसमें पहले कांडला पत्तन आता है और कांडला पत्तन के बर्थ संख्या 6 को मैसर्स जी. पी. कारपोरेशन लिमिटेड, बैंकाक को बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए लीज पर दिया गया है। दूसरी बातों के लिए मुझे अलग से नोटिस की आवश्यकता है।

श्री पी. एस. गढ़वी : महोदय, मेरा प्रश्न है महापत्तनों विशेषकर कांडला पत्तन के पास फालतू पड़े धन को खर्च करने के लिए दिशानिर्देशों का क्या हुआ?

[हिन्दी]

केन्द्रीय भूजल बोर्ड

*344. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों में भूमिगत जल के स्तर में तेजी से कमी होती जा रही है :

(ख) यदि हां, तो इससे कौन-कौन से राज्य प्रभावित हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार को कतिपय राज्यों से इस संबंध में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा योजना की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने योजनाओं की जांच की है, यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) देश में भूमिगत जल के स्तर में हो रही कमी को रोकने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय भूजल बोर्ड को पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट पाई गई है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जिन राज्यों से योजनाएं प्राप्त हुई है उनके नाम उन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं और उन पर केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रिया को सलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(च) देश में भूजल स्तर में हो रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच पक्ष "मॉडल बिल" परिचालित किया है ताकि उन्हें भूजल के विकास के नियंत्रण एवं नियमन के लिए उपयुक्त विधेयक पारित करने में सहायता मिल सके। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने पुनर्भरण के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित 81 करोड़ रुपए की एक योजना भी बनाई है जो योजना आयोग को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। क्षेत्र-विशेष की पुनर्भरण योजनाओं को बनाने के लिए राज्य सरकारों के बीच दिशा-निर्देश भी जारी किये गए हैं ताकि भूजल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को रोका जा सके। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ में भूजल के पुनर्भरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना भी लागू की जा रही है।

(छ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड को कोई भी राशि राज्यवार आवंटित नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भूजल पुनर्भरण योजना के लिए बजट - राशि इस प्रकार है :

वर्ष	बजट राशि
1994-95	1.00 करोड़ रुपए
1995-96	1.00 करोड़ रुपए
1996-97	0.99 करोड़ रुपए

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	संदर्भ/योजना का ब्यौरा	केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	I. राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के भीमदेवरोल्ली में भूमिजल संरक्षण, संवर्धन और वाटर शेड प्रबंधन तथा करीमनगर जिले के हुस्नाबाद क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना के लिए 2826.68 लाख रुपए की अनुमानित लागत की केंद्रीय सहायता का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव भेजा था।	आंध्र प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके तहत करीमनगर जिले के भूजल सरक्षण, संवर्धन और वाटर शेड प्रबंधन की एकीकृत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वार वित्तीय सहायता दी जाए तथा उस योजना के खर्चे के लिए राज्य सरकार को अपनी व्यवस्था करनी होगी।
		II. देश के विभिन्न कृषिजलवायु क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण बढ़ाने की विस्तृत स्कीम तैयार करने के लिए सूचनाएं एकत्र करने के वास्ते केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई पहले के उत्तर में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 60 चुनिंदा मंडलों में 300 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर प्रचालनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव भेजा है।	भूजल के पुनर्भरण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए प्रस्तावित केंद्र प्रायोजित योजना में परियोजना के कुछ घटकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

1	2	3	4
2.	गुजरात	सरकार ने उत्तर गुजरात के अति दोहन वाले जलभृतों (एक्विफर्स) में सतही जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी/विश्व बैंक सहायता के लिए 110.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।	राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिए गए सुझावों पर गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया जल संसाधन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर संशोधित परियोजना प्रस्ताव के साथ अपने निर्णय भेजें।
3.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में एकीकृत भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए कुल 24,558.56 लाख रुपए की लागत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।	राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि प्रायोगिक आधार पर भूजल पुनर्भरण में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना तैयार की है तथा इस योजना में महाराष्ट्र के कुछ वाटर शेड के प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा।
4.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार ने 3257.39 लाख रु. की अनुमानित लागत पर 6 जिलों में भूजल पुनर्भरण के लिए उनके द्वारा तैयार की गई परियोजना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा था।	राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि भारत सरकार ने प्रायोगिक आधार पर भूजल पुनर्भरण में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तैयार की है और केंद्रीय योजना का अनुमोदन हो जाने के पश्चात राज्य सरकार की कुछ परियोजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार किया जा सकता है।
5.	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार ने 50 लाख रु. की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रायोगिक अध्ययनों का अन्वेषण करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा था।	राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत प्रस्तावित अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके अतः राज्य सरकार को योजनाओं के खर्चे के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। उनको यह भी सूचित किया गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा।
6.	तमिलनाडु	देश के विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण को	भूजल के पुनर्भरण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए प्रस्तावित केंद्र

1	2	3	4
		बढ़ाने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के उद्देश्य से सूचना एकत्र करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा की गई पहले के उत्तर में तमिलनाडू सरकार ने रामनायपुरम जिले में तिरोवादानी जलभृत और वैगाह नदी तल के लिए 120 लाख रुपए की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव भेजा था।	द्वारा प्रायोजित योजना में प्रस्ताव के कुछ घटकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मण सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 81 करोड़ रुपया गिरे हुए जल स्तर को बढ़ाने के लिए छह राज्यों को आबंटित किए जाने की सिफारिश योजना आयोग को की गई है। गिरते हुए भू-जल स्तर के कारण कई राज्यों में भीषण पेयजल संकट खड़ा हो गया है। जो राशि की सिफारिश की है वह अपर्याप्त है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप इस राशि को बढ़ाने की अनुशंसा करेंगे और वह कब तक स्वीकृत कराएंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, भूजल के गिरते हुए स्तर की जानकारी सरकार को है। इसके पहले तो केवल तीन करोड़ रुपए के करीब राशि इस काम में लगाई है अबकी बार अगली योजना के लिए 81 करोड़ की रकम बढ़ाई गई है। योजना आयोग से वह राशि स्वीकृत हो जाती है और वह राशि कम पाई गई तो जरूरत पड़ने पर सरकार इसको बढ़ाने की सोचेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में भीषण पेयजल संकट है। उस क्षेत्र के बारे में कहा जाता था कि "मालव भूमि गहन गंभीर, पग-पग रोटी, डग-डग नीर।" आज उस क्षेत्र में इस गर्मी में 20 रुपए में पानी का एक कनस्तर बिका है। जगन्नाथ मिश्र जी ने हमारे मध्य प्रदेश की इस योजना को, जो केन्द्र सरकार के पास भेजी गई थी, उसको स्वीकृत नहीं किया, लेकिन क्या जनेश्वर मिश्र जी इस योजना को स्वीकृत करने जा रहे हैं ताकि वहां पेयजल संकट खत्म किया जा सके?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पेयजल की समस्या है। अगर आपने उत्तर को पढ़ा होगा तो हमने उसमे कहा है कि राज्य सरकार को सूचित किया गया है। उसने छह जिलों में भू-जल योजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसके लिए उनको सूचित किया गया है। यह मूल प्रश्न के जवाब में ही है कि वहां केन्द्र द्वारा कुछ प्रायोजित योजनाएं रखी गई हैं और उन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री उधव बर्मन : मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ क्षेत्रों में भूजल का स्तर गिर रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर असम में बहुत अधिक भूजल विद्यमान है। इसका उल्लेख श्री डब्ल्यु. पी. सी. की रिपोर्ट में किया गया है कि यदि असम की घाटी में भूजल का एक विशेष स्तर तक उपयोग नहीं किया गया तो इससे राज्य के उत्पादन और उत्पादों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य में भूजल और भूतलजल का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठा रही है?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : असम सरकार की तरफ से इस तरह की कोई प्रस्तावना नहीं है। जब प्रस्तावना आयेगी तब विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिए गए सुझावों पर गुजरात सरकार की प्रतिक्रिया जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार से किस तिथि को स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसने किन कारणों से अपना उत्तर नहीं दिया है? क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहां जल स्तर 1000 से 1500 फुट तक नीचे गिर गया है और उत्तरी गुजरात में पीने के पानी की बहुत अधिक समस्या हो गई है। क्या इस पर शीघ्र ध्यान दिया जायेगा अथवा नहीं?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में पेयजल संकट बहुत भयानक है और भूमिजल का स्तर कई जगहों पर 500 फीट से अधिक नीचे चला गया है। जहां तक तारीख का सवाल है, मैं उसके बारे में ठीक से बता नहीं सकता कि कब राज्य सरकार ने हमें प्रस्ताव भेजा था। माननीय सदस्य को मैं जानकारी एकत्रित करके बता सकता हूं।

श्री सनत मेहता : यह कैसे हो सकता है? कृपया मंत्री महोदय से कहें कि वह मुझे बाद में तिथि बतायें।

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बार इन्द्र भगवान की कृपा रही अन्यथा वहां निरंतर अकाल और सूखे की स्थिति के कारण भूगर्भीय जलस्तर

काफी नीचे चला गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जोधपुर में, रेगिस्तानी इलाके के पास, भारत सरकार की तरफ से भूगर्भीय जल का पता लगाने वाला एक कार्यालय स्थापित किया गया था, जहां सोवियत रूस से मशीनें और गाड़िया आई थी लेकिन उस कार्यालय को पिछले दिनों बंद कर दिया गया और वहां से तमाम गाड़ियां और मशीने हटाकर फरीदाबाद भेज दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि जब राजस्थान में पेयजल की भयंकर समस्या है, पानी का लेवल निरंतर नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में वहां जांच करके पता लगाने की आवश्यकता है कि भूगर्भीय जलस्तर नीचे क्यों जा रहा है और उसे कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, पूरे राजस्थान में इस संबंध में खोज और अनुसंधान की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भूगर्भीय जल से संबंधित कार्यालय को वहां से क्यों हटाया गया, गाड़ियां भी क्यों हटा ली गई, यही मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई माननीय सदस्य मुझसे इस संबंध में मिले है और निवेदन किया है कि वहां से हटाई गई ड्रिलिंग मशीनों को फिर से भेजा जाए और जो दफ्तर वहां से हटाया गया है उसे भी फिर से स्थापित किया जाए। इस बारे में सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्दी ड्रिलिंग मशीने वहां भेज दी जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि कुछ राज्यों ने उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं भेजे है मैं उड़ीसा जैसे राज्यो के बारे में जानना चाहूगां जो आश्वस्त सिंचाई के मामले में अखिल भारतीय औसत स्तर से बहुत नीचे हैं और जहां पानी की बहुत कमी है

मैं यह भी जानना चाहूगां कि क्या केन्द्रीय सरकार भूजल का उपयोग करने के बारे में स्वतः ही कार्यवाही करेंगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य की तरफ से कम से कम 245 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें से कितनी राशि की सिफारिश केन्द्र सरकार ने की है, राशि देने की बात अलग है, मगर सिफारिश कितनी की है और महाराष्ट्र सरकार के साथ इस अन्याय के क्या कारण है, मंत्री जी इसका जवाब दें क्योकि वहां हालत बहुत खराब है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आम तौर से यह राज्य सरकार का काम होता है केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र सरकार से जो प्रोपोजल आया है, चूंकि माननीय सदस्य ने उसकी तारीख पूछी है, तारीख की जानकारी मेरे पास हैं, 3. 10.1994 को यहां से उसका जवाब भेजा गया जिसमें कहा गया है कि कुछ वाटरशेड स्कीमों के जरिए, अगर महाराष्ट्र सरकार पानी की री-चार्ज करने संबंधी योजना बनाती है तो केन्द्र सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार को यह काम करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, बताया गया है कि भूजल का स्तर गिरता जा रहा है और उन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी है। यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में बहुत पैदावार होती है फसलें बहुत होती हैं। पता चला है कि भूजल पुनर्भरण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाए महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या वह पश्चिम बंगाल को भी योजना में शामिल करने पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आम तौर से सैन्ट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन का काम ग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी और सर्वेक्षण करना है और उसके लिये कुंओं के जरिए एक्सप्लोरेशन किया जाता है।

हमने अपनी सूची में जिन राज्यों की जानकारी दी है मुख्य प्रश्न का जवाब देते हुए और हम फिर कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह की प्रस्तावना नहीं आई है कि हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो क्या करेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : यदि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावना आएगी, तो देखेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज्य : माननीय अध्यक्ष जी, जिन राज्यों से भूमिगत जलस्तर कम होने की शिकयत मिली है उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है और आप जानते है कि दिल्ली केवल एक शहर या केवल संघ राज्य नहीं है बल्कि दिल्ली देश की राजधानी है जहां एक तरफ विदेशी अतिथि आतें है और दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों से लाखों लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में आ रहे है जिससे पानी की खपत तो बढ़ रही है, लेकिन पानी का स्तर कम हो रहा है और पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। विशेषतौरपर दक्षिण दिल्ली जहां से मैं आती हूं वहां ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी की बूंद तक नहीं है। इसलिए में मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि देश की राजधानी होने के कारण क्या प्राथमिकता के आधार पर आप दिल्ली के जलस्तर को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाएंगे और उसके लिए कुछ धनराशि का आबंटन करेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली राजधानी के लिए दो योजनाएं है। एक जे. एन. यू. कैम्पस में और एक आई. आई. टी. कैम्पस में चल रही है। जे. एन. यू. में टैंक बांध बनाकर पानी को रोकने की योजना है। यह सही है दिल्ली में पानी का जलस्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। पानी की खपत भी दिल्ली में बढ़ी है और दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में महरौली के आगे जो पानी जमीन के नीचे है उस पानी का इस्तेमाल खेत की सिचाई और दूसरे मकसद के लिए किया जा रहा है जिससे धीरे-धीरे जलस्तर कम होता जा रहा है। सरकार इस पर सोच रही है। दिल्ली को पर्याप्त पानी मिल सके उसके लिए दो योजनाएं तो अभी चल रही हैं और एक प्रस्तावित है और सरकार कोशिश करेगी कि और योजनाएं भी अगर जरूरी हो, तो मिले।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं मैं बाड़मेर चुनाव क्षेत्र से आता हूं। जल आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत अधिक धन राशि स्वीकृत की गई है। लेकिन फिर भी सभी स्त्रोत सूख रहे है और अधिकांश जल नलकूपों से लिया जाता है। पिछले तीन या चार वर्षो से जल स्तर नीचे गिर गया है इसी के फलस्वरूप अनेक पाइपलाइनें बिछाई गई है और टैंक बनाए गए है लेकिन जल उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष भी जैसलमेर और बाडमेर के क्षेत्रों में लगभग 25 प्रतिशत इलाके सूख गए है और वहां अकाल की स्थिति हो गई है मैं पिछले 10 दिन तक इस क्षेत्र का दौरा करता रहा हूं। राजस्थान के कुछ भागों में बाढ़ आई है लेकिन वहां पानी की बहुत अधिक कमी है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन डिविजनों में और अधिक कुंए खोदने के लिए नए उपकरणों के साथ कर्मचारियों को तैनात किया जाए ताकि वहां जल उपलब्ध हो सके। केवल पाईप लाइनें बिछाने तथा अन्य मूलभूत ढांचा तैयार करने से कुछ नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान नहर-इन्दिरा गांधी नहर से पानी जैसलमेर और बाड़मेर लाया जाता है। मेरा अनुरोध है कि एक या दो डिविजनें और बनाई जाएं ताकि नल कूप और अधिक गहरे खोदे जाएं और वहां पानी की कमी न रहे।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय , माननीय सदस्य ने केवल मशविरा दिया है, सवाल नहीं किया है। यह सही है कि जहां पर पानी को एक्सप्लोर किया जाता है, उससे भी पानी कहीं-कहीं नीचे चला जाता है। पानी एक खनिज है और उसकी संभावनाएं आमतौर पर वर्षा के पानी और जमीन के गुण पर मुनहस्सर करती है। यदि राजस्थान में इस तरह की समस्या आई है और जिसकी जानकारी सरकार को भी है, तो उसकी जांच के लिए सरकार अपनी तरफ से एक टीम अलग भेजेगी और राजस्थान के लिए एक माडल बिल पेश किया जाएगा।

प्रो. रीता वर्मा : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वनांचल दक्षिण बिहार का क्षेत्र जहां से पूरा कोयला सप्लाई होता है ओर उसके कारण यानी कोयले की माइनिंग के कारण, और माननीय मंत्री महोदय तो स्वंय भी कोयला मंत्री रहे हैं, उन्हें तो इस बात का पर्याप्त अनुभव भी है कि वहां का जलस्तर निरंतर माइनिंग के कारण गिरता जा रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो इनका उत्तर आया है उसमें बिहार का तो कहीं नाम ही नहीं है।

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह ढिलाई केन्द्र सरकार की तरफ से है? क्या सरकार ने इस पर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा? क्योंकि मैं इसमें बिहार का नाम ही नहीं देख रही हूं जबकि बिहार के प्रति आपकी सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा पूरे देश की औद्योगिक प्रगति के लिए कोयला सप्लाई करने के कारण वहां के भूगर्भ का जलस्तर गिरता जा रहा है। मैं यह जानना चहती हूं कि क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इसके प्रति जागरूक है? क्या राज्य सरकार की तरफ से इस बिन्दु पर कोई ठोस प्रस्ताव आपको प्राप्त हुआ है? यदि हुआ है तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां कोयला खदानें होती है वहां उसके नीचे का पानी पीने लायक नहीं रहता। इसलिए वहां जमीन के नीचे का पानी निकालकर पिलाने की बात सोचना भी ठीक नहीं है। यह काम राज्य सरकार का है और वे उस क्षेत्र के लोगों के पेयजल का इंतजाम करें।

प्रो. रीता वर्मा : क्या राज्य सरकार ने आपको काई प्रस्ताव नहीं भेजा है?

श्री जनेश्वर मिश्र : जब वहां नीचे का पानी निकाल ही नहीं सकते तो वह क्यों भेजेगी? वहां के पेयजल के लिए अलग से ... (व्यवधान)

प्रो. रीता वर्मा : मंत्री जी, वहां उसके संरक्षण के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। आप क्या जवाब दे रहे हैं? ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए परिव्यय

*345. **श्री ए. सी. जोस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सहित विभिन्न राज्य को आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास हेतु कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है;

(ख) राज्यों को अब तक कुल कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) क्या उपरोक्त प्रयोजन हेतु राज्यों को धनराशि जारी करने में कोई कमी की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आठवीं योजना में मूलतः 2460 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। पहले चार वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों को 2318.74 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिनमें केरल की आबंटित 111.70 करोड़ रु. शामिल है।

(ग) परिव्यय के संबंध में कोई कमी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को कोचीन-मदुरई लाईन से जाना जाता है। यह आदिमली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरता है जो ऊंची पर्वत श्रृखलाओं और मुन्नार के लिए केन्द्रीय स्थान है और दक्षिण भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतीय स्टेशन है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय के अनुसार इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के लिए और अधिक धन राशि आबंटित करने को तैयार है क्योंकि यह राजमार्ग दो राज्यों में से गुजरता है और इसे चौड़ा करने तथा और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री टी. जी. वेंकटरामन : महोदय, योजना निर्धारण और की जा रही मांग दोनो अलग बाते है। जो धनराशि वित्त मंत्रालय आवटित करता है हम तो केवल

उसका विभिन्न राज्यों को वितरण करते है। इसलिए यदि धन पर्याप्त रहता है तो मैं कुछ और अधिक धन देने का प्रयास करूंगा।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास भी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या त्रिवेन्द्रम बाईपास और कोल्लम बाईपास पर कार्य आरम्भ किया जायेगा? मै यह भी जानना चाहूंगा कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए इस वर्ष कौन-कौन से प्रमुख कार्य है?

श्री टी. जी. वेंकटरामन : महोदय, केरल में निम्नलिखित प्रमुख कार्य हाथ में लिए गए हैं। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 पर किलोमीटर 5.6 से किलोमीटर 10.2 तक त्रिवेंद्रम बाईपास का निर्माण कार्य चरण एक, जिसे मार्च 1996 में स्वीकृत किया गया था और इसके लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। निविदाओं की पूर्वयोग्यता को अन्तिम रूप दे दिया गया है। दूसरे 25.55 करोड़ रुपए की लागत से कोंजीकोड उपमार्ग चरण-एक, अरापुजा पुल सहित का निर्माण कार्य जुलाई 1993 में मंजूर किया गया था और उसके लिए 17.31 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए थे। निविदा प्रीमियम के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान राशि, 25.55 करोड़ की जांच की जा रही है पुनरीक्षित अनुमानों के लिए परिव्यय वित्त समिति के अनुमोदन की आवश्यकता है। तीसरे, तेल्लीचेरी माही बाईपास की कुछ लम्बाई के निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस मार्ग के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहीत करली गई है। राज्य के लोक निर्माण विभाग से अनुमान प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जायेगी जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी। चौथे, ए.डी.बी.-II ऋण सहायता के अन्तर्गत केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के अलवाये-शेरयालाई सैक्शन को चार लेन वाला बनाये जाने के सम्बन्ध में मंत्रालय ने 60.59 करोड़ रुपए का मूल अनुमान मार्च 1993 में स्वीकृत किया था। इसके बाद निविदा दरों के आधार पर 93.97 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत किया गया है।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल हाईवे सं. 6 दुर्ग से रायपुर के विकास के लिए तात्कालिक जल भूतल मंत्री माननीय श्री राजेश पायलट ने 13 अगस्त 1987 को शिलान्यास किया है। इस बात को 9 साल बीत रहे है। शिवनाथ नदी पर पुल के लिए भी शिलान्यास किया है एवं बाईपास के लिए शिलान्यास किया है। क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उसके लिए टेंडर कॉल कर लिये गये थे? इतनी सारी कार्यवाही पूरी होने के बाद भी आज तक वह काम क्यों रुका हुआ है एवं टेंडर क्यों ओपन नहीं किया गया।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : महोदय, इस प्रश्न के लिए मुझे अलग से नोटिस भेजा जाए।

श्री ताराचन्द साहू : अध्यक्ष महोदय, माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री ने शिलान्यास किया है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां शिलान्यास हुआ है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय तथ्य प्राप्त कर माननीय सदस्य को भेज सकते है।

श्री टी. जी. वेंकटरामन : महोदय, ठीक है।

श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कन्याकुमारी और कोच्चि के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि केरल के बारे में विस्तृत उत्तर दे दिया गया है। मुझे खेद है। केरल के बारे मे सबसे लम्बा उत्तर है।

श्री एस. बंगारप्पा : अध्यक्ष महोदय, दो बातों पर विचार किया जाना हैं। एक है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए आबंटित राशि और दूसरे वर्तमान पंचवर्षीय योजना या पिछली योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृत लम्बाइ कितनी कितनी थी। प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई बढ़वाना चाहता है। उदाहरण के लिए हमारे अपने कर्नाटक राज्य का ही मामला लो। हमारे राज्य में राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई पिछले 15 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने एक इंच भी नहीं बढाई। यही स्थिति अनेक राज्यों की है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा भीड़-भाड़ को देखते हुए सरकार इसे बड़ा विषय क्यों नहीं मानती है और राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई और बढ़ाने की स्वीकृति क्यों नहीं देती है और इसके लिए चालू पंचवर्षीय योजना में या आगामी योजना में अधिक धन आवंटित क्यों नहीं करती है?

श्री टी. जी. वेंकटरामन : महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा और हम इस पर निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है और वहां सब तरफ के राज्यों का आवागमन में दबाव बढ़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की जो योजना प्रस्तुत की गई है, क्या मंत्री महोदय इस वर्ष के बजट में उस पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री टी. जी. वेंकटरामन : महोदय, यह व्यापक प्रश्न है। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने किसी राज्य मार्ग का नाम नहीं बताया है जिसके बारे में वह सूचना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि राज्य की सिफारिशें क्या है। राज्य ने बहुत सी बातों की सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह साधारण प्रश्न है।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा

*346. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री रमेश्वर पाटीदार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में तैयार की गई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) इसके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए छिपी हुई खेल प्रतिभा के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

(1) खेलों को निचले स्तर पर बढ़ावा देना और खेलों में भाग लेने के लिए 8–12 वर्ष के आयु–वर्ग के बच्चों के बीच खेल संबंधी जागरुकता उत्पन्न करना;

(2) आनुवंशिक रुप से स्वाभाविक प्रेरक गुणों से संपन्न और अच्छे शारीरिक विकास वाले प्रतिभाशाली बालकों और बालिकाओं का पता लगाना; और

(3) चुने गये बच्चों को वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे खेलों में उत्कृष्टता हासिल कर सकें

(ख) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित धनराशि प्रदान की थी :–

(1) 1993–94	499.69 लाख रुपये*
(2) 1994–95	449.76 लाख रुपये*
(3) 1995–96	310.00 लाख रुपये*

* (इसमें आर्मी बाल खेल कंपनियों पर हुआ व्यय भी शामिल है)

(ग) इस समय यह योजना विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित अपनाये गये 41 स्कूलों में लागू की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत दाखिल किये गये छात्रों की संख्या नीचे दी गई है :–

(1) 1993–94	1241
(2) 1994–95	1268
(3) 1995–96	1362

छात्रों और स्कूलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

इस योजना के अंतर्गत दाखिल किये गये कई बच्चों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जूनियर तथा सब–जूनियर चैंपियनशिपों में उत्कृष्ट प्रदान किया है।

(घ) प्रतिभा का पता लगाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने एक परीक्षण–माला अपनाई है जिसका जिला, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर चयन परीक्षा आयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है, इन बच्चों को अपनाए गये स्कूलों में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण देकर सुयोग्य बनाया जाता है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा सके।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	57	44	17
2.	मध्य प्रदेश	48	46	49
3.	राजस्थान	31	24	35
4.	उत्तर प्रदेश	98	81	107
5.	चण्डीगढ़	59	52	71
6.	हरियाणा	97	101	128
7.	पंजाब	23	24	32
8.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	6	6	–
10.	आन्ध्र प्रदेश	88	67	46
11.	कर्नाटक	39	44	39
12.	तमिलनाडु	64	41	37
13.	केरल	55	27	16
14.	गोवा	–	23	28
15.	महाराष्ट्र	85	107	177
16.	गुजरात	23	13	36
17.	बिहार	48	126	126
18.	उड़ीसा	42	42	42
19.	पश्चिम बंगाल	177	178	174

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
20.	सिक्किम	30	27	27
21.	मेघालय	22	26	22
22.	मणिपुर	26	31	24
23.	नागालैण्ड	25	9	–
24.	असम	59	78	71
25.	त्रिपुरा	30	20	20
26.	अरुणाचल प्रदेश	9	31	38
		1241	1268	1362

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से आंशिक रुप से संतुष्ट हूं। मंत्री जी ने कहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों का जिला, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर चयन किया जाता है और उनकी वैज्ञानिक खेल स्कूल में भर्ती की जाती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन बच्चों में से अभी तक कितने बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया है? मैं राज्यवार सूची चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री धनुषकोडी आदित्यन आर. : महोदय, हमने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान 1241 छात्रों को, वर्ष 1994-95 के दौरान 1268 और वर्ष 1995-96 के दौरान 1362 छात्रों को लिया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

जूनियर और सब-जूनियर स्तर पर हमारे छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का यह पहला उत्तर है।

श्री धनुषकोडी आदित्यन आर. :- जहाँ तक उपलब्धियों का सम्बन्ध है, हाकी और फुटबाल के क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना के छात्र जवाहरलाल नेहरु जूनियर हाकी टूर्नामेंट तथा सुब्रोतो कप फुटबाल टूर्नामेंट जैसी प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं में हावी रहे हैं। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स और तैराकी जैसे खेलों में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना के अनेक बालकों ने जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना के बालकों ने पिछले 4 या 5 वर्षों के दौरान सब-जूनियर और जूनियर स्तर पर अनेक राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में बहुत से पदक जीते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भी जूनियर स्तर पर 40 से अधिक पदक जीते हैं। इस योजना के अनेक पहलवानों ने ग्रेडिड वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप्स में पदक जीते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खसरा

*347. **श्री अशोक प्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान अब तक खसरा के कारण मृत्यु के कितने मामलों की जानकारी सरकार को मिली है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस रोग के उन्मूलन हेतू कुछ कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 1996 के दौरान अब तक खसरे के कारण हुई मौतों के 214 मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) और (ग) 1992 में शुरु किए गए जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम में खसरे के प्रतिरक्षण सहित प्रतिरक्षण कवरेज स्तरों में वद्धि करने हेतु समग्र प्रतिरक्षण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम में देर से खसरा वैक्सीन के शुरु किए जाने के कारण भारत सरकार का अभी तक खसरे के उन्मूलन का कोई लक्ष्य नहीं है। तथापि, कवरेज स्तरों में लगातार सुधार हुआ है जो राष्ट्रीय आधार पर 80 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

असम में अन्तर्राज्जीय सड़क पुलों हेतु सहायता

*348. **श्री केशव महन्त :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम सरकार को आर्थिक महत्व के अन्तर्राज्यीय सड़क पुलों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) निधियों की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की स्कीम के अंतर्गत असम को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ग) केन्द्रीय सहायता के लिए परियोजनाओं का चयन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है:-

(i) सीधा संचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुलें।

(ii) ऐसे नए क्षेत्रों, जहां निकट भविष्य में रेल मार्ग सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल।

(iii) ऐसी सड़क/पुल जो तीव्र आर्थिक विकास में प्रचुर योगदान कर सकें, अर्थात् पहाड़ी क्षेत्रों और दोहन के लिए खनिज संसाधनों वाले क्षेत्रों में।

(iv) राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली सड़कें अथवा सड़क-पुल। सहायता के प्रस्तावों को विस्तृत प्राक्कलनों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

[हिन्दी]

मलेरिया रोगी

*349. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री चित्त बसु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में विशेष रुप से गुजरात और पश्चिम बंगाल में मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में मलेरिया के रोगियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मलेरिया नियंत्रण हेतु छिड़कने के लिए दिए जाने वाले रसायन की प्रभावकारिता और क्षमता की गुणवत्ता की दृष्टि से जांच की जाती है; और

(च) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के फैलने से रोकने के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इस संबंध में मांगी गई/आवश्यक पूरी धनराशि स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) 1992 से देश में कुल मिलाकर और पश्चिम बंगाल में भी मलेरिया की घटनाओं के बढ़ने की प्रवृत्ति का पता चला है। गुजरात में घटनाओं में कमी हुई है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से विश्व बैंक सहायता प्राप्त मलेरिया नियंत्रण परियोजना में राज्य के जलपाइगुड़ी, कूच बिहार और पुरुलिया नामक तीन जिलों को कलकत्ता नगर निगम सहित शामिल करने संबंधी एक पत्र प्राप्त हुआ था। यह परियोजना पश्चिम बंगाल के स्थानिकमारी क्षेत्रों सहित देश के सभी स्थानिकमारी क्षेत्रों को कवर करते हुए तैयार की जा रही है।

(घ) वर्ष 1993, 1994, 1995 और 1996 (30 जून तक) के दौरान देश में मलेरिया रोगियों की कुल संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

कलेन्डर वर्ष	मलेरिया रोगियों की संख्या
1993	22,07,431
1994	25,11,453
1995	28,01,330
1996(30 जून तक)	7,41,074

(ङ) राज्यों को सप्लाई किए गए सभी कीटनाशकों की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की जाती है।

(च) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 50:50 के अनुपात के आधार पर (केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है) केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता आवश्यक रुप से सामग्रीगत होती है) औषधें, लार्वानाशक और कीटनाशक)। तथापि, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पाने वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कार्यों पर होने वाले खर्च के एक हिस्से को वहन करने के लिए कुछ नकद सहायता दी जाती है। हालांकि विभिन्न राज्य कीटनाशकों की बड़ी मात्रा की मांग करते है, छिड़काव किए जाने वाले क्षेत्र की जनसंख्या, स्थानिकता,मलेरिया की घटनाओं और विभिन्न कीटनाशकों/लार्वानाशकों की स्थानिक प्रभावकारिता आदि जैसे घटकों का तकनीकी मूल्यांन करने के पश्चात् केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जाती है। तथापि, राज्य अपनी मांग वित्तीय आधार पर नहीं भेजते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया नियंत्रण के लिए सभी राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	सहायता(लाख रुपए)
1993-94	8904.95
1994-95	10095.71
1995-96	12198.07

[अनुवाद]

औषधियों की खरीद

*350. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधि निर्माण करने वाली उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो औषधि निर्माण संबंधी स्थापित मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही है;

(ख) क्या सरकार इन एककों से अधिक मूल्यों पर औषधियों की खरीद कर रही है;

(ग) यदि नहीं,तो 1994 से 1995 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष सरकारी एजेंसियों द्वारा औषधियों का अनुमोदित मूल्य कितना-कितना रहा;

(घ) क्या की गई खरीद में इसके परिणामस्वरुप कोई हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क): लाईसेंसों के नवीकरण की प्रदानगी मे प्रत्येक उत्पादन इकाई द्वारा औषध निमाण संबंधी स्थापित मानदंडों का अनुपालन शामिल है। राज्य लाईसैंस प्राधिकरी जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों से संगत उपबन्धो को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं, उनके द्वारा औषध निर्माण संबंधी स्थापित मानदंडों, के अनुपालन के अभाव में लाईसैंस मंजूर अथवा नवीकृत नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत 76 औषधों के मामले में सरकार निर्धारित दरों के अनुसार इन्हें खरीदती है। अन्य अनियंत्रित औषधों के मामले में इनकी खरीददारी पंजीकृत फर्मों से प्रतियोगी बोली के आधार पर की जाती है। सामान्य तथा प्रस्तुत की गई कम से कम दर स्वीकार्य होती है, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस बात से हटकर भी खरीददारी की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार का प्रयास है कि उत्पाद की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी दरों पर औषधें खरीदी जाएं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान प्रणाली की जांच करने और कुशलता तथा लागत प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करके क्रय प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जा सके।

इंद्रावती सिंचाई परियोजना

*351. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंद्रावती सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य किस तिथि को आरंभ हुआ था;

(ख) इस परियोजना को शुरू किए जाने के समय इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी;

(ग) इस परियोजना की आरंभिक लागत कितनी थी;

(घ) अब तक इसकी लागत में कितनी उचित वृद्धि हुई है;

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने में सरकार को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल संसाधन मंत्री (जनेश्वर मिश्र) : (क) उड़ीसा में ऊपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना वर्ष 1978–79 में आरंभ की गई थी।

(ख) परियोजना को मूल रूप से 1987–88 में पूर्ण किया जाना था।

(ग) योजना आयोग ने 1978 में 208.14 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर परियोजना को मूल रूप से अनुमोदित किया था।

(घ) परियोजना के विद्युत घटक सहित इसकी नवीनतम अनुमानित लागत (1994 मूल्य स्तर पर) 1400.92 करोड़ रूपये है।

(ङ) निधियों का अभाव और वनीय व निजी दोनों प्रकार की भूमि के अधिग्रहण में विलंब परियोजना के पूरे होने में मुख्य अवरोध हैं।

(च) परियोजना को 2007-02 में पूरा करने का अशोधित लक्ष्य है।

कोचीन पत्तन में अग्निकांड की घटनाएं

*352. **श्री सुरेश कोडीकुनील** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन पत्तन में अग्निकांड की घटनाएं बार-बार हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) अग्निकांड की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) पत्तन न्यास के सीधे प्रचालनात्मक नियंत्रण में न आने वाले क्षेत्रों में दो बार आग लगने की घटनाएं हुई।

(ख) आग की एक घटना 17.6.1996 की एक शेड में हुई। यह शेड, काठ की लुगदी और अखबारी-कागज के भंडारण के लिए एक निजी पार्टी को पट्टे पर दिया हुआ था। आग की दूसरी घटना-इर्नाकुलम में मै० फेक्ट लि० की कन्वेयर बैल्ट प्रणाली में 26.6.1996 को घर्षण के कारण हुई। भारतीय नौसेना सहित कोचीन स्थित सभी अग्नि शमकों को इन दोनों मामलों में आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया था।

(ग) पत्तन न्यास ने विलिंग्डन द्वीप क्षेत्रों में सभी संबंधित संस्थाओं को इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय करें।

मणिपुर में सीमा सड़कों का निर्माण

*353. **श्री थ. चौबा सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर राज्य में म्यांमार से लगी अंतराष्ट्रीय सीमा से 25 कि. मी. के क्षेत्र में सभी सड़कों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार मणिपुर सरकार को इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के हित में सड़को के निर्माण कार्य को पहले की तरह जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान करने का है, और

(घ) यदि हां, तो सड़क निर्माण कार्य को रोकने से मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर स्थित कितने गांवों के प्रभावित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, म्यांमार के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के भीतर सड़कों का निर्माण करने के लिए सुरक्षा कारणों से रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। मणिपुर सरकार ऊपर बताई गई 25 किलोमीटर की सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण प्रत्येक मामले में रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करके कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के भीतर उखसल जिले में 4 सड़कों के निर्माण के मणिपुर सरकार के अनुरोध को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। तथापि, राज्य सरकार के इस बैल्ट के भीतर 3 और सड़कों के निर्माण संबंधी अनुरोध को सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, यह अनुमान है कि लगभग 16 गांवों को मोटर चलाने योग्य समतल सड़कों से तत्काल नहीं जोड़ा जा सकेगा।

अटलांटा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों पर किया गया व्यय

*354. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संपन्न हुए अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए चयनित और प्रयोजित खिलाड़ियों की खेलवार संख्या कितनी थी और इनके चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए।

(ख) उनकी इस यात्रा पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या अटलांटा खेलों में उनके प्रदर्शन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते;

(च) क्या अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का भविष्य में चयन करने के मामले में कोई सबक लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो अटलांटा में ऐसे प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी कारणों के परिप्रेक्ष्य में खेल-कूद नीति को नई दिशा प्रदान करने विशेषकर देश में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु खेल संवर्धन के लिए कोई योजना तैयार की गई है या की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) सरकार ने 33 खिलाड़ियों, 13 अधिकारियों और 7 प्रबंधकों के लिए स्वीकृति प्रदान की थी जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

		खिलाड़ी	अधिकारी	प्रबंधक
1.	तीरंदाजी	1	1	–
2.	बैडमिंटन	2	–	–
3.	मुक्केबाजी	3	1	–
4.	हाकी	16	4	–
5.	जूडो	3	1	–
6.	निशानेबाजी	2	2	–
7.	टेबल टेनिस	2	–	–
8.	टेनिस	2	–	–
9.	भारोत्तोलन	2	1	–
10.	भारतीय औलंपिक संघ के अधिकारी	–	3	7
		33	13	7*

*भारतीय ओलंपिक संघ से ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है।

खिलाड़ियों/अधिकारियों की स्वीकृति हेतु अपनाये गए मानदण्ड निम्नलिखित हैं :–

(1) क्या एथलीटों/टीमों ने मान्यता प्राप्त टूर्नामैंटों में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर और सहभागिता के लिए निर्धारित किए गए योग्यता प्रदायी मानकों के आधार पर ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है;

(2) पिछले एशियाई खेलों के दौरान प्रशंसनीय प्रदर्शन;

(3) हाल ही में हुए अतंराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामैंटों में प्रशंसनीय प्रदर्शन; और

(4) एथलीटों, खिलाड़ियों और टीमों के वर्तमान स्तर जिनसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के मानकों और होनहारी का पता चलता है।

भारतीय दल का चयन करते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दल द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन करने के दायित्व को निभाने संबंधी महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया था।

(ख) 22,32,732/- रुपए (इसके अतिरिक्त 7 प्रबंधकों पर खर्च हुई धनराशि इसमें जोड़ी जानी है जिसका ब्यौरा भारतीय ओलंपिक संघ से मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है)।

(ग) और (घ) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में अटलांटा भेजी गई प्रत्येक टीम/अलग-अलग खिलाड़ी के स्तर को दर्शाने वाला तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) लिएंडर पेस ने टैनिस में एक कांस्य पदक जीता।

(च) अटलांटा ओलंपिक में केवल हाकी, निशानेबाजी और टैनिस में यथोचित अच्छे प्रदर्शन की आशा थी। शेष खेल-विधाओं में, भारत का स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचा है। फिर भी, ओलंपिक व्यवस्था में, दल के चयन और प्रयोजन के बारे में अंतिम निर्णय भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ही लिया जाता है। वास्तव में, अटलांटा ओलंपिक में बहुत से खिलाड़ियों और अधिकारियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है हालांकि भारत सरकार ने उनकी भागीदारी के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की थी।

(छ) खेलों का संवर्धन और विकास एक सतत प्रक्रिया है और देश में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के पास बहुत सी योजनाएं हैं। केन्द्र सरकार ने परिसंघों के विचार-विमर्श से प्रतियोगिता-वार दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए भी प्रयास किए हैं। ऐसी योजनाओं की भी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। खेलों में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ बातचीत भी की गई है।

खेल संबंधी विकास हेतु राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बनाये रखने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

विवरण

अटलांटा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन (19 जुलाई से 4 अगस्त, 1996)

1. टैनिस

(क) लिएंडर पेस ने पुरुषों के सिंगल्स में कांस्य पदक जीता।

पहला दौर :

पेस ने रिचे रेनेबर्ग (अमरीका) को हराया 6-7 (2/7), 7-6 (9/7), 1-0, बाद में रिटायर हो गए।

दूसरा दौर :

पेस ने निकोलस परेरा (वेनेजुएला) को हराया 6-2, 6-3

तीसरा दौर :

पेस ने थामस एनक्विस्ट (स्वीडन) को हराया 7-5, 7-6 (7/3)

क्वार्टर फाइनल :

पेस ने रेंजो फर्लान (इटली) को हराया 6-1, 7-5

सेमी फाइनल :

पेस आंद्रे आगासी से हारे 6-7, 3-6

कांस्य पदक :

पेस ने फर्नांडो मेलीजेनी (ब्राजील) को हराया 3-6, 6-2, 6-4

पुरुषों का डबल्स

पहला दौर :

पेस और महेश भूपति ने पान बिंग और जिया जियानजिंग (चीन) को हराया 4-6, 6-4, 6-4

दूसरा दौर :

पेस और भूपति टोड वुडब्रिज और मार्क वुडफोर्ड (आस्ट्रेलिया) से हारे 6-4, 2-6, 2-6

2. हाकी

भारत का आठवां स्थान रहा

ग्रुप-ए

भारत अर्जेंटीना से हारा 0-1, जर्मनी के साथ ड्रा रहा 1-1, अमरीका को हराया, 4-1, पाकिस्तान से ड्रा 0-0, स्पेन को हराया 3-1

मैचों का वर्गीकरण :

भारत का कोरिया के साथ ड्रा रहा 3-3 परन्तु टाई ब्रेकर में हार गया 3-5 भारत ब्रिटेन से हार गया 3-4

3. निशानेबाजी

(1) मनशेर सिंह ने ट्रैप विधा में 118 अंक प्राप्त किये और 75 में से 31 वां स्थान मिला।

(2) जसपाल राणा: 574 अंक प्राप्त किए और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में 50 में से 29वां स्थान प्राप्त किया तथा 50 मीटर फ्री पिस्टल में 534 अंक प्राप्त किये और 45वां स्थान प्राप्त किया और अंत में रहे।

4. तीरंदाजी

(1) लालरेम सांगा ने एंड्रू लिंडसे (न्यूजीलैंड) को हराया 160-156, और दूसरे दौर में माइकल फ्रंजेल (इटली) से हार गये 158-164

(2) लिम्बा राम पाल वर्मेरेन (बेल्जियम) से पहले दौर में हार गये 140-165

(3) स्कलजंग दोरजी मैटियो बिसियानी (इटली) से हार गये 156-167 टीम: भारत अमरीका से पहले दौर के शूट ऑफ मे हार गया 235-251

5. एथलेटिक्स

(1) बहादुर प्रसाद (3:46.16) पुरुषों की 1500 मीटर की हीट-5 में 12 में से 8वें थे और आरंभ के 56 में से 43वें स्थान पर थे।

(2) शक्ति सिंह (56.58 मीटर) ग्रुप-बी में तेरहवें थे और पुरुषों के डिस्कस थ्रो में आरंभ के 36 में से 30वें स्थान पर थे।

(3) महिलाओं की 4x400 मीटर रिले क्वार्टेट में सेमी फाइनल हीट-I में ज्योतिर्मय सिकदर, के बीनामोल, शाइनी विल्सन, रोजा कुट्टी को लेन कटिंग के कारण आयोग्य करार दिया गया।

6. बैडमिंटन

(1) महिलाओं की सिंगल्स :- पी. वी. वी. लक्ष्मी ने एने गिब्सन (ब्रिटेन) को पहले दौर में हराया 11-6, 11-6, तथा दूसरे दौर में कटरजाइना क्रासोका (पोलैंड) से हार गयी 5-11, 6-11

(2) पुरुषों का सिंगल्स : दीपांकर भट्टाचार्य हेरयांतो अरबी (इंडोनेशिया) से दूसरे दौर में हार गये 5-15, 4-15

7. मुक्केबाजी

(1) 48 कि. ग्रा. देवेन्द्र थापा मासीबुलेले माकेयुला (दक्षिणी अफ्रीका) आर. एस. सी. से पहले दौर में हार गये।

(2) 81 कि. ग्रा. : गुरचरन सिंह एनरिक फ्लोरेस (पी. रिको) से हार गये 7-15

(3) 91 कि. ग्रा. लाखा सिंह वोसिएच वर्निक (पोलैंड) से हार गये 2-44

8. घुड़सवारी

करिश्मा पर सवार इंद्रजीत सिंह लाम्बा तीन दिवसीय प्रतियोगिता में क्षमता परीक्षा के बाद निकाल दिए गए।

9. जूडो

(1) पुरुषों की, 60 कि. ग्रा. : नरेन्द्र सिंह ने सीन सुल्लीवान (आयरलैंड) को हराया और नटीक बगिरोव (बुल्गारिया) से हार गये।

(2) 65 कि. ग्रा. : नजीब आगा जोजेफ जाक (हंगरी) से हार गये और डंकन मर्कीनन (दक्षिणी अफ्रीका) से भी हार गये।

(3) महिलाओं की, 52 कि. ग्रा. : सुनील ठाकुर नारिको सुगीवार (जापान) से हार गयी।

(4) 72 कि.ग्रा. : आरती कोहली एस्टेला रोड्रिब्यूज (क्यूबा) से हार गयी और शोन-ह्यून-भी (कोरिया) से भी हार गयी।

10. तैराकी

(1) संगीता रानी पुरी हीट 1 में दूसरे स्थान पर रही और महिलाओं की 50मीटर फ्री स्टाइल में 28.02 सैकेंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित किया।

(2) सेवम्चियन जेवियर पुरुषों के 50मीटर के फ्री स्टाइल हीट 4 में 24.15 सेकंड का समय लेकर छठे स्थान पर रहे।

11. टेबल टैनिस

(1) पुरुषों का सिंगल्स ग्रुप पी : चेतन बबूर निम्नलिखित से हार गये: (1) कालिन क्रीयंगा (ग्रीस) 0-2, (2) संगन तोरियोला (नाइजीरिया) 1-2 और (3) पार्टिक चिला (फ्रांस) 1-2 बबूर पूल में अंतिम स्थान पर रहे।

(2) महिलाओं का सिंगल्स ग्रुप एन : ए राधिका निम्नलिखित से हार गयी: (1) ओटीला वाडस्क्यू (रोमानिया) 0-2, (2) रूटा गरकांस कैटा (लिथ) 0-2 और (3) हूबरटा ब्रीस्कृप (होलैंड) 0-2 राधिका का पूल में अंतिम स्थान पर रही।

12. भारोत्तलन

(1) राघवन चंद्रशेखरन ने 252.2 कि. ग्रा. वजन उठाया। 59 कि.ग्रा. की श्रेणी में 20 प्रतियोगियों में से इन्होंने 11वां स्थान प्राप्त किया।

(2) सतीशा राय ने 317.5 कि. ग्रा. वजन उठाया। 76 कि. ग्रा. की श्रेणी में 25 प्रतियोगियों में से इन्होंने 15वां स्थान प्राप्त किया।

(3) वडथला आदिशेखर ने 230 कि. ग्रा. वजन उठाया। 54 कि. ग्रा. की श्रेणी में 22 प्रतियोगियों में से 18वां स्थान प्राप्त किया।

(4) शम्मुद्दीन कबीर ने 275 कि. ग्रा. वजन उठाया। 70 कि. ग्रा. की श्रेणी में 28 प्रतियोगियों में से इन्होंने 23वां स्थान प्राप्त किया।

(5) संदीप कुमार ने 252.2 कि. ग्रा. वजन उठाया। 64 कि. ग्रा. श्रेणी में 36 प्रतियोगियों में से इन्होंने 33वां स्थान प्राप्त किया।

13. कुश्ती

ग्रीको रोमन 52 कि. ग्रा. :- पप्पू यादव आंद्रे कलशनिकोव (उक्रेन) से 2 मिनट 14 सैकंड में हार गये और हाती यिओन (कोरिया) से भी 1 मिनट 37 सैकंड में हार गये।

[हिन्दी]

हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

*355. **श्री ओ. पी. जिन्दल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हरियाणा में भारी वर्षा के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हरियाणा में उक्त मार्गों के मरम्मत कार्य हेतु कोई ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) (क) से (घ) : चालू वर्ष के दौरान हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई कुछ क्षति के बारे में सूचना मिली है। तथापि, राज्य लोक निर्माण विभाग से क्षति के अनुमान पर आधारित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की जल परियोजनाएं

*356. **श्री शिवानन्द एच. कौजालगी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा जल विवाद न्यायाविवरण पंचाट के अंतर्गत कृष्णा जल क्षेत्र में 7.34 बी. एस. सी. और मार्वन्डेय परियोजनाओं को 4 बी.एस.सी. जल प्रदान किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त परियोजाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) महावटी परियोजना को कितनी मात्रा में और किस स्रोत से जल उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त परियोजनाओं के अतंर्गत जल के उपयोग के लिए कर्नाटक सरकार को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार अब इस संबंध में अब तक आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन के दिए जाने की संभावना है।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) और (ख) कृष्णा जल विवाद उचिकरण ने कृष्णा नदी के 75 प्रतिशत विश्वसनीय जल का 700 हजार मिलियन घन फुट कर्नाटक को आवंटित किया है। इसके अलावा, इसके राज्य में पुनरूत्पकिता प्रकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है जो उचिकरण द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार 34 टी एम सी बनता है। उस परियोजनाओं की सूची जिन्हें कर्नाटक सरकार तब जल वितरित किया गया है, संलग्न विवरण-I में दी गई है। मार्वन्डेय परियोजना को कर्नाटक सरकार द्वारा 4 टी एम सी जल आवंटित किया गया है। 53 परियोजनाओं में से 29 पूरी हो गई हैं, 12 चल रहीं हैं और शेष नई परियोजनाएं हैं। चालू परियोजनाओं में से, 2 परियोजनाओं के आठवीं योजना में पूरी हो जाने की संभावना है और शेष आठवीं योजना आगे किये जाने की संभावना है।

(ग) महाचार्यी परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसमें मालप्रभा में कमी को पूरा करने के लिए सुरंग के जरिए 113 मिलियन घन मीटर जल के व्यवर्तन की परिकल्पना की गई है। यह जल महावायी नदी और इसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित बांधों से उपलब्ध कराया जाना है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक में उन कृष्णा बेसिन परियोजनाओं जिन्हें विशेष स्वीकृति दी गई मूल्यांकनाधीन हैं तथा राज्य सरकार को वापिस भेजी गई, वे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पनियों की अनुपालन करती है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों का हल करती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से पर्यावरणीय, वन और पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन स्वीकृतियां प्रदान करती है।

विवरण-I

कृष्णा बेसिन परियोजनाएं तथा कर्नाटक सरकार द्वारा आवंटित जल की मात्रा का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना	आवंटित जल (टी.एम.सी. में)
क.	**पूर्ण परियोजनाएं :**	
1.	अरेशांकार	0.38
2.	छिथवाडगी	0.26
3.	वाटप्रभा I एवं II	32.45
4.	गोकाक नहर	.40
5.	कलाकसोप	.33
6.	कोलछी वीयर	.53
7.	चंद्रामपाल्ली	1.90
8.	माथीकोनी	0.50
9.	नागाथाना	0.08
10.	रामानाहाल्ली	0.44
11.	सौदागर	0.26
12.	अपर मूल्लाभारी	1.24
13.	भद्रा अनीकट	3.10
14.	तुंग अनीकट	11.50
15.	भद्रा जलाशय	61.70
16.	तुंगभद्रा	132.00
17.	विजबनगर चैनल	12.05
18.	अंजनापुरा	2.50
19.	अम्बलीगोली	1.40
20.	जामबाधल्ला	0.70
21.	धर्मा	2.20
22.	कानकानाला	0.40

क्र. सं.	परियोजना	आबंटित जल (टी.एम.सी. में)
23.	हागरीबोम्मानाहाल्ली	2.00
24.	नरीहल्ला	0.90
25.	रजोलीबांदा	1.20
26.	वानीवलास सागर	8.20
27.	गायत्री	0.45
28.	नारायणपुर	0.60
29.	लघु सिंचाई	101.67
ख.	चालू परियोजनाएं	
30.	हीप्पार का (चरण-I)	8.56
31.	अपर कृष्णा-I	119.00
32.	घाटप्रभा-III	45.15
33.	मालप्रभा	44.00
34.	बीन्नीथोरा	5.75
35.	लोअर मूल्लामारी	3.03
36.	अमरजा	1.92
37.	हीरिहल्ला	0.27
38.	मसकीनाला	0.78
39.	एफ.सी. से रानीकेरा	1.50
40.	लघु सिंचाई	9.13
41.	दूधगंगा	4.00
ग.	नयी परियोजनाएं	
42.	अपर कृष्णा-II	54.00
43.	डब्ल्यू. एस. से मद्रास शहर	5.00
44.	मरकांदिया	4.00
45.	रामथाल	4.50
46.	मारीनाला	0.80
47.	भीमा लिफ्ट	6.00
48.	घानघोरीनाला	2.16
49.	अपर तुंग	12.24
50.	सिंगथालूर	7.64
51.	बासापुर	0.60
52.	सासालवाद	0.55
53.	लघु सिंचाई	9.03

टिप्पणी : क्र.सं. 30 से 34 की परियोजनाओं को आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम है और शेष चालू परियोजनाओं को आठवीं योजना से आगे ले जाने की संभावना है।

विवरण-II

कर्नाटक की कृष्णा बेसिन परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

(क) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत स्कीम

		राज्य : कर्नाटक
1.	अम्बलिगोला	पहली योजना
2.	अरेशंकर टैंक	पहली योजना
3.	भद्रा जलाशय	पहली योजना
4.	घाटप्रभा चरण-I	पहली योजना
5.	कलासकोप टैंक	पहली योजना
6.	कोलेही वीयर	पहली योजना
7.	रजोलीबुन्दा	पहली योजना
8.	रामनहाटी	पहली योजना
9.	तुंगा आयाकट	पहली योजना
10.	तुंगभद्रा बायां तट नहर परियोजना	पहली योजना
11.	तुंगभद्रा दायां तट नहर परियोजना	पहली योजना
12.	धर्ना जलाशय	26.3.57
13.	जम्बाडा हल्ला	28.3.57
14.	हगारी बोम्मना हल्ला	6.4.57
15.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर चरण-I	9.4.57
16.	घाटप्रभा चरण-II	24.10.55

		राज्य : कर्नाटक
17.	हत्ती कोनी	26.8.60
18.	मालप्रभा	5.8.63
19.	अपर कृष्णा चरण-I	28.12.63/22.4.78/24.9.90
20.	हरिनाला	29.1.64
21.	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर	7.1.67
22.	तुगभद्रा उच्च स्तर नहर चरण-I (जलाशय)	16.10.69
23.	घाटप्रभा चरण-II	14.6.76
24.	छिडवदगी	9.10.76
25.	सौदागर टैंक	7.2.77
26.	हैर-हल्ला टैंक	5.4.77
27.	अमरजा	13.3.78
28.	गन्दोरीनाला	19.4.78
29.	अपर हिरेनाला	19.4.78
30.	तुंगभद्रा बोर्ड के तुंगभद्रा परियोजना का दायां तट उच्च स्तर नही का सुधार जिला 5 - बल्लारी (कर्नाटक) और अन्नतपूर (आन्ध्र प्रदेश)	22.4.78
31.	लोअर दायां तट का सुधार	22.4.78
32.	मस्किनाला	5.8.78
33.	अपर मुल्लामारी	5.8.78
34.	लोअर मुल्लामारी	15.1.79
35.	नरिहल्ला परियोजना	20.1.81
36.	बेन्निधोरा	23.2.93

ख. मूल्यांकन के लिए परियोजनाएं

1. अपर तुंगा परियोजना
2. अपर कृष्णा चरण-II बहुउपयोग परियोजना

ग. वापस की गई परियोजनाएं

1. तुंगभद्रा का आधुनिकीकरण I
2. भीमा प्रवाह सिंचाई
3. भीमा लिफ्ट सिंचाई
4. राम्मल लिफ्ट सिंचाई
5. हिप्पर्गी सिंचाई

मेडिकल और तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रों का चयन

*357. **श्री उमेश वर्मन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश में केन्द्रीय पूल में मेडिकल और तकनीकी शिक्षा के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए छात्रों के चयन हेतु प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित करता है;

(ख) यदि हां, तो मेडिकल और तकनीकी शिक्षा के लिए क्रमशः ऐसी कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार कितने छात्रों का चयन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बोर्ड देश के विभिन्न सरकारी चिकित्सा/दंत कालेजों के अवर-स्नातक चिकित्सा और दंत पाठ्यक्रमों में 15प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए अखिल भारतीय पूर्व-चिकित्सा/पूर्व दंत प्रवेश परीक्षा संचालित करता आ रहा है। सी. बी. एस. ई. द्वारा तैयार योग्यता-क्रम सूची तथा प्रतीक्षा सूची स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को उनकी आवश्यकता के अनुसार किसी खास कालेज में सफल उम्मीदवारों को सीटें आबंटित करने के लिए भेजी जाती हैं। 1995 और 1996 में संचालित परीक्षाओं के आधार पर योग्यता-क्रम सूची/प्रतीक्षा सूची में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

बोर्ड तकनीकी शिक्षा कालेजों में दाखिले के लिए कोई परीक्षा संचालित नहीं करता है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योग्यता क्रम सूची में रखे गए उम्मीदवारों की सं.		प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवारों की संख्या	
		1995	1996	1995	1996
1.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	4	7	4	2
3.	असम	–	–	1	–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योग्यता क्रम सूची में रखे गए उम्मीदवारों की सं.		प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवारों की संख्या	
		1995	1996	1995	1996
4.	बिहार	136	144	69	96
5.	गुजरात	2	1	–	1
6.	हरियाणा	181	168	69	65
7.	हिमाचल प्रदेश	17	13	11	9
8.	जम्मू और कश्मीर	1	–	–	2
9.	कर्नाटक	12	12	5	5
10.	केरल	64	103	39	74
11.	मध्य प्रदेश	115	106	73	59
12.	महाराष्ट्र	11	8	10	10
13.	मणिपुर	1	–	–	–
14.	मेघालय	–	–	–	–
15.	मिजोरम	–	–	–	–
16.	नागालैंड	–	–	–	–
17.	उड़ीसा	9	18	8	11
18.	पंजाब	327	279	129	108
19.	राजस्थान	48	70	40	47
20.	सिक्किम	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	27	34	18	13
22.	त्रिपुरा	–	–	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	256	284	144	167
24.	पश्चिम बंगाल	28	24	10	10
25.	गोवा	1	–	–	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	45	41	31	10
28.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
29.	दिल्ली	269	254	87	90

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योग्यता क्रम सूची में रखे गए उम्मीदवारों की स.		प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवारों की संख्या	
		1995	1996	1995	1996
30.	दमन व दीव	--	--	--	--
31.	लक्षद्वीप	--	--	--	--
32.	पाण्डिचेरी	4	--	2	2

जल-भूतल परिवहन संबंधी परियोजनाएं

[illegible]. **श्री नवल किशोर राय :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में जल-भूतल परिवहन के विकास हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं,

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निर्माणार्थ विदेशी वित्तीय संस्थानों ने भी ऋण स्वीकृत किए हैं,

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजनावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) स्वीकृत की गई उक्त ऋण राशि का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप वचनबद्धता शुल्क के रूप में सरकार द्वारा 1995-96 में इन विदेशी वित्तीय संस्थानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) जल-भूतल परिवहन के विकास के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। ये स्कीमें राष्ट्रीय राजमार्गों, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन और जहाज-निर्माण से संबंधित हैं।

विदेशी वित्त सहायता के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के ब्यौरे (राशि मिलियन में)

स.	वित्त संस्थान	ऋण सं.	ऋण राशि	परियोजना का नाम	1995-96 के दौरान प्रतिबद्धता प्रभार
1	2	3	4	5	6
1.	ए. डी. बी.	918-इंड	188 अमरीकी डालर	आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में राज्य सड़क परियोजनाएं।	0.614 अमरीकी डालर
2.	ए. डी. बी.	1041-इंड	250 अमरीकी डालर	कर्नाटक, केरल तथा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में राज्य सड़क परियोजनाएं।	1.444 अमरीकी डालर
3.	ए. डी. बी.	1274-इंड	245 अमरीकी डालर	हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं (2)।	0.063 अमरीकी डालर
4.	ओ. ई. सी. एफ., जापान	आई. डी. पी. 81	जे वाई 4855	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	--

सं.	वित्त संस्थान	ऋण सं.	ऋण राशि	परियोजना का नाम	1995-96 के दौरान प्रतिबद्धता प्रभार
1	2	3	4	5	6
5.	ओ. ई. सी. एफ., जापान	आई. डी. पी.-91	जे. वाई 10037	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना।	–
6.	ओ. ई. सी. एफ. जापान	आई. डी. पी. -92	जे. वाई. 11360	आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना।	–
7.	ओ. ई. सी. एफ. जापान	आई. डी. पी. -100	जे. वाई. 5836	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना।	–
8.	ओ. ई. सी. एफ.	आई. डी. पी.-101	जे. वाई. 4827	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजना	–
9.	विश्व बैंक	एल. एन/3470/ आई. एन.	306 अमरीकी डालर	हरियाण, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और उड़ीसा में राज्य परियोजना।	0.383 अमरीकी डालर
पत्तन क्षेत्र					
10.	ए. डी. बी.	1016-इंड	122.690 अमरीकी डालर	महाराष्ट्र में 11 पत्तन परियोजना	537,451 अमरीकी डालर
11.	ए. डी. बी.	1181-इंड	285.00 अमरीकी डालर	कोयला पत्तन परियोजनाएं	उपलब्ध नहीं
12.	सऊदी निधि	5/276	141.00 मिलियन (सऊदी रियाल)	जवाहर लाल नेहरू पत्तन परियोजना	–

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र

*359. **श्री आर. ताम्बातिवा राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार समूचे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2-3 कि. मी. की दूरी के अंदर अथवा 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू वित्तीय वर्ष में राज्य-वार कितना बजट आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना आयोग द्वारा निश्चित जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या पर और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या पर खोला जाता है। इस समय दूरी के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1995-96 के लिए राज्यवार आवंटन का एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1996-97 का बजट आवंटन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा आवंटनों को अन्तिम रूप दिए जाने तक अनन्तिम रूप से 1995-96 के स्तर पर रखा गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय।

क्रम सं.	राज्य	(लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	1029.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	448.00
3.	असम	2048.00
4.	बिहार	2700.00
5.	गोवा	170.00
6.	गुजरात	2160.00
7.	हरियाणा	1063.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1400.00
9.	जम्मू व कश्मीर	1946.00
10.	कर्नाटक	3638.00
11.	केरल	675.00
12.	मध्य प्रदेश	2919.00
13.	महाराष्ट्र	6698.97
14.	मणिपुर	231.50
15.	मेघालय	946.00
16.	मिजोरम	400.00
17.	नागालैण्ड	175.00
18.	उड़ीसा	1293.00
19.	पंजाब	1100.00
20.	राजस्थान	8295.00
21.	सिक्किम	170.00
22.	तमिलनाडु	3014.00
23.	त्रिपुरा	460.00
24.	उत्तर प्रदेश	5361.00
25.	पश्चिम बंगाल	995.00

संघ राज्य

क्रम सं.	राज्य	(लाख रुपए)
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	330.00
2.	चंडीगढ़	119.88
3.	दादरा और नागर हवेली	45.00
4.	दमन और द्वीप	50.00
5.	दिल्ली	0.00
6.	लक्षद्वीप	39.00
7.	पांडिचेरी	214.00
	कुल :	50134.03

राष्ट्रीय कालाज़ार उन्मूलन कार्यक्रम

*360. **श्री मोहन रावले :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कालाज़ार से वर्षवार कितने व्यक्तियो की मृत्यु हुई;

(ख) क्या राष्ट्रीय कालाज़ार उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय को राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कालाज़ार से होने वाली मौतों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	मौतें
1993	710
1994	384
1995	277

(ख) से (घ) जी नहीं। वर्ष 1990-91 से केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच 50:50 के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित कालाजार नियंत्रण योजना पहले से ही चल रही है जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार कालाजार रोधी और कीटनाशी औषधियों के रूप में सहायता प्रदान करती है।

छात्रों को पत्राचार पाठ्यक्रमों से संबंधित सामग्री की आपूर्ति

2769. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूलों में विभिन्न विषयों में पंजीकृत छात्रों को पठन सामग्री नहीं भेजे जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या ये संस्थान छात्रों को अब दाखिला देते समय डाक और अन्य खर्चे भी वसूलते हैं; और

(ग) यदि हां, तो छात्रों को समय पर पठन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, पत्राचार और सतत शिक्षा स्कूल भारत, भूटान और नैपाल में निवास करने वाले विद्यार्थियों से कोई डाक-व्यय वसूल नहीं करता है। तथापि, वह विदेशों में निवास करने वाले विद्यार्थियों से डाक-व्यय के रूप में 1000/- रु. का अतिरिक्त शुल्क लेता है। स्कूल से विद्यार्थियों को लिखित सामग्री न मिलने के बारे में विश्वविद्यालय को कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है। हालांकि इस संबंध में छुट-पुट शिकायतें मिली हैं और उन पर यथाशीघ्र ध्यान दिया गया है।

[हिन्दी]

एव्रो वायुयान

2770. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में एव्रो वायुयानों का उपयोग किया जा रहा है; यदि हां, तो भारतीय वायुसेना की सेवा में ऐसे वायुयानों की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक की मियाद कितनी-कितनी है;

(ख) एव्रो वायुयान की येलाहंका में 25 मार्च, 1991 को हुई दुर्घटना, जिसमें चालक दल के सभी सदस्य मारे गए थे, के संबंध में जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) क्या दुर्घटना वाले दिन वायुयान में निर्धारित सीमा से अधिक लोग सवार थे और दुर्घटना के दिन यह वायुयान कितना पुराना था;

(घ) क्या वायुयान में कोई नेवीगेटर नहीं था;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वायुसेना के कितने एव्रो वायुयान अब तक दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और वायुसेना में कितने एव्रो वायुयानों को पुराने पड़ जाने और खराबियां पैदा हो जाने के कारण निकाल दिया गया है;

(च) क्या उक्त दुर्घटना में मारे गए चालक दल के सदस्यों को मुआवजा दिया गया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार उक्त मुआवजा की राशि में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) भारतीय वायुसेना के पास लगभग 60 एवरो वायुयान हैं। इन वायुयान के निर्माताओं ने इसकी कुल तकनीकी उपयोगिता अवधि निर्दिष्ट नहीं की है।

(ख) और (ग) 25 मार्च, 1991 को हुई एवरो वायुयान दुर्घटना की जांच करने वाली अदालत ने बताया है कि अधिकांश उड़ान संबंधी मानदंड निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर थे। यद्यपि इस दुर्घटना के वास्तविक कारण का ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सका था तथापि जांच अदालत निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंची थी :-

(क) हालांकि इंजन वास्तव में खराब नहीं हुआ था फिर भी उड़ान के दौरान दाएं इंजन में असावधानीवश खराबी आ गई थी;

(ख) यद्यपि इस वायुयान में सामान्य उड़ान के लिए निर्धारित सीमा से अधिक भार नहीं था तथापि लघु क्षेत्र/अवरोध लंघन उड़ान के अभ्यास के लिए इसका कुल भार अधिक था।

इस वायुयान का निर्माण 12.7.1973 को किया गया था।

(घ) इस वायुयान में किसी नेवीगेटर की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह आकाश में चक्कर लगाकर नीचे उतर रहा था और देशांतर उड़ान पर नहीं था।

(ङ) अब तक तीन एवरो वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं।

(च) इस वायुयान की दुर्घटना में मारे गए कर्मीदल के सभी सदस्यों को नियमानुसार मुआवजा अर्थात् मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, परिवार उपदान, आश्रित परिवार पेंशन, सामूहिक बीमा, उड़ान वेतन सम्बद्ध बीमा के अलावा एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी।

(छ) और (ज) मुआवजा बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खेरिया विमानपत्तन की भूमि

2771. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा विकास प्राधिकरण ने पर्यटकों के सहज आवागमन के लिए खेरिया विमानपत्तन जाने वाले अर्जुन नगर मार्ग को फतेहपुर सीकरी मार्ग से जोड़ने हेतु खेरिया विमानपत्तन की भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) फतेहपुर सीकरी संपर्क सड़क, आगरा के लिए अर्जुन नगर गेट से निकट वायुसेना की लगभग 5 एकड़ भूमि के अंतरण के संबंध में एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था

कि कतिपय शर्तों के आधार पर उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

विज्ञापनों के लिए लाइट हाउसों का उपयोग

2772. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों ने अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए लाइट-हाउसों का उपयोग करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु कार्यक्रम

2773. **श्री पी. आर. दासमुंशी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सोवियत संघ के विघटन के कारण हमारी चालू परमाणु परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है;

(ख) क्या शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु हमारे परमाणु कार्यक्रमों पर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि संबंधी जेनेवा बातचीत का कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के लिए "जालेप ला" व्यापार-मार्ग

2774. **श्री आर.बी. राई :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत और चीन के बीच व्यापार-संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से कलिमपोंग होते हुए जालेप ला दर्रा/मार्ग खोलने पर विचार करने के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) विगत में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार मार्ग के रुप में नाथू ला अथवा जालेप ला का उपयोग करने की सम्भावना का उल्लेख किया है। जालेप ला और नाथू ला दोनों ही एक दूसरे के अधिक निकट हैं। व्यापार मार्ग के रुप में नाथू ला को खोलने से सम्बद्ध मामले पर चीनी पक्ष के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

सामाजिक अभिशाप - दहेज के बारे में फैसला

2775. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले की ओर दिलाया गया है जिसमें न्यायालय ने सामाजिक अभिशाप - दहेज पर रोक लगाने के लिए आन्दोलन का आह्वान किया है और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 जुलाई, 1996 को दिये गए निर्णय (1994 की आपराधिक अपील सं.-231) से सहमत है कि दहेज को घातक सामाजिक कुरीति के उन्मूलन हेतु न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने अपितु पुरुषों को भी बुनियादी मानवीय मूल्यों का सम्मान करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए एक व्यापक सामाजिक आन्दोलन शुरु करने तथा सोच और रवैये में परिवर्तन के लिए लोगों की चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है।

मलेरिया नियंत्रण योजना

2776. **श्री राम नाईक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 और 13 अक्तूबर, 1995 को मलेरिया नियंत्रण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने के मुददे पर चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि व्यय का 70 प्रतिशत भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त निर्णय को लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की अक्तूबर 1995 में हुई बैठक में एक संकल्प पारित किया गया था कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के वर्तमान बजट आबंटन को बढ़ाये जाने की जरुरत है और मलेरिया की स्थिति और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत हिस्से को प्रदान करने में आई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और

राज्य के हिस्से के अनुपात को 70:30 किया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) इन सिफारिशों का कार्यान्वयन भविष्य में मलेरिया के लिए बजट आबंटन को बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर उचित नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

गुजराती/हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन

2777. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक गुजरात को गुजराती/हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में गुजराती और हिन्दी के विकास के लिए कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत गुजरात विश्वकोश ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 1993-94 तथा 1995-96 के दौरान गुजराती भाषा में गुजराती विश्वकोश (खण्ड 1/ व 1/1) के प्रकाशन के लिए 2,73,736/-रु. का अनुदान दो किस्तों में दिया गया।

(ग) सरकार ने, गुजराती सहित हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों/अधीनस्थ कार्यालयों के अनुरक्षण की योजनाओं सहित निम्नलिखित योजनायें तैयार की हैं :—

(i) हिन्दी की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना।

(ii) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा प्रशिक्षण देना।

(iii) भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन/खरीद के लिए वित्तीय सहायता देना।

(iv) भारतीय भाषाओं से संबंधित (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू व सिंधी को छोड़कर) चुनिन्दा प्रोन्नत कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना।

(v) हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन की योजना।

(vi) हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा प्रशिक्षण देना।

(vii) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली, एक अधीनस्थ कार्यालय, जो कि पत्राचार पाठ्यक्रमों और द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन के माध्यम से हिन्दी का एक सम्पर्क भाषा के रूप में विकास करने के कार्य में लगा हुआ है।

(viii) वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली एक अधीनस्थ कार्यालय, जो कि हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है।

(ix) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, एक स्वायत्त संगठन, जो कि गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों आदि में सेवारत अध्यापकों को शिक्षक प्रशिक्षण देने के कार्य में लगा हुआ है।

(x) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर एक अधीनस्थ कार्यालय, जो कि भारतीय भाषाओं के विकासात्मक कार्यक्रमों में लगा हुआ है।

(xi) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, एक स्वायत्त संगठन जो कि गुजरात में गुजराती व हिन्दी भाषाओं के विकास के लिए अपने प्रकाशन कार्यक्रमों में वृद्धि कर रहा है।

[अनुवाद]

केरल के उप-मार्ग

2778. **श्री पी.सी. थॉमस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन-नेरिडमंगलम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 में कोचीन से मदुराई तक उप-मार्ग के लिए कई प्रस्ताव पास हुए हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल से गुजरने वाले इस क्षेत्र के राजमार्ग को उप-मार्ग से जोड़ने का मामला किस स्तर पर है;

(ग) राजमार्ग को उप-मार्ग से जोड़ने और उप-मार्ग का कार्य आरंभ करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त क्षेत्र में विकास के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 का संरेखण प्रस्ताव अभी राज्य के लो. नि. वि. द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) संरेखण को अंतिम रूप देने में विलम्ब मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के कारण हुआ है।

(घ) केरल में रा. रा. 49 के विकास पर संरेखण को अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में पासपोर्ट कार्यालय

2779. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस समय कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन कार्यालयों द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ग) इन कार्यालयों द्वारा पासपोर्टों को जारी करने में औसतन कितना समय लिया गया है;

(घ) इस कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए छः माह से अधिक समय से लम्बित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन आवेदनों के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक पासपोर्ट कार्यालय अर्थात क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली है। गाजियाबाद और गुड़गांव में दो और पासपोर्ट कार्यालय खोलने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली द्वारा जारी पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है

वर्ष	1993	1994	1995
जारी किए गए पासपोर्टे की संख्या	128186	108249	106607

(ग) यह कार्यालय पूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात पासपोर्ट जारी करने में लगभग औसतन चार सप्ताह का समय लेता है।

(घ) इस कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने के लिए छह महीने से अधिक समय से बकाया पड़े आवेदनों की संख्या 1594 है।

(ङ) इस श्रेणी के अन्तर्गत वे आवेदन बकाया है जो पासपोर्ट जारी के लिए आवेदक की पात्रता से संबंधित हैं और उनमें आवश्यक जाँच की कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाना

2780. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अलापुझ स्थित तिरूमला देवशोम (टी. डी.) मेडिकल कालेज की निदान संबंधी सेवाओं का उन्नयन/उसे आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत सहित ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केरल सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु मेडिकल कालेज, अलापुझ में एक इमेजियोलॉजी और प्रयोगशाला सेवा संस्थान की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव योजना आयोग में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार को 9वीं योजना के एक हिस्से के रूप में एक विस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में राज्य राजमार्गों का उन्नयन

2781. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 24.2.1992 के अपने पत्रांक 1812/आर. 11(2)91-3 के द्वारा केन्द्र सरकार को राज्य के 4812 कि.मी. राज्य राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने जनवरी 1993 में इन प्रस्तावों में से कुन्नुल से चित्तूर तक 362 कि. मी. राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 के रूप में मंजूरी पर दी है;

(ग) यदि हां, तो अन्य प्रस्तावों के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(घ) मंजूर किए गए राजमार्गों का कितना कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ङ) कब तक सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाएगा; और

(च) कब तक इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) निधियों के अभाव के कारण किसी और सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना मुश्किल होगा। कुरनूल-चित्तूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 720 लाख रु. की लागत के मूल कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 को चार लेन में परिवर्तित करना

2782. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम से एर्नाकुलम तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के दो लेन को चार लेन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर अरूर से शेरतलाई (एरनाकुलम के आस-पास), जिसके लिए कार्य चल रहा है, को छोडकर त्रिवेन्द्रम से शेरतलाई तक चार लेन बनाने का 8वीं पंच वर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

प्रति हज तीर्थयात्री अधिकतम सामान सीमा

2783. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रा के दौरान प्रति टन तीर्थयात्री अधिकतम सामान संबंधी कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक्त सामान पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त सामान पर प्रभार के रूप में कुल कितनी राशि एकत्र की गई और इस राशि का क्या उपयोग किया गया तथा इसका उपयोग विमान कंपनियों की भुगतान के रूप में किया गया अथवा हज समिति आदि द्वारा उपयोग किया गया?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए इन्तजामातों के तहत हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को सऊदी अरब की अपनी यात्रा पर जाने के लिए 35 कि.ग्रा. व्यक्तिगत सामान ले जाने और भारत वापस लौटने की अपनी यात्रा पर जमजम (पवित्र जल) सहित 45 किलोग्राम की इजाजत दी जाती है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार, अनुमत सामान से अधिक अतिरिक्त सामान पर प्रभार भत्ता वसूल किया जाता है। आमतौर पर, ऐसा लौटते वक्त की उड़ानों में होता है तब हाजी अपने साथ अधिक सामान लाते हैं।

(घ) हज 1994, 1995 और 1996 के लिए अतिरिक्त सामान संकलन क्रमशः 24, 93, 330 रुपए 34, 14, 307 रुपए तथा 18, 56, 726 रुपए था। अतिरिक्त सामान प्रभारों का संकलन केन्द्रीय हज समिति की ओर से एअर इन्डिया द्वारा किया जाता है और संकलित राशि एयर इन्डिया और केन्द्रीय हज समिति के बीच प्रति वर्ष खातों के समन्वय के दौरान बेबाक की जाती है।

असम में भर्ती कार्यालयों द्वारा जवानों की भर्ती

2784. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में सेना की विभिन्न शाखाओं में कुल भर्ती किए गए जवानों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1995-96 में अब तक असम में भर्ती कार्यालयों द्वारा कितने सैनिकों की वर्ष-वार भर्ती की गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : वर्ष 1995-96 तक तीन वर्षों के दौरान असम में भर्ती कार्यालयों द्वारा सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किए गए कर्मिकों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	पूरे देश से भर्ती किए गए कुल कार्मिक	असम से भर्ती किए गए कुल कार्मिक
	सेना	
1993-94	48338	771
1994-95	70681	1135
1995-96	87285	2083
	नौसेना	
1993-94	2254	9
1994-95	2547	7
1995-96	2329	11
	वायुसेना	
1993-94	3916	22
1994-95	4507	16
1995-96	4912	41

[हिन्दी]

बिहार में जल-भूतल परिवहन

2785. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की पर्याप्त सहायता के अभाव में बिहार में जल-भूतल परिवहन खराब हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में अध्ययनरत छात्र

2786. **श्री विजय गोयल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या कितनी है और तकनीकी और अन्य विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने विद्यार्थियों को सरकार से सहायता मिल रही है; और

(ग) कितने छात्रों ने बीच में ही अध्ययन छोड़ दिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस मंत्रालय के प्रकाशन : "इन्डियन स्टूडैन्ट्स/ट्रेनीज गोइंग अब्राड 1993-94" विदेश जाने वाले भारतीय छात्र/प्रशिक्षणार्थी, 1993-94 में उपलब्ध है, जिसकी प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियंता

2787. **श्री एम. सैल्वारासु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सहायक अभियंताओं के पद 1990 से रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सहायक अभियंता के पदों पर अनुसूचित जाति के अभियंताओं को प्रोन्नत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को निदेश देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में लंबित सिंचाई परियोजनाएं

2788. **श्री बी. धर्मभिक्षम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों से केंन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश की कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृति के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं लंबित हैं; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) आन्ध्र प्रदेश को 7 वृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृति के लिए केन्द्र के पास लंबित है।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश को पांच मध्यम सिंचाई परियोजनाएं नामशः येराकालवा, मादोलेरू, कोलासनाला, बुग्गावंका और चेलमेलवागू को निवेश स्वीकृति दी गई।

(ग) और (घ) केन्द्र में लंबित 7 वृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 5 वृहद परियोजनाएं नामशः पुलिचिंतला, कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण, भीमा लिफ्ट, श्री रामसागर चरण-II और श्री राम सागर से फ्लड फ्लो नहर तथा पेडेरू और पालेमवागु नामक दों मध्यम सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों को अनुपालना के अध्यधीन इस मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई। बेलीगोंडा और चगोलनाडु लिफ्ट नामक शेष दो वृहद परियोजनाएं हाल में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

गढ़वा में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र

2789. **श्री कृष्ण मोहन राम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार-बिहार में गढ़वा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक अध्ययन केन्द्र स्थापित करेन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

और आगे शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

2790. **श्री मुरलीधर जैना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विद्यार्थियों/विद्वानों को देश में तथा विदेश में आगे की शिक्षा के लिए दिए जा रहे राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्तियो का ब्यौरा क्या हे; और

(ख) विभिन्न स्तर पर शिक्षा के विकास के लिए विदेशी सहायता द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाएँ निम्नलिखित हैं:-

1. आंतकि छात्रवृत्तियाँ:

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना
2. ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना

3. हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ।

4. आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति योजना (केवल उन छात्रों के लिए चलाई जा रही है जिन्हें पहले भी दी जा चुकी है)

2. विदेशी छात्रवृत्तियाँ:

(क) द्विपक्षी/बहुपक्षी व्यवस्था के अतर्गत दी जा रही छात्रवृत्तियाँ:

देश	1995-96 में प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या
1. राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्तियाँ/अध्येतावृत्तियाँ (इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि)	31
2. नेहरु शताब्दी ब्रिटिश अध्येतावृत्तियाँ	–
3. ब्रिटिश उद्योग विदेशी छात्रवृत्तियाँ संघ	3
4. आस्ट्रेलिया विकास सहयोग छात्रवृत्तियाँ	25
5. जर्मन शैक्षिक विनिमय सेवा छात्रवृत्तियाँ	15
6. जापान (मोनबुशो) छात्रवृत्तियाँ	13

(ख) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ

1. आयरलैंड	7
2. फ्रांस	2
3. चीन	6
4. इटली	2
5. बुलगारिया	4

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस समय बाहर से सहायता प्राप्त निम्नलिखित परियोजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है:

क्रम सं.	योजना का नाम	वित्त पोषण एजेन्सी
1.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (जि.प्र.शि.का.)	विश्व बैंक तथा यूरोपियन आयोग
2.	बिहार शिक्षा परियोजना	यूनीसेफ
3.	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना	विश्व बैंक
4.	शिक्षा कर्मी परियोजना	स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (सीडा)
5.	लोक जुम्बिश, राजस्थान	एस.आई.डी.ए.(सीडा)
6.	महिला समाख्या	नीदरलैंड सरकार
7.	तकनीशियन शिक्षा परियोजना	विश्व बैंक
8.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज	ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी, यु.के.
9.	समेकित बाल विकास योजना	विश्व बैंक
10.	तमिलनाडु में 47 समेकित बाल विकास योजना परियोजनाओं को सहायता	स्वीडन सरकार

सुन्दरवन को राष्ट्रीय नदी मार्ग घोषित किया जाना

2791. **श्री समीक लहिरी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुन्दरवन के नदी मार्ग को राष्ट्रीय नदी मार्ग के रुप में मान्यता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने भारत और बंगलादेश के बीच सुन्दरवन में अंतर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रुप में घोषित किए जाने के लिए अभिज्ञात किया है। रंगफाला चैनल से बहारीखल-रायमंगल नदी संगम तक इस खंड की कुल लम्बाई लगभग 200 कि.मी. है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है। इन अध्ययन कार्यों के पूरा हो जाने पर, इस खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

लड़कियों की मृत्यु दर

2792. **श्री राजीव प्रताप रुडी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कियों की उनकी उम्र के लड़को की तुलना में मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) भारत के महापंजीयन के नमूना पंजीयन पद्धति के माध्यम से उपलब्ध

सूचना के अनुसार वर्षों से नवजात (0-1 वर्ष) और शिशु (0-4 वर्ष) मृत्युदरों में कमी हो रही है। 1991 की तुलना में 1992 में बालिका शिशु (0-4 वर्ष) मृत्यु दर में मामूली वृद्धि थी जबकि 1993 में बालिकाओं की इस दर में काफी कमी रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुल

2793. **श्री हाराधन रायः** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुल का निर्माण किए जाने संबंधी उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं, और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं पड़े हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैती अधिकारियों द्वारा जलयानों की जब्ती

2794. **श्री सनत मेहताः** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:(क) अप्रैल-मई, 1996 में कुवैती अधिकारियों द्वारा कितने/भारतीय पंजीकृत जलयान जब्त किए गए,

(ख) क्या जब्त किए गए भारतीय जलयानों के चालक-दल के सदस्यों को छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके जलयानों की नीलामी की जाएगी, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन जलयानों की वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) अप्रैल-मई 1996 के दौरान जलयान जब्त किए जाने की ऐसी कोई सूचना कुवैत स्थित भारतीय दूतावास द्वारा नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों में कोर्ट मार्शल किए जाने संबंधी मामले

2795. **श्री ए. सम्पथ :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र बलों में कोर्ट मार्शल किए जाने संबंधी कितने मामले हुए;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि कोर्ट मार्शल किए जाने की व्यवस्था पूरी तरह एकतरफा होती है और अभियुक्त को नैसर्गिक न्याय से वंचित कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली में सुधार के क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क)

वर्ष	सशस्त्र सेनाओं में कोर्ट मार्शल किए गए मामलों की संख्या
1993	1856
1994	1671
1995	1486

(ख) और (ग) सेना/नौसेना/वायुसेना अधिनियमों के तहत न्याय करने के लिए एक बहुत ही साफ-सुथरी प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यह सामान्यतः दंड प्रक्रिया संहिता (देश का कानून) में दी गई प्रक्रिया के अनुरुप कार्य करती है। वस्तुतः सैन्य न्यायिक प्रणाली न केवल अभियुक्त के प्रति बल्कि पीड़ित व्यक्ति और संगठन के लिए भी न्यायपूर्ण है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

2796. **श्री संदीपान थीरात :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिए मुंबई में जिन्हा हाऊस के अधिग्रहण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारत में क्षेत्रीय तथा विदेशों में स्थापित सांस्कृति केन्द्रों की हाल ही में पुनरीक्षा की गई है तथा तत्संबंधी विशिष्ट उपलब्धियों और कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में तथा विदेश में भारतीय सांस्कृतिक परिषद के वर्तमान नेटवर्क को पुनर्गठित/विस्तार/सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति के उन्नयन और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए गए निर्णय/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष में इसके लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जिन्ना हाउस के संबंध में जो प्रस्ताव हैं उनमें से एक यह है कि इसका रखरखाव एक सांस्कृतिक परिसर के रुप में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया जाए। विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य संचालन की विस्तृत समीक्षा की थी और उसकी रिपोर्ट 19.12.95 को संसद को पेश कर दी गई थी। समिति की सिफारिशों का भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद उपयुक्त क्रियान्वयन कर रही है।

(ग) और (घ) परिषद के मुख्यालय तथा भारत स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की आधारभूत संरचना के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। ट्रिनीडाड एवं टोबेगो स्थित सांस्कृतिक केन्द्र इस वर्ष कार्य आरम्भ कर देगा। नए सांस्कृतिक केन्द्रों को खोलने के और प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का बजटीय आबंटन 1995-96 में 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि 1994-95 में यह 15 करोड़ रुपये था।

लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

2797. **श्रीमती एम. पार्वती :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के ओंगोले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के लिए इस समय कोई लिफ्ट सिंचाई योजना नहीं चल रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस क्षेत्र में बारिश की कमी रहने से छोटे और सीमांत किसान बड़ी दयनीय अवस्था में हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन किसानों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजनाएं शुरु करने की व्यवस्था करने और उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार की योजना के अंतर्गत कुछ धनराशि आबंटित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) ओंगोले संसदीय क्षेत्र में छत्तीस लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। चालीस अन्य योजना निधियों की कमी के कारण लंबित हैं। ऐसा बताया गया है कि क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण छोटे एवं सीमांत किसानों की फसलों पर प्रभाव पड़ा है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित (एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम) योजना के अंतर्गत आन्ध्र के ओंगोले संसदीय क्षेत्र में वर्ष 1996-97 के लिए लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए 83.665 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल

2798. **श्री रामशकल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने सरकारी स्कूल हैं और इसमें कितने अध्यापक हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इनके कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) सरकार का इन पदों को कब तक भरने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दवाइयों की कमी

2799. **श्री आई.डी. स्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक उपकरणों सहित अन्य उपकरणों की काफी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो अस्पतालवार तत्संबंधी क्या परिणाम निकले;

(ग) दवाइयों और उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राज्यों के अस्पतालों में भी दवाइयों और उपकरणों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो इस कमी से कौन-कौन से अस्पताल प्रभावित है तथा इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) ओर (ङ) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का एक विषय है इसलिए राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में औषधें और उपकरण प्रदान करना उनकी जिम्मेदारी है।

पाठ्य पुस्तकों में आपत्तिपूर्ण उल्लेख

2800. **श्री नारायण उठावले :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर एवं अन्य राज्यों के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में आपत्तिजनक उल्लेख है जिससे भारतीय गणतंत्र की देश प्रेम की भावनाओं को ठेस पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा की लोक कला

2801. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की लोक कला के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख) : भारत सरकार का संस्कृति विभाग जनजातीय/लोक कला व संस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए एक स्कीम पहले ही प्रारंभ कर चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत जनजातीय एवं लोक कला व संस्कृति के परिरक्षण संवर्धन व प्रसार में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा की लोक कलाएं भी शामिल हैं और गत वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान उड़ीसा के निम्नलिखित संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

वर्ष 1995-1996

1.	आदिवासी संस्कृत गवेषण परिषद सिनापली, उड़ीसा	1,40,000/-रु.
2.	श्री आर.पी. दास, भुवनेश्वर	1,60,000/-रु.
3.	उड़ीसा साहित्य अकादेमी,भुवनेश्वर	75,000/-रु.
4.	राज्य जवाहर बाल भवन, भुवनेश्वर	1,00,000/-रु.
5.	सामाजिक स्कीम व विकास शोध संस्थान, भुवनेश्वर	93,800/-रु.
6.	श्री पी.के. दास, भुवनेश्वर	50,000/-रु.
7.	श्री डी.एन. राव, भुवनेश्वर	1,20,000/-रु.

तीस्ता परियोजना की अधिकतम क्षमता

2802. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **जल संसाधन मंत्री** 22 जुलाई, 96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च,1996 तक 527 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की अधिकतम क्षमता की तुलना में 73.55 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किए जाने की संभावना थी;

(ख) क्या मार्च, 1996 तक 73.35 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की क्षमता प्राप्त की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो अद्यतन स्थिति के अनुसार सिंचाई की अधिकतम क्षमता का लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय

2803. **श्री नामदेव दिवाये :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विद्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

2804. **प्रो.पी.जे. कुरियन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा केरल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की माँग की गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का गठन करने को बढ़ावा नहीं देती।

जलक्रीड़ा परिसर

2805. **श्री बी.एम. सुधीरन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में अलेप्पी में जलक्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुष्कोडी आदित्यन आर.) : (क) केन्द्र सरकार को अलापुजा, अलेप्पी, केरल में जलक्रीड़ा परिसर के एक हिस्से के रुप में पुन्नामडे लेक में एक आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) चूंकि यह प्रस्ताव खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु अनुदान की विभागीय योजना के प्रावधानों के अनुरुप नहीं था, इसलिए केरल सरकार को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता दिये जाने संबंधी असमर्थता से अवगत करवा दिया गया है।

[हिन्दी]

नई तकनीक

2806. **श्री पंकज चौधरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपचार की अधतन तकनीक के बारे में डाक्टरों को नवीनतम जानकारी देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) जी, हां; पूरे देश से सरकारी डाक्टरों को उन्हें उपचार की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से विदेशों में भेजा जाता है।

वर्ष 1994-95 के दौरान, 571 डाक्टरों, स्वास्थ्य व्यवसायियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन/राष्ट्रकुल अध्येतावृत्तियों पर विदेश भेजा गया था।

इसी प्रकार अविच्छिन्न चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के अधीन चिकित्सा व्यवसायी स्वास्थ्य क्षेत्र में नवीनतम विकास की जानकारी प्राप्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान अपने खर्च पर विदेशों में उच्च अध्ययनों/रेजिडेंसी प्रशिक्षण के लिए 3088 डाक्टरों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए थे।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा रक्षा सौदों की जांच

2807. **श्री काशीराम राणा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने रक्षा सौदों के बारे में जांच की गई; और

(ख) कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन वी एन सोमू) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रक्षा सौदे के निम्नलिखित चार मामलों की जांच की गई :-

(1) आर सी। (ए)/90-ए सी यू.4 (बोफोर्स मामला)

(2) आर सी। (ए)/90-ए सी यू-1 (एच डी डब्ल्यू पनडुब्बी मामला)

(3) आर सी 62(ए)/88-डी एल आई (टेलीस्कोप के साथ स्निपर राइफल की खरीद)

(4) पी ई 5 (ए)/94-डी एल आई (मैसर्स अशोक लेलैंड मामला)

(ख): दो मामलों की जांच अर्थात् आर सी 62(क)/88-डी एल आई और पी ई 5(ए)/94-डी एल आई, का कार्य पूरा हो चुका है। मामला संख्या 62(ए)/88-डी एल आई को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण बन्द कर दिया गया और मामला सं0 पी ई. 5(ए)/94-डी एल आई के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने संबंधित अफसर के आचरण पर नजर रखने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दी थी।

काराकोरम राजमार्ग को चोड़ा किया जाना

2808. **श्री पिनाकी मिश्र:**
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में चीन के साथ पाकिस्तान का संपर्क करने वाले कराकोरम राजमार्ग को चौड़ा किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसे इस क्षेत्र में शांति संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में सामरिक चिंता का विषय समझती है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) कराकोरम राजमार्ग में जम्मू कश्मीर राज्य के उस भाग में स्थित भारतीय प्रदेश का इस्तेमाल भी शामिल है जो पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे में है। भारत 1969 से जब इस राजमार्ग का निर्माण शुरू किया गया था, इस संबंध में पाकिस्तान की गतिविधियों का बराबर विरोध करता चला आ रहा है। न तो कराकोरम राजमार्ग से और न ही उसका दर्जा बढ़ाने से पाकिस्तान को कोई अधिकार अथवा कानूनी प्राधिकार मिलेगा। इसके अलावा, इस मार्ग का प्रस्तावित उन्नयन और उसके परिणामी प्रशासनिक प्रबंध तथा इस रास्ते के जरिए कोई भी यातायात पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे का ही परिणाम होगा।

कराकोरम राजमार्ग का प्रयोग सैन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है अतः यह भारत की सुरक्षा का अतिक्रमण करती है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है और भारत के हितों की सुरक्षा तथा रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

कराची में इंडियन एयरलान्ड्स कार्यालय में लूटपाट

2809. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया:**
कुमारी उमा भारती:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के कराची स्थित कार्यालय में हाल में कुछ

व्यक्तियों ने बन्दूक की नोक पर लूटपाट की;

(ख) यदि हां तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए तथा उनसे लूटी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से बात की है; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) 12 जून, 1996 को हथियारों से लैस कई व्यक्ति कराची स्थित इण्डियन एअरलाइन्स कार्यालय में घुसे। उन्होंने जबरदस्ती कैश वाक्स, तिजोरी, दराज आदि खोले और बन्दूक की नोक पर सभी कर्मचारियों तथा यात्रियों का सामान लूट लिया जिसमें नकदी और अन्य कीमती चीजें भी थीं। इसके अलावा वे उस दिन की 1,21,000 रूपये की उगाही तथा पेशगी नकदी ले गए। राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान को अपना विरोध जता दिया गया है। पाकिस्तान के प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे इस मामले की जांच करें तथा इण्डियन एअरलाइन्स कार्यालय, उसके कर्मचारियों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की प्रक्षेपास्त्र परियोजना

2810. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि "सिक्योरिस्टिक पोलिटिकल एनालिसिस मैगजीन" में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान प्रक्षेपास्त्र परियोजना शुरू करने जा रहा है जो 600 किलोमीटर दूरी तक प्रहार कर सकता है और इन प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण के लिए पाकिस्तान पहले ही आवश्यक सामग्री जैसे अल्युमिनियम पाउडर, आर.डी.एक्स. आदि प्राप्त कर चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार खतरे के अपने आकलनों के आधार पर भारत की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में कानून

2811. **श्रीरामचन्द्र डोम:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हरियाणा और राजस्थान में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध से संबंधित कोई कानून है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कानून परिवार नियोजन कानून से संबंधित केन्द्रीय नीति के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 ऐसे व्यक्तियों को भविष्य प्रभावी रूप से ग्राम, समिति और जिला स्तरों पर पंचायतों में पद धारण करने से वंचित करती है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 की धारा 19 द्वारा उन व्यक्तियों को भविष्य प्रभावी रूप से पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

(ख) और (ग) संविधान (79वां) संशोधन विधेयक, 1992 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे संसद के किसी सदन, अथवा विधान सभा अथवा किसी राज्य विधान परिषद का सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य माना जाएगा। इस प्रकार से अयोग्य माना जाना इस विधेयक के अनुरूप अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के पश्चात प्रभावी होगा। यह विधेयक 22 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था जिसने किसी प्रकार का परिवर्तन किए बगैर इसे पारित करने की सिफारिश की है।

दिल्ली में एक्सप्रेस मार्ग

2812. **श्री बनवारी लाल पुरोहित:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने शहर में एक शहरी एक्सप्रेस मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार को कितनी सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना कब तक आरंभ हो जाएगी तथा इसके पूरा होने की समय सारणी क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आंगनवाडी-बालवाडी कर्मचारियों का वेतन

2813. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाडी-बालवाडी कर्मचारियों के मासिक वेतन मे वृद्धि करने और उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे क्या कार्रवाई की जा रही है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) जी, नहीं। आंगनवाडियों और बालवाडियों में कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और बालसेविकाओं तथा सहायिकाओं को वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें मानदेय के रूप में एक निश्चित राशि दी जाती है। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तथा बालसेविकाओं और सहायिकाओं को प्रदत्त मानदेय इस प्रकार है :-

	श्रेणी	प्रतिमाह मानदेय राशि।
	क आंगनवाडी कार्यकर्ता	
1.	नान-मैट्रिकुलेट	350/- रूपये
2.	पाँच वर्ष के अवैतनिक कार्य वाले नान-मैट्रिकुलेट	375/- रूपये
3.	दस वर्ष अवैतनिक कार्य वाले नान-मैट्रिकुलेट	400/- रूपये
4.	मैट्रिकुलेट	400/- रूपये
5.	पाँच वर्ष के अवैतनिक कार्य वाले मैट्रिकुलेट	425/- रूपये
6.	दस वर्ष अवैतनिक कार्य वाले मैट्रिकुलेट	450/- रूपये
	ख. सहायिकाएं	200/- रूपये
	ग. बालसेविकाएं	
1.	प्रशिक्षित	325/- रूपये
2.	अप्रशिक्षित	275/- रूपये
	घ. सहायिकाएं	165/- रूपये

मानदेय की निश्चित राशि के अलावा, आंगनवाडी कार्यकर्ता बस/गाड़ी के वास्तविक किराये के आधार पर यात्रा भत्ता (द्वितीय श्रेणी) और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अवर श्रेणी लिपिक को यथा-अनुमेय दैनिक भत्ते के हकदार है। आंगनवाडी सहायिका भी बस/गाड़ी के वास्तविक किराये (द्वितीय श्रेणी) के आधार पर यात्रा भत्ते तथा राज्य सरकारों के श्रेणी घ के कर्मचारियों को यथाअनुमेय दैनिक भत्ते की हकदार है। आंगनवाडी कार्यकताओं को प्राप्त अन्य लाभों में प्रसूति अवकाश और वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश भी शामिल है।

(ख) और (ग) आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय मे वृद्धि के लिए विभिन्न आंगनवाडी एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

समेकित बाल कल्याण योजना

2814. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खतरनाक व्यवसाय/उद्योगों में काम कर रहे बच्चों को इस कार्य से हटाने के लिए कोई समेकित बाल कल्याण योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितनी बजट राशि आबंटित की गई है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वासित बच्चों की कुल संख्या, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई): (क) और (ख) सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अनुसार बाल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान (1) विधान (2) बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों और (3) बाल श्रम (निवेश और विनियमन) अधिनियम 1986, जो बच्चों के हित में बच्चों के नियोजन के निषेध हेतु पहले से मौजूद है, के माध्यम से किया जा रहा है। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 और मोटर परिवहन कर्मी अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न अन्य श्रमिक कानूनों में सुरक्षा के प्रावधान उपलब्ध हैं।

सरकार इन कानूनों में बच्चों से संबंधित सभी प्रावधानों को एकरूपता से लागू करना चाहती है। सरकार ने सन् 2002 तक परिसंकटमय व्यवसायों में लगे लगभग 2.00 मिलियन बच्चों के पुनर्वास का एक वृहत् कार्यक्रम तैयार किया है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पं. बंगाल राज्यों में विशेष स्कूलों के माध्यम से, जहां बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षावृत्ति इत्यादि प्रदान किए जाते हैं, 1.5 लाख बच्चों के लिए अब तक 76 बालश्रम परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय क्षेत्रीय और जिला स्तर पर बाल श्रम की बुराई के विरूद्ध एक व्यापक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। देश में सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाले 133 जिलों में लोगों में बालश्रम की प्रथा के विरूद्ध संचेतना उत्पन्न करने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता विकास हेतु राशि नियुक्त की गई है। आने वाले वर्षों में इन उपायों को समेकित किया जायेगा और इनका विस्तार किया जाएगा। वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 34 करोड़ रूपये इस कार्यक्रम पर व्यय किए गए। वर्ष 1996-97 के लिए बाल श्रमिकों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 56 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) हालांकि, परिसंकटमय व्यवसायों से निकाले गए और विशेष स्कूलों में दाखिल किए गए बच्चों की संख्या के बारे में राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, तथापि अनुमान है कि लगभग एक लाख बच्चों को ऐसे व्यवसायों से निकाल कर विशेष स्कूलों में भेजा जा चुका है।

मानसरोवर तीर्थयात्रा

2815. **श्री मृत्युन्जय नायकः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हज यात्रियों को उपलब्ध करायी गई सहायता की भांति चीन में स्थित मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) 1996 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री द्वारा देय प्रभारों में चीनी प्राधिकारियों को 500 अमरीकी डालर तथा कुमांऊ विकास निगम को 8,250 रूपये का भुगतान शामिल है। 1996 के दौरान इस यात्रा के लिए सरकार ने तीर्थयात्रियों द्वारा कुमांऊ विकास निगम को देय धनराशि प्रति तीर्थ यात्री 5000 रूपये रखने का निर्णय लिया था, सरकार प्रति तीर्थ यात्री 3250 रूपये की शेष राशि स्वयं वहन करेगी।

इसके अतिरिक्त सरकार तीर्थ यात्रियों को मुहैया कराये जाने वाली सुविधाओं पर होने वाला व्यय वहन करती है। इन सुविधाओं में, चिकित्सा सहायता, आई टी तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और मार्ग रक्षा, दिल्ली तथा इस यात्रा के मार्ग में भारत में पड़ने वाले स्थानों के बीच तथा चीन के साथ संचार संपर्क, आपात स्थिति में फंसे तीर्थ यात्रियों की वायुयान से निकासी, विज्ञापनों के प्रकाशन पर होने वाला व्यय तथा भारत में संभार तंत्र तथा सुविधाएं देने पर होने वाला आंशिक खर्च शामिल है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए योजनाएं

2816. **श्री ललित उरांवः** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के आदिवासी, ग्रामीण, पिछड़े और पठारी क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों और मृतक सैनिकों के आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए इस समय कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों/मृतक सैनिकों के आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) इनसे कितने व्यक्ति लाभाविन्त हुए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. सोमू) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार राज्य सहित विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी कार्यान्वित की गई योजनाएं इस प्रकार है:-

पुनर्वास योजनाएं

(1) केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" पदों का 10 प्रतिशत और समूह "घ" का 20 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेटों के 10 प्रतिशत पद भी आरक्षित किए गए है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंक भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" पदों में 14.5 प्रतिशत तथा समूह "घ" पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग, सेना-उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खादी ग्रामोद्योग स्थापित किए जाने के लिए 3 स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं को सेमफेक्स-1, सेम्फेक्स-11, सेम्फेक्स-111 के रूप में जाना जाता है।

(3) सरकार ने तेल उत्पाद एजेंसियों अर्थात् एल पी जी, मिट्टी के तेल की एजेंसियों और पैट्रोल पंपों का 7.5 प्रतिशत मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की पत्नियों/आश्रितों, युद्ध में दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए कार्मिकों और शांतिकाल के दौरान 50 प्रतिशत और उससे अधिक निशक्त होने वाले कार्मिकों के लिए आरक्षित किया हुआ है।

(4) बिहार राज्य में एक भूतपूर्व सैनिक कोयला ट्रांसपोर्ट कम्पनी की एक योजना भी चल रही है।

कल्याणकारी योजनाएं

(1) भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाता है।

(2) गंभीर रोगों से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को सिविल अस्पतालों में उपचार कराए जाने के लिए ऐसी स्थिति में कुल व्यय के 60प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जब उनका उपचार सैन्य अस्पतालों में न किया जा सकता हो और न ही उन्हें अन्य स्रोतों से ऐसी सहायता प्राप्त हुई हो।

(3) भूतपूर्व सैनिक नजदीकी सी एस डी कैंटीनों से कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(4) युद्ध में मारे गए या स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों को जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उन संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जाती है।

(5) युद्ध में अथवा शांति काल के दौरान सेना संबंधी कारणों से मारे गए या निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को एम बी बी एस में 25 सीटें बी डी एस में एक सीट आरक्षित की गई है।

(6) युद्ध में मारे गए अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा/अर्द्ध सैन्य

बलों के बच्चों को छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रत्येक में दो सीटें आरक्षित हैं।

(7) सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

(8) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं, स्थाई रूप से निशक्त हुए अफसरों और उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों और स्वतंत्रता पश्चात् के युद्धों में मारे गए सैनिकों की पत्नियों को इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में यात्रा करने के लिए हवाई किराए में 50प्रतिशत छूट दी जाती है।

(9) युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल किराए में 75प्रतिशत छूट दी जाती है।

(10) युद्ध में दिवंगत सैनिकों और निशक्त हुए कार्मिकों के बच्चों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 35 बार मैमोरियल होस्टल बनाए गए हैं ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड इन होस्टलों में रह रहे बच्चों को शैक्षिक अनुदान भी प्रदान करता है। बिहार में 4 बार मैमोरियल होस्टल अवस्थित है।

(11) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य/जिला सैनिक बोर्ड बूढ़े तथा दुर्बल भूतपूर्व सैनिकों और उनकी गरीब विधवाओं को कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सा उपचार, पुत्री के विवाह, घर की मरम्मत आदि के लिए जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(12) भूतपूर्व सैनिकों के लिए सम्पूर्ण भारत में 238 सैनिक भवन/विश्राम-गृह स्थापित किए गए हैं। बिहार में 08 सैनिक विश्राम गृह हैं।

2. इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई सुविधाएं/रियायतें भी प्रदान कर रही है।

3. आदिवासी क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों सहित बिहार राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और दिवंगत सैनिकों के आश्रितों के लिए कल्याणकारी और पुनर्वास योजनाओं पर वर्षवार खर्च की गई राशि और पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार थी:-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	खर्च की गई राशि
1993	4336	26,50,851/-रूपये
1994	4466	37,44,207/-रूपये
1995	2896	25,57,472/-रूपये

कनाडा के साथ हुए समझौते

2817. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कनाडा के साथ पांच समझौतो पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते का क्षेत्र मुख्य-मुख्य विशेषताएं लागत, विदेशी मुद्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जनवरी, 1996 में कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक करार तथा चार समझौता ज्ञापन संपन्न हुए थे।

(ख) (i) आय तथा पूंजी पर लगने वाले करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत के वित्त मंत्रालय और कनाडा के राष्ट्रीय राजस्व विभाग के बीच दोहरा कराधान के परिहार करार संपन्न हुआ।

(ii) भारत के दूर संचार मंत्रालय और कनाडा के उद्योग विभाग के बीच दूर संचार में सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ था। इसे संपन्न करने का उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ध्वनि डाटा और दृश्य सेवाओं, नवीन संप्रेषण, स्विचिंग और नेटवर्क प्रबंधन सुविधाओं आदि के लिए सहयोग के जरिए भारत की दूर संचार सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का संवर्धन करना है।

(iii) राजमार्ग परिवहन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय तथा ओंटेरियो, कनाडा की सरकार के बीच संपन्न हुआ था। इसे संपन्न करने का उद्देश्य भारत में एक्सप्रेस मार्ग विकास कार्यक्रम में सहयोग करना है। सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं : निजीकरण योजनाओं की पैकेजिंग, गैर-सरकारी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए निविदा दस्तावेजों का विकास, गैर-सरकारी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं का प्रबंधन, तकनीकी तथा प्रचलनात्मक मानकों का विकास, राजमार्ग प्रबन्धन प्रणाली के परिचालन तथा विकास के लिए हार्डवेयर एवं सोफ्टवेयर अपेक्षाओं का आकलन, एक्सप्रैस मार्ग परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययनों के वित्त पोषण हेतु द्विपक्षीय सहायता की संभावना का पता लगाना, संगत क्षेत्रों में कार्मिकों के लिए प्रशिक्षत सुविधाओं की व्यवस्था।

(iv) ओ.एन.जी.सी. और ऑयल इन्डिया लिमिटेड, तथा अल्बर्ट रिसर्च कौंसिल के बीच हैवी ऑयल के क्षेत्र में सहयोग हेतु दो समझौता ज्ञापन संपन्न हुए। इन्हें संपन्न करने का उद्देश्य भारत के अपरम्परागत हाइड्रो कार्बन भंडारों जिनमें हैवी ऑयल भी शामिल है, के विकास के प्रति त्वरित तथा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के जरिए भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता को बढ़ाना है।

[हिन्दी]

श्रीलंका को सहायता

2818. **श्री सोहन वीर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा श्रीलंका इस समय किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त रुप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) निकट भविष्य में किन-किन क्षेत्रों में इन दोनों देशों द्वारा संयुक्त रुप से कार्य करने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को कितनी वार्षिक सहायता प्रदान की गई?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारत और श्रीलंका के पारस्परिक संबंध घनिष्ठ और सौहार्द्पूर्ण हैं, तथा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक पारस्परिक सहयोग चल रहा है। सहयोग के इन क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नागर-विमानन, शिक्षा, डेयरी विकास, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास आदि शामिल हैं। डेयरी विकास के क्षेत्र में उम्मीद है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा एम. आई. एल. सी. ओ. (जो श्रीलंका सरकार की एक एजेंसी है।) के बीच एक संयुक्त उद्यम निकट भविष्य में कार्य प्रारंभ कर देगा। इसके अतिरिक्त भारतीय कंपनियों के सहयोग से बड़ी संख्या में संयुक्त उद्यमों की श्रीलंका में स्थापना की गई है। भारत में आर्थिक सुधारों से तथा श्रीलंका की सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों से भारतीय कंपनियों को बराबर एक ठोस आधार मिल रहा है। संयुक्त उद्यमों में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि ये संयुक्त उद्यम टेक्सटाइल और परिवहन के पारंपरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त रसायन, होटल, खाद्य और पेय पदार्थ, निर्माण, औषध द्रव्य तथा भेषज, आटोमोबाइल टायर, इस्पात, चीनी तथा चिकित्सा जैसे नए क्षेत्रों में भी लगाए जा रहे हैं। भारत से माल तथा सेवाओं के आयात के लिए श्रीलंका की सरकार को जनवरी, 1996 में 30 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया था।

इस वर्ष के बाद में भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक होगी। इस बैठक से पहले व्यापार, वित्त तथा पूंजी-निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक मामलों से संबद्ध उप आयोगों की बैठकें होंगी। इन बैठकों में सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा सार्थक सहयोग के नए क्षेत्रों का भी पता लगाया जाएगा।

(ग) विदेश मंत्रालय के "श्रीलंका को सहायता" नामक कार्यक्रम के जरिए श्रीलंका को 1993-94 में 4.4176 करोड़ रुपए, 1994-95 में 4.8381 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 6.1792 करोड़ रुपए की सहायता दी गई।

बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

2819. **श्री लाल बाबू प्रसाद यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की और अधिक इकाई स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। वित्तीय अभावों के कारण इस समय सरकार का देश में कोई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

रुस में अध्ययनरत विद्यार्थी

2820. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में इस आशय के समाचार की ओर गया है कि पूर्व सोवियत संघ के रुस और अन्य गणराज्यों में अध्ययनरत भारतीय विद्यार्थी अपने खर्चे पूरे करने के लिए कूरियर सेवा में कार्यरत होने के बहाने तस्करी और अन्य ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे भारतीय विद्यार्थियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को ऐसे कुछ मामलों की जानकारी है कि रुस में अध्ययनरत भारतीय छात्र गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं। हालांकि गैर-कानूनी गतिविधियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है फिर भी भारतीय छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के कम हो जाने या उसे समाप्त करने और रहन-सहन की कीमतों में वृद्धि की वजह से छात्रों को पेश आ रही मुश्किलों की सरकार को जानकारी है।

(ग) सरकार ने इन मुश्किलों को सम्भव सीमा तक कम करने के उपाय किए हैं। हाल ही के वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाने वाले छात्रों के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तन सुविधा को पर्याप्त उदार बना दिया गया है।

नवम्बर, 1994 में सरकार ने रुस राज्य उच्च शिक्षा समिति के साथ एक करार सम्पन्न किया जिसमें दुर्लभ मुद्रा में भुगतान करने पर रुस के मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में भारतीय छात्रों के दाखिले तथा उनकी सम्पूर्ण अध्ययन अवधि की गारण्टी शुदा शर्तों की व्यवस्था है।

शुल्क के बढ़ने के परिणामतः जिन छात्रों को कठिनाई होती है, उन देशों में स्थित हमारे राजदूतावास तथ्यों की जांच करने के पश्चात, भारतीय छात्रों को बराबरी का व्यवहार दिलाने के लिए जैसा भी आवश्यक हो, सम्पर्क करते हैं।

जब कभी हमारे राजदूतावास के ध्यान में कोई विशिष्ट कठिनाई का मामला लाया जाता है तो उसे नियमों तथा विनियमों के तहत सुलझाने का प्रयास किया जाता है ।

[अनुवाद]

आक्सिटोसिन पर प्रतिबन्ध

2821. **जस्टिस गुमानमल लोढा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को जन्म देने के लिए विकसित की गई आक्सिटोसिन दवाई का गाय/भैंसो से ज्यादा दूध निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह परचून दुकानों पर भी आसानी से उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सच है कि आक्सिटोसिन के उपयोग से दूध के गुणों में परिवर्तन हो जाता है और गाय का गर्भाशय भी खराब हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो मवेशियों और मनुष्यों दोनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आक्सिटोसिन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) आक्सिटोसिन कभी-कभी ऐसी गायों और भैंसों के लिए प्रयोग की जाती है, जो दूध न उतरने की समस्याओं से ग्रस्त होती हैं।

(ख) जी, नहीं। इस संबंध में ऐसी कोई प्रकाशित वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण

2822. **श्री जगमोहन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय शस्त्रास्त्र प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या थल सेना, नौसेना और वायु सेना के विभिन्न स्कंध अपने शस्त्रास्त्रों को उन्नत और आधुनिक बनाने और इनके रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के बारे में शिकायतें करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) सरकार उपलब्ध संसाधनों से ही सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिकीकरण एक आगे चलते रहने वाली प्रक्रिया है। खतरों के बदलते हुए परिवेश, प्रौद्योगिकी के विकास, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए प्रतिवर्ष सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) धनराशि की आवश्यकता सेना मुख्यालयों के साथ परामर्श करके तैयार की जाती है और वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित की जाती है ताकि वे संसाधनों की समग्र उपलब्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की माँगों को ध्यान में रखते हुए रक्षा आबंटन के संबंध में निर्णय ले सकें।

[हिन्दी]

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के सिंधमुख शाखा का निर्माण

2823. **श्री निहाल चंद चौहान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत निर्माणाधीन सिंधमुख शाखा का प्रस्तावित मार्ग क्या है;

(ख) उक्त नहर का कितना निर्माण किया जा चुका है तथा इसका कितना निर्माण किया जाना शेष है; और

(ग) क्या उक्त नहर से और अधिक गांवों को जोड़ा जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) प्रस्तावित सिंधमुख नहर पंजाब में एक्स-टोहना हैंडवर्क्स से पानी लेने के लिए राजस्थान द्वारा क्रियान्वित की जा रही सिद्धमुख एवं नोहर परियोजना का भाग है। नहर हरियाणा से निकलेगी और राजस्थान में प्रवेश कर हनुमानगढ़ जिले के नोहर व भद्रा तहसीलों तथा चुरु जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसीलों के कमान क्षेत्र की सिंचाई करेगी।

(ख) जैसा कि राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि सिद्धमुख फीडर, रसलाना वितरणिका एवं रसलाना छोटी नहर सहित सिद्धमुख नहर प्रणाली की लम्बाई लगभग 223.36 कि.मी. है जिसमें से जनवरी, 1996 तक 75.95 कि. मी. पूरा कर लिया गया है।

(ग) जी नहीं।

[अनुवाद]

नए चिकित्सा महाविद्यालय

2824. **श्री नकली सिंह** :
श्री पुन्नु लाल मोहले :
श्री सौम्य रंजन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहारनपुर में इस क्षेत्र के छात्रों के लिए जो चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, तथा इस क्षेत्र के शहरी तथा ग्रामीण गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक इस चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस समय देश में चल रहे चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है और ये महाविद्यालय कहां-कहां स्थित हैं तथा नए चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) किन-किन राज्यों से नये चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने के संबंध में मंजूरी देने, इन्हें सहायता तथा मान्यता प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) ऐसे राज्यों/जिलों जहां कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं हैं में छात्रों की सुविधा के लिए नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार अथवा न्यास/सोसायटी आदि से भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(च) केन्द्र सरकार के पास नया मेडिकल कालेज खोलने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या	कहां पर हैं	
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	हैदराबाद	-3
			विशाखापटनम	-1
			काकीनाडा	-1
			गुंटूर	-1
			विजयवाड़ा	-1
			वारंगल	-1
			कर्नूल	-1
			तिरुपति	-1
2.	असम	3	गुवाहाटी	-1
			सिलचर	-1
			डिब्रूगढ़	-1
3.	बिहार	9	लहरियासराय	-1
			मुजफ्फरपुर	-1
			पटना	-2
			रांची	-1
			जमशेदपुर	-1
			भागलपुर	-1
			गया	-1
			धनवाद	-1
4.	गोवा	1	बम्बोलिम	-1
5.	गुजरात	8	अहमदाबाद	-2
			बड़ौदा	-1
			जामनगर	-1
			सूरत	-1
			करमसाद	-1
			भावनगर	-1
6.	हरियाणा	1	रोहतक	-1
7.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला	-1
8.	जम्मू व कश्मीर	4	श्री नगर	-2
			जम्मू	-2
9.	कर्नाटक	19	मनिपाल	-1
			मंगलौर	-1
			बंगलौर	-5
			तुमकुर	-1
			मैसूर	-2
			बेल्यूलूर	-1
			देवांगीर	-1
			हुबली	-1
			बीजापुर	-2
			बेलगाम	-1
			गुलबर्गा	-1
			बेल्लारी	-1
			कोलार	-1

क्रम सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या	कहां पर हैं	
10.	केरल	6	त्रिवेन्द्रम	-1
			एल्लापी	-1
			कोट्टायम	-1
			कालीकट	-1
			त्रिचुर	-1
			कन्नूर	-1
11.	मध्य प्रदेश	6	जबलपुर	-1
			ग्वालियर	-1
			इन्दौर	-1
			भोपाल	-1
			रीवा	-1
			रायपुर	-1
12.	महाराष्ट्र	33	मुम्बई	-8
			पूणे	-5
			लोनी	-1
			मिराज	-1
			शोलापुर	-1
			कराड़	-1
			औरंगाबाद	-3
			अम्बेजोगाई	-1
			नागपुर	-3
			वर्धा	-1
			अमरावती	-1
			नांदेड़	-1
			कोल्हापुर	-1
			धुले	-2
			नासिक	-1
			यावतमल	-1
			लातूर	-1
13.	मणिपुर	1	इम्फाल	-1
14.	उड़ीसा	3	कटक	-1
			बहरामपुर	-1
			बुरला	-1
15.	पंजाब	5	पटियाला	-1
			फरीदकोट	-1
			लुधियाना	-2
			अमृतसर	-1
16.	राजस्थान	6	जयपुर	-1
			बिकानेर	-1
			उदयपुर	-1
			जोधपुर	-1
			अजमेर	-1
			कोटा	-1
17.	तमिलनाडु	15	मद्रास	-4
			वैल्लौर	-1
			चिंगलपट्टी	-1
			तंजावर	-1
			कोयामबटूर	-2
			तिरुनेलवेली	-1
			मदुराई	-1
			सेलम	-2
			अनामलाईनगर	-1
			पेरुन्थुराई	-1
18.	उत्तर प्रदेश	11	आगरा	-1

क्रम सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या	कहां पर हैं	
			इलाहाबाद	-1
			अलीगढ़	-1
			वाराणसी	-1
			कानपुर	-1
			लखनऊ	-1
			झांसी	-1
			मेरठ	-1
			गोरखपुर	-1
			गाजियाबाद	-1
			देहरादून	-1
19.	पश्चिम बंगाल	7	कलकत्ता	-4
			बांकुरा	-1
			दार्जिलिंग	-1
			बर्दमान	-1
20.	दिल्ली	4	दिल्ली	-4
21.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी	-1
22.	चण्डीगढ़	1	चण्डीगढ़	-1
	कुल मेडिकल कालेज : 155			

नए मेडिकल कालेजों की स्थापना, मेडिकल कालेजों में अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रम शुरु करने और प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने संबंधी विनियम, 1993 के अनुसार-नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए पात्र संगठनों के संबंध में पात्रता मानदण्ड इस प्रकार हैं:-

1. विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
2. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उन्नत स्वायत्तशासी निकाय।
3. सोसायटीज पंजीयन अधिनियम, 1860 और राज्यों में समनरुप अधिनियमों के अधीन पंजीकृत सोसायटियां।
4. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 वक्फ अधिनियम आदि के अधीन पंजीकृत धार्मिक अथवा धर्मार्थ सार्वजनिक न्यास।

कलकत्ता में उपमार्ग का निर्माण

2825. **श्रीमती कृष्णा बोस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रेटर कलकत्ता क्षेत्र में बरुईपुर तक जोड़ने वाले उपरि पुल सहित एक उपमार्ग के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। प्रश्नगत बाईपास, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का भाग नहीं है और इसलिए इसके निर्माण की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है।

[हिन्दी]

वायु सेनाध्यक्ष की इजराइल यात्रा

2826. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री देवी बक्स सिंह :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेनाध्यक्ष ने हाल ही में इजराइल की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त यात्रा का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या भारत तथा इजराइल के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत तथा इजराइल के बीच किस प्रकार के संबंध रहे हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ) वायुसेनाध्यक्ष ने 30 जुलाई से 6 अगस्त, 1996 तक इस्राइल की यात्रा की। यह इस्राइल के वायुसेनाध्यक्ष के निमंत्रण पर एक सद्भावना यात्रा थी। पारस्परिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। 1992 में इस्राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने के अनुसरण में रक्षा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में भारत और इस्राइल के बीच आपसी बातचीत की शुरुआत हुई है। इस्राइल के साथ यह बातचीत विभिन्न मित्र देशों के साथ पारस्परिक बातचीत बढ़ाने की संभावना का पता लगाने की भारत की नीति के अनुरुप है।

उत्तर प्रदेश का मोंडाहा बांध

2827. **श्री गंगा चरण राजपूत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1977 में आरंभ की गई 23 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत वाली मोंडाहा बांध परियोजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में देर के क्या कारण हैं और अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही इस बांध में दो बार दरारें पड़ चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी एवं गैर-जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस बांध के लिए किन-किन स्रोतों से धन जुटाया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर प्रदेश की हमीरपुर जिले में मोंडाहा बांध परियोजना निर्माणाधीन है।

(ख) सिंचाई, राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। परियोजना पर मार्च, 1996 तक 98.54 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई

2828. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई और प्रत्येक राज्य के कुल क्षेत्र के बीच अनुपात का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) किसी राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उन राज्यों के दावों पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई और राज्य के कुल क्षेत्र के बीच अनुपात कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रुप में घोषित करने के लिए अपेक्षित मानदंड नीचे दिया गया है :-

(1) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली सड़कें।

(2) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(3) निकटवर्ती देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(4) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें।

(5) अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सड़कें।

(6) पर्याप्त लम्बाई तक सघन यातायात वाली सड़कें। और

(7) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी काफी कम हो सकती हो और जिससे काफी आर्थिक बचत हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्षेत्र की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई

क्रम सं.	राज्य	लम्बाई (कि.मी.)	क्षेत्र (1000कि.मी.)	प्रति 1000 वर्ग कि.मी. पर रा.रा. (कि. मी.) की लम्बाई	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	2888	276.8	10.43	
2.	अरुणाचल प्रदेश	330	83.6	3.94	

विवरण

क्षेत्र की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई

क्रम सं.	राज्य	लम्बाई (कि.मी.)	क्षेत्र (1000कि.मी.)	प्रति 1000 वर्ग कि.मी. पर रा.रा. (कि. मी.) की लम्बाई	टिप्पणियां
3.	असम	2296	78.5	29.24	
4.	बिहार	2237	173.9	12.86	
5.	चन्डीगढ़	24	0.1	240.00	
6.	दिल्ली	72	1.5	48.00	
7.	गोवा	229	3.8	60.28	
8.	गुजरात	1631	196.0	8.32	
9.	हरियाणा	698	44.2	15.01	
10.	हिमाचल प्रदेश	854	55.7	15.33	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	648	222.2	2.91	
12.	कर्नाटक	1996	191.8	10.48	
13.	केरल	940	38.9	24.18	
14.	मध्य प्रदेश	2946	442.5	6.66	
15.	महाराष्ट्र	2918	307.8	9.49	
16.	मणिपुर	431	22.4	19.24	
17.	मेघालय	472	22.5	22.98	
18.	मिजोरम	551	21.1	26.11	
19.	नागालैंड	113	16.5	6.85	
20.	उड़ीसा	1649	155.8	10.58	
21.	पांडिचेरी	23	0.5	46.00	
22.	पंजाब	892	50.4	17.70	
23.	राजस्थान	2931	342.2	8.57	
24.	सिक्किम	62	7.3	8.49	

क्रम सं.	राज्य	लम्बाई (कि.मी.)	क्षेत्र (1000कि.मी.)	प्रति 1000 वर्ग कि.मी. पर रा.रा. (कि. मी.) की लम्बाई	टिप्पणियां
25.	तमिलनाडु	1896	130.1	14.58	
26.	त्रिपुरा	200	10.5	19.05	
27.	उत्तर प्रदेश	2733	294.4	927	
28.	पश्चिम बंगाल	1638	87.8	18.65	
	जोड़	34298	3278.8	725.20	

[हिन्दी]

जनसंख्या

2829. **श्री विद्यासागर सोनकर :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री शरत पटनायक :
प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री चुनचुन प्रसाद यादव :
श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जनसंख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या की उच्च वृद्धिदर दर्शानेवाले राज्यों के नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश की वर्ष 2001 तक जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(च) जनसंख्या नियंत्रण के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) 1994 के ताजा नमूना पंजीयन पद्धति अनुमानों के अनुसार अखिल भारत के मुकाबले अधिक प्राकृतिक वृद्धि वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और दादरा नगर हवेली है।

(ग) और (घ) स्थायी समिति के अनुमानों के अनुसार पहली मार्च, 2001 को देश की अनुमानित जनसंख्या 1006 मिलियन होगी।

(ङ) किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ ये शामिल हैं (I) एकीकृत प्रजनक शिशु स्वास्थ्य पैकेज जिस में गुणवत्ता और उपभोक्ता की संतुष्टि पर बल दिया जाएगा, (II) गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाना, (III) 1996-97 से प्रभावी होने वाले लक्ष्य रहित उपाय के आधर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को एक सामुदायिक कार्यक्रम बनाकर परिचर्चा की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर बल दिया जाएगा, (IV) उच्च वृद्धि दर वाले राज्यों में वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं।

(च) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने में व्यापक राज्यवार भिन्नताएं हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ पुत्र की तीव्र इच्छा, महिला साक्षरता, विवाह के समय कम आयु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों जैसे कारणों पर निर्भर करती हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय मछुआरे

2830. **श्री मोहन रावले :** क्या **विदेश मंत्री** 15 जुलाई, 1996 के आतारांकित प्रश्न सं. 538 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल 17 भारतीय मछुआरों को छोड़ा है;

(ख) इस संबंध में पाकिस्तान के साथ तकनीकी स्तर पर वार्ता करने का क्या प्रयोजन है;

(ग) क्या सरकार पकिस्तान में भारतीय उच्चायोग द्वारा पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को छुड़वाने और उन्हें भारत भेजने के लिए किए गए मौजूदा प्रयासों से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का पाकिस्तानी हिरासत में सभी भारतीय मछुआरों

और कैदियों को छुड़ा कर उन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान से 171 भारतीय मछेरे रिहा हुए थे और उन्हें स्वदेश प्रत्यावर्तित किया गया था। संदर्भाधीन उत्तर के अग्रेंजी पाठ में 17 की संख्या का उल्लेख प्रतिलिपिं बनाते समय हुई तकनीकी त्रुटि के कारण था। अतारांकित प्रश्न संख्या 538 जिसका उत्तर 15 जुलाई, 1996 को दिया गया था, के उत्तर को दुरूस्त करते हुए सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया जाएगा।

(ख) आदान-प्रदान के तौर-तरीकों से संबद्ध विधिक तथा प्रशासनिक मसलों का समाधान करने के लिए तकनीकी स्तर की वार्ताएं आवश्यक हैं।

(ग) और (घ) इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाईकमीशन इस संबंध में भरक्षक प्रयास कर रहा है और संबंधित पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर नियमित संपर्क बनाए हुए हैं।

पत्तनों और गोदियों का आधुनिकीकरण

2831. **श्री अय्यन्ना पटरूषु :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पत्तनों और गोदियों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तन क्षेत्र तथा महामपत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 3216 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ख) विभिन्न वार्षिक योजनाओं में पत्तन क्षेत्र के लिए अनुमोदित वर्ष वार परिव्यय इस प्रकार है :-

वर्ष	वार्षिक योजना में अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रूपए)
1992-93	612.76
1993-94	621.54
1994-95	475.00
1995-96	814.13
1996-97	631.60

वाराणसी में गाँधी अध्ययन संस्थान को सुदृढ़ बनाना

2832. **श्री बृजभूषण तिवारी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या वाराणसी में गाँधी अध्ययन संस्थान को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) गाँधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् से अनुदान प्राप्त करने वाले 27 संस्थानों में एक है। इसने संकाय सुदृढ़ करने, स्टाफ क्वाटर्स, संकाय कक्ष, विचार-गोष्ठी कक्ष के निर्माण, इत्यादि के लिए अक्षय निधि और विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया था। पिछले वर्ष के 1.40 लाख और 12.85 लाख रु. के अनुदान की तुलना में संस्थान को वर्ष 1995-96 के दौरान, क्रमशः 3.32 लाख और 17.20 लाख रु. का योजनागत और गैर योजनागत अनुदान दिया गया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के संस्वीकृत समग्र बजट को ध्यान में रखते हुए परिषद गाँधी अध्ययन संस्थान वाराणसी सहित शोध संस्थानों के बजटों को अंतिम रुप देती है।

परिषद ने नौंवी योजनावधि के दौरान इसकी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के उद्देश्य से गाँधी अध्ययन संस्थान के कार्य निष्पादन का मूल्यॉंकन करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया है।

दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग

2833. **श्री दरबारा सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक आरंभ और पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-1- दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :-

क्र.सं.	रा.रा. खण्ड	प्रगति/पूरा करने की लक्षित तारीख
1.	दिल्ली-मुरथल (0 से 50 कि.मी.)	पहले से ही 4 लेन का है।
2.	मुरथल-समालखा (50 से 74.80 कि.मी.)	पूरा होने वाला है।

क्र.सं.	रा.रा. खण्ड	प्रगति/पूरा करने की लक्षित तारीख
3.	समालखा से करनाल(74.8 से 130 कि.मी.	3 मई, 96 को ठेका समाप्त कर दिया गया है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए राज्य लो.नि.वि. कार्यवाई कर रहा है।
4.	करनाल से सरहिन्द (130 से 252 कि.मी.)	प्रगति पर है। 3/99 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
5.	सरहिन्द से जालन्धर (252 से 372 कि.मी.)	अभी हाल में पूरा हुआ है।
6.	जालन्धर से अमृतसर (372 से 452 कि.मी.)	फिलहाल 4 लेन बनाने के लिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर-प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2834. **डा. बलिराम :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर इलाहाबाद-आजमगढ़ खंड बहुत खराब स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर-प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) उत्तर-प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। इलाहाबाद से आजमगढ़ राजमार्ग एक राज्यीय राजमार्ग है, इसलिए इसके विकास और रख-रखाव की जिम्मेदारी उत्तर-प्रदेश सरकार की है।

राष्ट्रीय महिला कोष

2835. **श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय महिला कोष के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या पूरी धनराशि जरुरतमंद महिलाओं को उपलब्ध करा दी गयी है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या मानक निर्धारित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (घ) भारत सरकार ने 30 मार्च, 1993 को राष्ट्रीय महिला कोष गठित किया तथा इस कोष में 31 करोड़ रुपये की कोरपस राशि रखी गयी। राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड ने अनुभवी और सक्षम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण देने की एक नीति बनाई। जहां गैर-सरकारी संगठन उपलब्ध नहीं हैं, वहां महिला विकास निगमों तथा महिला सहकारी समितियों को भी ऋण देने पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक महिला ऋण प्राप्तकर्त्ता को उत्पादक प्रयोजनों के लिए अधिकतम 2500/- रूपये का ऋण, जो 15 महिनों की अवधि में वापस करना होता है तथा मध्यमावधि प्रयोजनों के लिए 5000/- रुपये का ऋण , जो तीन से पाँच वर्षों की अवधि में वापस करना होता है निर्धारित किया गया था।

वर्ष 1995-96 के दौरान, 38 नये तथा 24 पुराने गैर-सरकारी संगठनों को 37502 महिलाओं को लाभार्थ 852.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। इसके अतिरिक्त, 10 गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला स्वसहायता दलों के गठन/स्थिरीकरण में सहायता के लिए 9.46 लाख रुपये स्वीकृत किये गए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21-हिमाचल प्रदेश

2836. **श्री सुख राम :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडोह ओर मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 को सितम्बर, 1995 में (वर्षा के मौसम में) बाढ़ के कारण अनुमानतः कितना नुक्सान पहुंचा है;

(ख) उक्त सड़क की बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कब और कितनी धनराशि की मांग की थी और उसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) जनवरी, 1996 तक इस पर कितनी राशि व्यय की गई और जनवरी/फरवरी, 1996 में कितनी धनराशि मंजूर की गई थी; और

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार को मंजूरी की जानकारी कब दी गई थी और 30 जून, 1996 तक उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई थी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सितम्बर, 1995 की बाढ़ के कारण रा.रा. 21 के पंडोह-मनाली खंड की हुई क्षति का अनुमान राज्य सरकार द्वारा 17.61 करोड़ रू. लगाया गया था। पुनरुद्धार कार्यों के लिए 8.10 करोड़ रु. की राशि के प्राककलन स्वीकृत किए गए थे।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बाढ़ से हुई क्षति के मरम्मत कार्यों (नये) के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 700.00लाख रु. का आबंटन किया गया था। रा.रा. 21 के पंडोह-मनाली खंड को बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिए जनवरी, 1996 तक 124.08 लाख रु. और जून, 1996 तक 465.00 लाख रु. के खर्च की सूचना दी गई है।

[हिन्दी]

घेघा

2837. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन क्षेत्रों में घेघा रोग की घटनाओं का पता चला है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में इस बीमारी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इसके प्रकोप में अत्याधिक वृद्धि हुई है तथा इस स्थिति का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों से इस बीमारी को दूर करने हेतु क्या उपाए किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए 255 जिलों में से 222 जिलों में गलगंड को स्थानिकमारी के रुप में पाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गलगंड की समस्या पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केरल, गोवा और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोग के लिए आयोडीन-रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता-प्रदान कर रही है :-

(i) आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण सैलों की स्थापना।

(ii) प्रचार और स्वास्थ्य शिक्षा।

(iii) आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करना।

(iv) आयोडीन अल्पता विकार अनुवीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(v) आयोडीन युक्त नमक की गुणवत्ता का अनुवीक्षण।

जालौन में उच्च शिक्षा संस्थान

2838. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर-प्रदेश के जालौन जिले में कोई उच्च शिक्षा संस्थान/तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना

2839. **श्री हंसराज अहीर :**
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री कचरुभाऊ राउत :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल 34,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग में से 6,674 कि.मी. सड़क मार्ग कम चौडा है जिसके परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किए जाने पर विचार कर रही है, और

(ग) इन कम-चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) इस समय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की 34298 कि.मी. कुल लम्बाई में से लगभग 6935 कि. मी. लम्बाई में एक लेन (3.75 मी. चौड़ाई) अथवा मध्यम लेन (5.5 मी. चौड़ाई) वाले कैरिजवे हैं। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल लेन की चौड़ाई के कारण ही नहीं होती बल्कि अनेक अन्य घटक इनके कारण होते हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से चौड़ा किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 पर पुल

2840. **श्री एन. डेनिस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग (रा. राजमार्ग संख्या-47) पर कुजीथूराय नदी पर स्थित पुराने पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी.वेंकटरामन) : राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के 504/4 कि.मी. पर कुजीथूराय नदी पर नए पुल का निर्माण कार्य वार्षिक योजना

96-97 में शामिल किया गया है। इस पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अप्रैल, 1996 में पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार से प्रस्ताव/प्राक्कलन अभी प्राप्त होने हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत

2841. **श्री आर.एल.पी. वर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा के क्या कारण हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं;

(ग) क्या इसके लिए उपलब्ध करायी गई धनराशि इस पर खर्च की गई;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इन योजनाओं के कार्य का निरीक्षण सरकारी अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा कराया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री :(श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) यद्यपि अपर्याप्त संसाधनों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रख-रखाव पर प्रभाव पड़ा है परन्तु उपलब्ध संसाधनों द्वारा उन्हें यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 2318.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ङ) और (च) : जी, हां। केन्द्र सरकार के एजेंट के रुप में कार्य कर रही राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सभी विकास और रख-रखाव कार्य करती है।

स्वास्थ्य - मार्गदर्शक

2842. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :**
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्तियों के लिए एक स्वास्थ्य मार्गदर्शक नियुक्त करने संबंधी एक योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को 30 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया 50 रुपए की दर से वेतन दिया जा रहा है जबकि इस अवधि में अन्य सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होती रही है;

(ग) क्या स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की लम्बी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए इनके वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) स्वास्थ्य गाइड एक स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता होता है जिस का चयन अपने फालतू समय में लोगों की सेवा करने के लिए गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके लिए उसे 50 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है। इस समय, इन स्वास्थ्य गाइडों के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

असाध्य यक्ष्मा

2843. **डा. साहेबराव सुखराम बागुल :**
श्री सोहन वीर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी दी है कि एक विशेष किस्म का असाध्य यक्ष्मा विशेषकर भारत के समक्ष बड़ा खतरा होगा;

(ख) क्या दिल्ली में हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजधानी के एक तिहाई यक्ष्मा रोगी एक विशेष किस्म के उपचार के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित तथ्य तथा कार्य योजना क्या हैं;

(घ) क्या देश में लगभग दस लाख लोग यक्ष्मा से पीड़ित हैं और उनमें से लगभग आधे प्रति वर्ष मर जाते हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक से इस कार्य योजना लागू करने के लिए ऋण मांगा है;

(च) यदि हां, तो उक्त कार्ययोजना की रुप-रेखा तथा मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और पारिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) : प्रस्तावित क्षयरोग नियन्त्रण परियोजना में ये शामिल हैं : (क) 102 जिलों में क्षय रोग नियन्त्रण की संशोधित कार्यनीति को धीरे-धीरे कार्यान्वित करना, (ख) : क्षयरोग नियन्त्रण को संशोधित कार्यनीति को अपनाने हेतु एक अन्तर्वर्ती उपाय के रुप में 203 शॉर्ट कोर्स कमोथिरेपी वाले जिलों में राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना, और (ग) शेष गैर-शॉर्ट कोर्स केमोथिरेपी

वाले जिलों में प्रचलित उपचार को सुदृढ़ करना।

विश्व बैंक ने इस परियोजना प्रस्ताव का एक मूल्यांकन किया है और इस परियोजना पर अंतिम बातचीत की जानी है।

[अनुवाद]

भावनगर में भूमि का अधिग्रहण

2844. **श्री राजेन्द्र सिंह राणा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भावनगर जिले में मंत्रालय की कोई भूमि है;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि कुल कितनी है और कहां स्थित है;

(ग) क्या मंत्रालय इस भूमि के विकास के लिए कोई कार्य योजना तैयार करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के पास भावनगर में 81.925 एकड़ भूमि है परन्तु वह भूमि इस समय गुजरात की राज्य सरकार को बिना किसी किराए के अस्थायी रुप से उधार पर दी गई है। यह भूमि राज्य लोक निर्माण विभाग के कब्जे में है। यह दो इलाकों में स्थित है - (I) सर्वे सं. 2836 डी, लांसर लाइन्स में 60.05 एकड़ और (II) सर्वे सं. 2121 और 2976 इन्फैंट्री लाइन्स में 21.875 एकड़।

(ग) और (घ) इस भूमि का इस क्षेत्र की जोन योजना के अनुसार सेना द्वारा विकास और उपयोग किया जाएगा।

[हिन्दी]

रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2845. **प्रो. ओम पाल सिंह "निडर" :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आधुनिकीकरण की नीति अपनाने के बावजूद रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ङ) देश में रक्षा उत्पादन का आधार तैयार करने में रक्षा/सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सिविल क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाने के महत्व पर काफी समय से सरकार का ध्यान रहा है। रक्षा उपस्करों और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का देश में निर्माण करने में निजी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले तीन वर्षों में रक्षा उपस्करों और अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों का देश में शुरु से विकास करने में निजी क्षेत्र का मदवार योगदान लगभग 80 प्रतिशत रहा है जिनका मूल्य लगभग 68 प्रतिशत बैठता है।

2. उपलब्ध क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से रक्षा और उद्योग के बीच निकट और सतत पारस्परिक संपर्क स्थापित करने के महत्व को समझते हुए सन् 1985 से सचिव (रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति) की अध्यक्षता में गठित शीर्ष निकाय और तीन शाखावार कार्यात्मक दल के रुप में दिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था कार्य करती चली आ रही है। इन निकायों, जिनके कि सदस्य व्यापार और उद्योग के प्रमुख संघ होते हैं, की बैठकें प्रयोक्ताओं, आपूर्तिकर्त्ताओं और निरीक्षण प्राधिकारियों के बीच विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक प्रभावी विचार मंच उपलब्ध कराती हैं।

3. इस समय जिन रक्षा उपस्करों और सामानों का आयात किया जा रहा है उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने में सिविल क्षेत्र की यूनिटों द्वारा किए गए प्रयासों को देखते हुए उनकी भागीदारी को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वदेशीकरण की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1993-94 से राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चलाई गई थी। वर्ष 1994-95 के लिए 18-जुलाई, 96 को सात फर्मों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

4. रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र व विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1994 में रक्षा विभाग ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार की थी। कार्य-योजना के भाग के रुप में देशभर में फैले नौ अलग-अलग औद्योगिक केन्द्रों में तीन दिवसीय कार्यशाला/प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लघु क्षेत्र के उद्यमियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इस कार्य-योजना के परिणामस्वरूप रक्षा उपस्करों के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची में लघु क्षेत्र की 300 से अधिक यूनिटों को शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर-प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं

2846. **श्री बची सिंह "बचदा" रावत :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पिछले छह महीनों के दौरान कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान किया है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि मुआवजा वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों के संबंधियों को ही मिले;

(घ) क्या सरकार का सड़कों को चौड़ा करने और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक में युवक होस्टल का निर्माण

2847. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के प्रत्येक जिले में कम से कम एक युवक होस्टल बनाने की कोई योजना है।

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान ऐसे कितने होस्टलों का निर्माण हुआ;

(ग) 1995-96 के दौरान कर्नाटक को इस कार्य के लिए कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध कराई गई।

(घ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कर्नाटक के शिमोगा जिले के होन्नाली ताल्लुक में निर्मित युवक होस्टल का उपयोग निर्माण हो जाने के उपरांत भी नहीं हो रहा है।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कहां-कहां ऐसे होस्टल बनाए जाने का विचार है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुष्कोडी आदित्यन आर.) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दो युवा छात्रावास अर्थात् मैसूर और हासन में एक-एक युवा छात्रावास पहले से ही कार्यरत हैं। तीर्थरामेश्वर में एक युवा छात्रावास निर्माणाधीन है। इसके अलावा, सोगलू और कारवार में एक-एक युवा छात्रावास सिद्धांत रुप में निर्माण के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) कोई नहीं। युवा छात्रावास स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन दी जाती है और केन्द्र सरकार द्वारा, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्माण कार्य की देख-रेख की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कोई नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दोपहर का भोजन योजना

2848. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** :
श्री रामचन्द्र डोम :
श्री रामसागर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने स्कूलों में दोपहर का भोजन (मिड-डे-मील) योजना आरम्भ की गई है।

(ख) बच्चों को कितने कच्चे/पके हुए/सेका हुआ भोजन दिया जा रहा है;

(ग) क्या योजना के आरम्भ होने से स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को सभी प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम तेकिया) : (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्य तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 1997-98 तक देश में सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं (I-V) में पढ़ने वाले सभी बच्चों को शामिल करना है। वर्ष 1996-97 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.57 करोड़ प्राथमिक स्कूली बच्चों वाले देश के 4426 ब्लॉकों को शामिल किया जा रहा है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं (I-V) के प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम गेहूँ अथवा चावल के कैलोरी मान के बराबर पका-पकाया गरमा-गरम भोजन प्रदान किया जाएगा।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक तौर पर जो सूचना प्राप्त हुई है उन्हें देखने से यह पता चलता है कि स्कूल उपस्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1997-98 तक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों के सभी प्राथमिक स्कूली बच्चों को शामिल करके इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूली बच्चों के राज्य-वार विवरण सम्मिलित किए जा रहे हैं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	लाभग्राहियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	330	4913852
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	56	96934
3.	असम	23	157	2093846
4.	बिहार	50	715	6125567
5.	गोवा	2	3	3508
6.	गुजरात	18	138	1753695
7.	हरियाणा	16	88	1172399
8.	हिमाचल प्रदेश	10	33	303895
9.	जम्मू और कश्मीर	14	121	620364
10.	कर्नाटक	18	147	3701781
11.	केरल	7	21	314576
12.	मध्य प्रदेश	45	453	7429866
13.	महाराष्ट्र	27	200	4297718
14.	मणिपुर	7	25	137631
15.	मेघालय	7	32	218581
16.	मिजोरम	3	20	96748
17.	नागालैंड	7	28	97335
18.	उड़ीसा	27	235	2220702
19.	पंजाब	7	40	545284
20.	राजस्थान	31	237	3636521
21.	सिक्किम	4	8	62122
22.	तमिलनाडु	20	185	1163122
23.	त्रिपुरा	4	27	379028
24.	उत्तर प्रदेश	66	889	9909644
25.	पश्चिम बंगाल	17	216	3637813
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2	5483

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	लाभग्राहियों की संख्या
27.	चंडीगढ़	1	1	64270
28.	दादरा और नगर हवेली	1	1	24456
29.	दमन और दीव	2	2	8150
30.	दिल्ली	1	1	600000
31.	लक्षद्वीप	1	9	8786
32.	पांडिचेरी	4	6	46996
	भारत	475	4426	55691153

[अनुवाद]

एम.बी.बी.एस. और एम.डी. छात्रों पर व्यय

2849. **श्री हरिन पाठक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में एम.बी.बी.एस. और एम.डी. छात्रों पर कुल कितना व्यय किया जाता है;

(ख) छात्रों से इस व्यय का कितना भाग वसूल किया जाता है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितने डाक्टर भारत से बाहर चले गए;

(घ) क्या सरकार का सरकारी मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों पर कुछ अवधि तक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में काम करने की शर्त लगाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किये गये अध्ययनों के अनुसार सरकारी मेडिकल कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रतिवर्ष चिकित्सा खर्च 74,000 रुपये से 1.78 लाख रुपये के बीच है और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति वर्ष 71,000 रुपये से 1.46 लाख रुपये के बीच है। इन पाठ्यक्रमों के लिए ली जा रही फीस बहुत ही कम होती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में विदेशों में गए डाक्टरों की संख्या इस प्रकार है :-

1993	5989
1994	आंकड़े इक्कठे नहीं किये गये।
1995	आंकड़े इक्कठे नहीं किए गये।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद् ने यह संकल्प पारित किया है कि एक विशेष अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती अनिवार्य की जाये और इसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले से पहले एक बनाया जाये।

पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों पर सुरंग

2850. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष रुप से पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगें खोदने के लिए स्थानों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थानों को ठेके के आधार पर निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश के लिए पेशकश किए जाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो क्या निविदाएं जारी करने के लिए वित्तीय शर्तें निर्धारित कर ली गई हैं; और

(ङ) क्या कोई निविदा जारी की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री : (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरंगों का निर्माण मामला दर मामला आधार पर किया जा रहा है जो क्षेत्र भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। तथापि, रा.रा. 1 क और रा.रा. 21 पर एक-एक सुरंग के निर्माण के लिए दो स्थलों पर विचार किया जा रहा है किन्तु इसके ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रिय विद्यालयों में प्रवेश संबंधी विशेष व्यवस्था

2851. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में संसद सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों, विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा नौकरशाहों की अनुशंसा पर पृथक रुप से प्रवेश संबंधी विशेष व्यवस्था हेतु निर्धारित कोटे के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे प्रवेश का निर्णय करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) विशेष छूट के अन्तर्गत दाखिले के लिए दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि संसद का प्रत्येक सदस्य 2 मामलों की सिफारिश कर सकता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री और स्थायी समिति केन्द्रीय मंत्री और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड का प्रत्येक सदस्य 5 मामलों और विद्यालय प्रबंध समिति का प्रत्येक अध्यक्ष एक मामले की सिफारिश कर सकता है। वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिए गए दाखिलों के आदेशों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

संसद सदस्य (लोक सभा)	-	1118
संसद सदस्य(राज्य सभा)	-	486
केन्द्रीय मंत्री	-	7992
केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्डों के सदस्य/अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति	-	314
वी.आई.पी., वरिष्ठ अधिकारी	-	339
		10249

(ख) और (ग) विशेष-छूट दाखिले के लिए सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक समिति यह सुनिश्चित करने हेतु गठित की गई थी कि ऐसे दाखिलों के सम्बन्ध में व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव इस समिति के अध्यक्ष और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुख्य कल्याण अधिकारी इसके सदस्य हैं।

[हिन्दी]

जलमग्न भूमि का मुआवजा

2852. **श्री नंदकुमार सिंह चौहान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बांध क्षेत्र ओर नर्मदा सागर बांध में जिन लोगों की कृषि भूमि, रिहायशी भूमि मकान आदि जल मग्न हो गए हैं उन्हें मुआवजा देने के लिए किस आधार पर आकलन किया गया है; और

(ख) क्या यह आकलन उचित प्रकार से किया जा रहा है?

जल-संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी नीतियों से किया जाता है जो कि राज्य दर राज्य और परियोजना दर परियोजना परिवर्तित हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा परियोजनाओं के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुरर्स्थापन और पुनर्वास नीति 1989 में तैयार की थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विष सूचना केन्द्र

2853. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पहला राष्ट्रीय विष सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विष संबंधी मामलों का उपचार करने के लिए केन्द्र ने तत्काल कोई सहायता दी है, और क्या यह केन्द्र चौबीसों घंटे काम करेगा;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस केन्द्र के माध्यम से विष के मरीजों का इंटरनेट स्तर पर उपचार करने की व्यवस्था है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र चौबीसों घण्टे कार्य करता है और सभी प्रकार के विष का उपचार करने के लिए तत्काल उपचारी उपाय प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) केन्द्र में विष उपचार पर अन्तरराष्ट्रीय डाटा बेस है। केन्द्र इन्टरनेट के माध्यम से अन्य देशों के विष सूचना केन्द्रों से जुड़ने की प्रक्रिया में है। इस समय विष सम्बन्धी कई आपाती मामलों में अन्तरराष्ट्रीय केन्द्रों से फैक्स पर परामर्श किया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश में जालसाजी

2854. **डा. एम.पी. जायसवाल** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश संबंधी नियमों के उल्लंघन किए जाने की जानकारी है जैसा कि 7-जुलाई, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कॉलेजों के मामलों की जाँच करने का है जिनके द्वारा नियमों का उल्लंघन करके प्रवेश दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मदुरे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

2855. **श्री ए.जी.एस. राम बाबू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मदुरे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय न होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हो रही कठिनाई से अवगत है;

(ख) क्या मदुरे में उक्त औषधालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ) फिलहाल मदुरे में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का एक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की नीति के अनुसार राज्य की राजधानी वाले शहरों जिनमें 7500 अथवा इससे अधिक लाभानुभोगी हों, में चरणबद्ध रुप से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की स्थापना की जानी है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। मदुरै इस श्रेणी में नहीं आता है।

कर्नाटक में राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना

2856. **श्री कमारुल इस्लाम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में बिदर-श्रीरंगपट्टनम राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक आरंभ होने और कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) मैसूर-श्री रंगपट्टनम-बिरियूर-गुलबर्ग-हुमनाबाद राज्य सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए कनार्टक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) 8वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों की कमी के कारण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना सम्भव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास

2857. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के धुले जिले के टालोडा तालुका में सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना से संबंधित पुनर्वास कार्य किस तिथि से चल रहा है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत आदिवासी किसानों को प्रदान की गई भूमि को सिंचाई सुविधा देने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा किसानों को कब तक प्रदान कर दी जाएगी;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) वलहेरी, रापापुर आम्बलीबारी एम.आई.टैंक का निर्माण कब तक हो जाएगा और उक्त भूमि की सिंचाई के लिए जल कब तक प्रदान किया जाएगा;

(च) क्या नलकूप और कुओं (बावरी) के जरिए पानी प्रदान करने संबंधी कार्य चल रहा है;

(छ) यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है;

(ज) क्या 5 किसानों की साढ़े सात हॉर्स पावर के पंप के द्वारा 10 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा देने का प्रावधान है; और

(झ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र के धुले जिले के टालोडा तालुका में सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना से संबंधित पुनर्वास कार्य मार्च,1989 के मध्य में शुरु किया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) से (घ) विस्थापितों को आबंटित की जा रही 4200 हेक्टेयर भूमि के लिए वर्ष 1998 के अंत तक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की योजना बनाई गई है।

(ङ) प्रस्तावित परियोजनाएँ अभी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में ही हैं और इन परियोजनाओं को पूरा होने में कितना समय लग सकता है अभी नहीं बताया जा सकता।

(च) ओर (छ) जी, हाँ। पुनर्वास कार्य प्रारम्भ किये जाने के समय से कार्य प्रगति पर हैं।

(ज) जी, हाँ।

(झ) वर्ष 1998 तक समस्त आबंटित भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए वेधन कुओं और खुले कुओं के जरिये जल आपूर्ति के लिए उपाय महाराष्ट्र सरकार के क्रियान्वयनाधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए धनराशि

2858. **प्रो.प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री एम. तैल्वारासु :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	1992-93 से 1995-96 तक आबंटित राशि	1992-93 से 1995-96 तक कुल व्यय	1996-97 के लिए आबंटित राशि
1.0	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1**			
1.1	गंगा में नदी संरक्षण कार्य	4.75	6.31	2.50
1.4	गंगा में नौचालन सुविधाएं	1.26	0.00	0.50
1.5	गंगा में टर्मिनल (कलकत्ता)	1.30	0.58	0.50
1.6	पटना और हल्दिया के बीच पायलट परियोजना	0.03	0.00	0.10
2.0	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 2**			
2.1	ब्रहमपुत्र में नदी सुधार कार्य	4.75	2.71	1.00
2.2	ब्रहमपुत्र में नौचालन सुविधाएं	0.65	0.15	0.50
2.3	ब्रहमपुत्र में टर्मिनल	0.25	0.20	0.50
2.4	ब्रहमपुत्र में नदी सुधार कार्य			0.01
2.5	दोहरी उर्ध्वाधर किस्म की जैटी में पायलट परियोजना			0.05
3.0	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3**			
3.1	पश्चिमी तटीय नहर का विकास	6.50	2.66	4.00
4.0	**सामान्य स्कीमें/परियोजनाएं**			
4.1	जलयानों और सर्वेक्षण अपकरणों की खरीद	0.10	-	0.50
5.0	**विविध स्कीमें/नई स्कीमें**			

क्रम सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	1992-93 से 1995-96 तक आबंटित राशि	1992-93 से 1995-96 तक कुल व्यय	1996-97 के लिए आबंटित राशि
5.1	आई डब्ल्यू टी कार्मिकों को प्रशिक्षण	0.63	0.08	0.20
5.2	आई डब्ल्यू ए आई के लिए कार्यालय संह आर एंड डी परिसर का निर्माण	1.75	2.72	1.20
5.3	सुन्दर वनों में नोचालन सुविधाएं	0.01	0.00	0.00
5.4	गोदावरी और अन्य नई स्कीमों का विकास	0.01	0.00	0.20
5.5	परामर्शदात्री सेवाएं	0.00	0.00	0.02
5.6	गोवा जलमार्गों का विकास	0.00	0.00	0.01
5.7	क्षेत्रीय कर्मीदल प्रशिक्षण केन्द्र	0.00	0.00	0.20
5.8	पूर्वी तटीय नहर का विकास	0.00	0.00	0.01
5.9	अन्य जलमार्गों पर जलीय सर्वेक्षण	0.00	0.00	0.35
5.10	ब्राह्मणी, महानदी, बराक का विकास	0.00	0.00	0.05
5.11	यू.एन.डी.पी. सहायता से देश में आई डब्ल्यू टी के विकास के लिए परियोजना निरुपण ढांचा	0.00	0.00	0.05
5.12	कम्प्यूटरीकृत डाटा प्रणाली शुरु करना	0.00	0.00	0.10
	योग :	21.99	15.41	12.55

सैनिक समाचार

2859. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैनिक समाचार" की कितनी प्रतियां प्रति अंक विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) क्या डाक विभाग से नियमित पत्रिकाओं के लिए डाक दरों में रियायत प्राप्त की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत पांच वर्षों में डाक दरों की रियायतों का उपयोग नहीं करने के कारण "सैनिक समाचार" पर प्रत्येक वर्ष में कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गयी है;

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) डाक रियायतों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन.सोमू) : (क) सैनिक समाचार 13 भाषाओं में प्रकाशित होता है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में छपने वाले इस सैनिक समाचार की संख्या अलग-अलग है जो इस समय इस प्रकार है :-

अंग्रेजी	5400
हिन्दी	5500
मराठी	1300
गोरखाली	4600
पंजाबी	800

उर्दू	200
तमिल	700
तेलुगू	500
मलयालम	1600
बांग्ला	300
उड़िया	550
असमी	200
कन्नड़	400

(ख) और (ग) सैनिक समाचार के प्रकाशन में विलंब होने के कारण रियायत का लाभ नहीं उठाया गया है।

(घ) रियायती डाक दरों का लाभ न उठाने से अनुमानित लागत प्रति अंक 2,300/-रु. बैठती है।

अतिरिक्त भुगतानों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

1991-92	1,67,233 रु.
1992-93	57,554 रु.
1993-94	1,57,498 रु.
1994-95	1,37,655 रु.
1995-96	1,17,668 रु.

(ङ) और (च) संगठनात्मक ढाचें में अपर्याप्तता और सैनिक समाचार के कर्मचारियों की संख्या में कमी बने रहने के कारण मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है। सैनिक समाचार का समय पर प्रकाशन करने के लिए कतिपय संगठनात्मक और प्रशासनिक परिवर्तन किए गए हैं।

"राष्ट्र की प्रगति" संबंधी यूनिसेफ की रिपोर्ट

2860. **श्री बी.के. हाण्डिक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी की गई "राष्ट्र की प्रगति" संबंधी रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार आमतौर पर यूनिसेफ की रिपोर्ट "प्रोगैस ऑफ नेशन" में बतायी गयी स्थिति से सहमत हैं। तथापि, रिपोर्ट में उल्लिखित विचार सरकार की स्थिति का पूर्ण परिलक्षण नहीं है। फिर भी इस रिपोर्ट से भारत की स्थिति तथा विश्व के अन्य देशों की स्थिति में तुलना करने में सहायता मिलती है। कुछ क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार की स्थिति में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। भारत सरकार देश में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार की स्थिति में सुधार करने के लिए बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व, आई. सी. डी. एस. जैसे विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। भारत ने बच्चों में रुग्णता और उनकी मृत्युदर में कमी लाने की स्थिति में काफी सुधार किया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि शिशु मृत्युदर जो 1984 में 104 थी 1994 में घटकर 74 रह गयी है और बाल मृत्युदर 1984 में 41.2 से घटकर 1993 में 23.7 हो गयी है।

जिन क्षेत्रों में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है उनमें बच्चों तथा माताओं में रक्ताल्पता तथा नवजात शिशुओं की अनिवार्य देखभाल शामिल है। इन पहलुओं की ओर बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा महिलाओं और बच्चों की पोषाहारीय स्थिति में सुधार के लिए चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अधिक बल दिया जा रहा है।

रिपोर्ट में समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों अर्थात् बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की अलग-अलग स्थिति के अनुसार अलग-अलग देशों का दर्जा निधारित करने का प्रयास किया गया है। स्कूल पूर्व बच्चों के पोषाहारीय दर्जे में सुधार हुआ है, किन्तु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि के अनुसार ये प्रत्याशित स्तर के अनुरुप नहीं है। 1988-90 के दौरान कम वजनी बच्चों का प्रतिशत 68.6 था जबकि 1992-93 में यह प्रतिशत 53 था। इसके अलावा, रिपोर्ट में गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता 83 प्रतिशत दिखाई गयी है।

चूँकि, बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के संबंध में रिपोर्ट में उल्लिखित आंकड़े सही हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सरकार के संबंधित क्षेत्रों, राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जानकारी देने के रुप में लिया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को सर्वसुलभ बना दिया गया है और देश में संभवतः ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 30.6.1996 तक देश में आई. सी. डी. एस. परियोजनाओं की कुल संख्या 5614 थी जिसमें 194 आई. सी. डी. एस. परियोजनाएं राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत और 318 परियोजनाएँ तमिलनाडु समेकित पोषाहार कार्यक्रम-11 परियोजना के अन्तर्गत शामिल हैं और इनसे माताओं तथा 0-6 वर्ष के बच्चों सहित 212 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो रहे थे। विश्व बाल शिखर सम्मेलन में दिये गये वचन की अनुवर्ती कार्यवाही के रुप में सरकार द्वारा एक "राष्ट्रीय कार्य योजना-बच्चों के प्रति प्रतिबदता" में महिला एवं बाल विकास के लिए भारत द्वारा कार्यवाही चार्टर की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान के लिए धनराशि

2861. **श्री अशोक अर्गल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में

साक्षरता अभियान के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) उपरोक्त धनराशि के आधार पर साक्षरता के क्षेत्र में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) 31 मार्च, 1996 तक इस मद पर किन-किन विकास खंडों में कितनी धनराशि खर्च की गई और कितने व्यक्ति साक्षर बनाए गए; और

(घ) उक्त साक्षरता अभियान को चलाने के लिए गठित समितियों की संख्या और प्रकृति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) मुरैना जिले में साक्षरता अभियान के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 50 लाख रुपए का तदर्थ अनुदान प्रदान किया गया था। वर्ष 1995-96 के दौरान, कोई अनुदान जारी नहीं किए गए।

(ख) संपूर्ण साक्षरता अभियान में अनुमानतः 3.40 लाख शिक्षुओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) पहले चरण में जौरा, कैलारास तथा पहाड़गढ़ तीन प्रखण्डों को शामिल किया जाएगा। 31 मार्च 1996 तक 26,49,000 रुपए की राशि खर्च की गई। पठन-पाठन चरण को अभी आरम्भ किया जाना है।

(घ) जिला स्तर पर, जिला साक्षरता समिति की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है। कोर वर्ग के लिए वातावरण निर्माण, सर्वेक्षण , अनुवीक्षण, प्रशिक्षण एवं शारीरिक जांच की 5 उप समितियां गठित की गई हैं। खण्ड स्तर पर, 9 कोर वर्ग गठित किए गए हैं। 482 ग्राम स्तर समितियां के साथ-साथ 43 क्षेत्र स्तर की समितियों का गठन किया गया।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण

2862. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्मारकों के संरक्षण एवं रख-रखाव के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ वार्षिक रुप से कितनी राशि खर्च की जा रही है;

(ग) और कितने स्मारकों का संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) रख-रखाव के अभाव में इस प्रकार के कितने स्मारक नष्ट हो गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) केन्द्र द्वारा संरक्षित 3574 स्मारक हैं, जिनमें किले, महल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मठ, स्तूप, कब्रिस्तान तथा उत्खनित स्थल आदि शामिल हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव, संरक्षण, परिरक्षण एवं पर्यावर्णीय विकास पर हुआ व्यय निम्न प्रकार है:-

1993-94	1120.28 लाख रुपये
1994-95	1050.17 लाख रुपये
1995-96	1473.50 लाख रुपये

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (ए.एम.ए.एस.आर. एक्ट) की व्यवस्था के अनुसार तथा राज्य सरकारों द्वारा सर्वोचित पुरातत्वीय अधिनियमों के अधीन इन स्मारकों का परिरक्षण किया जाता है। स्मारक की पहचान करना तथा अन्वेषण करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का रखरखाव तथा संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में फैले अपने मंडल कार्यालयों के माध्यम से केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की व्यवस्था करता है। इन स्मारकों का निरीक्षण मण्डल शाखा तथा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से किया जाता है। अलग-अलग स्मारकों की वास्तविक जरुरतों तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार संरक्षण संबंधी कार्रवाई की जाती है।

गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर पुल

2863. **श्री चर्चिल अलेमाओ** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गालगीबाग नदी और दक्षिण गोवा जिले में कंनकोना तालुका में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर प्रस्तावित बाई-पास पर तालपोना नदी पर बनाए जाने वाले पुल संबंधी योजना लंबित पड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए कुछ राशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) पुल निर्माण के यह कार्य गोवा में रा.रा.17 के 68-85 कि.मी. के पुनः संरेखण के साथ सम्बद्ध हैं। इसमें लगभग 7.15 कि.मी. की लम्बाई में नए राजमार्ग का निर्माण और दो पुलों-तालपोना नदी पर प्रत्येक 50 मीटर की चौड़ाई के 7 स्पैनों वाले पुल और गालगीबाग नदी पर प्रत्येक 50 मीटर चौड़ाई के 4 स्पैनों वाले पुल का निर्माण शामिल है। यह परियोजना आठवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 25.00 करोड़ रुपए है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इस परियोजना को निजी क्षेत्र की सहभागिता से शुरु करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

2864. **श्री सुखलाल कुशवाहा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में शीघ्र ही कम्प्यूटर शिक्षा शुरु करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रारम्भ किए गए "स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन" (क्लास) में बी.बी.सी. सूक्ष्म संगणकों की सुविधा इस समय 325 केन्द्रीय विद्यालयों में उपलब्ध है। कक्षा 11वीं तथा 12वीं के छात्रों को शामिल करते हुए और पूर्णकालिक अनुदेशक उपलब्ध करा कर तथा बाहरी एजेन्सियों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए वर्तमान हार्डवेयर को धीरे-धीरे संशोधित हार्डवेयर में परिवर्तन के साथ, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 में इस योजना को संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त 1995-96 के दौरान 28 केन्द्रीय विद्यालयों में जमा दो स्तर पर एक वैकल्पिक विषय के रुप में परिचयात्मक कम्प्यूटर विज्ञान को संस्वीकृत किया गया तथा 1996-97 के दौरान 6 और केन्द्रीय विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।

खिलाड़ियों को विशेष छात्रवृत्ति

2865. **श्री गंगा राम कोली :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को कोई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में कोई योजना केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करती है :-

1. **विदेशों में खेलों, साहसिक खेलों के विशेषज्ञों तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति :**

   इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

2. **महिलाओं में खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा का संवर्धन :**

   इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप की विजेताओं को 6000/-रुपये तक प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन महिलाओं को भी छात्रवृत्ति दी जाती है जो शारीरिक शिक्षा में एम. फिल./पी.एच. डी. कर रहीं हैं।

3. **खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति :**

   इस योजना के अंतर्गत खेल-कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां 400/-रुपये प्रतिमास की दर से दी जाती है, जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय छात्रवृत्तियां 300/- रुपये प्रतिमास की दर से दी जाती हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग वर्ग "ग" और "घ" में रिक्त पदों के पांच प्रतिशत तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति कर सकते हैं बशर्ते कि वे कतिपय मानदंडों को पूरा करते हों।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 का विस्तार

2866. **श्री बादल चौधरी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 का सबरुमद (त्रिपुरा के दक्षिण भाग) तक विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अनुमोदित और कार्यरुप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) 8वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों की कमी के कारण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं हो पाया है।

बिहार में सड़क परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक का ऋण

2867. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार ने राज्य में सड़क परियोजनाओं हेतु मार्च, 1996 में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अस्पतालों को अनुदान

2868. **श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगमों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में जनजातीय और ग्रामीण रोगियों के लिये मंहगे जांच यंत्रों को खरीद के लिए सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अस्पतालों को उपकरण की आपूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के मामले में उपकरण की खरीद उनके अपने स्रोतों से की जाती है। केन्द्रीय सरकार के पास स्थानीय निकाय अस्पतालों के लिए उपकरण खरीद हेतु धन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

परिवार नियोजन और कल्याण योजनाओं का गांवों में लागू किया जाना

2869. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न अध्ययन/रिपोर्टों के उन सुझावों पर ध्यान दिया है, जिनमें परिवार नियोजन तथा कल्याण योजनाओं को गांवों में प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए समुदायों में से कुशल व प्रशिक्षित महिला कार्यकर्त्ताओं की सेवाएं लेने पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में आवश्यक सुविधाएं पूरे देश में कब तक उपलब्ध करवा दी जाएंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सरकार इस तथ्य से अवगत है कि समुदायों से ली गई प्रेरित तथा प्रशिक्षित महिला कार्यकर्त्ता परिवार कल्याण कार्यकलापों में एक उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं।

(ख) सहायक नर्स धात्रियों जैसी महिलाओं की सेवाओं का उप-केन्द्रों में उपयोग किया जा रहा है और समुदाय की दाइयों को परिवार कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी जागरुकता पैदा करने के लिए देश में अब 75,568 महिला स्वास्थ्य संघों का भी गठन किया गया है। इन महिला स्वास्थ्य संघों में प्रत्येक गांव की पन्द्रह महिलाएं होती हैं जिनमें दस महिलाएं समुदाय द्वारा चुनी जाती हैं।

(ग) पहले ही उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामु.स्वा.केन्द्रों और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, के नेटवर्क के माध्यम से परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जहां महिला कार्यकर्त्ता परिवार कल्याण कार्यकलापों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

रक्षा विभाग की भूमि का अंतरण

2870. **श्री मधुकर सर्पोतदार** :
श्री राम नाईक :
श्री नारायण अठावले :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कांदीवाली (पश्चिम) में वर्तमान रेल फाटक को बंद कर वहां उपरि पुल के निर्माण हेतु रक्षा विभाग की भूमि का अन्तरण किए जाने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) परियोजना की महत्ता को देखते हुए यातायात के दबाव को कम करने हेतु रक्षा विभाग की भूमि को उपरि पुल के निर्माण से जुड़े अधिकारियों को अंतरित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) रक्षा मंत्रालय की भूमि को परियोजनाओं के विकास हेतु दिए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रस्तावों का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ख) जी, हां। रक्षा मंत्रालय इस बारे में सैद्धांतिक रुप से सहमत हो गया है और उसने प्रस्तावित ओवर-ब्रिज के समीप 0.0691 एकड़, उसके नीचे 0.7461 एकड़, ओवर-ब्रिज के उत्तर में 1.5 एकड़ और रेलवे लाइन के पूर्व में स्थित 2.33 एकड़ के 4 खाली भूखंड वर्तमान बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने भी इस भूमि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। परन्तु राज्य सरकार ने बाद में प्रस्ताव की शर्तों को माने जाने के बारे में अपनी असमर्थता व्यक्त की और अब अनुरोध किया है कि उनके द्वारा भेजी गई योजना में दर्शाए गए परिवर्तनों के अनुसार उन्हें भूमि अंतरित की जाए। इस अनुरोध को सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है और राज्य सरकार से उक्त भूमि अंतरित किए जाने के उद्देश्य से सरकारी स्वीकृति जारी किए जाने के लिए पूर्व सहमत भूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति सूचित करने का पुनः अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) भूमि अंतरण से संबंधित अन्य प्रस्ताव हैं-किरकी छावनी में होल्कर पुल के समानान्तर नए पुल का निर्माण, औरंगाबाद छावनी में 30 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण,देवलाली छावनी में एक सब-स्टेशन स्थापित किया जाना व एक बस स्टैंड का निर्माण और शोलापुर राइफल रेंज में रक्षा भूमि राज्य सरकार को अंतरित किया जाना। इन प्रस्तावों पर निर्धारित नीति/मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न संगठनों/फील्ड कार्यकर्त्ताओं के साथ बातचीत करके विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य योजनाएं

2871. **श्री देवी नकल सिंह** :
डा. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाएं सफलता पूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो ये योजनाएं कितने प्रतिशत सफल हो रही हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं पर 1995-96 के दौरान कितनी राशि खर्च की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं तथा 1995-96 के आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चल रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 1995-96 के प्रावधानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश के जनांकिकी रूप से पिछड़े कुछ जिलों में 1992-93 में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कुछ कमी होने के का पता चला है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में सामाजिक सुरक्षा नेट स्कीम आरम्भ की गई थी जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

उत्तर प्रदेश में 94 करोड़ रुपए की लागत से भारत जनसंख्या परियोजना-VI विश्व बैंक की सहायता से 6-4-90 से 30-9-96 तक चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करना, प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, उपकेन्द्रों का निर्माण करके और अन्य संवर्धित इनपुट्स प्रदान करके सेवा प्रदाय प्रणाली का विस्तार करना है।

समग्र प्रजनन दर में कमी लाने और गर्भनिरोधकों की उपयोग दर बढ़ाने के लिए भारत सरकार और अमरीकी अंतराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू. एस. एड.) के बीच 1992 में एक करार हुआ था जिसके अन्तर्गत यू. एस. एड. द्वारा 10 वर्षों की अवधि में उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजनाओं में नए कार्य करने के लिए 325 मिलियन अमरीकी डालर देने का वचन दिया गया है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1995-96 में स्कीमवार रिलीज की गई राशि

(लाख रुपए)

स्कीमें	राशि
ए.एन.एम/एल.एच.वी. प्रशिक्षण	109.50
दाई प्रशिक्षण	66.50
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	2655.00
उप-केन्द्र	4800.00
ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना	270.33
क्षेत्र परियोजनाएं	1280.02
सामाजिक सुरक्षा नेट	960.00
शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व	4723.80
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों का रखरखाव	66.00
चिकित्सा एवं पराचिकित्सा कर्मचारियों को विषय परिचायक प्रशिक्षण	7.00

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

(लाख रुपए)

स्कीमें	राशि
मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	349.96
कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	476.13
क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	442.44
दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	493.12
आयोडीन-अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम	1.16
एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	371.29

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में गंगा का क्षरण

2872. **श्री रूपचंद पाल** : क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद, नादियां, हुगली और 24 परगना (उत्तर) जिलों में गंगा के तटबंधों के क्षरण की गंभीर समस्या की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्षरण के कारण गांवों और नगरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में कार्यान्वयन के लिए

21.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर छः कटावरोधी योजनाएं शुरू की हैं जिसमें केन्द्र द्वारा मूल्यांकन तथा अनुमोदित की गई। करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 योजनाएं शामिल है। नदियां, हुगली और परगना (एन) जिलों के लिए योजनाएं मूल्यांकन के लिए अभी तक केन्द्र को नहीं भेजी गई है।

गांवों में परिवार नियोजन

2873. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन से पता चला है कि परम्परागत चिकित्सक और प्रशिक्षित व्यक्ति परिवार नियोजन के किसी एक अथवा अन्य पद्धति को अपनाने के लिए ग्रामीणों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1984-87 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 37 गांवों में एक मार्गदर्शी अध्ययन किया गया था। संस्थागत रूप से प्रशिक्षित कुल 22 पारम्परिक चिकित्सकों को, जो कि चुने हुए गांवों के निवासी थे, 11 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। अध्ययन से पता चला कि इन चिकित्सकों के दो वर्षों के प्रयासों से इन गांवों में गर्भ-निरोधक स्वीकार कर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन गर्भ-निरोधन के बारे में पुरुष स्वीकार्यता अपरिवर्तित रही और पुरुष नसबंदी की संख्या में कमी आई।

यह केवल एक मार्गदर्शी अध्ययन है और इसमें थोड़ी सी जनसंख्या का कवर किया गया था। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में इस बात को शामिल करने से पहले इस पर बड़े पैमाने पर ऐसे कई अध्ययन किए जाने आवश्यक हैं जिनमें परिवार नियोजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए ग्रामीण चिकित्सकों पर विशेष बल दिया जाए जिसमें नियमित पर्यवेक्षण और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन भी शामिल हो।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर द्वारा पासपोर्ट जारी करना

2874. **श्री के. सी. कोंडय्या :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए पासपोर्ट जारी करने और पासपोर्ट के नवीकरण के लिए जनवरी, 1995 से अप्रैल, 1996 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर का कुल कितने आवेदन पत्र मिले है;

(ख) उनमें से कितने निपटाए गए;

(ग) पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लगा;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पुलिस जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने से पासपोर्ट आवेदन को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पुलिस जांच कार्य के लिए उक्त पासपोर्ट कार्यालय में अलग से एक पुलिस विंग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में नए पासपोर्ट जारी करने के लिए और पासपोर्ट के नवीकरण के लिए जनवरी, 1995 से अप्रैल, 1996 की अवधि के दौरान प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :

नए पासपोर्ट	118887
नवीकरण	48919

(ख) इसी अवधि के दौरान, 31-12-94 की स्थिति के अनुसार उक्त (क) में से और लम्बित आवेदनों में से जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या इस प्रकार है :—

नए पासपोर्ट	126197
नवीकरण	49501

(ग) इस कार्यालय में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए अनुमानतः औसतन 50-60 दिन का समय लगता है।

(घ) और (ङ) विलम्ब से बचने के लिए, उन मामलों में जिनमें मामला भेजने के 30 दिन के भीतर पुलिस सत्यापन प्राप्त नहीं होता है, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा बिना किसी सत्यापन के पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। इस क्रियाविधि से आवेदकों के हित में कार्रवाई की गति मिलती है और इससे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा किसी पृथक पुलिस सत्यापन क्रियाविधि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

किशोरियों के लिए योजना शुरू करना

2875. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के शैक्षिक रूप से पिछड़े कुछ राज्यों में किशोरियों के लिए योजना (एस.ए.जी.) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(घ) राज्यों में स्थापित किए गए बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस उद्देश्यों को राज्यवार किस हद तक प्राप्त किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) और (ख) शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 507 समेकित बाल विकास सेवा ब्लाकों में किशोर बालिका स्कीम शुरू की गई हैं। स्वीकृत ब्लाकों तथा लाभार्थियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार है :-

(1) 11 से 18 वर्ष आयु की लडकियों को लाभ पहुंचना (जिसमें से अधिकांश लडकियों ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दवावों के कारण प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश अथवा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का अवसर खो दिया है)।

(2) उनकी पोषाहारीय और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।

(3) अनौपचारिक शिक्षा/राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपेक्षित साक्षरता और संख्याओ का ज्ञान कराना।

(4) गृह आधारित कौशलों में सुधार और उन्नयत हेतु लडकियों को प्रशिक्षण देना और तैयार करना।

(5) स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषाहार और परिवार कल्याण गृह प्रवन्धन तथा बाल देखभार के बारे में जानकारी देना।

(6) अपने आसपास के वातावरण संबंधित सामाजिक मुद्दों और उनके जीवन पर उनके प्रभाव की उन्हें बेहतर जानकारी देना।

(7) प्रजनन में उनकी भूमिका को समझाने में उनको मदद करना तथा ऐसे उपाय करना जिससे उनके विवाह की आयु बढ सके। (मातृ तथा शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए निरोधात्मक स्वास्थ्य कार्यवाही)।

(8) अधिक ज्ञान और सामाजिक मेल-मिलाप की इच्छा पैदा करना और निर्णय लेने को उनकी क्षमताओं में सुधार के लिए उनकी सहायता करना।

(9) उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक वातावरण तैयार करना।

(घ) शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुए नौ राज्यों में 4365 प्रारम्भिक वाल्यावस्था शिक्षा केन्द्र कार्यरत है। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा केन्द्रों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :-

क्र. सं.	राज्य	प्रा.बा.शि. केन्द्रों की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	672
2.	असम	170
3.	बिहार	340
4.	जम्मू और कश्मीर	65
5.	मध्य प्रदेश	375
6.	उड़ीसा	338
7.	राजस्थान	336
8.	उत्तर प्रदेश	1099
9.	पं. वंगाल	970
	योग :	4365

(ङ) ये स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 11 से 18 आयु वर्ग की किशोर लडकियों के स्वास्थ्य, पोषाहारीय, मनोरजंन, जागृति विकास और कौशल सुधार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समेकित बाल विकास सेवा अवसंरचना के माध्यम से संस्थानीकृत एक विशेष उपाय है। इस स्कीम का लोगों ने स्वागत किया है। किशोर बालिका स्कीम के अन्तर्गत 3.51 लाख से भी अधिक लडकियां कवर की जा चुकी है। लाभार्थियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

किशोर बालिका स्कीम के राज्यवार लाभार्थियों और स्वीकृत ब्लाकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल ब्लाकों की सं.	लाभार्थियों की कुल सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	67810
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	लागू नहीं
3.	असम	10	लागू नहीं
4.	बिहार	74	5578
5.	गोवा	1	416
6.	गुजरात	15	42873
7.	हरियाणा	4	2633
8.	हिमाचल प्रदेश	1	3369
9.	जम्मू और कश्मीर	2	लागू नहीं
10.	कर्नाटक	23	18285
11.	केरल	13	15547
12.	मध्य प्रदेश	48	65146
13.	महाराष्ट्र	39	20209
14.	मणीपुर	1	लागू नहीं
15.	मेघालय	1	300
16.	मिजोरम	1	594
17.	नागालैण्ड	1	लागू नहीं
18.	उड़ीसा	24	42614
19.	पंजाब	3	1017
20.	राजस्थान	24	3924

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल ब्लाकों की सं.	लाभार्थियों की कुल सं.
21.	सिक्किम	1	240
22.	तमिलनाडु	33	23241
23.	त्रिपुरा	1	लागू नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	99	लागू नहीं
25.	प. बंगाल	41	29388
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	100
27.	चण्डीगढ़	1	101
28.	दादरा और नगर हवेली	1	500
29.	दामन और द्वीव	1	447
30.	दिल्ली	3	4950
31.	लक्ष्यद्वीव	1	लागू नहीं
32.	पौडिचेरी	1	1788
		507	351079

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 31 पर पुल

2876. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1993 में आई वाढ़ के कारण जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर क्षतिग्रस्त पुलों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जलपाईगुड़ी के समीप रा.रा.-31 पर दो पुल 1993 में वाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए। इन पुलों की स्थिति इस प्रकार है :-

(I) **717 कि.मी. पर बीरबितीजोरा पुल :**

मार्ग परिवर्तन करके यातायात बहाल कर दिया गया है और 197.24 लाख रु. की लागत से इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए अप्रैल, 1995 में संस्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार ने निविदाएं तय कर ली हैं और मानसून के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारभं हो जाने की संभावना है।

(II) **741 कि.मी. पर बालातोरसा पुल :**

लकड़ी का मौजूदा पुल बेकार हो गया था जिसे बहाल कर दिया गया है।

[हिन्दी]

औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

2677. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान स्कूली शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई निधियों के संबंध में ब्यौरे वर्ष 1995-96 के लिए मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा

2878. **श्री इलियास आजमी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में मारे गए कितने लोगों को मुआवजा दिया गया;

(ख) अब तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) मुआवजे के कितने मामले अभी तक निपटाये नहीं गये हैं;

(घ) कितने मामलों के लिए निगम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई प्रबंधन

2879. **श्री दिलीप संघानी :**

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या भागीदारी सिंचाई प्रबंधन में तेजी लाने के लिए राज्यों को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, केन्द्र सरकार ने सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी को प्राथमिकता दी है।

(ख) सिंचाई के प्रबंधन में किसानों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. केंन्द्र द्वारा प्रायोजिज कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के संघों को प्रबंधकीय सहायता देना;
2. जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना और किसानों की भागीदारी सहित सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी पर राज्य स्तर तथा परियोजना स्तर पर सम्मेलनों का प्रायोजन करना।
3. राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों के लिए और राज्य स्तर पर अधिकारियों और किसानों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन;
4. संघों के गठन के लिए नियमावली (मैनुअल) तैयार करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश देना और उनके वितरण में सहायता करना तथा सिंचाई अधिनियम में संशोधन करवाना;
5. किसान संघों के गठन के लिए नीतियां तथा दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय कार्यकारी दलों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना;
6. योजना आयोग द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सिंचाई प्रबंधन में भागीदारी संबंधी कार्यवाही दल का गठन करना।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल

2880. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पश्चिम बंगाल के सात जिलों के भूमिगत जल में रासायनिक तत्वों की मात्रा सुरक्षित सीमा से चार गुणा अधिक पाई गई है जिससे एक मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा 2,00,000 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्रों के लोगों की पेयजल समस्या का निदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल, 1996 में पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में फैले हुए 984 निवास स्थानों में अनुमत्य सीमा (0.05 एम. जी./1) से अधिक भूजल में संखिया की मात्रा प्राप्त होने की सूचना मिली है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने विषैले (आर्सैनिक) के प्रभाव का सामना करने के लिए लंबी अवधि तथा संक्षिप्त अवधि के उपायों को शामिल करते हुए 750 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली एक संदर्शी योजना तैयार की है। नलकूपों को गहरा करके प्रतिस्थापन, नई पंपित जल आपूर्ति स्कीमों का निर्माण तथा सुरक्षित स्वच्छ कुओं का निर्माण तथा त्वरित राहत के लिए वर्षा जल कृषि संरचनाओं तथा सतही जल आधारित पंपित जल आपूर्ति स्कीमों की स्थापना। लंबी अवधि आधार पर समस्याओं के निवारण हेतु नए स्रोतों के स्थानों की व्यवस्था करते हुए जलकूप आधारित नई पंपित जल आपूर्ति योजनाएं, नई संदर्शी योजना की कुल प्रमुख विशेषताएं है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 और 34 को जोड़ना

2881. **श्री तारीक अनवर :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के कटिहार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 को जोड़ने का काई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार के कटिहार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और 34 को जोड़ने के लिए एक सम्पर्क सड़क 1982 में मंजूर की गई थी और सभी प्राथमिक कार्य काफी पहले कर दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को अब तक हाथ में न लेने और पूर्ण न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने महानन्दा नदी पर बड़े पुल के निर्माण कार्य तथा कटिहार-हरिशचन्दर पुर सड़क (रा.रा. 31-34 को जोड़ने वाली) के एक खंड पारन पुर-लाभा-दिल्ली-दीवान गंज खंड में सड़क सुधार कार्य के लिए अंतर्राज्यीय महत्व की राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता स्कीम के तहत 1982 में अनुमोदन दिया था।

(ग) और (घ) सूचना मिली है कि कुओं की खुदाई में तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य की प्रगति में बाधा आ रही है और यह कार्य मार्च, 1995 की पूर्व नियत तारीख से आगे बढ रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 को दो लेन से चार लेन में बदलना

2882. **श्री आस्कर फर्नान्डीज :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर-उडूपी और कुंडापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 को चार लेन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निधियों की कमी के कारण।

विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा

2883. **श्री सुधीर गिरि :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के लिए किसी भी राज्य को निधि आवंटित नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सभी राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर कोयल नहर परियोजना, बिहार

2884. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की उत्तर कोयल नहर परियोजना सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है;

(ख) क्या पलामू, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा और मुंगेर जिले सिंचाई के लिए इस परियोजना पर निर्भर हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा इन जिलों में सिंचाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उत्तर कोयल परियोजना बिहार में चल रही प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।

(ख) यह परियोजना पलामू, औरंगाबाद व गया जिलों को लाभान्वित करेगी।

(ग) सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं को आयोजना, वित्त पोषण व कार्यान्वयन राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से करती है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में जवाहर नवोदय विद्यालय

2885. **श्री पी. नामग्याल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) लेह और कारगिल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्रमशः 1994-95 और 1995-96 में लेह और कारगिल के जवाहर नवोदय विद्यालयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था;

(घ) क्या लेह और कारगिल के जवाहर नवोदय विद्यालयों में अभी तक 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू नहीं की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो लेह और कारगिल के इन विद्यालयों में उक्त पदों के अभी तक नहीं भरे जाने, निम्न शैक्षिक स्तर परिणामों और 11वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में 14 नवोदय विद्यालय सम्वीकृत किए गए हैं।

(ख) लेह और कारगिल के नवोदय विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापन और अध्यापनेतर पदों की संख्या इस प्रकार है :-

	अध्यापन	अध्यापनेतर
लेह	6	5
कारगिल	7	1

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए लेह और कारगिल के जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की उत्तीर्ण-प्रतिशतता इस प्रकार है :

	उत्तीर्ण-प्रतिशतता			
	लेह		कारगिल	
	X	XII	X	XII
1994-95	51.0	17.7	77.8	-
1995-96	23.3	83.3	78.6	100

*वर्ष 1994-95 में कारगिल के विद्यालय का कोई भी छात्र कक्षा-XII की परीक्षा में नहीं बैठा।

(घ) जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह में कक्षा-XI और कक्षा-XII आरम्भ की गई थीं लेकिन बन्द कर दी गई थीं।

जवाहर नवोदय विद्यालय, कारगिल में कक्षा-XI और कक्षा-XII आरम्भ नहीं की गई हैं।

इन दोनों विद्यालयों के छात्रों को क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(ङ) रिक्त पदों को भरने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा किए गए प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि अधिकांश स्टाफ-सदस्य विशेष रूप से शीत माह के दौरान लेह और कारगिल में अपर्याप्त अवस्थापनात्मक सुविधाओं और नितान्त जलवायुपरक परिस्थितियों के कारण कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे। जमा-2 स्तर के छात्रों को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उनके शैक्षिक निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े इन स्कूलों से मैदानों के स्कूलों में स्थानान्तरित किया जाता है।

पश्चिम तट राष्ट्रीय जलमार्ग

2886. **श्री जेवियर अराकल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से पश्चिम तट राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास और रख-रखाव हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 के दौरान जल तट नहर के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई और उसकी अद्यतन प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां, निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ प्रस्तुत किए गए हैं।

(I) पश्चिम तटीय नहर के कोट्टापुरम से कसरगोडे और कोल्लम से कोवलम तक के शेष खंड को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करना,

(II) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम तटीय नहर के विकास के लिए प्रदान की गई निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना,

(III) केरल में जेट्टियों के आधुनिकरण को केन्द्र द्वारा प्रायोजित चालू स्कीम की निधियों में केन्द्र के हिस्से को जारी करना।

(ग) पश्चिम तटीय नहर के विकास पर वर्ष 1995-96 के दौरान 97.00 लाख रु. खर्च किए गए थे। नोचालन लाक्स की मरम्मत, रख-रखाव मुख्य निकर्षण भूमि अधिग्रहण और चैनल मार्किंग आदि जैसे विभिन्न कार्य चल रहे हैं।

रक्त की कमी

2887. **डा. वल्लभ भाई कठीरिया :**
श्री आई. डी. स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त की अत्यन्त कमी है जिसके कारण गर्मी एवं वर्षा के मौसम में गंभीर आपरेशनों को स्थगित करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का आपातकालीन स्थिति में एम स्थाना पर जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, रोगियों को रक्त प्रदान करने से संबंधित कोई योजना है;

(ङ) इस समय देश में सरकार निजी क्षेत्र में राज्यवार कितने रक्त बैंक हैं;

(च) इन्हें सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और रक्त बैंक स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन के पांच अस्पताल फ्लैग प्रति वर्ष रक्त के 5 यूनिटों के प्रतिमान के अनुसार रक्त की आवश्यकता लगभग 42.00 लाख यूनिट है। इसके विरुद्ध संलग्न विवरण-I के अनुसार इसकी उपलब्धता लगभग 27.56 लाख यूनिट है।

(ग) स्वैच्छिक रक्त-दान, नियमित अन्तरालों पर रक्त-दान शिविरों के आयोजन के माध्यम से रक्त की आपूर्ति बढ़ाने का सरकार का सतत् प्रयास रहा है और जन-प्रचार के साधनों तथा प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क करने के माध्यम से जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना, इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए कुछेक उपायों में से हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) एक विवरण-II संलग्न है।

(च) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का सूचना, शिक्षा व संचार घटक जन प्रचार के साधनों, सरकारी संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करके स्वैच्छिक रक्त-दाताओं को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त निवेश प्रदान करना है।

(छ) और (ज) रक्त बैंकों को खोलना राज्य सरकारों संघ क्षेत्र के प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

विवरण - I

तालिका :- एकत्र किए गए रक्त की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा

(वर्ष 1995-96)

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	एकत्र की गई रक्त ईकाइयां
1.	आंध्र प्रदेश	79800
2.	अरूणाचल प्रदेश	815
3.	असम	115066
4.	बिहार	
5.	गोवा	17590
6.	गुजरात	288965
7.	हरियाणा	32130
8.	हिमाचल प्रदेश	349905
9.	जम्मू और कश्मीर	28917
10.	कर्नाटक	75090
11.	केरल	289622
12.	मध्य प्रदेश	100155
13.	महाराष्ट्र	592288
14.	मणिपुर	702853
15.	मेघालय	952
16.	मिजोरम	11702
17.	नागालैण्ड	5103
18.	उड़ीसा	130363
19.	पंजाब	65320
20.	राजस्थान	168330
21.	सिक्किम	1020
22.	तमिलनाडु	64435
23.	त्रिपुरा	310459
24.	उत्तर प्रदेश	103520
25.	प. बंगाल	285836
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2721
27.	चण्डीगढ़	43410
28.	दादरा और नगर हवेली	435622
29.	दामन और दीव	545
30.	दिल्ली	412525
31.	लक्षद्वीप	540
32.	पांडिचेरी	422255
	कुल	2755140

टिप्पणियां : इन आंकड़ों का अनुमान राज्यों द्वारा रक्त की जांच के लिए आवश्यक एच. आई. वी. परीक्षण किटों के लिए की गई मांग के आधार पर उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार लगाया जाता है। अनुमानों से 10 प्रतिशत कटौती गुणवत्ता नियंत्रण के लिए की गई है।

विवरण-II

पहली जुलाई, 1996 को देश में रक्त बैंकों की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	राजकीय	निजी	सार्वजनिक क्षेत्र निजी अस्पताल एवं धर्मार्थ तथा अन्य	रक्त बैंकों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	57	54	2	113
2.	अरूणाचल प्रदेश	7	-	-	7
3.	असम	28	5	11	44

क्र. सं.	राज्य का नाम	राजकीय	निजी	सार्वजनिक क्षेत्र/निजी अस्पताल एवं धमार्थ तथा अन्य	रक्त बैंकों की कुल संख्या
4.	आंध्र प्रदेश	2	-	-	2
5.	बिहार	48	21	-	69
6.	चंडीगढ़ (प्रशा.)	2	-	-	2
7.	दिल्ली(प्रशा.)	15	7	10	32
8.	दादरा और नागर हवेली	-	-	-	-
9.	गुजरात	39	70	-	109
10.	गोवा	4	3	-	7
11.	हरियाणा	18	-	-	18
12.	हिमाचल प्रदेश	13	-	-	13
13.	जम्मू और कश्मीर	12	1	-	13
14.	केरल	12	19	3	34
15.	कर्नाटक	15	20	24	50
16.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
17.	महाराष्ट्र	76	121	-	197
18.	मध्य प्रदेश	53	20	5	78
19.	मेघालय	2	2	-	4
20.	मणिपुर	2	-	-	2
21.	मिजोरम	4	-	-	4
22.	नागालैंड	1	-	-	1
23.	उड़ीसा	50	1	8	59
24.	पंजाब	48	15	3	66
25.	पांडिचेरी	1	-	-	1
26.	राजस्थान	44	-	2	46
27	सिक्किम	1	-	-	1
28.	तमिलनाडु	127	73	-	200
29.	त्रिपुरा	4	-	-	4
30.	उत्तर प्रदेश	82	39	-	121
31.	पश्चिम बंगाल	67	28	-	95
	योग	834	499	68	1401

बाल भवन

2888. **श्री शरत पटनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में प्रत्येक राज्य में बाल भवन की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) इस समय भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघशासित प्रदेशों में बाल भवनों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों/संघशासित प्रदेशों में बाल भवनों की स्थापना करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघशासित प्रदेश की होती है। बाल भवन सोसाइटी इंडिया, नई दिल्ली जो शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था है वह देश में बाल भवन आन्दोलन को प्रेरित करने के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों को बाल भवनों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

अमरीका - श्रीलंका सैन्य सहयोग

2889. **श्री ओ. भारवन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण के 16, जुलाई में "यू. एस. मिलिट्री प्रजेंस लाइकली इन श्री लंका" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इन क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य पर ऐसे किसी प्रस्ताव के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां, श्रीलंका में अमरीका की संभावित सैन्य उपस्थिति के बारे में समाचार तंत्र में प्रकाशित खबरों जिनमें "टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण के 16 जुलाई, 1996 के अंक में प्रकाशित खबर भी शामिल है, की जानकारी सरकार को है।

(ख) और (ग) श्रीलंका और अमरीका के रक्षा संस्थानों के बीच सहयोग कार्यक्रम चल रहा है जिसमें अमरीका की रक्षा संस्थाओं में पार्ट्यक्रम, अमरीका और हमारे क्षेत्र के अन्य देशों के बीच किए जाने वाले संयुक्त अभ्यासों की तरह ही संयुक्त अभ्यास भी शामिल हैं।

सरकार इन क्षेत्र में ऐसे समस्त घटनाक्रम पर बारीकी से निगाह रखती है जिसका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पडता हो।

चोगदीवल से टांगडा तक सड़क मार्ग

2890. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोगदीवल से टांगडा सड़क मार्ग पर नाथदुमा दर्रा साल में केवल छह माह के लिए ही खुल रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सड़क मार्ग पर नाथदुमा दर्रे में एक सुरंग बनाने का है और क्या सुरंग वर्ष भर खुली रहेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) चोगदीवल-टांगडा सड़क अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से होकर जाती है और यहां शीत ऋतु में हिमपात होना एक सामान्य बात है। कम तापमान, बर्फानी तूफान और भारी हिमस्खलन के कारण यह सड़क प्रति वर्ष यातायात के लिए यदा-कदा बंद रहती है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि लंबे हिमपात वाले क्षेत्र को कवर करने वाली एक सुरंग का निर्माण करना संभवतः लागत प्रभावी नहीं होगा।

[हिन्दी]

सवाई माधोपुर की इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी

2891. **श्रीमती उषा मीणा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सवाई माधोपुर की इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रथम बार किस तिथि को भेजा गया था;

(ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसको इतने दिनों तक मंजूरी नहीं देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस परियोजना को मंजूरी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो मंजूरी के बाद इस परियोजना को किस वर्ष से लागू कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इंदिरा सिंचाई परियोजना (राजस्थान) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, परियोजना के जल वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट फरवरी, 1994 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी और टिप्पणियां मार्च, 1995 में राज्य सरकार को भेजी गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने जल वैज्ञानिक अध्ययनों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करनी है।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निवेश स्वीकृति के अभाव में, परियोजना को पूरा करने की कोई तारीख बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पराम्बीकुलम अलियार परियोजना के निर्माण कार्य में रूकावट

2892. **श्री ई. अहमद :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद के कारण पराम्बीकुलम अलियार परियोजना के निर्माण कार्य में रूकावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) यह परियोजना किस तारीख तक पूरी हो जाएगी;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस परियोजना हेतु कितनी वास्तविक केन्द्रीय सहायता दी गई, और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि केन्द्रीय सहायता का सदुपयोग हो और परियोजना का निर्माण शीघ्र पूरा हो?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) पराम्बीकुलम-अलियार परियोजना समझौते का क्रियान्वयन केरल एवं तमिलनाडु सरकार द्वारा इन नदियों के जल के बटवारे के लिए मई, 1978 में किया गया था। दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त जल विनियमन बोर्ड की स्थापना के समझौते का उपबंध किया गया। यह बोर्ड 1970 से कार्य कर रहा है। 1970 का यह समझौता 9.11.1958 से 30 वर्षों की अवधि के बाद और इसके बाद प्रत्येक 30 वर्षों में समाप्ति के लिए भी उपबंध किया गया है। यद्यपि केरल और तमिलनाडु सरकार के बीच सरकारी और मंत्रालयी दोनों स्तर पर विचार विमर्श हुए हैं, समझौते की समाप्ति के मामले पर किसी आम सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका। तथापि, संयुक्त जल विनियमन बोर्ड कार्य कर रहा है और समझौते की समीक्षा पर दोनों सरकारों के बीच मतभेदों के कारण परियोजना में कोई रूकावट नहीं आई है।

(ग) और (घ) पराम्बीकुलम-अलियार परियोजना पहले ही पूरी हो गई है। यहां तक कि 1979-80 में शुरू की गई पराम्बीकुलम-अलियार परियोजना अयाकट विस्तार योजना का 1988 में पूरा होना बताया गया है तथा भूमि के अधिग्रहण के कुछ भुगतान के कारण यह लंबित पड़ी थी।

(ङ) और (च) इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य को बोर्ड विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में होती है और किसी परियोजना अथवा कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं होती है। आठवीं योजना के प्रारंभ से ही पराम्बीकुलम-अलियार परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई धन नहीं मांगा तथा उपलब्ध कराया गया है। तथापि पराम्बीकुलम-अलियार विस्तार योजना के लिए, 92-93, 93-94 और 94-95 के लिए क्रमशः (प्रत्याशित) व्यय 2.43 करोड़ रुपए, 1.05 करोड़ रुपए और 1.94 करोड़ रुपए है।

केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों में सुविधाएं

2893. **श्री रामकृपाल यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों में एम्बुलेंस और अन्य उपस्करों के साथ-साथ अनेक सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार द्वारा दिल्ली में विभिन्न चिकित्सालयों में सुविधाओं और उपस्करों की कमियों के बारे में कोई गहन अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चिकित्सालयों को आत्म-निर्भर एवं पूर्णतः सुसज्जित बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि केन्द्र सरकार के अस्पतालों में सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने का कार्य स्थानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

योजना परिव्यय में कटौती

2894. **श्री बी. एल. शंकर :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सिंचाई क्षेत्र संबंधी योजना परिव्यय में अत्यधिक कटौती की गई है;

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट प्रोग्राम

2895. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत (जल विज्ञान परियोजना के रूप में पुनर्नामकरण) आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

(I) पेक्षण प्रणालियों में सुधार;

(II) पारस्परिक कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंकों तथा अंतर बैंक संचार प्रणालियों की स्थापना;

(III) जलाशय यंत्रीकरण एवं प्रबंध में सुधार;

(IV) चुनिंदा सिंचित कमान क्षेत्रों से वापसी प्रवाहों के प्रबंधन में सुधार;

(V) पांच मौजूदा वायरलेस केन्द्र जो 20 अतिरिक्त केन्द्रों द्वारा बाढ़ प्रबंध के लिए स्थापित किए गए हैं को जोड़कर बाढ़ चेतावनियों/पूर्वानुमान प्रणालियों का विस्तार करके जल संसाधन के सही समय का प्रबंध।

(VI) संस्थागत क्रियकलापों में वृद्धि;

(VII) उपकरण तथा सामग्री को उपलब्ध कराना।

(ख) इस क्रियाकलापों का 6 वर्ष की अवधि में परियोजना की समापन क्रेडिट तिथि 31 दिसम्बर, 2001 तक पूरा होने का प्रस्ताव है।

बाल कल्याण विकास योजनाएं

2896. **श्री राम सागर** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल कल्याण विकास योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इसे किस हद तक प्राप्त किया है;

(ख) इस योजना से कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं, और

(ग) क्या इस योजना के संतोषजनक ढंग से कार्य करने अथवा सुचारू अथवा इसमें सुधार की आवश्यकता का पता चलाने के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम. आर. बोम्मई) : (क) और (ख) मुख्य बाल कल्याण एवं विकास स्कीमों के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से इन स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-समय पर स्कीमों का मूल्यांकन, समीक्षा तथा प्रबोधन किया जाता है तथा जहां आवश्यकता हो सुधार किया जाता है। इसके अलावा योजना आयोग में वार्षिक योजना चर्चा के दौरान भी इन स्कीमों की समीक्षा की जाती है इसके अतिरिक्त मध्यावधि मूल्यांकन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं की भी समीक्षा की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/ उद्देश्य	1995-96 के दौरान लाभार्थियों की संख्या
1.	समकित बाल विकास सेवा स्कीम	बच्चे के समुचित मनोविज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालने के लिए 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहारीय और स्वास्थ्य दर्जे में सुधार करना और सेवाओं के पैकेज नामतः पूरक पोषाहार रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य जांच, सदर्भ सेवाएं पोषाहारीय और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मृत्यु दर रूग्णता कुपोषण और स्कूली पढाई बीच में छोड देने की घटनाओं को कम करना।	1.75 करोड़
2.	बलवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	5641 बालवाडियों के नेटवर्क के माध्यम से 3-5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पोषाहारीय आवश्यकताओं में सुधार लाना।	2.25 लाख
3.	प्रारम्भिक बाल्य अवस्था शिक्षा स्कीम	यह स्कीम स्कूलों में बच्चों के नामांकन की दर में सुधार लाने तथा बीच में पढाई छोड देने वाले बच्चों की संख्या को कम करने की एक दीर्घ कालीन नीति है।	1.53 लाख (लगभग)
4.	शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	मुख्यतः नैमित्तिक प्रवासी खेतीहर और निर्माण मजदूरों के 0-5 वर्ष की आयु के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना।	3.12 लाख
5.	राष्ट्रीय शिशुग्रह कोष	राष्ट्रीय शिशुगृह कोष की स्थापना शिशुगृहों की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए की गयी है।	0.31 लाख

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/ उद्देश्य	1995-96 के दौरान लाभार्थियों की संख्या
6.	राष्ट्रीय बाल कोष	समुदाय से संसाधन मुहैया कराना और इन संसाधनों के निवेश से प्राप्त ब्याज का गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए उपयोग करना ताकि यह संगठन बच्चों के कल्याण और विकास की स्कीमें कार्यान्वित कर सकें।	15,000 हजार (लगभग)
7.	बाल उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व स्कीम	अधिकाधिक बच्चों को रोग प्रतिरोधन के अन्तर्गत लाकर और अतिसार तथा निमोनिया से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उपाय करके शिशु (0-1 वर्ष) तथा बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर को कम करना।	11.6 करोड़(लगभग)
8.	परित्यक्त बच्चों के कल्याण की स्कीम	परित्यक्तता, उपेक्षा और शोषण के शिकार बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और विकास के लिए समेकित समुदाय आधारित गैर-संस्थागत बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना।	आंकड़े उपलब्ध नहीं।
9.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम	संकटमय व्यवसायों में लगे श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम उन्मूलन	1.5 लाख

मानव अंग

2897. **डा. मुरली मनोहर जोशी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जुलाई, 1996 की जनसत्ता के "पश्चिम बंगाल के मजदूर की मुम्बई ले जा कर गुर्दा निकाल लिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 में सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) मानव अंगों के व्यापार के संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 सभी केन्द्र शसित राज्यों और गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में 4 फरवरी 1995 से लागू हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया है। मानव अंगों का गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए अधिनियम में पर्याप्त व्यवस्था है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण और चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए प्रत्यारोपण को विनियमित करना तथा मानव अंगों से संबंधित व्यापार को रोकना और इनसे जुड़े अथवा उनसे प्रासंगिक विषयों को निपटाना है। चूंकि यह अधिनियम महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू है, इसलिए ये राज्य दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम है।

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन

2898. **कुमारी फ्रिडा टोपनो :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्र में तेजी से औद्योगिकीरण के चलते और गैर-आदिवासियों के आने के कारण पुरातन समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों को आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन के संबंध में कोई मार्ग-निर्देश अथवा निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो आदिवासी संस्कृति की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में सभी इस्पात संयंत्रों सहित इन उद्योगों के स्वामियों/प्रबंधकों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) पुरातन समृद्ध आदिवासी संस्कृति को विभिन्न स्रोतों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए, भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने आदिवासी/लोक कला और संस्कृति के संवर्धन और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की एक स्कीम प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत सरकार आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कल्याण मंत्रालय ने आदिवासी संस्कृति के संवर्धन और परिरक्षण हेतु संग्रहालयों

की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा मणिपुर राज्यों के आदिवासी शोध संस्थाओं को 50:50 के आधार पर अनुदान प्रदान किया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार ने आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं। तथापि, कल्याण मंत्रालय के अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण से संबंधित कार्य दल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी संस्कृति के संवर्धन और विकास के लिए अनेक कदम उठाये जाने की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क पर पुल

2899. **श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-क (अहमदाबाद से कांडला) पर सूरजवाड़ी पुल जो कि सौराष्ट्र तथा छोटे कच्छ के रण पर स्थित है की खराब हालत की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात राज्य में पथनगत पुल परियोजना के मरम्मत कार्यों के लिए 1989 से 60.54 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, एक नए पुल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण और जांच कार्य अब प्रगति पर है।

[हिन्दी]

अन्तर्राज्य परियोजनाएं

2900. **श्री बाबरचन्द गेहलोत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मंत्रालय के तहत कितनी अंतर्राज्य परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है;

(ख) क्या बानसागर बंदर नहर, माही बजाज सागर बांध, टोंस पंप योजना और कन्हर अंतर्राज्य परियोजनाओं की भी केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है;

(ग) प्रत्येक परियोजना को कब स्वीकृति दी गई तथा प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या क्या समय अवधि निर्धारित की गई है;

(घ) उक्त परियोजनाओं की 31 मार्च, 1996 तक आर्थिक और वास्तविक उपलब्धि क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार चरण-वार कार्यक्रम बनाकर और आवश्यक कोष प्रदान कर इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का है।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुल 14 अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का प्रबंधन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न में पूछी गई पांच परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाओं बाणसागर तथा माही बजाज सागर का प्रबंधन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। बन्दर नहर परियोजना पहले ही पूरी कर ली गई है।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं में से बाणसागर बांध, बन्दर नहर, माही बजाज सागर तथा टोंस पंप नहर परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा क्रमशः 1978, 1952, 1971 तथा 1969 में निवेश का स्वीकृति की गई थी जबकि बन्दर नहर स्कीम पहले ही पूरी कर ली गई है, बाणसागर बांध परियोजना तथा माही बजाज सागर परियोजना का आठवीं योजना में आगे तक जाने की संभावना है।

(घ) इन परियोजनाओं की वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार है:

परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च, 96 तक संभावित व्यय (करोड़ रु. में)	अंतिम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	मार्च, 96 तक सृजन की जाने वाली संभावित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्ट.)
बाणसागर बांध	936.00	409.71	399.49	शून्य
बन्दर नहर	13.38	6.68	44.50	44.50
माही बजाज सागर	587.55	491.89	123.50	88.11
टोंस पंप नहर	35.19	34.27	33.15	30.14
कन्हार	174.27	39.51	33.13	शून्य

(ङ) परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" योजना की घोषणा की है। कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करना राज्यों पर निर्भर करता है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 हेतु धनराशि

2901. **श्री महेन्द्र वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में जगदलपुर-भोपाल पटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-16 को चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस राजमार्ग पर पुल लघु और मध्यम घुलियाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या भारी नदी पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर 493 कि.मी. से 504 कि.मी. तक सड़क को चौड़ा करने के लिए 105.84 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है और कार्य पूरा हो चुका है। इस राजमार्ग पर 52 मध्यम पुल और 381 पुलिया हैं।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

यात्री जहाज की डिलीवरी

2902. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व अंडमान निकोबार प्रशासन ने एक सरकारी उपक्रम, हुगली गोदी तथा पत्तन कलकत्ता, को एक यात्री जहाज का क्रय आदेश दिया गया था;

(ख) क्या इस जहाज की डिलीवरी अभी तक नहीं हो सकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व कारण क्या है; और

(घ) उक्त जहाज की डिलीवरी कब तक हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जलयान के निर्माण/डिलीवरी में विलंब मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ है :-

(i) सामान्य प्रबंध योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब।

(ii) मुख्य प्रणोदन इंजन और जनरेटर सेट के चयन में विलम्ब।

(iii) हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स में स्लिपवे में भूमि का धंसना।

(iv) अप्रैल, और जून, 1991 में रुपए का अवमूल्यन।

(v) समय अधिक लग जाने के कारण जलयान की लागत में वृद्धि।

(vi) हुगली डाक एवं पोर्ट इंजीनियर्स के समक्ष आई नकद धन प्रवाह की विकट समस्या।

(घ) संशोधित लागत प्राक्कलन के अनुमोदन के पश्चात् जलयान को दो वर्ष की अवधि में डिलीवर किए जाने की उम्मीद है।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की सहायता

2903. **श्री टी. गोविन्दन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से खाड़ी के देशों में कार्यरत निर्धन भारतीय श्रमिकों को दुर्घटना/मृत्यु/नजरबंदी/मृत्युदंड की स्थिति में कानूनी/आर्थिक सहायता प्रदान करती है;

(ख) भारत में उनके संबंधियों को किस तरह सूचना/सहायता दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार का खाड़ी के देशों में नौकरी के लिए जाने वाले व्यक्तियों एवं उनके संबंधियों को ऐसी आकस्मिक घटनाओं से निपटने हेतु शिक्षित करने का कोई कार्यक्रम है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेश में किसी भारतीय राष्ट्रिक के दुर्घटनाग्रस्त होने/उसकी मृत्यु हो जाने से संबंधित सूचना मिलने पर भारतीय मिशन उसके परिवार के सदस्यों तथा नियोक्ता/प्रायोजक से संपर्क स्थापित करता है ताकि चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा सके। पार्थिव अवशेषों को भारत वापस भेजा जा सके। किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी के मामले में संबंधित व्यक्ति से कोंसली मुलाकात के लिए मेजबान सरकार से अनुरोध किया जाता है। संबंधित भारतीय मिशन का कोंसली अधिकारी नज़रबंद व्यक्ति से मुलाकात करके उसकी गिरफ्तारी के आधारों तथा परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश करता है। जहां आवश्यक होता है मिशन त्वरित तथा निष्पक्ष विचारण अथवा सजा की समीक्षा करवाने के लिए मामले को उच्चतर स्तर पर मेजबान सरकार के साथ उठाता है। भारतीय मिशन इस बात का भरसक प्रयास करता है कि कैदी को अपनी सफाई देने के लिए आवश्यकतानुसार कारगर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तथापि, किसी भी कानूनी सहायता का व्यय संबंधित व्यक्ति को ही उठाना होता है। परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय मिशन द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निस्सहाय व्यक्तियों को वित्तीय सहायता अथवा पेशगी धन भी दिया जा सकता है।

(ख) सूचना प्राप्त होने पर संबंधित भारतीय मिशन विदेशों में कार्यरत

भारतीय कामगारों के बारे में किसी प्रकार की सूचना/उन्हें पेश आ रही किसी समस्या से उनके रिश्तेदारों को या तो सीधे ही अथवा विदेश मंत्रालय के जरिए अवगत कराता है।

(ग) रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में जाने वाले व्यक्तियों को इस बात की जानकारी देने के लिए सरकार के पास कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि विदेशों में पेश आने वाली समस्याओं से कैसे निपटें। तथापि, सभी भारतीय मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में रहते है और उनकी शिकायतों को दूर करने में सहायता देने हेतु तत्पर रहते हैं।

राजस्थान में प्रमुख स्मारकों संबंधी लम्बित प्रस्ताव

2904. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए लंबित राजस्थान के प्रमुख स्मारकों के संरक्षण संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनको स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के ऐसे प्रमुख स्मारकों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। इन स्मारकों का निरीक्षण समय-समय पर मंडल/शाखा/मुख्यालय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है और इन स्मारकों का परिरक्षण उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार पुरातत्वीय सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है। तीन प्रस्ताव जांच पड़ताल के विभिन्न चरणों में है और पूर्ण तकनीकी आंकड़े प्राप्त होने पर इनके गुण-दोषों के आधार पर इनका निपटान कर दिया जाएगा। तथापि राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की संरचनात्मक देखभाल तथा संरक्षण के लिए 64.00 लाख रुपए की राशि नियत की गई है।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2905. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही राष्ट्रीय पुल और राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ है और यदि हां तो प्रत्येक मामले में तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब शुरू की गई थी और उसकी लागत क्या थी;

(घ) इनमें से प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और प्रत्येक पर कितनी लागत आएगी; और

(ङ) परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के कारण अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है और इसे कौन वहन करेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) जून, 1992 में हस्ताक्षर किए गए 306 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के ऋण को इस समय विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) पूरा करने की नियत तारीखें भी संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। अभी कार्य पूरा होने की संभावित लागत और लागत में होने वाली वृद्धि को नहीं बताया जा सकता।

विवरण-I

विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

(एल. एन. 3470-आई. एन./सी. आर. 2365-आई. एन.)
ऋण राशि : 306 मिलियन अमरीकी डालर
हस्ताक्षर होने की तारीख : 18.06.1992
बंद होने की तारीख : जून, 2001 प्रभावी तारीख : 31.08.1992 (करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	रा. रा. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान प्रगति	पूरा करने की नियत तारीख	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाऐं और उसके कारण
1.	हरियाणा	1	करनाल और अम्बाला	79.50	287.22	जनवरी,	जुलाई	

क्र. सं.	राज्य	रा. रा. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान प्रगति	पूरा करने की नियत तारीख	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाएं और उसके कारण
			के बीच 132.88-212.16 कि.मी. (रा.रा.-I) में चार लेन बनाना।			1995 में कार्य शुरु हुआ। प्रगति-18 प्रतिशत	1998	
2.	पंजाब	1	रा.रा.- के सरहिन्द और पंजाब/हरियाणा सीमा 212.2 से 252.25 कि. मी. के बीच चार लेन बनाना।	40.00	199.500	कार्य जनवरी, 95 में शुरू हुआ। प्रगति-25 प्रतिशत	जुलाई, 1998	
3.	उड़ीसा	5	रा.रा.-5 के कटक-भुवनेश्वर खंड (0.0 से 27.8 कि.मी.) में	27.80	218.41	कार्य जनवरी, 1995 में शुरू हुआ। प्रगति-13प्रतिशत	अगस्त 1998	(I) मुख्य जल पाइपों को लिफ्ट करना। (II) अतिक्रमण हटाना और वृक्षों की कटाई।
4.	मध्य प्रदेश	3	(क) इन्दौर बाईपास का निर्माण रा. रा.-3	31.40	73.44	निर्माण पूर्वकार्य प्रगति पर निविदाएं अगस्त, 1996 में आमंत्रित की गई।	दिसम्बर, 2000	निम्न के कार्यान्वयन में विलम्ब (I) निर्माण पूर्व कार्य (II) ठेकेदारों की नई पूर्व अर्हता के अनुमोदन में विलम्ब।
			(ख) रा. रा. -3 के इन्दौर-देवात खंड (574.4 से) 591.6 कि.मी. में 4 लेन बनान।	18.20	29.53	निर्माण पूर्व कार्य प्रगति पर। निविदाएं अगस्त, 1996 में आमंत्रित की गई।		
5.	महाराष्ट्र	8	वसैन क्रीक और मनोड़	58.00	117.73	निर्माण	दिसम्बर, 2000	(I) परियोजना

क्र. सं.	राज्य	रा. रा. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान प्रगति	पूरा करने की नियत तारीख	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाएं और उसके कारण
			के बीच, 439-497 कि. मी. (रा. रा. 8) में 4 लेन बनाना।			पूर्व कार्य प्रगति पर निविदाएं अगस्त, 1996 में आमंत्रित की गई।		तैयार करने में विलम्ब (II) वनभूमि के अधिग्रहण और वृक्षों की कटाई में विलम्ब। (III) ठेकेदारों की नई पूर्व अर्हता के अनुमोदन में विलम्ब।
6.	पश्चिम बंगाल	2	रा.रा.-2 के रानीगंज और पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा अर्थात 430.6 से 474.0 कि. मी. के चार लेन बनाना।	35.40	88.27	निमाण पूर्व कार्य प्रगति पर। निविदाएं आमंत्रित की जानी है।	दिसम्बर, 2000	(I) परियोजना तैयार करने और भूमि अधिग्रहण में विलम्ब (II) विश्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार आर. एंड. आर. कार्य योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
7.	उड़ीसा	राज्जीय सड़क	गंजन जिले में 6 क्षतिग्रस्त राज्य सड़क पुलों का निर्माण।		32.5	कार्य मार्च, 1994 में शुरू हुआ। प्रगति-65 प्रतिशत	दिसम्बर, 1996	अभूतपूर्व वर्षा के कारण।
					290.3			

पासपोर्ट संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाना

2906. **श्री सुरेश कलमाड़ी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य संशोधन किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां,।

(ख) शीघ्रतापूर्वक पासपोर्ट जारी करने के लिए क्रियाविधि को सरल बनाने

हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इनमें मुख्य इस प्रकार हैं :

(क) कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन जिनमें आवेदनपत्रों की त्वरित जांच तथा कार्रवाई के लिए कम्प्यूटरीकरण भी शामिल हैं;

(ख) पासपोर्ट तथा विविध सेवा फार्मों का सरलीकरण;

(ग) चार सप्ताह की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में पुलिस अनापत्ति के लिए और अधिक इंतजार किए बिना ही पासपोर्ट जारी किया जाना;

(घ) आवेदन प्राप्ति के समय ही आवेदनपत्र की हर प्रकार से पूर्णता तथा उसके सही होने की पूर्णरूपेण जांच करना;

(ङ) विलंबित आवेदनों का निपटान करने हेतु कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि;

(च) आपात स्थिति/अतिशीघ्र मामले में किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रमाणपत्र के आधार पर पासपोर्ट जारी करना; और

(छ) सत्यापन प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की सूची का विस्तार।

इसके अतिरिक्त पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कतिपय और प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि पासपोर्ट सलाहकार समितियों का गठन; नए कार्यालय तथा संग्रह केंद्र खोलना और पासपोर्ट की वैधता अवधि को बढ़ाया जाना।

राष्ट्रीय महिला आयोग

2907. **डा. सी. सिल्वेरा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए निकट भविष्य में कोई नीति अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने शिक्षण व्यवसाय और देश के नीति निर्धारक निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की मांग की थी;

(घ) क्या प्रस्तावित नीति में ये मांगे शामिल हो पायेंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) : महिला शक्ति-सम्पन्नता हेतु राष्ट्रीय नीति के प्रारूप की एक प्रति संलग्न विवरण में है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) नीति के प्रारूप के पैरा 6 और 7 में महिलाओं को शक्ति-सम्पन्न बनाने तथा निर्णय निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी हेतु उपाय करने और कदम उठाने की व्यवस्था का उल्लेख है।

विवरण

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास विभाग

महिलाओं की सक्षिता-सम्पन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति 1996

।।प्रारूप।।

प्रस्तावना

भारत के संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारी, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में महिला-पुरुष समानता के सिद्धान्त निहित है।

प्रजातांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत हमारे कानूनी, विकास नीतियां, योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के बाद से महिलाओं के कल्याण से उनके विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहा है। हाल के वर्षों में, महिलाओं को शक्ति-सम्पन्नता को उनकी स्थिति के निर्धारण हेतु एक केन्द्रीय मुद्दा माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में संसद द्वारा अधिनियम पारित करके की गई ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके तथा उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारत के संविधान में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन (1993) ने स्थानीय निकायों, पंचायती और नगर पालिकाओं में महिला सदस्यों को सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराया है, जिससे स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने में उनकी प्रतिभागिता के लिए एक मजबूत नीव रखी गयी है।

भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशनों और मानवाधिकार दस्तावेजों की अभिपुष्टि की है जिनमें महिलाओं के समान अधिकारो के प्रति प्रतिवदता व्यक्त की गई है। इनमें से सबसे प्रमुख है महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेशन की 1993 में अभिपुष्टि।

मैक्सिको कार्य योजना (1975), नैरोबी फारवर्ड लुकिंग स्टेटेजीज (1985) बीजिंग योजना तथा कार्रवाई मंच (1995) पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भारत द्वारा उनका समर्थन किया गया है।

महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति महिला आन्दोलन, जिसका महिलाओं के मामले में सम्बद्ध गहरी पैठ रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों का एक व्यापक तंत्र है, द्वारा महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता हेतु अनेक कदम उठाये गये है।

तथापि, एक तरफ संविधान में निरूपित लक्ष्यों, कानूनो नीतियो आयोजनओं कार्यक्रमों और संबंधित कार्यविधियों और दूसरी तरफ भारत में महिलाओं की स्थिति की वास्तविकता में काफी अन्तर है। इस बात का भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट "समानता की ओर" (1974) में विशद विश्लेषण किया

गया है और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) और श्रमशक्ति रिपोर्ट (1988) में इन पर प्रकाश डाला गया है।

महिलापुरुष असमानता स्वयं स्वतः विभिन्न रूपों मे प्रकट होती है। सबसे प्रकट रूप में इसका एक उदाहरण लगातार कुछ दशकों में जनसंख्या में महिला का गिरता हुआ अनुपात है। सामाजिक परम्पराएं और घरेलू तथा सामाजिक स्तर पर हिंसा जैसे कुछ अन्य प्रमाण है। बालिकाओं, किशोर लडकियों और महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी विद्यमान है।

फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र की अधिकारी महिलओं को शिक्षा स्वास्थ और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और इनसे संबंधित निदेशों का लाभ उठाने के अवसर पुरुषों की तुलना में अपर्याप्त है। अब वे प्रायः सीमान्त स्थिति में, गरीब तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत रहती है।

इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास की दृष्टिगत रखते हुए और संसद सदस्यों राज्य सरकारों, गैरसरकारी संगठनों, महिला संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं अनुसंधानकताओं और अन्य विशेषज्ञों से हुए विचारविमर्शों के पश्चात यह राष्ट्रीय नीति बनाई गई है।

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और शक्तिसम्पन्नता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सामाजिक रवैये में परिवर्तन करके और महिला पुरुष के बीच सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन द्वारा, जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा, महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करके, महिलाओं की सैद्धान्तिक समानता को वास्तविक समानता में बदलकर और जहां आवश्यक हो, सकारात्मक कार्रवाई के जरिए की जानी है।

सामाजिक समन्वय स्थापित करने के प्रयासों के रूप में महिलाओं की गरिमा तथा सम्मान को पुनः स्थापित करने वाली भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं की सकारात्मक विशेषताओं को दोहराया, महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में अपने अपने सामाजिक दायित्व की जानकारी दी जायेगी। इन कार्यक्रमों से प्रगतिशील मूल्यों के संदर्भक के रूप में उनकी भूमिका और मानवता के प्रति सम्मान पर बल दिया जायेगा।

नीति का व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नागरिक समाज के सभी हिस्सों में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

2. मानवअधिकार और नैतिक स्वतंत्रताएं

महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का वास्तविक प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मार्ग में जाने वाली बाधाओं को दूर किया जायेगा। इस तथ्य के अनुरूप, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ नियम और व्यवहार में किसी भी प्रकार के भेदभाव को अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का उन्मूलन

महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा वाले शारीरिक और मानसिक हो, चाहे घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर की जाती हों, विशेष रूप से उनका शोषण और हिंसा जिसमें रीतिरिवाजों, परम्पराओं और प्रथाओं के माध्यम से हिंसा भी शामिल है; का उन्मूलन किया जायेगा। हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास हेतु सहायता के लिए स्कीमें/तंत्र तैयार/सुदृढ किये जायेंगे। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के उन्मूलन और इस प्रकार की हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी संस्थाओं और सभी को सुदृढ बनाया जायेगा।

4. महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि महिलाएं पुरुषों के समान मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रता में सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक आदि में समानता की हकदार है; महिलाओं के साथ कानून में अथवा व्यवहार में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए शिक्षा के सभी स्तरों, जीविका तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश, रोजगार समान परिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सार्वजनिक कार्यालय आदि में समान अधिकार सुनिश्चित किए जायेंगे।

5. बालिकाओं के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का उन्मूलन

बालिकाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन को कठोर उपाय, जिसमें दण्डात्मक उपाय भी शामिल है; अपनाकर समाप्त किया जाएगा। इन उपायों में जन्म से पूर्व लिंग चयन तथा बालिका-भ्रूण-हत्या, बाल विवाह, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और बाल वेश्याएं संबंधी कानूनों का कड़ाई से अनुपालन शामिल है। परिवार तथा परिवार के बाहर बालिका के साथ व्यवहार में समानता तथा बालिकाओं की सकारात्मक छवि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। बालिकाओं की आवश्यकताओं जैसे भोजन तथा पोषाहार, स्वास्थ्य, शिक्षा जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है; पर विशेष बल दिया जायेगा एवं पर्याप्त निवेश किया जायेगा। बाल श्रम उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समय बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

6. महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता

महिलाओं को समग्र शक्ति सम्पन्नता के लिए सकारात्मक कार्रवाई और विचारात्मक उपया साथ-साथ किये जायेगे। महिलाओं को संपूर्ण रूप से पूरे समानधिकार उपलब्ध कराने की शिक्षा में शक्ति सम्पन्नता लाने वाले कारकों तक पहुंच और नियन्त्रण को उपलब्ध कराया जायेगा; विशेषकर, स्वास्थ्य शिक्षा सूचना, आत्म विकास हेतु जीवन पर्यन्त शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, रोजगार, प्रत्योत्पादन के अवसर, तकनीकी सेवा भूमि तथा अन्य सम्पत्तियों विरासत तथा विवाह संबंध से मिलने वाली सम्पत्तियों सहित, सामान्य सम्पति संसाधन ऋण प्रौद्योगिकी तथा विपणन आदि।

7. निर्णय लेने में महिलाएं

शक्तिसम्पन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों तथा सभी प्रक्रियाओं जिनमें राजनैतिक निर्णय भी शामिल है शक्तियों के समान उपयोग तथा निर्णय में महिलाओं की प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया

जायेगा। सभी स्तरों पर निकायों में, निर्णय में महिलाओं की पूरी प्रतिभागिता समान रूप से उपलब्ध कराये जाने की गारन्टी के लिए सभी कदम उठाए जायेगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, विधान सभाओं, कार्यकारी, न्यायिक, स्थानीय निगमों, सांविधिक निकायो और परामर्शदात्री आयोगो, समितियों, बोर्डों, न्यासो आदि में सहभागिता होगी। सकारात्मक कार्रवाई यथा उच्च विधातों निकायों में आरक्षण/कोटे पर जब भी आवश्यक हो समय पर आधार पर विचार किया जाएगा।

8. महिलाए तथा विकास प्रक्रिया

नीतियां, कार्यक्रम तथा पदतियां इस प्रकार बनाई जायेगी जिनसे सभी विकास प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक, भागीदार तथा लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं को मुख्यधार में शामिल करने की प्रक्रिया में हुई प्रगति का समय-समय पर आकलन करने के लिए समन्वयन एवं प्रयोचन तन्त्र की स्थापना की जाएगी। परिणाम स्वरूप महिलाओं से सम्बन्धित मामलों तथा मुद्दों का संबोधित नियमों, क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं तथा कार्यवाही कार्यक्रमों में परिलक्षित किया जाएगा।

9. महिलाओं से सम्बन्धित मामलों के प्रति संचेतना

समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए तथा भली-भांति क्रियान्वित कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाएगा। सभी सरकारी और गैर-सरकारी विकास अधिकरणों में राज्य कार्यकारणी, विधायिका तथा न्यायिक स्कन्धों के कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह कार्यक्रम चरणबद्ध पद्धान के होंगे, जो कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों में सभी चालू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समेकन के एक हिस्से के रूप में चलाए जायेंगे।

10. महिलाएं तथा जन-प्रचार

प्रचार-माध्यमों का उपयोग महिलाओं तथा लड़कियों की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए किया जाएगा। यह महिलाओं की हीन, अप्रतिष्ठित, और नकारात्मक पराम्परागत, रूढ़िगत छवि और महिलाओं पर अत्याचारों का उन्मूलन करने का प्रयास करेगा। विधान, प्रचार नीतियों तथा नियतन तन्त्र जिसमें आचरण संहिता आदि भी शामिल हैं, का इन पहलुओं को उजागर करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

11. निर्धनता उन्मूलन तथा महिलाओं को बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराना।

11.1 निर्धनता उन्मूलन

चूंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वालों में अधिकांश महिलाएं ही है तथा प्रायः वे अत्यधिक निर्धनता की स्थिति में जीवन व्यतीत करती है, उन्हें कठोर घरेलू परिस्थितियों तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पडता है, अतः इस वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियां तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाएंगें। महिलाओं के लिए पहले से चलाए जा रहे अथवा महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्यों वाले कार्यक्रमों की ओर अधिक कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। नए कार्यक्रम इस बात को लक्ष्य करके बनाए जायेंगे कि वे निर्धन महिलाओं को आर्थिक विकल्प के साथ-साथ समर्थन सेवाएं प्रदान करके संगठित कर सके ताकि उनकी क्षमताओं का विकास किया जा सके।

11.2 भोजन सुरक्षा

महिलाओं को पोषाहारीय तथा घरेलू आवश्यकताओं की सन्तोषजनक ढंग से पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ किया जाएगा। लडकियों के साथ-साथ महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू भेदभाव को भी उपयुक्त पद्धतियों को अपना कर समाप्त किया जाएगा। पद्धति को आयोजना, पर्यवेक्षका तथा सुपुर्दगी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

11.3 आवास तथा लक्ष्य

ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवास कालोनियों तथा प्रश्रय उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं से संबंधित विषयों को शामिल किया जाएगा। एकल महिलाओं परिवार की मुखिया महिलाओं, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षणार्थियों सहित महिलाओं के लिए पर्याप्त और सुरक्षित आवास प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह होस्टलों, शयनागारों अल्पवास गृहों तथा आवास कालोनियों और कस्बों में आरक्षण के रूप में विशेष सुविधाओं के रूप में होगा।

11.4 शिक्षा

महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित किए जायेंगे। भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, निरक्षता का उन्मूलन करने, लिंग संचेतना, शिक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उपाय किए जाएंगें। बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना तथा बालिकाओं की शिक्षा जारी रखना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना ताकि जीवन पर्यन्त शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं के व्यावसायिक/तकनीकी कौशल का विकास हो। मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त किए जायेंगे जिनमें लडकियों तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

11.5 स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा उनके सम्पूर्ण जीवन एवं आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनमें पोषाहार, शैशवावस्था, किशोरावस्था प्रजनन काल और वृद्धावस्था में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। बालिकाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मौजूदा नीतियों में क्षेत्रीय सामजिक लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।

11.6 महिलाएं तथा अर्थव्यवस्था

वृहत् आर्थिक और सामजिक नीतियां तैयार करने और उनके

कार्यान्वयन में महिलाओं की प्रतिभागिता को संस्थागत बनाकर उनके परिप्रेक्ष्यों को उसमें शामिल किया जाएगा।

औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास में उत्पादकों तथा कर्मियों के रूप में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान की जाएगी और रोजगार तथा अन्य कार्य परिस्थितियों से संबंधित उपयुक्त नीतियां तैयार की जायेंगी।

उत्पदकों तथा कर्मियों के रूप में महिलाओं के योगदान को परिलक्षित करने के लिए, जहां आवश्यक होगा, जैसे कि गणना रिकार्डों में पारम्परिक संकल्पनाओं का पुनर्विवेचन और उन्हें पुनर्भाषित किया जाएगा।

महिलाओं के कार्य को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय सेवाओं के अनुरूप सरकार द्वारा उपलेख तैयार किए जाएंगे। यह कार्य उपयुक्त कार्यविधि का विकास करके किया जायेगा।

11.7 समर्थन सेवाएं

महिलाओं के लिए समर्थन सेवाएं यथा-बाल देखभाल सुविधाएं जिनमें कार्यस्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों में शिशुगृह बनाना तथा वृद्ध एवं विकलांगों के लिए गृह शामिल हैं, का विस्तार और सुधार किया जायेगा, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके अनुरूप कार्मिक नीतियां भी तैयार की जायेंगी ताकि महिलाएं विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

11.8 पेयजल और स्वच्छता

घर के निकट सुरक्षित पेयजल मल-जल निपटान शौचालयों की व्यवस्था के संबंध में महिलाओं की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इन सेवाओं की आयोजना, प्रदाय तथा अनुरक्षण में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

12 महिलाएं और पर्यावरण

पर्यावरण प्रबन्धन के कार्यक्रमों और नीतियों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उनके परिप्रेक्ष्यों को परिलक्षित किया जायेगा। महिलाओं की आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव तथा परिवार में श्रम वितरण तथा समय को ध्यान में रखते हुए चारा तथा ईंधन एकत्रित करने के संबंध में पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण अवक्रमण नियंत्रण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

13 महिलाएं तथा विज्ञान

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि विज्ञान तथा तकनीकी निवेश वाली विकास परियोजनाओं में महिलाओं को पूर्णरूपेण शामिल किया जाएगा। वैज्ञानिक रुचि, जागृति विकसित करने के प्रयास भी किये जायेंगे।

14 विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताएं

महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों तथा विशेष रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें विशेष सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपाय तथा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन ग्रुपों में अत्यधिक निर्धन, विषम परिस्थितियों में रहने वाली कम विकसित क्षेत्रों में रहने वाली, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा, वृद्ध महिलाएं, विकट परिस्थितियों में रहने वाली एकल महिलाएं परिवार की मुखियां महिलाएं, रोजगार से हटा दी गई, प्रवासी तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत और वेश्याएं शामिल हैं।

15 संसाधन

महिलाओं के विकास एवं उन्हें शक्तिसम्पन्न बनाने के लिए मौजूदा संस्थानों तंत्रों को सुदृढ़ बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जायेंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला कार्यक्रमों के बजट में वृद्धि की जाएगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, कृषि, उद्योग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों के बजटों में महिलाओं के लिए अलग राशि रखी जाएगी।

बुनियादी स्तर पर बैंकिंग, वित्तीय संसाधनों निर्गमित निकायों और सामुदायिक संगठनों से राशि का आवंटन तथा सम्बद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए संसाधन संग्रहण की सहक्रियात्मक कार्यविधि तैयार की जाएगी।

16 गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण कार्यान्वयन, प्रयोजन और समीक्षा में स्वैच्छिक संगठनों, एसोसिएशनों, संघों, व्यापार संघों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों के साथ-साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसन्धान से संबंधित संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें उपयुक्त संसाधन और क्षमता निर्माण सहायता मुहैया कराई जाएगी और महिलाओं की शक्ति–सम्पन्नता की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने की सुविधा दी जायेगी। महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

17 जैण्डर विकास संसूचक

महिलाओं की दृष्टि से न्यायोजित कानूनों नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की आयोजना कार्यान्वयन, प्रवीक्षण, समीक्षा और कानूनों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञ एजेन्सियों के साथ नेटवर्किंग करके जैण्डर विकास संसूचक किये जायेंगे जो विशेष रूप से तैयार मापदण्ड के आधार पर होंगे।

18 महिला-पुरुष सूचक आंकड़े

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अनुसंधान और शैक्षिक संस्थाओं के सभी मूल आंकड़ा संग्रहण अभिकरणों द्वारा महिलाओं और पुरुषों के संबंध में नियमित आचार पर अलग-अलग आंकड़े एकत्र, संकलित और प्रकाशित किये जाएंगे। इन अभिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंकड़े और सूचना अन्तराल को भी भरा जाएगा, जिसमें महिलाओं की स्थिति परिलक्षित होती है।

सभी मंत्रालय/विभाग/बैंक/निगम तथा वित्तीय संस्थाएं महिलाओं तथा पुरुषों के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करेंगे, उनका अनुरक्षण और प्रकाशन करेंगी।

19 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अनुवधों, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, संस्थाओं और संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन जारी रहेगा।

भाग - II

कार्यनीतियां और कार्रवाई बिन्दु

1. आधारभूत स्तर

आधारभूत स्तर पर, महिलाओं को सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों के जरिए आंगनवाड़ी, गांव/कस्बा स्तर पर स्वसहायता ग्रुपों में एकत्रित किया जाएगा। आधारभूत स्तर पर कार्यरत मौजूदा महिला ग्रुप तथा महिला संगठनों को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। इस संक्षिप्त ग्रुपों को संस्थागत बनाने एवं पंजीकृत सोसाइटियों में परिवर्तित करने तथा पंचायत/निगम स्तर पर संगठित करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाएगी। ये सोसाइटियां सभी सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी चैनलों, जिनमें बैंक तथा वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करेंगी तथा पंचायतों, नगरपालिकाओं के साथ सहयोग स्थापित करेंगी।

2. जिला तथा उप-जिला स्तर

जिला तथा उप-जिला स्तरों पर मौजूदा एजेन्सियों जिला परिषदों/जिला ग्राम विकास एजेन्सियों/निगम निकायों की सेवाएं महिला विकास ग्रुपों को उपलब्ध कराई जायेंगी और महिलाओं के विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराने तथा समन्वय के लिए उनका उपयोग किया जायेगा।

3. राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर

3.1 महिलाओं को शक्ति-सम्पन्न बनाने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्र तथा जिला स्तर पर परिषद होगी। ये राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परिषदें व्यापक नीति परामर्श निर्देश एवं दिशा-निर्देश देंगी तथा नीति के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से नजर रखेंगी। राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी होंगे तथा राज्य परिषदों के अध्यक्ष मुख्य मंत्री होंगे। इन परिषदों का गठन व्यापक आधार पर किया जाएगा, जिनमें संबंधित विभाग मंत्रालयों, राष्ट्रीय तथा राज्य महिला आयोगों, समाज कल्याण बोर्डों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों निग्रमित क्षेत्र, व्यापार संघों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि तथा शिक्षाविद्, विशेषज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल होंगे।

3.2 सभी केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें, केन्द्रीय/राज्य महिला एवं बाल विकास विभागों के परामर्श से नीति को ठोस कार्यवाई में परिवर्तित करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार करेंगे इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे।

3.2.1 शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार और आयोत्पादक, स्वास्थ, सभी समर्थन सेवाओं, जेण्डर संचेतना कार्यक्रमों और सूचना प्रसार इत्यादि से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं के लिए संसाधनों की प्रवाहता लघु अवधि तथा दीर्घावधि से संबंधित प्राथमिकताएं निर्धारित करने के पश्चात्।

3.2.2 नीति के अधिदेशों, कार्यनीतियों और कार्रवाई बिन्दुओं की प्राप्ति के लिए समय सीमा।

3.2.3 कार्रवाई बिन्दुओं के कार्यान्वयन हेतु दायित्व का निर्धारण

3.2.4 कार्रवाई बिन्दुओं का मुख्य कार्यान्वयन, प्रयोजन और समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनाएं और तंत्र।

3.3 महिलाओं संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केन्द्र/राज्य का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने-अपने कार्यक्रमों/गतिविधियों में उत्प्रेरकों, भागीदारों और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की समान भागीदारी का प्रावधान करेगा।

3.4 राष्ट्रीय विकास परिषद महिलाओं और पुरुषों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ों के आधार पर सभी विकास कार्यक्रमों और लक्ष्यों की समीक्षा करेगी और योजना आयोग की सहायता से महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए कार्यक्रमों हेतु राशि सुनिश्चित करेगी।

3.5 योजना आयोग/राज्य योजना बोर्ड/आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र और राज्य सरकारें महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषाहार शिक्षा, आवास, जल, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण कौशल विकास और कृषि उद्योगों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार/आयोत्पादक के सभी क्षेत्रों में अलग-अलग विशिष्ट वास्तविक और वित्तीय संसाधनों का पता लगायेंगी।

3.6 केन्द्र/राज्य में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वायत संगठनों तथा उनके अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के माध्यम से निर्धारित उनकी अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये महिलाओं को, जिनमें महिलाओं के वंचित वर्ग भी शामिल

है, वास्तविक और वित्तीय अर्थों में समान लाभ सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में हर वर्ष संसद/राज्य विधान सभाओं को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3.7 सभी क्षेत्रों और सभी श्रेणियों में महिलाओं के अधिकार संसाधनों पर समान नियंत्रण और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं की पुरा और समान भागीदारी हेतु निम्नलिखित उपाय किये जायेंगे :

3.7.1 सभी मौजूदा कानूनों जिनमें वैयक्तिक पराम्परिक और आदिवासी नियम, अधीनस्थ विधान, संबंधित नियम तथा कार्यकारी और प्रशासनिक विनियम भी शामिल है की राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग से परामर्श के साथ समीक्षा की जाएगी।

3.7.2 सभी नए नियम जिनमें अधीनस्थ विधान संबंधन नियम तथा कार्यकारी और प्रशासनिक विनियम शामिल है, महिला परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जायेंगे।

3.7.3 सभी मौजूदा नीतियां जिनमें क्षेत्रीय नीतियां योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है की समीक्षा की जायेगी।

3.7.4 सभी नई नीतियों जिनमें क्षेत्रीय नीतियां योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है, महिला परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनायी जायेगी।

3.8 महिलाओं के विकास, उन्नति तथा शास्त सम्पन्नता की सभी क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव की संसद तथा विधान सभाओं में उपयुक्त तंत्र और संरचना के सृजन द्वारा वहां समीक्षा की जाएगी।

महिलाओं के संबंध में क्षेत्रीय नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और उनके प्रबोधन के लिए पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में उपयुक्त संरचनाओं और प्रक्रियाओं का सृजन किया जायेगा।

3.9 हिंसा और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी संबंधित कानूनी उपबंधों के कड़े अनुपालन और पंचायतों के शीघ्र निपटान द्वारा महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किये जाएंगे।

3.10 महिलाओं के साथ अत्याचारो, घटनाओं, निवारण, जांच पता लगाने और मुकदमा चलाने के संबंध में सभी अपराध समीक्षा मंचों तथा केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सम्मेलनों में तथा गृह मंत्रालय/विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

3.11 लड़कियों और महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचारों से संबंधित कानूनी कार्रवाई मामलों के पंजीकरण और जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए मान्यता प्राप्त स्थानीय संगठनों को शिकायते दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

3.12 महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अत्याचारों के उन्मूलन के लिए पुलिस स्टेशनों में महिला सैलों, समस्त महिला पुलिस स्टेशनों, परिवार न्यायालयों, परामर्श केन्द्रों, कानूनी सहायता केन्द्रों और न्याय पंचायतों को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा।

3.13 विशेष रूप से तैयार किए गए कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों और अधिकार सूचना कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के कानूनी अधिकारों मानवधिकारों तथा अन्य अधिकारों के सभी पहलुओं पर सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा। कानूनी साक्षरता को स्कूलों और कालेजों की शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जायेगा।

3.14 बाल अधिकार सम्मेलन तथा दशकीय राष्ट्रीय/राज्य गत कार्य योजनाओं के अनुरूप बालिकाओं तथा किशोरियों के हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय किए जायेंगे।

3.15 सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के निकायों में, जिनमें विधि निर्माण निकाय भी शामिल है सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सार्थक भागीदारी एवं उनके द्वारा सक्रिय रूप से शक्तियों के उपयोग को कारगर बनाने के लिए आरक्षण तथा कोटा निर्धारित करके सकरात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.16 महिला संचेतना कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

3.16.1 नीति और कार्यक्रम बनाने वालों कार्यान्वयन और विकास एजेंसियों विधि प्रवर्तन तंत्र तथा न्यायपालिका, गैर-सरकारी संगठनों पर विशेष बल देते हुए राष्ट्र की कार्यकारिणी, विचायिका और न्याय पालिका के काम का प्रशिक्षण।

3.16.2 महिलाओं के मानवाधिकारों और उनसे संबंधित मुद्दों के बारे में समाज को जानकारी।

3.16.3 महिलाओं के मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों को शैक्षिक सामग्री पाठ्यचर्या में शामिल करने के लिए उनकी समीक्षा।

3.16.4 सभी सार्वजनिक दस्तावेजो और कानूनी किताबों में महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल संदभों को हटाना।

3.16.5 महिलाओ की समानता और शक्ति सम्पन्नता से संबंधित सामाजिक संदेशों के प्रचार हेतु विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यमों का प्रयोग।

3.17 जन संचार माध्यमों द्वारा महिलाओं को सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले कानूनों और सहिताओं का कडाई से अनुपालन किया जाएगा, ताकि महिलाओं को उपयोग की वस्तु बनाने तथा उनकी हीन छवि प्रस्तुत करने की प्रवृति पर कारगर ढंग से रोक लगाई जा सके। महिलाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाली सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार किया जाएगा।

3.18 यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सभी समर्थन सेवाएं पेयजल तथा साफ-सफाई उपलब्ध कराई जाएगी क्षेत्रीय नीतियों की समीक्षा की जाएगी तथा उनमें उपयुक्त संशोधन किए जायेंगे।

3.19 बालिकाओं तथा महिलाओं के पोषाहारीय स्तर में सुधार करने के लिए तथा उन्हें भोजन मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए संचेतना जागृति तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों को सुदृढ किया जाएगा।

3.20 महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के कार्य तथा ईंधन और चारा एकत्र करने से संबंधित सामान्य सम्पत्ति संधाधनों के प्रवन्धन कार्य में सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाएगा ताकि उन संसाधनों का अधिकतम एवं उपयुक्त उपयोग किया जा सके।

3.21 महिला कार्मियों के लिए संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। समान परिश्रमिक अधिनियम तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जैसे संबंधित कानूनों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। महिलाओं के परिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए उनके कार्य का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा सभी श्रमिक कानूनों की महिलाओं के हित में समीक्षा की जाएगी।

3.22 प्रौद्योगिकी प्रवन्धन से सबंधित कौशलों का ज्ञान महिलाओं को उपयुक्त कार्यक्रमों, सरकारी तथा गैर-सरकारी माध्यमों से दिया जाएगा ताकि वे विकास परियोजनाओं के मार्फत उपलब्ध कराई जाने वाली अवसंरचना/सेवाएं, जैसे पेयजल, सिंचाई, गैर-पारम्परिक उर्जा-स्रोतों के प्रावधान आदि का कारगर रूप से उपयोग कर सके।

3.23 महिलाओं की स्थिति में हुई प्रगति की हर पांच वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी। ये समीक्षाएं एक वस्तु-परक मापदण्ड तथा विकास संसूचना के आधार पर की जायेगी तथा इनमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर महिलाओं की स्थिति के संबंध में रूपरेखाएं होगी। ये समीक्षाएं पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ की जायेगी। समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर पांच वर्ष के पहले भी मूल्यांकन किया जा सकता है।

3.24 संबंधित महिला विकास संसूचकों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए परीक्षा और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किये जायेंगे तथा उनसे सूचना का व्यापक प्रसार किया जायेगा।

3.25 राष्ट्रीय और राज्य संसाधन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे जिन्हें सूचना संग्रहण प्रचार अनुसंधान कार्य करने, सर्वेक्षण करने प्रशिक्षण देने तथा जागरूकता विकास कार्यक्रमों आय का कार्य सौंपा जायेगा। उपयुक्त सूचना तंत्र प्रणालियों के माध्यम से इन केन्द्रों को महिला अध्ययन केन्द्र तथा अन्य अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा।

3.26 महिलाओं की उन्नति के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर मौजूद संस्थागत तंत्रों को सुदृढ किया जाएगा। सुदृढीकरण का यह कार्य महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता की प्राप्ति हेतु अन्य चीजों के साथ-साथ पर्याप्त संसाधनों, कर्मचारी प्रशिक्षण और समर्थन कौशल के प्रावधान से संबंधित उपयुक्त उपायों के माध्यम से किया जायेगा, जिससे वृहत नीतियों, विधानों और निर्यक्रमों आदि को कारगर तरीके से प्रभावित किया जा सकेगा।

सिंचाई परियोजना संबंधी विवाद

2908. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कुछ सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न राज्यों और केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच विवाद के बारे में जानकारी है;

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सभी सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी के लिए कोई कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सहभागी राज्यों के मध्य कुछ सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न मामलों पर मतभेद हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न स्तरों पर समझौतावार्ता और बैठकों का आयोजन करने विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है। सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य कोई मतभेद नहीं हैं।

(ग) केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सभी चालू वृहद सिंचाई परियोजनाओं और कुछ चुनिंदा मझौली सिंचाई परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाती है।

जम्मू में पासपोर्ट कार्यालय

2909. **श्री मंगत राम शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू में एक स्थाई पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) जम्मू में मार्च, 1993 में एक पासपोर्ट कार्यालय खोला गया था और वह तभी से कार्य कर रहा है। श्रीनगर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की संभावना की शीघ्र ही जांच की जाएगी। इसी बीच श्रीनगर में एक संग्रह केन्द्र कार्य कर रहा है।

महाराष्ट्र में जल का उपयोग

2910. **श्री कचरू चाऊ राउत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में आर-पार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बहाव पूर्व की ओर करने की मांग की जा रही है क्योंकि इनका जल अरब सागर में व्यर्थ ही चला जाता है;

(ख) क्या इन दो नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण करके का इनका बहाव पूर्व की ओर करने से अकाल प्रवण क्षेत्रों को काफी अधिक लाभ होगा;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि इस संबंध के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इसका क्या कारण है

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केंद्रीय जल आयोग में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राज्य राजमार्ग-11 को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना

2911. **श्री सुरजीत सिंह बरनाला** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद-सदस्यों से जीन्द और संगरूर से होकर जाने वाले रोहतक-लुधियाना राज्य राजमार्ग-11 को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) 8वीं योजना के दौरान राजमार्गों के विकास के लिए निधियों की कमी के कारण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

अपर्याप्त बजट आबंटन

2912. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में रक्षा विभाग के लिए अपर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या सरकार पड़ोसी देशों द्वारा अपने रक्षा विभाग पर अत्याधिक धन राशि खर्च करने की अनदेखी कर रही है; और

(ग) पड़ोसी देशों द्वारा संभावित सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने हेतु सैनिकों को आधुनिक विमानों एवं हथियारों से लैस करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) निधियों की आवश्यकता रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय संसाधनों की समग्र उपलब्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए वास्तविक आवंटन के बारे में निर्णय लेता है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 के लिए रक्षा आवंटन के वास्ते 31925.61 करोड़ रुपए की आवश्यकता प्रस्तुत की थी जिसके मुकाबले में वित्त मंत्री ने वर्ष 1996-97 के लिए प्रस्तुत बजट में रक्षा के लिए 27819 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पड़ोसी देशों में चल रही गतिविधियों को देखते हुए सेना को अपेक्षित उपस्कर और शस्त्र प्रणालियां उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं दूर की जा सकें।

[अनुवाद]

नदी बेसिन के जल के उपयोग संबंधी कानून

2913. **श्री पी. कोदंड रमैया** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नदी बेसिन के जल का समीपवर्ती नदी बेसिन में उपयोग का निषेध करने संबंधी कोई कानून है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूखा-प्रवण क्षेत्रों की सहायता के उद्देश्य से उनके जलाशयों में पानी भरने हेतु नदी-जल का उपयोग करने के संबंध में विद्यमान अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मेडिकल कालेज

2914. **प्रो. अजित कुमार मेहता** :
श्री चुन चुन प्रसाद यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश के अधिकांश मेडिकल कालेजों में निम्न स्तर का चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए ऐसे अध्ययन की बात सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) अपनाई गई विधि और निकाले गए निष्कर्षों का मूल्यांकन अभी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा किया जाना है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद चिकित्सा शिक्षा के मानकों का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर चिकित्सा कालेजों का निरीक्षण करती है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956, यथा संशोधित के अन्तर्गत कोई नया कालेज खोलने, सीटें बढ़ाने और अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

केरल में चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग

2915. **श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडापल्ली-कन्या कुमारी चार लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल के उत्तरी भाग में भी इस प्रकार के चार लेनों का राजमार्ग बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कन्या कुमारी-बम्बई राजमार्ग परियोजना का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में लिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) रा. रा.-47 के इडापल्ली से शोरतले तक के खंड को चार लेन का बनाया जा रहा है, जिसे पूरा करने की नियत तारीख 14.9.97 है। लेकिन अप्रत्याशित वर्षा और मानसून की अवधि बढ़ जाने के कारण इसे संशोधित करके 14.7.1998 कर दिया गया है

(ग) से (च) निधियों के अभाव तथा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य में चार लेन बनाए जाने से संबंधित किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर पुल

2916. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर खेड़ा के निकट वाटरक पुल पर बाधा के कारण यातायात में हो रही कठिनाइयों से अवगत है;

(ख) क्या इस बाधा को दूर करने हेतु एक नए पुल के निर्माण का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे किस विकास योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. सी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) रा.रा. -8 पर खेड़ा के निकट मौजूदा वाटरक पुल दो लेन वाले यातायात की मांग पूरी कर रहा है। यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रस्तावित संरेखण बाईपास पर एक अतिरिक्त वाटरक पुल को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। निधियों के अभाव के कारण इस निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण आधार पर बनाए जाने का प्रस्ताव है।

पत्तनों पर माल-चढ़ाने और उतारने की प्रक्रिया

2917. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों पर माल चढ़ाने और उतारने की पुरानी प्रक्रिया के कारण निर्यात की जाने वाली वस्तुएं देर से पहुंचती हैं;

(ख) क्या सरकार ने लदान केन्द्रों से विभिन्न गंतव्यों तक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को शीघ्र पहुंचाने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों का उत्पीड़न

2918. **श्री भक्त चरण दास :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के उत्पीडन संबंधी शिकायतों के कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिकायतों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने ऐसे भारतीय श्रमिकों को देश में वापस लाया गया?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी हां। विदेशों

में कार्यरत भारतीय कामगारों के उत्पीडन के संबंध में वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त शिकायतों से संबंद्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1995 के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय मिशनों को भारतीय कामगारों के उत्पीड़न के संबंध में समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। मिशन पहले परस्पर स्वीकार्य किसी समाधान के जरिए व्यथित व्यक्ति और उसके नियोजक के बीच मतभेदों को दूर करने की कोशिश करता है। जहां कहीं आवश्यक होता है मामलों को विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। जहां कोई विकल्प अथवा कोई समाधान सभव न हो, वहां व्यथित कामगार के स्वदेश प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाती है।

(घ) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान भारत वापस लाए गए कामगारों के संबंध में सूचना अनुबन्ध (क) में दी गई है। वर्ष 1995 के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

देश	विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या		उन भारतीय कामगारों की संख्या जिन्हें भारत वापस लाया गया।	
	1993	1994	1993	1994
1.बहरीन	430	292	370	541
2. भुटान	6	83	शून्य	शून्य
3. साइप्रस	1	1	27	20
4. हांगकांग	शून्य	6	शून्य	शून्य
5. जोर्डन	1	1	31	94
6. किनिया	2	1	21	1
7. कुवैत	2373	1334	910	395
8. लेबनान	2	6	1	2
9. लीबीया	5	7	शून्य	शून्य
10. मलेशिया	शून्य	3	शून्य	3
11. मालदीव	59	43	12	43
12. मारिशस	11	8	शून्य	शून्य
13. नेपाल	54	42	शून्य	शून्य
14. ओमान	803	672	89	76
15. कतार	464	663	434	363
16. सऊदी अरब	4903	6143	13252	16547
17. सेसल्श	2	शून्य	शून्य	शून्य
18. सिंगापुर	9	11	5	1
19. यू.ए.ई	170	179	2595	3036
20. यमन (गणराज्य)	1	1	शून्य	1

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए परियोजनाएं

2919. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास आज तक स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक की स्थिति के अनुसार परियोजनावार ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) इस परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इस परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोचीन पत्तन को कंटेनर यानांतरण पत्तन में बदलना

2920. **श्री पुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन पत्तन को कंटेनर यानांतरण पत्तन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त होने का अनुमान है;

(ग) क्या किसी और पत्तन को कंटेनर यानांतरण पत्तन में बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) कोचीन और टूटीकोरिन पत्तनों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे आधुनिक कंटेनर टर्मिनलों के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करवाएं जिन्हें यानान्तरण पत्तनों के काम में भी लाया जा सकता है।

(ग) और (घ) अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

हज तीर्थ यात्रियों की मृत्यु

2921. **श्री जी. एम. बनातवाला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हज यात्रा के दौरान कुल कितने हज यात्रियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या मृतकों के शवों को उनके परिजनों अथवा संबंधियों को सौंपा गया था अधिकारियों द्वारा ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हमारे वाणिज्य दूतावास, हज समिति अथवा हमारे अन्य अधिकारियों द्वारा कोई आर्थिक सहायता अथवा कोई अन्य सहायता प्रदान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) उन भारतीयों हाजियों की कुल संख्या जिनकी विगत तीन वर्षों में हज यात्रा के दौरान मृत्यु हुई इस प्रकार है :-

हज	-	1994 : 80
हज	-	1995 : 79
हज	-	1996 : 120

(ख) मृत भारतीयों हाजियों के संबंध में यह दस्तूर रहा है कि उनकी पार्थिव देह को उनके संबंधियों अथवा हज यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले पारिचितों की उपस्थिति में मक्का/मदीना में दफन कर दिया जाता है। पवित्र हज यात्रा के दौरान मृत्यु की अवस्था में जनाजे को भारत वापस लाने के संबंध में ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके बारे में अनुरोध किया गया हो।

(ग) हज यात्रा के दौरान दफनाए जाने संबंधी सभी खर्चे सऊदी अरब के हज प्राधिकारियों द्वारा वहन किए जाते हैं। भारत का प्रधान कोंसलावास आवश्यक सहायता प्रदान करता है, मिसाल के तौर पर, भारत स्थित संबंधियों को सूचित करना, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, मृत के माल असबाव का पता लगाना तथा उसे भारत वापस भेजने का प्रबन्ध करना। इन पर होने वाला व्यय केन्द्रीय हज समिति द्वारा वहन किया जाता है। केन्द्रीय हज समिति द्वारा एक तरफ का वायुयान किराया लौटाया जाता है।

तेल टैंकों को पत्तन पर लगाए जाने में विलंब

2922. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 9 जुलाई, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स", नई दिल्ली में "पोर्ट डिलेज, कम्फ्यूजन, डियरर पेट्रोलियम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की सूचना के अनुसार इस मामले के क्या तथ्य प्रकाशित हुए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) योजना के पूर्णतया अभाव के कारण भारतीय पत्तनों पर तेल टैंकरों को लगाए जाने में काफी समय से हो रहे विलम्ब तथा बढ़े हुए परिवहन तथा

अत्याधिक विलम्ब शुल्क की अदायगी की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नौवहन का विकास

2923. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में अंतर्देशीय (नदी) नौवहन का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आने वाले वर्षों में नर्मदा नदी में अंतर्देशीय नौवहन के विकास की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्षों में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों अर्थात् गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिमी तटीय नहर, पर विकास कार्य किए गए हैं। इस जलमार्गों पर चैनल मार्किंग, पायलटेज और टर्मिनल सुविधाओं के साथ-साथ नाव्य जलपथ भी उपलब्ध करवाए गए हैं।

(ग) और (घ) नर्मदा नदी में होशंगाबाद से समुद्र तक (640 कि.मी.) के खंड में नौचालन की संभावनाओं पर दो अध्ययन किए गए हैं। चार बांधों-सरदार-सरोवर बांध, माहेश्वर बांध, ओमरेश्वर बांध और नर्मदा सागर बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद नौचालन अध्ययन पुनः करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, ने भी सरदार सरोवर बांध के अनु प्रवाह में नौचालन हेतु जल बिल्कुल भी आवंटित नहीं किया जाता है। इसलिए, फिलहाल नर्मदा नदी में नौचालन की संभावना का पता नहीं लग पाया है।

श्री सेलम का वाम तट नहर

2924. **श्री बी. धर्मभिक्षम् :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास श्री सेलम का वाम तट नहर योजना लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। 480.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में फरवरी, 1985 में प्राप्त हुई थी। इसकी जांच करने पर यह पाया गया कि यह परियोजना 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर जल में इसके हिस्से के अलावा, जिसकी उपलब्धता भी निश्चित नहीं है, कृष्णा नदी में अधिशेष प्रवाह पर आधारित थी तदनुसार, राज्य सरकार से अगस्त, 1986 में यह अनुरोध किया गया था कि वे दीर्घकालीन आधार पर जल की उपलब्धता सुव्यवस्थित करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राज्य सरकार ने दीर्घकालीन आधार पर जल की उपलब्धता सुव्यवस्थित किए बिना मार्च, 1993 में 967.00 करोड़ रुपए का अद्यतन अनुमान भेजा था। राज्य सरकार से मई, 1993 में दीर्घकालीन आधार पर जल की उपलब्धता सुव्यवस्थित करने का पुनः अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार को यह भी सुझाव दिया गया था। कि वे कृष्णा बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करें अथवा बेसिन में विद्यमान स्कीमों के आधुनिकीकरण के लिए उचित प्रमाणिक परियोजना दस्तावेज तैयार करें जिससे इस परियोजना के लिए जल की अपेक्षित मात्रा को सुरक्षित रखा जा सके और उसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित की जा सके।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना और अपेक्षानुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति कितनी शीघ्रता से प्राप्त करती है।

भारत-पाक सांस्कृतिक संबंधों में सुधार

2925. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत-पाक सांस्कृतिक संबंधों में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों की सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) भारत सरकार का मत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान संपन्न करने आदि के साथ-साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ने से दोनों देशों के बीच बेहतर सूझ-बूझ पैदा करने में मदद मिलेगी।

(ख) भारत सरकार का दृष्टिकोण भारत आने के इच्छुक बुद्धिजीवियों, अध्येताओं, खिलाड़ियों, कलाकारों आदि सहित पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए वीसा नीति को उदार बनाने का है। खेद है कि पकिस्तान सरकार पाकिस्तान जाने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों के लिए प्रतिबंधात्मक वीसा नीति का अनुसरण करती है। भारत सरकार को आशा है कि पाकिस्तान सरकार भी दोनों देशों के बीच जन-संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को सुकर बनाने के लिए कदम उठाएगी।

वर्षा के जल का उपयोग

2926. **श्री ए. सी. जोस :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के कई भागों में पानी की समस्या को हल करने के लिए वर्षा के अप्रयुक्त जल का उपयोग किए जाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में वर्षा के जल के उपयोग के लिए कोई तकनीक विद्यमान है और इसका कितना उपयोग किया गया?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) भूजल पुनर्भरण योजनाओं, कीकृत वाटरशेड प्रबंध माडलों के विकास तथा अन्य भण्डारण सुविधाओं सहित वर्षा जल के उपयोग के लिए अनुसंधान योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) नदी क्षेत्र को कायम रखने के लिए नदी में जल में प्रवाह के लिए जल की निश्चित मात्रा छोड़े जाने के कारण तथा वाष्पीकरण तथा वानस्पतिक (ट्रान्सपिरेशन) हानियों के कारण वर्षा के जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। तथापि, बड़े तथा छोटे बांधों एवं जलाशयों के जरिए, वर्षा जल की सीमित मात्रा को इक्ट्ठा करने के लिए नदी प्रणालियों पर भण्डारण सृजित किया जा सकता है। देश में उपलब्ध कुल उपयोज्य जल 1142 बिलियन घन मीटर में से वर्तमान (1994) जल का उपयोग (सतही एवं भू) लगभग 606 विलियन घन मीटर अर्थात् 53 प्रतिशत है। 536 बिलियन घन मीटर प्रयोज्य जल अप्रयुक्त बचता है।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र, बिहार

2927. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गढ़वा जिले में नेहरू युवा केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) से (ग) गढ़वा (बिहार) में नेहरू युवा केन्द्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन्हें धनराशि जारी कर दी गई है। एक युवा समन्वयक, एक लेखा लिपिक-सह टाइपिस्ट और एक वर्ग "घ" के पद अनुमोदित रहेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

युवा परिषद

2928. **श्री सम्मीक सहिरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक युवा परिषद का गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन युवा परिषदों को कोई सांविधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय हाकी परिसंघ के लिए धनराशि

2929. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी परिसंघ के पास हमारी ओलंपिक टीम के लिए वर्दी तथा खेलने का साज-सामान प्रदान करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है और इसके लिए उसे एक बहुराष्ट्रीय जूता कम्पनी "रीबोक" पर निर्भर होना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : जी, नहीं। भारतीय हाकी संघ (आई. एच. एफ.) के पास देश की ओलंपिक हॉकी टीम को वर्दी और खेल किट प्रदान करने के लिए धनराशि थी। भारतीय हॉकी संघ ने बहुराष्ट्रीय शू कम्पनी "रीबोक" के साथ एक प्रायोजन समझौता किया था जिसने अटलांटा ओलंपिक के लिए हॉकी टीम को खेल उपस्कर प्रदान किये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समाज सेवी संगठनों को धन दिया जाना

2930. **श्री विजय गोयल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान समाज सेवी संगठनों को कुल कितनी अनुदान राशि दी गई;

(ख) किन-किन संगठनों को अनुदान दिए गए और किन शीर्षों के अंतर्गत उन्हें यह अनुदान प्राप्त हुआ; और

(ग) इन अनुदानों के दुर्विनियोग में संलिप्त पाए गए संगठनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सरकार द्वारा कई मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से समाज सेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन अनुदानों, तथा अनुदानों

का दुरूपयोग करने वाले संगठनों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में सामान्यतः एक लाख अथवा उससे अधिक के अनुदानों का ब्यौरा रखा जाता है। यह वार्षिक रिपोर्ट माननीय संसद सदस्यों को वितरित की जाती हैं तथा संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में पेय जल की आपूर्ति

2931. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और उनके आवासीय परिसरों की पेय जल आपूर्ति की अपनी व्यवस्थाएं है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेय जल को साफ करने और रोगाणुमुक्त करने के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं। उन्हें पेय जल की आपूर्ति नई दिल्ली नगर परिषद तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थानीय क्षेत्र के आधार पर की जा रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान

2932. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में और अधिक तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रांची फार्मेसी कालेज, रांची और किशनगंज फार्मेसी कालेज, किशनगंज को सत्र 1996-97 के लिए डी. फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सशर्त अनुमोदन प्रदान किया है। फरवरी, 1988 में आरम्भ की गई माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना बिहार सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रदेशों के माध्यम से +2 स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, अभी तक 251 स्कूलों में 753 व्यावसायिक सेक्शन बिहार सरकार को संस्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

सैनिक स्कूल

2933. **श्री पी. सी. थामस :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने सैनिक स्कूल हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) प्रत्येक स्कूल में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे प्रत्येक स्कूल से कितने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला मिला है;

(घ) क्या इन सैनिक स्कूलों के शिक्षास्तर का मूल्यांकन किया जा रहा है और क्या इनके परिणाम निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रहते हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान सैनिक स्कूलों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, तत्संबंधी स्कूल-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) संलग्न विवरण-I में दिए गए स्थानों पर 18 सैनिक स्कूल हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। चूंकि रक्षा सेनाओं में प्रवेश हेतु बालकों को तैयार करने के अलावा अच्छे और उपयोगी नागरिकों का विकास करना तथा पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना भी सैनिक स्कूलों का लक्ष्य है, अतः इसके परिणाम संतोषजनक समझे जाते हैं।

(ङ) अपेक्षित सूचना विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	सैनिक स्कूल का नाम और स्थान	स्थापना वर्ष
1.	सैनिक स्कूल सतारा, महाराष्ट्र	जून, 1961
2.	सैनिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल, हरियाणा	जुलाई, 1961
3.	सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब	जुलाई, 1961
4.	सैनिक स्कूल बालाचंडी, जामनगर, गुजरात	जुलाई, 1961
5.	सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, राजस्थान	अगस्त, 1961
6.	सैनिक स्कूल कोरूकोंडा, आन्ध्र प्रदेश	जनवरी, 1962
7.	सैनिक स्कूल कज्हाकूटम, केरल	जनवरी, 1962
8.	सैनिक स्कूल पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	जनवरी, 1962
9.	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, उड़ीसा	फरवरी, 1962
10.	सैनिक स्कूल अमरावतीनगर, तमिलनाडू	जुलाई, 1962
11.	सैनिक स्कूल रीवा, मध्य प्रदेश	जुलाई, 1962

क्र.सं.	सैनिक स्कूल का नाम और स्थान	स्थापना वर्ष
12.	सैनिक स्कूल तिल्लैया, बिहार	सितंबर, 1963
13.	सैनिक स्कूल बीजापुर, कर्नाटक	सितंबर, 1963
14.	सैनिक स्कूल गोलपाड़ा, असम	नवंबर, 1964
15.	सैनिक स्कूल घांड़खाल, नैनीताल, उत्तर प्रदेश	मार्च, 1966
16.	सैनिक स्कूल नागरोटा, जम्मू और कश्मीर	अगस्त, 1970
17.	सैनिक स्कूल इम्फाल, मणिपुर	अक्तूबर, 1971
18.	सैनिक स्कूल सुजानपुरा बिहरा, हिमाचल प्रदेश	जुलाई, 1978

विवरण-II

वर्ष 1995-96 में सैनिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या

क्रम सं.	सैनिक स्कूल का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1.	अमरावतीनगर	626
2.	बालाचडी	608
3.	बीजापुर	632
4.	भुवनेश्वर	648
5.	चित्तौड़गढ़	530
6.	घोड़ाखाल	488
7.	गोलपाड़ा	670
8.	इम्फाल	504
9.	कपूरथला	617
10.	कजाकूटम	620
11.	कोरूकोंडा	570
12.	कुंजपुरा	596
13.	नागरोटा	474
14.	पुरूलिया	544
15.	रीवा	493
16.	सतारा	622
17.	सुजानपुर टिहरा	466
18.	तिल्लैया	907

विवरण-III

सैनिक स्कूलों के उन विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश मिला

क्रम सं.	सैनिक स्कूल	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
1.	अमरावतीनगर	01	03	02
2.	बालाचडी	01	00	00
3.	भुवनेश्वर	03	02	02
4.	बीजापुर	10	02	01
5.	चित्तौड़गढ़	02	00	04
6.	घांड़ाखाल	04	05	03
7.	गोलपाड़ा	00	01	03
8.	इम्फाल	00	02	08
9.	कपूरथला	04	02	02
10.	कज्हाकूटम	01	04	04
11.	कोरूकोंडा	04	00	05
12.	कुंजपुर	09	08	10
13.	नागरोटा	00	00	02
14.	पुरूलिया	04	00	03
15.	रीवा	08	02	05
16.	सतारा	04	09	10
17.	सुजानपुर टिहरा	02	10	01
18.	तिल्लैया	05	04	08
	कुल	62	54	73

विवरण-IV

रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिक स्कूलों पर व्यय की गई धनराशि

क्रम सं.	सैनिक स्कूल	वित्त वर्ष 1993.94	वित्त वर्ष 1994-95	वित्त वर्ष 1995-96
1	2	3	4	5
1.	अमरावतीनगर	13,57,558,00	12,56,405	13,45,902
2.	बालाचंडी	14,96,325	14,55,925	13,58,650
3.	बीजापुर	15,86,799	15,07,190	14,16,354
4.	भुवनेश्वर	12,83,817	11,40,812	10,41,552
5.	चित्तौड़गढ़	14,14,038	12,52,834	10,19,276
6.	घोड़ाखाल	13,62,190	12,85,737	11,42,286
7.	गोलपाड़ा	12,16,476	10,68,320	9,02,372
8.	इम्फाल	8,90,380	7,79,767	7,34,665
9.	कपूरथला	12,51,022	11,95,597	10,35,227
10.	कज्हाकूटम	13,72,568	13,87,905	12,54,136
11.	कोरूकोंडा	15,05,067	12,55,063	12,43,399
12.	कुंजपुरा	15,29,162	13,89,126	11,90,752
13.	नगरोटा	11,41,700	10,58,750	9,12,700
14.	पुरूलिया	8,28,993	6,16,866	4,31,574
15.	रीवा	12,12,700	11,38,050	10,41,800
16.	सतारा	16,89,926	15,32,726	13,05,873
17.	सुजानपुर टिहरा	12,15,012	11,43,711	10,86,997
18.	तिल्लैया	32,04,425	27,61,600	23,19,050
	कुल	2,55,58,150	2,32,21,384	2,08,02,565

सैनिक स्कूल

2934. **श्री संदीपान घोरात :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सैन्य सेवा में प्रशिक्षित युवकों की भर्ती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु देश के विभिन्न भागों में सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सुविधाओं, प्रशिक्षण नेटवर्क का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए ऐसी सुविधाएं देने हेतु अतिरिक्त कितनी-कितनी धनराशि निवेश की गई;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और भारतीय युवकों के लिए सैन्य सेवा को अधिक आकर्षक बनाने हेतु क्या नए पहल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष में कई स्कूलों की स्थापना करने जा रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सैन्य सेवाओं के लिए युवकों को प्रशिक्षण देने के ऐसे कार्यक्रमों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाने की

संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) सैनिक स्कूलों की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को नया स्कूल खोलने के लिए ठोस प्रस्ताव भेजना होता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को रिहायशी स्कूल के लिए अपेक्षित भूमि तथा सभी सुविधाओं सहित भवन और परिवहन आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करवाने होते हैं। केन्द्रीय सरकार सेना कार्मिक और सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छात्रवृतियां मुहैया करने के अलावा राज्य सरकारों द्वारा अपने निवासी छात्रों, जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, को मंजूर की गई छात्रवृति का एक हिस्सा भी वहन करती है। यदि कोई राज्य सरकार पूर्ण प्रस्ताव भेजती है तो सैनिक स्कूल योजना के अंतर्गत यथाअपेक्षित सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। प्रत्येक बड़े राज्य में एक-एक सैनिक स्कूल के हिसाब से देश में पहले ही 18 सैनिक स्कूल हैं जैसा की संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। सेनाएं रक्षा सेवाओं को आकर्षक बनाने के लिए भर्ती अभियान चलाती है और प्रचार कार्य करती है।

(घ) राज्य स्तर के अधिकारियों ने सैनिक स्कूल, सतारा (महाराष्ट्र) की कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस स्कूल का दौरा किया ताकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिलेवार स्थापित किए जाने वाल सैनिक स्कूलों के लिए समान दिनचर्या बनाई जा सकें। चूंकि यह योजना इस राज्य की है अतः इस बारे में रक्षा मंत्रालय से परामर्श नहीं लिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	सैनिक स्कूल का नाम और स्थान	स्थापना वर्ष
1.	सैनिक स्कूल सतारा, महाराष्ट्र	जून, 1961
2.	सैतिक स्कूल कुंजपुरा, करनाल, हरियाणा	जुलाई, 1961
3.	सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब	जुलाई, 1961
4.	सैनिक स्कूल बालाचडी, जामनगर, गुजरात	जुलाई, 1961
5.	सैनिक स्कूल चित्तैड़गढ़, राजस्थान	अगस्त, 1961
6.	सैनिक स्कूल कोरूकोंडा, आन्ध्र प्रदेश	जनवरी, 1962
7.	सैनिक स्कूल कज्हाकूटम, केरल	जनवरी, 1962
8.	सैनिक स्कूल पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	जनवरी, 1962
9.	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, उड़ीसा	फरवरी, 1962
10.	सैनिक स्कूल अमरावतीनगर, तमिलनाडु	जुलाई, 1962
11.	सैनिक स्कूल रीवा, मध्य प्रदेश	जुलाई, 1962
12.	सैनिक स्कूल तिल्लैया, बिहार	सितंबर, 1963
13.	सैनिक स्कूल बीजापुर, कर्नाटक	सितंबर, 1963
14.	सैनिक स्कूल गोलपाड़ा, असम	नवंबर, 1964
15.	सैनिक स्कूल घोडाखाल, नैनीताल, उत्तर प्रदेश	मार्च, 1966
16.	सैनिक स्कूल नागकोटा, जम्मू और कश्मीर	अगस्त, 1970
17.	सैनिक स्कूल इम्फाल, मणिपुर	अक्तूबर, 1971
18.	सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, हिमाचल प्रदेश	जुलाई, 1978

बेलीगौंडा सिंचाई परियोजना

2935. **श्रीमती एम. पार्वती :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में बेलीगोंडा सिंचाई परियोजना के संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह परियोजना इस समय किस स्तर पर है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना में 978.96 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2,40,00 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 43.5 हजार मिलियन घन फूट कृष्णा जल के उपयोग की परिकल्पना है।

(ग) और (घ) परियोजना हाल ही में मार्च, 1996 में तकनीकी-आर्थिक जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है। परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों अनुपालना करती है और पर्यावरण/वन/पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन स्वीकृतियां प्राप्त करती है। आठवीं योजना में परियोजना के लिए कोई निधिया आबंटित नहीं की गई हैं और परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में महिला विकास निगम का गठन

2936. **श्री नामदेव दिवाये :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में "महिला विकास निगम" का गठन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ये इकाइयां किन-किन जिलों में गठित की गई है; और

(ग) इन निगमों द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) महिला आर्थिक विकास महामण्डल लिमिटिड सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य में कार्य कर रहा है।

(ग) निगम ने महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलाई है :-

(1) समाज कल्याण संस्थाओं तथा अस्पतालों को आहारीय पदार्थों की आपूर्ति;

(2) मिट्टी के तेल के वितरण की स्कीम;

(3) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत पोषाहारीय भोजन की आपूर्ति;

(4) लातूर और ओशमानावाद जिलों में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के पुनर्वास की स्कीम; तथा

(5) वर्दियों की सिलाई तथा कैन्टीन, जुनका भाकर केन्द्र टेलीफोन बूथ जीरोकस केन्द्र, टाईपिंग केन्द्र इत्यादि चलाना और मोहरे बेचना।

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

2937. **श्री केशव महंत** :
श्री उधव बर्मन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन बातों पर चर्चा हुई; और

(ग) उस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 10 अगस्त, 1996 का आयोजित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने (यू. ई. ई.) और साक्षरता अभियानों की स्थिति, मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा में निवेश वृद्धि पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। सभी को प्रारंभिक शिक्षा और सम्पूर्ण साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों का पता लगाने के लिए इस सम्मेलन में केन्द्रीय राज्य मंत्री (शिक्षा) की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक समिति गठित करने हेतु संकल्प पारित किया गया। इसमें निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की महत्ता को स्वीकार किया गया तथा सरकार से आग्रह किया गया कि वह इस प्रस्ताव के कानूनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय निहितार्थों पर विचार करें।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र

2938. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य में एक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए केरल सरकार से हाल में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। फिलहाल, वित्तीय अभाव के कारण कोई नए राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर नौवीं योजना के दौरान यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो विचार किया जा सकता है।

ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री स्मारक

2939. **श्री पी. आर. दासमुंशी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताशकंद स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या इस स्मारक के आसपास के क्षेत्र की यात्रा करने पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्मारक के कार्य करते रहने की संभावना क्षीण हो रही है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर उज्बेक सरकार के साथ बातचीत की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) जनवरी, 1996 में अजबेकिस्तान की सरकार ने हमें अपनी इस इच्छा से अवगत कराया था कि वह शास्त्री स्मारक को अन्यत्र स्थानान्तरण करना चाहती है ताकि जनता इसके दर्शनार्थ आसानी से आ-जा सके। इसके तत्काल बाद भारत सरकार ने इस मामले को अजबेकिस्तान की सरकार के साथ उठाकर यह स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आधुनिक भारत के इतिहास में उच्च सम्मानित हस्ती हैं और ताशकंद में उनके प्रवास की स्मृति से भारतीय लोग भावात्मक रूप से अत्यधिक जुड़े हुए हैं। उजबेकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया गया कि शास्त्री स्मारिका को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में वे कोई एकतरफा कार्रवाई न करें। उजबेकिस्तान की सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि वे भारत सरकार से परामर्श किए बिना इस मामले पर कोई निर्णय नहीं करेंगे।

मार्च, 1996 में पूर्व विदेशमंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की ताशकंद की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि इस प्रयोजन के लिए दोनों पक्षों के बीच अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में झूठे अनुरोध पर दाखिला

2940. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में संसद सदस्यों के इन झूठे अनुरोधों पर दाखिले किए गए हैं कि उक्त बच्चे उनके पौत्र/पौत्री आदि हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) संसद सदस्यों के तथाकथित जाली हस्ताक्षरों के छः मामले सूचित किए गए हैं जिनकी संगठन द्वारा जांच की जा रही है।

बंगलादेश के साथ विदेशी अंतः क्षेत्रों का आदान-प्रदान

2941. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने भारत और बंगलादेश के बीच विदेशी अंतः क्षेत्रों का तत्काल आदान-प्रदान किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या बंगलादेश के सीमा क्षेत्र में लगभग 130 भारतीय अंतः क्षेत्र और भारत में 90 से अधिक बंगलादेशी अंतः क्षेत्र हैं;

(घ) क्या इस संबंध में बंगलादेश की सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) भारत-बंगलादेश भू सीमा करार 1974 के क्रियान्वयन तथा बंगलादेश के साथ अन्तः क्षेत्रों के आदन-प्रदान के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने 7 फरवरी, 1996 के अपने पत्र द्वारा पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव को लिखा था। उपलब्ध सूचना के अनुसार बंगलादेश में 119 भारतीय अन्तः क्षेत्रों का तथा भारत में 72 बंगलादेशी अन्तः क्षेत्रों का परस्पर आदान-प्रदान किया जाना है। अंतः क्षेत्रों के आदान-प्रदान का सीधा सम्बन्ध बंगलादेश के साथ सीमा के निर्धारण और उसके अनुपालन से है। भारत-बंगलादेश की लगभग 41 किलोमीटर भू-सीमा के सीमांकन का कार्य अभी पूरा किया जाना है। सरकार का प्रस्ताव है कि बंगलादेश के साथ सीमा के सीमांकन का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाए।

वेश्याओं का कल्याण

2942. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती मोहिनी गिरी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेश्याओं के कल्याण के बारे में केन्द्र सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाल कल्याण योजनाएं

2943. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल अडाप्शन रिसोर्स एजेंसी द्वारा बाल कल्याण योजनाओं के बारे में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन मार्ग निर्देशों के अनुपालनार्थ राज्य सरकार को निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो देश में इन मार्गनिर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) सेन्ट्रल अडाप्शन रिसोर्स एजेंसी ने बाल कल्याण स्कीमों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी नहीं किये है। तथापि कल्याण मत्रालय ने भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के संबंध में मामलों के विनियमन हेतु 1995 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये थे और उन्हें 20.6.1995 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में क्रम संख्या 109 में प्रकाशित किया।

(ख) संशोधित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य 1984 से 1991 के बीच भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मीकांत पाण्डे बनाम भारत संघ तथा अन्य (1982 की सी. आर. एल. संख्या 1171) के मामले में दिए गए निर्णयों में निर्धारित मापदण्ड और सिद्धांतों के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना है। संशोधित दिशा-निर्देशों में भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों स्वैच्छिक संगठनों आदि की भूमिका देश के भीतर दत्तक ग्रहण की कार्यविधि और दत्तक बच्चों की प्रगति के प्रबोधन का विस्तृत उल्लेख किया गया है, ताकि परित्यक्त बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को नियमित और विनियमित किया जा सके।

(ग) दिशा-निर्देशों की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को कार्यान्वयन हेतु भेज दी गयी है।

(घ) दिशा-निर्देशों को 30 जून, 1995 को अधिसूचित किया गया और उसकी एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्रों, मान्यता प्राप्त एजेंसियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा जांच अभिकरणों को भेजी जा चुकी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे दिशा-निर्देशों को लागू करें।

किशोर यौन-शोषण

2944. **श्री पिनाकी मिश्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर यौन शोषण के संबंध में "यूनीसेफ" के तत्वावधान में मई-जून 1996 में पंजिम (गोवा) में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो भारत और अन्य विकासशील देशों में परिवार, सुधार गृहों, बाल-गृहों आदि और हिरासत में कितने प्रतिशत बच्चों का यौन शोषण किया जाता है और उक्त विचार-गोष्ठी में इस संबंध में क्या-क्या मुख्य रहस्योघाटन किए गए; और

(ग) इस तरह के बाल यौन-शोषण को रोकने के लिए कौन-कौन से कारगर कदम उठाने पर विचार किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचार-गोष्ठी में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए शोषित बच्चों की संख्या का सही अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं होगा। विचार-गोष्ठी में यह सिफारिश की गयी कि इस समस्या का समाधान सरकार, समाज, शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त सरकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों और स्वयं बच्चों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से तथा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाकर और लोगों में जागरूकता पैदा करके किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बाल वेश्यावृति

2945. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बाल वेश्यावृति की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त समस्या का गहन अध्ययन करने तथा इस बारे में कार्य योजना सुझाने के संबंध में कोई विशेष दल गठित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा बाल वेश्यावृति को रोकने हेतु की गई सिफारिश के संबंध में अब तक के कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) और (ख) जी, नहीं। बाल वेश्याओं की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मार्च, 1994 में बाल वेश्यावृति पर एक केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट मई, 1994 में प्रस्तुत की है। रिपोर्ट मे कानून के प्रवर्तन, बाल वेश्याओं को वेश्यावृति वाले क्षेत्रों से हटाने, छुडाई गई बाल वेश्याओं की संस्थागत देखभाल, पुनर्वास परियोजना हेतु परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तन्त्र स्थापित किए जाने के संबंध में सिफारिशें की गई। रिपोर्ट में ऐसे पुलिस अधिकारियों तथा अन्य अभिरक्षक अधिकारियों को, जो बाल वेश्याओं की समस्याओं से संबंध होगें, उपयुक्त अभिविन्यास और संचेतना प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना बनाए जाने की भी सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय वायुसेना के विमानपत्तनों का नागर विमान पत्तनों के रूप में प्रयोग

2946. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के कुछ विमानपत्तनों का प्रयोग नागर उड़ानों के परिचालन के लिए किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विमान पत्तनों के नाम क्या है तथा कब से इनका प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय वायुसेना अधिकारियों द्वारा लागू किए गए सुरक्षात्मक और प्रशासनिक नियंत्रणों के कारण इन विमान पत्तनों पर यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। जिन विमान क्षेत्रों का उपयोग सिविल उड़ानों के परिचालन में किया जा रहा है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) यात्रियों से संबंधित कार्रवाई उन सिविल टर्मिनलों पर की जाती है जो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय/भारतीय वायुसेना की जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है जहां इन विमान क्षेत्रों पर यात्रियों को कोई असुविधा हुई हो।

विवरण

1. आगरा
2. बागडोगरा
3. भुज
4. चण्डीगढ़
5. छबुआ
6. ग्वालियर

7. जम्मू

8. जाम नगर

9. जोधपुर

10. जोरहाट

11. कानपुर

12. लेह

13. पुणे

14. सिल्चर

15. श्रीनगर

16. तेजपुर

[हिन्दी]

जल मार्गों का विकास

2947. **श्री नीतीश कुमार :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1996 के "ऑब्जर्वर", में "रशियन रिवर्स कैरी आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में रूस के सदृश नदियों का विकास करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं नीदरलैंड जैसे अन्य देशों में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित सूचना का उपयोग भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास की योजना और कार्यक्रम तैयार करने के लिए निवेश (इनपुट) के रूप में किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया

2948. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :**
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद व बम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को चार लेनों का बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर होने वाले अनुमानित खर्च सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (घ) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के अहमदाबाद-मुम्बई खंड को चार लेन का बनाए जाने के लिए आकलन किया जा चुका है और चुनिंदा खंडों में विकास कार्य किया जा रहा है। उसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(I) 106 कि.मी. में पहले ही चार लेन बना ली गई हैं।

(II) 30 सड़क/पुल परियोजनाओं के तहत 224.70 करोड़ रु. की लागत से संस्वीकृत 157 कि.मी. खंड में चार लेन बनाए जाने का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

(III) 19.35 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 16 कि. मी. खंड में चार लेन बनाए जाने के कार्य को वार्षिक योजना 1996-97 में प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्रीलंका के प्रधान मंत्री द्वारा भारत का दौरा

2949. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ किन-किन विषयों पर बातचीत की; और

(ग) इससे भारत-श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर किस हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) श्रीलंका की प्रधानमंत्री जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत आयीं यह यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत थी।

(ख) उनकी यात्रा के दौरान कोई अधिकारित बात चीत नहीं हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा संबंधी कलपुर्जों का उत्पादन

2950. **श्री अशोक प्रधान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन ने घरेलू उद्योगों की सहायता से देश में ही रक्षा संबंधी कलपुर्जो का उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू उद्योगों द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे कलपुर्जों का मूल्य क्या था; और

(घ) देश में इन कलपुर्जों के उत्पादन के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। गुणता आश्वासन महानिदेशालय की सूची में लगभग 6000 औद्योगिक यूनिटें हैं।

(ग) और (घ) 1965 से 31 मार्च, 1996 तक, गुणता आश्वासन महानिदेशालय के प्रयासों के जरिए लगभग 2000 करोड़ रुपए के मूल्य के स्टोर्स की आपूर्ति की गई है। यह प्रारम्भिक विकासात्मक आर्डरों का मूल्य है। तीनों सेनाओं से इसके बाद जो आर्डर प्राप्त होंगे वे इससे कई गुणा अधिक होंगे। 55000 से अधिक मदों का स्वदेश में उत्पादन शुरू किया गया है। इस प्रयास से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है, केवल यह कहा जा सकता है कि यह 2000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक हुई होगी जोकि इस मदों को स्वदेश में विकसित करने पर खर्च हुए।

[अनुवाद]

केरल में अंतर्देशीय जल परिवहन

2951. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार को केरल में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों के परिणाम स्वरूप सन 1987 से 1992 की अवधि के दौरान कोबलम और कासरगढ़ के बीच पश्चिमी तटीय नहर की समग्र लम्बाई पर कोल्लाम से कोट्टापुरम तक पश्चिमी तटीय नहर खंड (168 कि.मी.), चम्पाकारा नहर (14 कि.मी.) और उद्योग मंडल नहर (23 कि.मी.) को 1 फरवरी, 1993 से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्रधिकरण इस राष्ट्रीय जलमार्ग के सुधार और इसकी नौगम्यता के अनुरक्षण के लिए निकर्षण और चैनल विहनाकंन आदि जैसे विभिन्न विकास कार्य कर रहा है। इस जलमार्ग में नौ संचालन लॉक को प्रचालनात्मक स्थिति में रखा जा रहा है। सन् 1993-94 से 1995-96 के दौरान कुल 3.44 लाख घन मीटर निकर्षण किया गया। सन् 1995-96 के दौरान केरल में इस राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास पर 97.00 लाख रु. व्यय किए गए जबकि अनुमोदित परिव्यय 100.00 लाख रु. का था।

(ख) और (ग) जी, हां। निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ पेश किए गए हैं :-

(क) राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए पश्चिमी तटीय नहर के कोल्लाम से कोवालम और कोट्टापुरम से कासरगढ़ खंडों पर विचार करना।

(ख) पश्चिमी तटीय नहर के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कराई गई संपूर्ण निधियों का उपयोग सुनिश्चित करना।

(ग) केरल में जेटियों के आधुनिकीकारण के लिए चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के संबंध में केन्द्रीय सहायता जारी करना।

[हिन्दी]

वायरल फीवर

2952. **श्री ओ. पी. जिन्दल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अगस्त, 1996 के दि. हिन्दुस्तान टाइम्स में "मिस्ट्री फीवर एनगल्फ्स हिसार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हिसार (हरियाणा) के प्रभावित क्षेत्रों में एक केन्द्रीय दल भेजने और वहां अन्य स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने का है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बीमारी के करणों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने के लए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से दो केन्द्रीय दलों ने पहले ही हिसार (हरियाणा) का दौरा किया है। जानपदिक रोग विज्ञानीय, कीट विज्ञानीय और नैदानिक जांच के आधार पर प्रतीत होता है कि वहां पर डैंगू फैल रहा है।

इस दल ने नैदानिक नमूने एकत्र किए जिनका प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है। इस दल ने उस रोग को आगे न फैलने के लिए प्रमाणित क्षेत्रों में कीट नाशकीय छिड़काव, निगरानी और स्वास्थ्य शिक्षा की सलाह दी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय

2953. **श्री शिवानंद एव. कौजलगी :**
श्री पुन्ननूलाल मोहले :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में, विशेषतः मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले और कर्नाटक के बेलगांम जिले में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीयि शिक्षा नीति, 1986 में यह उल्लेख किया गया है कि संस्थानों के संर्वागीण सुधार की आवश्यकता को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि निकट भविष्य में विद्यमान संस्थानों के समेकन तथा उनकी सुविधाओं के विस्तार पर मुख्य रूप से बल दिया जाएगा।

दुर्घटना प्रवण वायुसेना हवाई अड्डे

2954. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29, जून 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "विमान दुर्घटनाएं रोकने के उपायों पर अमल नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और गया है;

(ख) यदि हां, तो पक्षियों के उड़ने तथा अन्य कारणों के कारण दुर्घटना प्रवण के कितने वायुसेना हवाई अड्डों की पहचान की गई है;

(ग) वायुसेना हवाई अड्डों के निकट पक्षियों के उड़ने के कारण ऐसी कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन दुर्घटनाओं में कुल कितनी हानि हुई, और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) अन्तर मंत्रालयों संयुक्त उप समिति ने भारतीय वायुसेना के 10 एयरफील्डों को "पक्षियों से टकराने के अत्यधिक जाखिम वाले क्षेत्रों" के रूप में माना है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पक्षियों से टकराने के कारण वायुयानों की 9 गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। तथापि, पक्षियों से टकाराने के कारण हुई क्षति की लागत क्षतिग्रस्त हुए अथवा मरम्मत किए गए/ओवरहॉल किए गए वायुयान की किस्म पर निर्भर करते हुए अलग-अलग है।

(घ) कृषि मंत्रालय, शहरी मामले एवं रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पशुबंध गृहों/पशु अवशेष निपटान केन्द्रों की आधुनिक बनाने और पक्षियों से टकराने की संभावना वाल हवाई क्षेत्रों के आस-पास पक्षियों की गतिविधियों को कम करने के लिए सफाई रखने के उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-37 पर बाई-पास बनाना

2955. **श्री उधव बर्मन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय होकर बाई-पास बनाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में विदेशी छात्रों को प्रवेश

2956. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में विदेशी छात्रों को प्रवेश के लिए निर्धारित मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो कॉलेज-वार उन विदेशी छात्रों के नाम क्या है जिन्हें मार्ग-निर्देशों का उल्लघंन करते हुए प्रवेश दिया गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एड्स के बारे में डाक्टरों को प्रशिक्षण

2957. **श्री पंकज चौधरी** :
कुमारी उमा भारती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक्टरों को एड्स के बारे में प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के तहत कितने डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। एड्स के बारे में डाक्टरों को एक-समान प्रशिक्षण

प्रदान करने के लिए नैदानिक उपचार पर एक माड्यूल तैयार किया गया है। देश के प्रमुख अस्पतालों, प्रौफेसरों और वरिष्ठ परामर्शदाताओं द्वारा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) और (घ) एड्स के रोगियों के उपचार के लिए डाक्टरों को कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए सभी को प्रशिक्षित करने का पहले ही निर्णय ले लिया गया है। आज तक 11,000 डाक्टरों को प्रशिक्षत किया जा चुका है। अगले चरण में सामान्य चिकित्सकों और निजी चिकित्सकों सहित शेष डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

[अनुवाद]

नए पोतों के लिए राजसहायता

2958. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नए पोतों की खरीद के लिए राजसहायता देता है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इसके कारण केरल नौवहन एवं अंतर्देशीय नौवहन निगम को कोई धनराशि दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन को सब्सिडी के रुप में 8,64,013 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

(ग) केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन के दो पोतों से संबंधित सब्सिडी के दावे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः उनका भुगतान नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

2959. **श्री नवल किशोर राय :** क्या जल-भूतल और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजनाओं के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इनमें से कई परियोजनाएं अपनी निर्धारित अवधि से पीछे चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ) फिलहाल 306 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विश्व बैंक ऋण के अंतर्गत द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

(एल एन 3470-आई एन/सी आर 2365-आई एन)

ऋण राशि : 306 मिलियन अमरीकी डालर

हस्ताक्षर होने की तारीख : 18.06.1992

बंद होने की तारीख : जून, 2001 **प्रभावी तारीख : 31.08.1992** (करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	रा.रा. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान प्रगति	पूरा करने की नियत तारीख	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाएं और उसके कारण
1.	हरियाणा	1	करनाल और अम्बाला	79.50	287.22	जनवरी, 1995 में कार्य	जुलाई, 1998	

क्र. सं.	राज्य	रा.रा. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान प्रगति	पूरी करने की नियत तारीख	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाएं और उसके कारण
			के बीच 132.88-212.16 कि.मी. (रा.रा.-1) में चार लेन बनाना।			शुरू हुआ। प्रगति-18 प्रतिशत		
2.	पंजाब	1	रा.रा.-1 के सरहिन्द और पंजाब/हरियाणा सीमा 212.2 से 252.25 कि.मी. के बीच चार लेन बनाना।	40.00	199.500	कार्य जनवरी, 1995 में शुरू हुआ। प्रगति-25 प्रतिशत	जुलाई, 1998	-
3.	उड़ीसा	5	रा.रा.-5 के कटक-भुवनेश्वर खंड (0.0 से 27.8 कि.मी.) में 4 लेन बनाना।	27.80	218.41	कार्य जनवरी, 1995 में शुरू हुआ। प्रगति-13 प्रतिशत	अगस्त, 1998	(I) मुख्य जल पाइपों को शिफ्ट करना। (II) अतिक्रमण हटाना और वृक्ष काटना।
4.	मध्य प्रदेश	3	(क) इन्दौर बाई-पास का निर्माण, रा.रा.-3	31.40	73.44	निर्माण पूर्व कार्य प्रगति पर। निविदाएं अगस्त, 1995 में आमंत्रित की गई।	दिसम्बर, 1 2000	निम्न के कार्यान्वयन में विलम्ब (I) निर्माण पूर्व कार्य (II) ठेकेदारों की नई पूर्वअर्हता के अनुमोदन में विलम्ब।
			(ख) रा.रा.-3 के इन्दौर-देवास खंड (574.4 से 591.6 कि.मी.) में 4 लेन बनाना।	18.20	29.53	निर्माण पूर्व कार्य प्रगति पर। निविदाएं अगस्त, 1996 में आमंत्रित की गई।		

क्र. सं.	राज्य	रा.रा. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान प्रगति	पूरी करने की नियत तारीख	निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाएं और उसके कारण
5.	महाराष्ट्र	8	बसैन क्रीक और मनोड़ के बीच, 439-497 कि. मी. (रा.रा.-8) में 4 लेन बनाना	58.00	117.73	निर्माण पूर्व कार्य प्रगति पर। निविदाएं अगस्त, 1996 में आमंत्रित की गई।	दिसम्बर, 2000	(I) परियोजना तैयार करने में विलम्ब (II) वनभूमि के अधिग्रहण और वृक्षों कर कटाई में विलम्ब। (III) ठेकेदारों की नई पूर्वअर्हता के अनुमोदन में विलम्ब।
6.	पश्चिम बंगाल	2	रा.रा.-2 के रानी-गंज और पश्चिम बंगाल/बिहार सीमा अर्थात् 438.6 से 474.0 कि.मी. में चार लेन बनाना।	35.40	88.27	निर्माण पूर्व कार्य प्रगति पर/निविदाएं आमंत्रित की जानी है।	दिसम्बर, 2000	(I) परियोजना तैयार करने और भूमि अधिग्रहण में विलम्ब। (II) विश्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार आर एंड आर कार्य योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब।
7.	उड़ीसा	राज्यीय सड़क	गंजम जिले में 6 क्षति-ग्रस्त राज्य सड़क पुलों का निर्माण		32.5	कार्य मार्च, 1994 में शुरू हुआ। प्रगति-65 प्रतिशत	दिसम्बर, 1996	अभूतपूर्व वर्षा के कारण।
					290.3			

[अनुवाद]

सडकों का विकास

2960. **श्री नीतीश कुमार :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 1996 के ओबजरवर में "ओवर सपीज 253,000 करोड़ नीडेड फार रोड डेवलपमैंट स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए ही जिम्मेदार है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, यह अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में खामियों को दूर करने के लिए 75,000 करोड़ रु. (1996 में मूल्य स्तर पर) की आवश्यकता होगी। तथापि, संसाधनों के अत्यंत अभाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) अपर्याप्त बजटगत संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव में निजी क्षेत्र को शामिल करने के उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

आजमगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय

2961. **डा. बलिराम :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मुम्बई में पासपोर्टों का जारी किया जाना

2962. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 के पश्चात मुम्बई तथा दिल्ली महानगरों में कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पुलिस जांच के बाद भी नये पासपोर्टों को जारी किए जाने में काफी समय लिया जाता हैं;

(ग) क्या मुम्बई के पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मुम्बई में एक अन्य पासपोर्ट कार्यालय को स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 1.4.95 से 31.7.96 तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई 306230 तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में 150583 पासपोर्ट जारी किए।

(ख) पासपोर्ट सामान्यतया स्पष्ट पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट अथवा साक्ष्यांकन हेतु पलिस को पत्र भेजे जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर, दोनों में से जो भी पहले हो, और पहले आओं पहले पाओ आधार पर जारी किए जाते हैं केवल आपात स्थिति/अतिशीर्घ्र मामलों को छोडकर जिनमें किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र तथा आपात-स्थिति/शीघ्रता के दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विना बारी के आधार पर पासपोर्ट जारी कर दिए जाते हैं। तथापि यह पाया गया है कि जिन कुछ मामलों में इन पासपोर्ट कर्यालयों को नकारात्मक अथवा अधूरी पुलिस रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उनमें नये पासपोर्ट जारी करने में कुछ देरी हुई है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा अवश्य अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है जिसका उद्देश्य सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से पूर्ण रिपोर्टें प्राप्त करना होता है और आवेदकों को यह सलाह भी देना होता है कि वे सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों से स्पष्ट रिपोर्ट लेने के उद्देश्य से मूल दस्तावेज/न्यायालय के आदेश लेकर उनसे मिलें और ततपश्चात इस स्पष्ट रिपोटों के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाते हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई की कर्मचारी संख्या निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है और इस कार्यालय के कार्यभार को देखते हुए मौजूदा कर्मचारी संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है।

(ङ) और (च) एक और पासपोर्ट कार्यालय खोलने की संभावना की जांच की जा रही है। इस बीच थाणे में एक पासपोर्ट संग्रह केन्द्र-खोलने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

रोहतांग दर्रे में सुरंग का निर्माण

2963. **श्री सुख राम :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रोहतांग दर्रे में सुरंग के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो रोहतांग दर्रे में सुरंग के निर्माण की क्या प्रगति है तथा अब तक इस पर कितना व्यय किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) सुरंग का निर्माण किए जाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य मैसर्स राइट्स को सौंपा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

2964. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरुच वापी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है और उक्त राजमार्ग पर भारी यातायात रहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान अहमदाबाद और मुम्बई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत का कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) रा.रा.-8 भरुच-वापी खंड में अत्यधिक यातायात रहता है और उपलब्ध संसाधनों के तहत इसे यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए, जिसमें भरुच-वापी खंड भी शामिल है, निम्नलिखित धनराशि जारी की जा चुकी है:

1994-95	1316.64 लाख रु.
1995-96	1745.20 लाख रु.
1996-97	391.30 लाख रु. (जुलाई, 1996 तक)

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 में अहमदाबाद-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए कोई प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय परिवहन योजनाएं

2965. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च किए जाने की आवश्यकता है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दादरा व नगर हवेली को छोड़कर अन्य किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ऐसी कोई स्कीम मंजूर नहीं की गई है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

आयातित गर्भ निरोधक

2966. **श्री दादा बाबूराम परांजये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए आयात किए गए गर्भ-निरोधकों की भारी मात्रा सांविधिक परीक्षण प्राधिकरण द्वारा दोषपूर्ण पाई गई है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग) ट्यूबल रिंगों के एक आयातित खेप से लिए गए नमूने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के पैरामीटर के अनुरूप नहीं पाए गए। लेकिन दूसरी प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण किए जाने पर ये नमूने स्वीकार्य पाए गए। दूसरी प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्टों की यह प्रामणित करने से पहले कि वे भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुरूप हैं, भारत के औषध नियंत्रण द्वारा मूल्यांकन किया गया। अतः कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेंशन में विसंगतियां

2967. **श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व सेवानिवृत्त तथा हाल ही में सेवानिवृत्त फौजियों की पेंशन में समरूपता लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) और (ख) विभिन्न समयों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन की राशि में विसंगति रही है। यह विसंगति इस तथ्य के कारण है कि पेंशन व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन और उसके द्वारा की गई अर्हक सेवा की अवधि के अनुसार मिलती है। 1986 से पहले और बाद के पेंशनरों की पेंशन में विसंगति कम करने के लिए

1.1.86 से पहले के रक्षा पेंशनरों की पेंशन 50 प्रतिशत का फार्मूला लागू करके और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 तक मंहगाई राहत मिलाकर उनकी पेंशन का दुबारा से हिसाब लगाकार समेकित की गई थी। 1986 से पहले के रक्षा पेंशनरों के लिए पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना भी 1.1.92 से स्वीकृत की गई है। 1.1.86 से पहले सेवानिवृत्त हुए लगभग 8.03 लाख रक्षा पेंशनरों को पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना से लाभ मिलने की आशा है।

2. उपर्युक्त उपायों से 1986 से पहले और बाद के पेंशनरों की पेंशन में विसंगतियां काफी कम हो गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर ऊपरिपुल

2968. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 पर ऊपरिपुल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

2969. **डा. सोहबराम सुकराम बागूल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित II राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य राजमार्गों की राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप मे कब तक घोषणा कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 8वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों की कमी के कारण इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं हो पाया है।

अनुसंधान प्रस्तावों के लिए निधि

2970. **प्रो. ओम पाल सिंह "निडर"**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग धन के अभाव के कारण अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान प्रस्तावों का वित्तपोषण करने में अक्षम रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का जिन्हें कि यू. जी. सी. धनाभाव के कारण वित्तपोषण नहीं कर सका, ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में अपर्याप्त धन के कारण अनुसंधान परियोजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे, इसके लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विभिन्न विषयों तथा शाखाओं में अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान विज्ञानों में 52 बड़े तथा 54 छोटे अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव एवं मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 80 बडे तथा 36 छोटे अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव प्रथम वरीयता के तौर पर अनुमोदित किए गए थे तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन्हें वित्तपोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 53 बड़े तथा 2 छोटे अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव भी प्रथम वरीयता श्रेणी के अन्तर्गत अनुमोदित किए गए थे। तथापि, वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सभी प्रस्तावों को समर्थित करना सम्भव नहीं हो सका है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण जान-माल की क्षति

2971. **श्री भगवान शंकार रावत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप था तथा इसके कारण जान-माल की कुल कितनी क्षति हुई;

(ख) राज्य में बाढ़ के लिए क्षेत्रवार तथा स्थानवार मुख्यतः कौन-कौन से कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इन क्षेत्रों/स्थानों पर बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तात्कालिक तथा लम्बी अवधि के उपाय किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में बाढ़ के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(च) क्या इन क्षेत्रों में बाढ़ के प्रकोप से निपटने हेतु जिला प्रशासन ने सेना की सहायता मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने हेतु सेना की सहायता उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) चालू मानसून के दौरान तीन जिले नामशः फिरोजाबाद, आगरा और मथूरा बाढ़ के प्रभावित हुए। जान तथा माल की हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारण मुख्यतः ये हैं:- भारी वर्षापात, चपटी स्थालाकृति, आसान निकासी की कमी, अपर्याप्त जल निकास और कुछ क्षेत्रों में मुख्य नदियों के मुहानों से जल वितरिणयों में जल वापिस आ जाना।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने तात्कालिक और दीर्घकालिन उपायों के लिए 409 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगते हुए केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन भेजा है। कन्द्रीय सरकार ने तत्काल राहत और पुनर्वास उपायों के लिए आपदा राहत निधि की 46.92 करोड़ रुपए की राशि की दो किस्तें निर्मुक्त की हैं।

(ङ) बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक और आल्पकालिक उपायों की आयोजना और क्रियान्वयन राज्या सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से किया जाता है। एक करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीमों की केन्द्र द्वारा जांच की जाती है तथा अनुमोदन किया जाता है। तथापि, गैर-संरचनात्मक, दीर्घकालिक उपाय के रूप में केन्द्र बचाव तथा राहत कार्यों में राज्य प्राधिकारियों की सहायता के लिए मानूसन के दौरान उत्तर प्रदेश में 33 केन्द्रों पर बाढ़ पूर्वानुमान दे रहा है।

(च) और (छ) इस संबध में सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

विवरण

भारी वर्षा/बाढ़ 1996 के कारण क्षति

क्र. सं.	प्रभावित जिले	प्रभावित गांव	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	कुल प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे. में)	प्रभावित फसली क्षेत्र (हेक्टे. में)	मकान क्षति-ग्रस्त/नष्ट हुए पूर्णतः	मकान क्षति-ग्रस्त/नष्ट हुए आशिक रूप से	समाप्त हुए जीवन मानव	समाप्त हुए जीवन पशुधन
1.	फिरोजावाद	281	1.80	8515	230	-	-	10	31
2.	आगरा	490	3.12	7635	4606	-	4084	12	159
3.	मथुरा	293	5.03	74125	25109	7848	9617	23	260
	कुल	1064	9.95	90275	29943	7848	13701	45	450

जिला-पडरोना 4
(नाव दुर्घटना के कारण) 49

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जमरानी बांध परियोजना

2972. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या जल संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में जामरानी बांध परियोजना निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हा, निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में जमरानी बांध परियोजना आठवीं योजना की चालू स्कीम है। राज्य की 1995-96 की वार्षिक मसौदा योजना के अनुसार निधियों की कमी के कारण जमरानी परियोजना पर कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। परियोजना को पूरा किया जाना राज्य सरकार द्वारा की गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन

2973. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान सहायता प्राप्त कतिपय शैक्षिक संस्थाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण संबंधी नियमों को लागू नही कर रही है जो भारत के संविधान का घोर उल्लंघन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, आयोग ने विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि वे दाखिले तथा शिक्षण तथा गैर शिक्षण पदों की नियुक्ति के मामलों में अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए संवैधानिक आरक्षण नीति कार्यान्वित करें। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों से यह आशा की जाती है कि वे इस संबंध में भारत सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करें। जहां तक राज्य विश्वविद्यालयों का संबंध हैं, उनसे आशा की जाती है कि वे सम्बन्ध राज्यों द्वारा निर्धारित आरक्षण नीतियों का पालन करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 98 विश्वविद्यालयों में अनु. जाति/अनु. जनजाति सैल गठित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इस नीति से संबंधित मामलों के लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से समय-समय पर बातचीत करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति का कार्यान्वयन सही रूप से हो रहा है।

मैसूर में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए स्वीकृति

2974. **श्री एस. डी. आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने मैसूर में शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं हेतु महिला छात्रावास और पोलीटेक्नीक के सिविल कार्यों के लिए 670 लाख रुपए का अतिरिक्त परिव्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन छात्रावासों के कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा हुबली, मैसूर, हासन और शिमोगा में 4 महिला छात्रावासों में तथा मैसूर में शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए पालिटेक्निक हेतु सिविल कार्य के लिए 68.00 मिलियन रु. (680.00 लाख रु.) का अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित किया गया है। 30 जून, 1996 तक 127.00 लाख रु. की राशि खर्च की जा चुकी है उनमें राजकीय महिला पालिटेक्निक, हुबली, जे. एस. एस. महिला पालिटैक्निक, मैसूर राजकीय महिला पालिटेक्निक शिमोगा तथा शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए संस्थान मैसूर भी शामिल हैं। हासन में राजकीय महिला पालिटेक्निक के छात्रावास निर्माण कार्य नवम्बर, 1996 में शुरू होने की संभावना है। वर्ष 1996-97 के दौरान इन भवनों पर 380.00 लाख रु. की राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। हुबली एवं मैसूर तथा शिमोगा में पालिटेक्निक छात्रावासों का निर्माण कार्य जून 1997 तक पूरा होने की आशा है और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए पालिटेक्निक का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1997 तक पूरा होने की आशा है।

सामाजिक अभिशाप-दहेज के बारे में फैसला

2775. **डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले की ओर दिलाया गया है जिसमें न्यायालय ने सामाजिक अभिशाप-दहेज पर रोक लगाने के लिए आन्दोलन का आह्वान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 जुलाई, 1996 को दिये गए निर्णय (1994 की आपराधिक अपील सं. 231) से सहमत है कि दहेज की घातक सामाजिक कुरीति के उन्मूलन हेतु न केवल महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने अपितु पुरुषों को भी बुनियादी मानवीय मूल्यों का सम्मान करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए एक व्यापक सामाजिक आन्दोलन शुरू करने तथा सोच और रवैये में परिवर्तन के लिए लोगों को चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन

2976. **श्री राधा मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या 'राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षक संस्थान' द्वारा संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर उन्हें अनुदान देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, दो सम विश्वविद्यालय तथा राज्यों/संघशासित प्रदेशों को संस्कृत भाषा के विकास हेतु वित्तीय सहायता की केन्द्रीय योजनागत स्कीम, द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के शेष भागों में संस्कृत भाषा को प्रोन्नत कर रही है।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय की पुस्तकों इत्यादि पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने वर्ष 1995-96 में देश में 404 स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाएं/संस्कृत विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन 404 संस्थाओं में से 109 संस्थाएं उत्तर प्रदेश में तथा 22 बिहार में स्थित हैं।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार ने अब तक पूर्वी चम्पारण के संस्कृत विद्यालयों की सहायतार्थ कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

गालिब की जन्म शताब्दी

2977. **श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू के महान कवि, मिर्जा गालिब के जन्म के दो सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार मिली-जुली संस्कृति वाले इस सच्चे प्रतिनिधि कवि को द्वितीय जन्म शताब्दी को दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में मिर्जा गालिब के घर को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने की कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। मिर्जा गालिब की 200वां जयंती दिसंबर, 1997 में पड़ेगी।

(ख) और (ग) मिर्जा गालिब का द्वितीय जन्म-शताब्दी मनाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

अल्पसंख्यक कालेजों की बिगड़ती स्थिति

2978. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अल्पसंख्यक कालेजों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं को अनुदान देने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार अल्पसंख्यक कालेजों सहित उन सभी कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए नियमों/विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केन्द्रीय स्रोतों से इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किए गए हैं।

(ग) और (घ) सामान्य तौर पर स्कूल राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों अथवा प्राइवेट ट्रस्टों/संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं। शिक्षा विभाग ने भी सभी लोगों के लिए उनकी जाति, धर्म, लिंग अथवा क्षेत्र का भेद-भाव किए बिना केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोले हैं। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों अथवा प्राइवेट ट्रस्टों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र की शैक्षिक जरूरतों तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कालेज खोले जाते हैं। केन्द्रीय सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कोई कालेज नहीं खोले जाते हैं।

[हिन्दी]

रिसाव के कारण भूमि का धसना

2979. **श्री निहाल चन्द चौहान** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के हनुमानगढ़ में रिसाव के कारण हजारों एकड़ भूमि धस गई है;

(ख) क्या रिसाव की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रिसाव के कारण हनुमानगढ़ जिले में भाखड़ा नगर प्रणाली

और इंदिरा गांधी नहर चरण-I के कमान के अंतर्गत लगभग 6000 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ख) जी नहीं, राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशिष्ट परियोजना, कार्यक्रम अथवा क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेरयार बांध की क्षमता

2980. **श्री ए. जी. एस. राम बाबू :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के पेरियार बांध की क्षमता को 132 फीट से 152 फीट तक बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) मुल्ला पेरियार बांध 1897 में 152 फुट पर उत्थापन के पूर्ण जलाशय स्तर पर निर्मित किया गया था। बांध की सुरक्षा की समीक्षा 1979 में की गई और यह निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा बांध को सुदृढ़ करने के कार्य पूरे होने तक जलाशय को केवल 136 फुट ऊंचाई तक भरा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सुदृढ़ीकरण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। तथापि केरल सरकार जलाशय में 136 फुट ऊंचाई से ऊपर भरने को सहमत नहीं हुई। मंत्रालय ने केरल सरकार के साथ मामले को उठाया है जिन्होंने सूचित किया है कि राज्य विधानसभा की तदर्थ समिति ने विषयों की जांच की थी और उसने बांध की सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की तकनीकी समिति के गठन की सिफारिश की।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-35 पर भीड़भाड़

2981. **श्री चित्त बसु :** क्या **जल-भूजल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बौंगांव और चन्दपाड़ा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-35 पर अत्याधिक यातायात के कारण बौंगांव और अन्य पड़ोसी स्थानों के लोगों की अत्यधिक परेशानी हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बार-बार यातायात जाम होने के कारण भारत-बांग्लादेश व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बीच स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रस्ताव किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यातायात जाम होने की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-35 पर बौंगांव के निकट बंगलादेश सीमा की जांच चौकी पर अनुमति की प्रतिक्षा करने वाले ट्रक सड़क के किनारे लाइन लगा लेते हैं। जांच चौकी के निकट यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए हाकर पुल और बंगलादेश सीमा के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के समानान्तर एक दो लेन वाली अन्य सड़क के निर्माण कार्य और सीमा के निकट एक लेन वाले खंडों को चौड़ा करके 5.5 मीटर चौड़ाई बनाने के कार्य को स्वीकृति दे दी गई है और यह कार्य निविदा स्तर पर हैं। इसके अतिरिक्त जांच चौकी के निकट ट्रक पार्किंग लेबाई के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार

2982. **जस्टिस गुमान मल लोढा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई बढ़ाने तथा इनका विकास करने के उद्देश्य से किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान उक्त प्राधिकरण पर औसतन कितनी वार्षिक धनराशि खर्च हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में की गई थी।

(घ) सरकार ने प्राधिकरण को अनुदान-सहायता के रूप में 1994-95 और 1995-96 में तीन-तीन करोड़ रु. जारी किए हैं।

[अनुवाद]

रक्षा विभाग की भूमि को स्कूलों के लिए दिल्ली कैंट में लीज़ पर देना

2983. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग की भूमि को आर्मी पब्लिक स्कूल तथा एयर फोर्स स्कूल के लिए दिल्ली कैंट में धौला कुआं और सुब्रतो पार्क में लीज़ पर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो लीज़ पर देने की शर्तें क्या हैं, कितनी भूमि लीज़ पर

दी गई है तथा लीज़ के लिए कितना किराया लिया जाता है;

(ग) क्या यह स्कूल सेना/वायु सेना द्वारा संचालित सोसायटियों द्वारा चलाए जाते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का इन सोसायटियों पर कोई नियंत्रण है;

(घ) क्या शिक्षण शुल्क के लिए तीन प्रकार की दरें विद्यार्थियों से वसूली जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शिक्षण शुल्क तथा अन्य प्रभार सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं तथा क्या यह सरकार के शिक्षा विभाग के नियमानुसार हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए विचार कर रही है; और

(छ) क्या उन अभिभावकों के बच्चों, जो कि सेना/वायुसेना में सेवारत नहीं हैं, को भी इन स्कूलों में प्रवेश दिया गया है और यदि हां, तो इन बच्चों द्वारा किस दर पर शुल्क दिया जाता है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. बी. एन. सोमू) : (क) और (ख) जी, हां। धौलाकुआं स्थित सेना पब्लिक स्कूल चलाने के लिए दो अलग-अलग पट्टों के अंतर्गत 2/- रुपए प्रतिवर्ष (1/- रुपए प्रति पट्टा की दर से) के नाममात्र के किराए पर 30.50 एकड़ रक्षा भूमि और दिल्ली छावनी में सुब्रोतो पार्क स्थित वायुसेना स्कूल के वास्ते 15 एकड़ रक्षा भूमि 1.50 रुपए प्रतिवर्ष के नाममात्र के किराए के भुगतान पर पट्टे पर दी गई है। अन्य मुख्य निबंधन एवं शर्तें ये हैं कि उक्त रक्षा भूमि का उपयोग स्कूल के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा तथा पट्टे के अनुसार भवनों का निर्माण किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ली जाएगी।

(ग) जी, हां। सेना पब्लिक स्कूल, सेना कल्याण शिक्षा सोसायटी द्वारा दिल्ली राज्य शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली, 1973 के तहत चलाया जाता है। वायुसेना स्कूल, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय वायुसेना शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सोसायटी द्वारा चलाया जाता है।

(घ) सेना पब्लिक स्कूल में चार प्रकार की दरों पर और वायुसेना में तीन प्रकार की दरों पर शिक्षण-शुल्क लिया जाता है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) सेना पब्लिक स्कूल में शिक्षण-शुल्क की दरों और अन्य प्रभारों के बारे में शिक्षा विभाग को सूचित किया जाता है। वायुसेना स्कूल में शिक्षण-शुल्क भारतीय वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसायटी द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और उन्हें दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में दर्ज किया जाता है। सेना पब्लिक स्कूल, गैर-सरकारी सेना कल्याण निधि से चलाए जाते हैं। इस निधि की आंशिक राशि रक्षा कार्मिकों से ली जाती है और वायुसेना स्कूल के लिए धनराशि की व्यवस्था भारतीय वायुसेना शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सोसायटी द्वारा की जाती है। अतः अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों, अन्य रैंकों, वायुसैनिकों, वायुसेना अफसरों और सिविलियन कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षण-शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया गया है। शिक्षण-शुल्क का अंतर दूर करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(छ) जी, हां। शिक्षण-शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शिक्षण-शुल्क की दरों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

आर्मी पब्लिक स्कूल

क्र.सं.	कक्षा	अन्य रैंक	जे.सी.ओ.	अफसर	सिविलियन (रु. में)
क)	I-V	110	165	230	390
ख)	VI-VIII	120	175	240	410
ग)	IX और X	120	175	250	430
घ)	XI और XII	130	190	270	460

वायुसेना स्कूल

क्र.सं.	कक्षा	वायुसैनिक	वायुसेना अफसर	वायुसेन्येतर (सिविलियन) (रु. में)
क)	केजी-V	120	225	500
ख)	VI-X	130	250	600
ग)	XI और XII	150	275	700

(स्कूल-स्टाफ के बच्चों से शिक्षण-शुल्क नहीं लिया जाता है)

नई आंगनवाडी योजनाएं

2984. **श्री रामचन्द्र डोम :**
डा. बलिराम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दस प्रतिशत नई आंगनवाडी योजनायें निजी एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर आंगनवाडी कार्यकर्ताओं से परामर्श किया है;

(ग) क्या निजीकरण के बाद आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की छटनी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में यह व्यवस्था है कि समुदाय के अधिकतम समर्थन से इसके

कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए तथा इसे जन कार्यक्रम बनाने हेतु इस कार्यक्रम में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, स्वैच्छिक संगठन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं आदि को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

तदनुसार, समग्र आई सी डी एस परियोजना अथवा उसके एक हिस्से को स्वैच्छिक संगठन को सौंपने के लिए स्कीम के अनुसार दिशा निर्देश तैयार करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था। सरकार द्वारा तैयार मॉडल दिशा निर्देश भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गये थे। कुछ आई सी डी एस परियोजनाओं को कार्यान्वयन हेतु सीधे स्वैच्छिक एजेंसियों को आबंटित करने पर विचार के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी इन दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

वर्ष 1993 में एक निर्णय लिया गया था कि 1992-93 में स्वीकृत आई सी डी एस परियोजनाओं में से 10 प्रतिशत परियोजनाएं पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को आबंटित की जाएं ताकि आई सी डी एस स्कीम के कार्यान्वयन में इन संगठनों को शामिल किया जा सके। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को लिखा गया था और इस प्रयोजनार्थ सुझाये गये आवेदन प्रपत्र/फार्मेट भी इन्हें भेजे गये थे।

(ख) से (घ) सरकार का निर्णय यह था कि इन नई आई सी डी एस परियोजनाओं अथवा परियोजना के एक हिस्से को ऐसे पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को सौंपा जाए, जिन्हें सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो।

गैर-सरकारी संगठनों को नये क्षेत्रों में आई सी डी एस चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसलिए मौजूदा परियोजनाओं में आंगनवाडी कर्मियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा है।

म्यांमार के साथ सम्बन्ध

2985. **श्री सुरेश प्रभु :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में म्यांमार के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे हैं;

(ख) इस देश के साथ हमारे सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(ग) इस देश के साथ यात्रा व व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) म्यांमा के साथ हमारे मैत्री तथा सहयोग के संबंध हैं।

(ख) और (ग) हमने हाल ही में म्यामां के साथ सीमावर्ती व्यापार शुरू किया है और दूरसंचार और परिवहन सुविधाओं में सुधार होने के साथ-साथ आने वाले वर्षों में इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। सीमावर्ती व्यापार करार के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक प्रयोजन के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करने की अनुमति 7 दिन की अवधि के लिए दी जाती है। सीमा प्रबन्धन में और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर काबू पाने के लिए भारत और म्यामां परस्पर सहयोग कर रहे हैं। भारत और म्यामां के बीच एक सहमत समझौता ज्ञापन भी है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में सडकों और दूरसंचार सहित आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की व्यवस्था हैं। म्यामां के छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक और अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु स्थान; मुहैया कराये जाते हैं। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें पुनः शुरू करने से सम्बद्ध सहमति के परिणामतः इंडियन एअर लाइन्स ने 7 दिसम्बर, 1995 से यांगून के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर दी हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में क्रीड़ा परिसर

2986. **श्री गंगाराम कोली :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान के बयाना-धौलपुर क्षेत्र में एक वृहत क्रीड़ा परिसर का निर्माण करने का है;

(ख) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में इस परिसर हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामले और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) से (ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की खरीद

2987. **श्री मृत्युन्जय नायक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान द्वारा निकट भविष्य में मध्यम तथा लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र खरीदने अथवा खरीदे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रक्षेपास्त्र मुहैया कारने वाले देशों को ऐसा करने से रोकने हेतु कोई राजनयिक पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में प्रयासों को तेज करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने पकिस्तान द्वारा नाभिकीय क्षमता वाले एम-11 प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती के बारे में खबरें देखी हैं। सरकार को इन प्रक्षेपास्त्रों के अर्जन की जानकारी है तथा इसे चिन्ता का विषय मानती है। पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र हासिल करने के बारे में हमने अपनी चिन्ता से संबंधित देशों को अवगत करा दिया है। अपने ऊपर खतरे के प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार भारत सरकार अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

पाकिस्तान में लापता हुए भारतीय सैनिक

2988. **श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 अप्रैल, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6803 के संबंध मे जारी की गई सूची के अनुसार 1971 के युद्ध में लापता हुए 54 सैनिकों में से किसी का पता चला है अथवा पाकिस्तान द्वारा किसी की रिहाई हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध मे क्या विशेष प्रयास किए जा रहे है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को उन 54 लापता भारतीय रक्षा कार्मिकों का मामला बार-बार पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है जिनके बारे में यह मानना है कि वे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। खेद है कि मानवीय आधार पर इसके समाधान के बारे में वर्षो से भारत द्वारा किए गए कई रचनात्मक प्रस्तावों पर पाकिस्तान ने कोई सकारात्मक जबाब नहीं दिया है। तथापि, पाकिस्तान की सरकार का मानना है कि उसकी हिरासत में कोई भी भारतीय रक्षा कार्मिक नहीं है। हम इस मसले में पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे।

कामकाजी महिला होस्टल

2989. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :
श्री नामदेव दिवाये :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण हेतु धनराशि कराती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने कामकाजी महिला होस्टल स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से, विशेषकर गत तीन वर्षो के दौरान राज्य-वार इस प्रकार के होस्टलों के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई तथा शेष प्रस्ताव कब तक मंजूर हो जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई तथा शेष प्रस्ताव कब तक मंजूर हो जायेंगे; और

(ङ) गत तीन वर्षो के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम के अन्तर्गत राशि प्रदान करता है। स्वैच्छिक संगठनों के अलावा महिला विकास निगम, विश्व विद्यालय, समाज कार्य स्कूल/कालेज, स्थानीय निकाय तथा सरकारी संस्थान, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र भी स्कीम के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र है।

(ख) अब तक पूरे देश में 783 होस्टल स्वीकृत किये जा चुके हैं जिसमें से 110 होस्टल महाराष्ट्र में है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षो के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से अब तक स्वीकृत प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति आवेदन संगठन तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्कीम की अभी आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति पर निर्भर करती है।

(ङ) विररण-II संलग्न है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वर्षो के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की सं. 1993-94, 1994-95 और 1995-96	विगत तीन वर्षो के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से अब तक स्वीकृत प्रस्तावों की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	-
3.	असम	6	-
4.	बिहार	6	-
5.	गुजरात	5	3
6.	हरियाणा	3	-
7.	हिमाचल प्रदेश	1	-
8.	जम्मू और कश्मीर	6	3

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की सं. 1993-94, 1994-95 और 1995-96	विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से अब तक स्वीकृत प्रस्तावों की सं.
9.	कर्नाटक	24	11
10.	केरल	21	13
11.	मध्य प्रदेश	11	3
12.	महाराष्ट्र	32	15
13.	मणिपुर	2	-
14.	मिजोरम	4	1
15.	नागालैण्ड	2	1
16.	उड़ीसा	4	2
17.	पंजाब	1	1
18.	राजस्थान	3	1
19.	तमिलनाडु	42	27
20.	उत्तर प्रदेश	13	1
21.	पश्चिम बंगाल	8	5
22.	चण्डीगढ़	2	2
23.	दिल्ली	5	3
		212	97

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों (1993-94ए 1994-95 और 1995-96) के दौरान स्वीकृत की गई राशि (रुपए लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	126.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	27.07
3.	असम	36.51
4.	बिहार	12.31
5.	गुजरात	41.35
6.	जम्मू और कश्मीर	38.03
7.	कर्नाटक	234.43
8.	केरल	343.57
9.	मध्य प्रदेश	38.60
10.	महाराष्ट्र	424.29
11.	मणिपुर	16.88
12.	मेघालय	4.50
13.	मिजोरम	4.97

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों (1993-94, 1994-95 और 1995-96) के दौरान स्वीकृत की गई राशि (रुपए लाखों में)
14.	नागालैण्ड	25.41
15.	उड़ीसा	57.20
16.	पंजाब	53.76
17.	राजस्थान	31.98
18.	तमिलनाडु	349.72
19.	त्रिपुरा	7.84
20.	उत्तर प्रदेश	133.16
21.	पश्चिम बंगाल	122.01
22.	चण्डीगढ़	35.63
23.	दिल्ली	169.29
24.	पांडिचेरी	1.20
		2335.83

[हिन्दी]

जाफरी समिति

2990. **श्री इख्तियार आजमी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जाफरी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : सरकार के उर्दू सम्बन्धी, जाफरी समिति रिपोर्ट पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। तथापि, उर्दू प्रौन्नति ब्यूरो को राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (नेशनल काउन्सिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्यूएज) नामक एक स्वायत्त निकाय के रूप में परिवर्तित करके संस्तुतियों में से एक को कार्यान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

कांडला भूमि

2991. **श्री दिलीप संघानी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से कांडला क्षेत्र की भूमि को पुनः राज्य को वापस सौंपे जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार ने गांधीधाम कस्बे और उसकी निकटवर्ती भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया है।

(ग) इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि भविष्य में कांडला पत्तन के विकास हेतु इस भूमि की आवश्यकता होगी।

ठेके में परिवर्तन

2992. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1987 में जापान के मैसर्स सुमितोयो कारपोरेशन के साथ हुए ठेके के अनुसार इस कंपनी को सरदार सरोवर परियोजना के लिए टर्बो जनरेटर की आपूर्ति करनी थी, तथा अब इस कंपनी ने उक्त ठेके में उक्त परियोजना के लिए निर्मित टर्बो जेनरेटर सेट की अपूर्ति किए जाने से पूर्व भंडारण शुल्क और ब्याज भी सम्मिलित किए जाने के संबंध में अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर कंपनी के साथ चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस गतिरोध को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की 15 जुलाई, 96 को हुई विशेष बैठक, जिनमें अन्यों के साथ-साथ चार भागीदार राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी भाग लिया था, यह निर्णय लिया गया कि सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत गृह के लिए टर्बो जेनरेटरों सैटों के आपूर्ति कर्ता मैसर्स सुमितोयो कारपोरेशन, जापान के साथ पहले से ही जापान में निर्मित व भंडार में रखे गए टर्बो जेनरेटर-सैटों के लिए भंडारण व ब्याज, प्रभार के संबंध में समझौता वार्ता की जाए। इस संबंध में अगली संबंधित कार्रवाई इसी पर निर्भर करेगी।

आई डबल्यू ए आई तथा आई डबल्यू टी सी को आबंटित धनराशि का सदुपयोग

2993. **श्री चिन्तामन वानगा :**
श्री ई. अहमद :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल यातायात निगम का आबंटित की गई धनराशि का पूर्ण सदुपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने की संभावना है; और

(घ) अब तक आबंटित और सदुपयोग की गई धनराशि का राज्य/वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यतः (1) जनशक्ति की अपर्याप्तता, (2) तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पूरा करने में लगा समय, (3) स्कीमों की ब्यौरे वार तैयारी, (4) राजाबागान डॉक यार्ड का आधुनिकीकरण परियोजना के कार्यान्वित न होने और 7 वीं योजना की जलयान खरीद स्कीम के तहत सभी जलयानों की खरीद न होने के कारण निधियों का कम उपयोग हुआ।

(ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 1995-96 में व्यापक समीक्षा की है और स्कीमें तैयार करने का शीघ्र कार्रवाई की गई है। जहां तक केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का संबंध है, राजबागान डॉकयार्ड के आधुनिकीकरण की स्कीम के कार्यान्वयन पर कार्यवाही चल रही है। 7वीं योजना की जलयान खरीद स्कीम के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन स्कीम हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) निधियों का आवंटन राज्य वार नहीं किया जाता है, यह आवंटन राष्ट्रीय जलमार्ग स्कीमों और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जाती है, 8वीं योजना में 1992-93 से 1995-96 तक की अवधि के लिए 3.95 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था। किन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य वार व्यय के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :-

राज्य का नाम	(करोड़ रु.) व्यय 1992-93 से 1995-96
बिहार	0.02
गोवा	0.20
केरल	0.54
उत्तर प्रदेश	0.04
पश्चिम बंगाल	0.53
जोड़	1.33

राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण

2994. **श्री अनंत कुमार :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधियों से जुड़े सभी पहलुओं को विकसित करने तथा उनके संबंध में आधारभूत मापदंड निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख) जी, हां। औषधों के सभी पहलुओं से संबंधित बुनियादी मानकों का विकास करने का तथा परिष्कृत करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई क्षमता

2995. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के पूर्व देश में सिंचाई क्षमता 22.6 मिलियन हेक्टेयर थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश की सिंचाई क्षमता में लगातार वृद्धि करने हेतु प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए योजनाएं तैयार की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी सिंचाई क्षमता प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में सिंचाई क्षमता के अंतर का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ज) यदि हां, तो 1994-95 के अंत तक इस संबंध में राज्य-वार कितने अंतर का पता चला; और

(झ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित की गई सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किया गया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, हां। पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना तक सिंचाई क्षमता का योजनावार लक्ष्य और उन पर व्यय की गई कुल राशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के 15.80 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य में से योजना (1992-94) के पहले दो वर्षों में 3.79 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की गई।

(छ) और (ज) सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का पुनर्मूल्यांकन अध्ययन 1986 में किया गया। इस अध्ययन के आधार पर, 1994-95 के अंत में सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग के मध्य अंतराल का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(झ) राज्य सरकारों को समय-समय पर उपयुक्त जल प्रबंध उपाय और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा प्रतिष्ठापित सिंचाई क्षमता का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

विवरण-I

पहली योजना से आठवीं योजना तक सिंचाई क्षमता के सृजना के लक्ष्य और उस पर व्यय की गई कुल राशि

योजना	सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य (मिलियन हेक्टेयर)	सिंचाई क्षमता के सृजन पर व्यय राशि (करोड़ रुपए में)
पहली योजना	6.77	441.86
दूसरी योजना	8.50	522.23
तीसरी योजना	6.57*	903.73
चौथी योजना	9.60	1754.58
पांचवी योजना	13.11	3147.01
छठीं योजना	13.74	12495.10
सातवीं योजना	12.90	14225.64
आठवीं योजना	15.80	28391.79

*लघु सिंचाई स्कीमों के लिए लक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

1994-95 के अंत तक वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग में अंतराल

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता	उपयोग की गई सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के मध्य अंतराल
1.	आंध्र प्रदेश	6058.08	5617.95	440.13
2.	अरूणाचल प्रदेश	75.13	66.08	9.05
3.	असम	811.65	617.71	193.94
4.	बिहार	8167.90	7134.24	1033.66
5.	गोवा	33.23	30.10	3.13
6.	गुजरात	3282.78	3024.97	257.81
7.	हरियाणा	3635.47	3343.12	292.35
8.	हिमाचल प्रदेश	155.87	130.74	25.13
9.	जम्मू और कश्मीर	543.56	507.70	35.86

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता	उपयोग की गई सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के मध्य अंतराल
10.	कर्नाटक	3075.76	2793.11	282.65
11.	केरल	1077.75	992.49	85.26
12.	मध्य प्रदेश	4810.79	3957.70	853.09
13.	महाराष्ट्र	4748.79	3438.85	1309.94
14.	मणिपुर	126.12	105.66	28.96
15.	मेघालय	50.50	44.06	6.44
16.	मिज़ोरम	12.08	10.35	1.73
17.	नागालैंड	67.25	57.28	9.97
18.	उड़ीसा	2807.31	2536.64	270.67
19.	पंजाब	5825.52	5706.85	118.67
20.	राजस्थान	4645.84	4309.64	336.20
21.	सिक्किम	24.19	18.74	5.45
22.	तमिलनाडु	3702.64	3700.89	1.75
23.	त्रिपुरा	98.88	91.05	7.83
24.	उत्तर प्रदेश	28673.00	25702.00	2971.00
28.	पश्चिम बंगाल	4454.83	3827.55	627.28
	कुल राज्य	86964.92	77765.47	9199.45
	कुल संघ शासित क्षेत्र	102.09	89.33	12.76
	कुल योग	87067.01	77854.80	9212.21

[अनुवाद]

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई

2996. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री एन. जे. राठवा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना के बांध की ऊंचाई के संबंध में कुछ प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं जिससे कि गुजरात में यथाशीघ्र सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन का लाभ मिलता शुरू हो सके :

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा तथा अब तक की प्रगति के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अंतिम रूप कब तक दे दिए जाने की संभावना है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यथासंभव यथाशीघ्र सिंचाई तथा विद्युत दोनों के अंतरिम लाभ प्राप्त करने के लिए सरदार सरोवर बांध को 110 मीटर ई. एल. तक ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्प्लव भाग में मौजूदा 80.3 मीटर ई. एल. के स्तर से बांध की ऊंचाई बढ़ाने को प्रगति पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना उपायों के क्रियान्वयन के साथ जोड़ी गई है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर आजमगढ़ से डलकोला तक सड़क

2997. **श्री तारीक अनवर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 1989 में बिहार के कटिहार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से डलकोला तक सड़क निर्माण करने की स्वीकृति दी गई थी तथा इसका निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से किया जाना था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार को उनके मंत्रालय के दिनांक 3.1.1989 के पत्रांक एन. एच.-28012/3/88 पोलीसी/ओ. आर. द्वारा निदेश भी जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ कर दिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. सी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि से संबंधित सामान्य निदेश सभी राज्यों को 3.1.1989 को जारी किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत

2998. **श्री अमरराय प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1.4.96 से 31.7.96 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत पर राज्य-वार कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) वर्ष 1996-97 के अंत तक विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत के लिए निधियां अपेक्षित मरम्मत की तात्कालिकता और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर संस्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 1996-97 में पुलों की मरम्मत पर होने वाले संभावित व्यय के बारे में अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1995-96 में पुलों की मरम्मत हेतु जारी की गई निधियां	1.4.96 से 31.7.96 तक पुलों की मरम्मत के लिए जारी की गई निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	35.39	-
2.	असम	92.59	-
3.	बिहार	2.30	-
4.	चंडीगढ़	-	-
5.	दिल्ली	-	-
6.	गोवा	10.85	-
7.	गुजरात	28.68	-
8.	हरियाणा	17.40	-
9.	हिमाचल प्रदेश	3.41	-
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00	-
11.	कर्नाटक	1.80	
12.	केरल	8.50	-
13.	मध्य प्रदेश	26.18	-
14.	महाराष्ट्र	59.39	-
15.	मणिपुर	1.01	-

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1995-96 में पुलों की मरम्मत हेतु जारी की गई निधियां	1.4.96 से 31.7.96 तक पुलों की मरम्मत के लिए जारी की गई निधियां
16.	मेघालय	3.89	-
17.	नागालैंड	-	-
18.	उड़ीसा	20.82	-
19.	पांडीचेरी	-	-
20.	पंजाब	9.03	-
21.	राजस्थान	1.60	-
22.	तमिलनाडु	4.31	-
23.	उत्तर प्रदेश	38.26	-
24.	पश्चिम बंगाल	3.87	-
	कुल	389.28	

जम्मू से श्रीनगर तक मुगल सड़क

2999. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से श्रीनगर तक सभी मौसम में प्रयोग की जाने वाली मुगल सड़क के पुनर्निर्माण का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क की कुल लम्बाई क्या है तथा इसका पुनर्निर्माण किए जाने हेतु कितना परिव्यय होगा;

(ग) क्या इस सड़क के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) इस सड़क की लम्बाई लगभग 85 कि. मी. है और वर्ष 1994-95 के मूल्यों पर अनुमानित लागत 77.40 करोड़ रुपए है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(घ) परियोजना पूरी होने में छः वर्ष का समय लगने की संभावना है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की जम्मू-कश्मीर यात्रा

3001. **श्री पिनाकी मिश्र :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल को जम्मू-कश्मीर में होने वाले लोक सभा चुनावों के दौरान अथवा तत्पश्चात अपने दल को इस राज्य में भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को निजी क्षेत्र को सौंपा जाना

3002. **श्री बची सिंह रावत "बचदा" :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को सरकारी क्षेत्र से हटा कर निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई नहरों के मरम्मत कार्य हेतु जारी धनराशि

3003. **श्री बची सिंह रावत "बचदा" :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के नौ पर्वतीय जिलों मे सिंचाई नहरों के वार्षिक मरम्मत कार्य हेतु गत तीन वर्षों से कोई धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा विशेष मरम्मत् और मानसून द्वारा हानि योजना के अंतर्गत कोई धनराशि जारी नहीं किए जाने के कारण अधिकतर नहरें चालू हालत में नहीं हैं; और

(ग) नहरों को सिंचाई कार्य के लिए ठिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है। सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, क्रियान्वयन तथा रखरखाव, राज्य सरकार द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। नहरों सहित सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव पर व्यय तथा निधियों के प्रावधान की सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटना दावों का निपटारा

3004. **श्री इलियास आज़मी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा विशेषतः उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के दावों के निपटान के मामले में मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सकरार का विचार मोटर वाहन दुर्घटना दावों के न्यायाधिकरण द्वारा दावों का शीघ्र निपटान करने और ऐसे मामले में आगे और मुकदमें बाजी रोकने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गनिर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद

3005. **श्री बची सिंह रावत "बंचदा"** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सेकेन्डरी और इन्टरमीडियट स्कूलों में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षकों के पदों के रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य कुप्रभावित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश की बसों का बीमा

3006. **श्री इलियास आज़मी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को बीमा के कराने से छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को तृतीय पक्षकार जोखिम की सीमा तक बसों का बीमा कराने से छूट दे दी है।

लेह और कारगिल में जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण

3007. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह में जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन के निर्माण के लिए भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय प्राधिकारियों को सौंप दी गई है;

(ख) इस भवन के निर्माण की कुल अनुमानित लागत कितनी है तथा अब तक कितनी राशि खर्च की गई,

(ग) लद्दाख के कारगिल जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन का निर्माण अभी किस अवस्था में है; और

(घ) स्कूल भवन के कब तक पूरा होने की सभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) लेह स्थित नवोदय विद्यालय के लिए 156.88 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर भवन निर्माण की संस्वीकृत दे दी गई है। निर्माण एजेंसी को 28.82 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में पहले ही दे दिए गए हैं।

(ग) कारगिल स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण को 185.44 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर पहले ही संस्वीकृत कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी को 19.80 लाख रुपए की अग्रिम राशि पहले ही दे दी गई है।

(घ) कार्य वर्ष 1998 में पूरा कर लिए जाने की आशा है।

सेना में कश्मीरी युवक

3008. **श्री गुलाम रसूल कार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों द्वारा सेना में नियुक्ति हेतु चुने गए कश्मीरी युवाओं की स्थानीय पुलिस का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कश्मीरी युवाओं की समस्याओं से अवगत है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) से (ग) सेना में भर्ती होने के पश्चात् कश्मीरी युवकों सहित चुने गए प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त को सिविल पुलिस के माध्यम से जांच कराई जाती है। घाटी में व्याप्त विशेष परिस्थितियों के कारण श्रीनगर में स्थित जम्मू-कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट प्रशिक्षण केन्द्र, सेना में भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से उनके इलाके के थानाध्यक्ष द्वारा, विधिवत् हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण-पत्र मांगता है। इस संबंध में कश्मीरी युवकों द्वारा झेली जा रही किसी भी प्रकार की कठिनाई के बारे में सरकार को कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

कला क्षेत्र फाउन्डेशन, मद्रास का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्मई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) कला क्षेत्र फाउन्डेशन, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कलाक्षेत्र फाउन्डेशन, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-322/96]

(3) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्यालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. - 323/96]

(5) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्यालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-324/46]

(7) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्यालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 325/96]

(9) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलम्भ के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-326/96]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 आदि के अधीन अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्री (श्री श्रीकांत जेना) : मैं श्री टी. जी. वेंकटरामन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 153 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 154 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 157 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 158 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 158 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 160 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 80 (अ), जो 8 फरवरी 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 81 (अ), जो 8 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 16 अगस्त, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(नौ) सा.का.नि. 155 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 156 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें दिनांक 18 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1757 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(ग्यारह) सा.का.नि. 161 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा.का.नि. 162 (अ), जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (भवन निर्माण अग्रिम पर कर राजसहायता छूट) पहला संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 327/96]

(2) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत पोत परिवहन महानिदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय (सेल्स) ग्रुप क और ख (गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1995, जो 26 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 172 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 328/96]

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (लोड लाइन सर्वेक्षणों के लिए शुल्क) संशोधन नियम, 1996, जो 1 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 108 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 329/96]

(4) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 24 के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 330/96]

(6) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) एक्स. मुम्बई डॉक श्रम बोर्ड का 25 फरवरी, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्स. मुम्बई डॉक श्रम बोर्ड के 25 फरवरी, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 331/96]

स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान चंडीगढ़ का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) स्नात्कोतर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नात्कोतर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्नात्कोतर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नात्कोतर आयुर्विज्ञान शिक्षा ओर अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 332/96]

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 333/96]

(5) (एक) लाला राम स्वरूप क्षयरोग तथा सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) लाला राम स्वरूप क्षयरोग तथा सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 334/96]

(7) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गएं। देखिए संख्या एल. टी. 335/96]

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1994-95 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 336/96]

(11)(एक) कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 337/96]

(13)(एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसज, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसज, बंगलौर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 338/96]

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 334/96]

(3) (एक) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 340/96]

(5) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 341/96]

(7) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 342/96]

(9) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 343/96]

(11)(एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद के वर्ष 1994-95 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 344/96]

(13)राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 345/96]

(15)(एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्वर के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्वर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 346/96]

(17)(एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बार में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 347/96]

(19) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 348/96]

(21)(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 349/96]

(23)केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 350/96]

(25)(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 351/96]

(27)(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 352/96]

(28) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अगजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(29) उपर्युक्त (27) और (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 353/96]

(30) उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4), जो 6 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 354/96]

(31)(एक) प्राइमरी एज्यूकेशन डवलपमेंट सोसाइटी आफ केरला, त्रिवेंद्रम के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्राइमरी एज्यूकेशन डवलपमेंट सोसाइटी आफ केरला, त्रिवेदन्द्रम के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 355/96]

सामान्य आरक्षित अभियन्ता बल ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन जारी सामान्य आरक्षित अभियन्ता बल ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" भर्ती (संशोधन) नियम, 1996, जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 247 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 356/96]

अपराह्न 12.03 बजे

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव : महोदय, 11 जून, 1996 को सभा को दी गई सूचना के बाद चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयक सभापटल पर रखता हूं :-

1. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1996;
2. विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1996;
3. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1996;
4. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1996;
5. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1996;
6. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 1996;
7. माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1996; और
8. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, आज मदर टेरेसा का जन्म दिवस है। वह बीमार हैं और उनका उपचार चल रहा है। हमें उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सदन की ओर से मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : अमरनाथ यात्रा की दुर्घटना में बहुत अधिक लोग मारे गए है। लेकिन राज्यपाल अपने सभी अधिकारियों सहित पिछले तीन दिन के दौरान दिल्ली में थे। राज्यपाल पिछले तीन दिन से दिल्ली में क्या कर रहे थे? **(व्यवधान)** मैने तीन संदेश भेजे ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासाहसिंह राक्त (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर हमारे स्थगन प्रस्ताव है। **(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : गवर्नमैन्ट को खुद आगे आना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : महोदय, अमरनाथ की त्रासदी बहुत ही गम्भीर मामला है और इसपर यहां चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, मुझे अमरनाथ में हुई इस दुखद दुर्घटना पर अनेक नोटिस मिले हैं। मैने निधन सम्बन्धी उल्लेख में इसका जिक्र किया है। हमें इस बारे मे चर्चा करने का कोई तरीका निकालना होगा। जैसा कि मैने कहा, मुझे बहुत से नोटिस मिले हैं। मैं इस पर बोलने के लिए एक एक सदस्य को बुलाऊंगा। हमें इस पर वादविवाद नहीं करना चाहिए। हमें तो इस दुर्घटना पर बोलने के लिए कोई विधि खोजनी होगी।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, कृपया मदर टेरेसा के बारे में कुछ

कहें। उनका कलकत्ता के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं सदन की ओर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज प्रातकाल आपने जहां पूर्व माननीय सदस्य को मृत्यु पर शोक प्रकट किया, वहां अमरनाथ की यात्रा में जो लोग गए हुए है, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन पर भी शोक प्रकट किया। लेकिन प्रश्न केवल शोक प्रकट करने का नहीं है, हम अपना शेष भी प्रकट करना चाहते है। क्या यह प्रकृति का प्रकोप है, या इसमें मानवीय विफलता भी शामिल है? इसीलिए हमने कामरोको प्रस्ताव दिया है। नियमों के अंतर्गत हमारी कामरोको प्रस्ताव नियमों की सारी शर्ते पूरी करता है। चर्चा होगी, लेकिन किस रूप में होगी, यह भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात पर बल देना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि इस सम्बन्ध में आप हमें कामरोको प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दें और सरकार की आलोचना करने का मौका दें।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय , मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने स्थगन प्रस्ताव क्यों दिया है। विपक्ष के नेता ने एक बात कही है। वस्तुतः यह बहुत असामान्य और आसाधारण बात है कि अध्यक्ष सामुहिक तौर पर शोक व्यक्त करते है और अध्यक्ष पीठ से सामूहिक संवेदना करते हैं। आज ऐसा एक अवसर था जब आपने स्वयं ऐसा किया। हमने भी आपसे अनुरोध किया था कि इस सदन द्वारा सामूहिक शोक व्यक्त किया जाए। स्थगन प्रस्ताव लाने का कोई और कारण नहीं है। स्थगन प्रस्ताव का गृहीत हो जाना ही हमारी मांग मान लिए जाने के समान है।

जैसा कि प्रस्ताव से स्पष्ट है यह अभूतपूर्व आयाम वाली भयंकर मानव त्रासदी है। वे आयाम क्या हैं? इसी कारण इसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध है कि स्थगन प्रस्ताव क्यों न स्वीकृत किया जाए। आजतक और अबतक जबकि हम इसपर चर्चा कर रहे है 1,50,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों को बहुत ही अधिक प्रतिकूल मौसम में पहाड़ों में उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है। लगभग 350 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग और पहाड़ी पगडंडियों में लगभग 100 किलोमीटर मार्ग पहाड़ी रास्ता है। हमें कुछ और बातों की चिंता नहीं है। हमारी शिकायत प्रतिकूल मौसम के बारे में नहीं है। हमारी शिकायत और जिस कारण हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं वह सरकार की उदासीनता के बारे में है और पर्याप्त तैयारी करने में बरती गई अयोग्यता के बारे में है। फिर वहां फंसे तीर्थयात्रियों को राहत और समय रहते सहायता पहुंचाने में बरती गई साबधानी के बारे में है। यह बिल्कुल अक्षम्य है क्योंकि आजतक जबकि हम यह कर रहे है सरकार के कार्य में वह तेजी नहीं है जो होनी चाहिए। जो उस दुर्गम क्षेत्र से परिचित है उन्हें यह पता होगा कि पंचतरणी में, जो 15,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर है, तीर्थ यात्री फंसे पड़े हैं। शेषनाग में तीर्थयात्री फंसे पड़े है। आज 70,000 तीर्थयात्री पहलगाम में हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पहलगाम में 70,000 लोगों के ठहरने की जगह नहीं है। यदि आप पहलगाम में 70,000 तीर्थयात्री को रखते हैं तो इससे समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी। सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। वहां मारे गए तीर्थयात्रियों की वास्तविक संख्या का पता ही नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा बताए जाने वाले आंकड़ों में अंतर है। यह अन्तर उनकी संख्या में है। उस क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधियों से हमें प्राप्त रिपोर्टों, गैर सरकारी तथा अन्य एजेंसियों और स्वंय तीर्थयात्रियों से प्राप्त रिपोर्टों से यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। रिपोर्टों में 200 से लेकर इसमे कई गुना अधिक लोग मारे गए हैं। यह समाचार है कि 400 शव पहले ही श्रीनगर भेजे जा चुके हैं। शवों को वहां से हटाये जाने में भी उदासीनता बरती गई है। मुझे मेरे नेता ने अनुदेश दिए थे। मुझे स्वयं यह करना पड़ा। मैं वहां था। कल और एक दिन पहले मैंने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों व अधिकारियों से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया। मैने प्रधान मंत्री से सम्पर्क करने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश गए है। मैंने ग्रह मंत्री से सम्पर्क करने का प्रयास किया। मुझे बताया गया कि ग्रह मंत्री कलकत्ता गए हुए हैं। मैंने रक्षा मंत्री से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया। वह कही और जगह गए हुए थे। मैंने रेल मंत्री से भी सम्पर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि रेल सहायता व राहत का सीधा सम्पर्क है, किन्तु रेल मंत्री भी नहीं थे और सबसे अधिक अश्रम्य यह है कि जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल, जो भारत सरकार की ओर से राज्य के प्रशासन के लिए सीधे उत्तरदायी हैं, इस भयंकर दुर्घटना के समय तीन दिन से दिल्ली में निश्चिंत बैठे थे और राज्यपाल महोदय ने श्रीनगर वापस जाना आवश्यक नहीं समझा... (**व्यवधान**)। केवल इतना ही नहीं, ग्रह मंत्री महोदय 22 अगस्त को घाटी में ही थे। यात्रा 22 अगस्त को आरम्भ हो गई थी। उन्होंने अपने अन्य प्रत्येक उत्तरदायित्व का उल्लेख किया। हमें उनके इन उल्लेखों से आपत्ति नहीं है। किन्तु उन्होंने यात्रा के बारे में एक भी उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने यात्रा के बारे में किए गए प्रबन्धों की पर्यवीक्षा करना, उनके बारे में जांच करना तथा जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझा। चूंकि व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करने में मेरे सभी प्रयास विफल रहे, इसी कारण हम आपसे पुनः कहते है कि आप हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें।

मैं तीन या चार अतिरिक्त कारण और बताता हूं आधार पर यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। फंसे तीर्थयात्रियों को राहत पहुंचाने और उनकी सहायता करने के लिए सेना समय पर नहीं बुलाई गई और सेना इसलिए नहीं बुलाई गई क्योंकि जम्मू व कश्मीर में ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जो सेना को बुला सके। सशस्त्र सेनाओं से अनुरोध करने वाला वहां कोई नहीं था। मुझे बताया गया कि मुख्य सचिव भी वहां मौजूद नहीं था। जहां लोग मरे वहां से हताहतों को निकालने का कार्य और मृत लोगों की जो संख्या बताई जा रही है, वह सभी गलत है। मुझे बताया गया है कि 2000 लोगों को हैलीकाप्टरों द्वारा पंचतरणी से ले जाकर बलताल पहुंचाया गया। यह व्यावहारिक रूप से असम्भव है। 2000 लोगों को हैलीकप्टर से पंचतरणी से बलताल तक ले जानेमें दोनो ओर से कम से कम एक घण्टे का समय लगता है। एक बार 16 व्यक्तियों से अधिक लोग हैलीकाप्टर से नहीं लेजाए जा सकते और 2000 लोगों को हैलीकाप्टर से ले जाने के लिए वायुसेना के सभी हैलीकाप्टर इस कार्य में लगाने पड़ेंगे। ऐसे गलत आंकडे दिए जा रहे हैं।

राहत पहुंचाने वाली रेल गाड़ियों के बारे में देखें। मैने उधमपुर में अपने प्रतिनिधि से सम्पर्क किया। मैने रेल मंत्री से सम्पर्क करने का प्रयास किया। अंत में मैं केवल एक ही अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पाया जो केन्द्रीय गृह सचिव थे। मुझे बताया गया कि एक रेल गाड़ी जम्मू में है जो 24 तारीख की शाम को जम्मू से लोगों को लेजायेगी। मुझे फिर बताया गया कि वहां इतने यात्री नहीं है जिन्हें वहां से जाया जा सके। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब 1,50,000 लोगों को यह बताया गया है कि यात्रा समाप्त कर दी गई है और उन्हें वहां से आने के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें लाने के लिए कोई राहत रेल गाड़ी नहीं है। यह मिथ्या प्रचार किया जा रहा है क्योंकि यह समाचार घोषणा कर रही है कि यात्रा समाप्त कर दी गई है, यात्रा हो रही है, फिर कहा जाता है कि यात्रा सामाप्त कर दी गई है, और 1,50,000 तीर्थ यात्रियों को वहां से ले जाने के लिए केवल एक ही रेल गाड़ी है। मै समझता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री इस पर प्रकाश डालें।

इन सब मुद्दों के अलावा हम यह क्यों कहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया जाये क्योंकि हमारी स्मृति में अमरनाथ गुफा के लिए छडी मुबारक की यात्रा को इस तरह कभी भी समाप्त नहीं किया गया है। हमारी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कि रक्षा बन्धन से पहले यात्रा रद्द कर दी जाए और यात्रियों से वापस जाने को कहा जाए। आज रेडियों से समाचार प्रसारित हुआ है कि छड़ी मुबारक को हैलीकाप्टर से अमरनाथ की गुफा तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है। यह अभूतपूर्व मानव श्रासदी है। हमारी स्मृति में ऐसा कभी नही हुआ कि अमरनाथ यात्रा इस तरह बन्द करी गई और छड़ी मुबारक को हैलीकाप्टर से गुफातक ले जाया जाए। यदि यह विफतला नहीं है तो मैं नहीं समझता कि विफलता क्या होती है। इस विफलता, इस क्रूरता और इस अयोग्यता के कारण ही हम आपसे अनुरोध करते है कि स्थगन प्रस्ताव की हमारी मांग स्वीकार करें क्योंकि इस असफलता के लिए यदि सरकार की निन्दा व प्रताड़ना नहीं की गई तो हमारा यहां क्या औचित्य है?

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा।

आपने बैठक बुलाई कुछ चर्चा की और फिर हम कुछ करने के लिए सहमत हो गये। किन्तु यहां आने पर सब कुछ विपरीत हो रहा है। श्री जसवंत सिंह बैठक में मौजूद थे। श्री जेना और श्री पसवान जी भी उपस्थित थे ... **(व्यवधान)** ... उसमें चर्चा हुई और यह बताया गया था 'कि गृह मंत्री वहां गए हैं। वह वापस आकर सदन में एक वक्तव्य देंगे'। अब हमने श्री जसवंत सिंह जी से सुना है कि उन्होंने क्या किया है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने प्रधान मंत्री और श्री जेना जी से सम्पर्क किया। हमने अपनी चिंता और शोक व्यक्त किया और हमने यह जानना चाहा कि वहां क्या हो रहा है। हमें बताया गया कि गृह मंत्री को वहां भेजा गया है। वह वापस आकर इस सम्मानीय सदन में एक वक्तव्य देंगे।

कश्मीर से निर्वाचित सदस्य यहां हैं। उन्होंने कहा है और श्री दासमुंशी तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि चूंकि समस्त देश भर से लोग वहां तीर्थयात्रा पर गए हैं इसलिए वह केवल कश्मीर का ही मामला नहीं है। कहीं कुछ चूक हो गई है। वह चूक है क्या? जब तक हम गृह मंत्री की बात नहीं सुनते हम श्री जसवंत सिंह जी की तरह किसी निर्णय पर नहीं पहुचना चाहते। मैं इसका पारंगत नहीं हूं। ऐसा प्रतीत होता कि यह दल प्रत्येक बात में प्रवीण है। वे मामले से पहले ही फैसला कर लेते है। किन्तु वास्तविक्ता यह है कि आगे क्या होगा। क्या यात्रा चालू है ... **(व्यवधान)**

श्री बी. एल. शर्मा 'प्रेम' (पूर्वी दिल्ली) : आप बताना क्या चाहते हैं? ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आप की ओर भी आऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह सरकार की संवेदन हीनता का नमूना है और उनके समर्थकों का यह नमूना है कि वे इस प्रकार से लोगों को बोलने के लिए मना कर रहे हैं ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैने श्री जसवंत सिंह जी अथवा श्री वाजपेयी के भाषण में बाधा नहीं डाली। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और मुझे भी। मै जो कुछ कहना चाहता हूं वह अपनी एक ही बात के विरोध में कहना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिये।

श्री संतोष मोहन देव : हमने इस बारे में समाचार पत्रों में भी पढा है।

मैं समझता हूं कि अर्ध सैनिक बलों और स्वंय सेवी बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है अन्यथा बहुत अधिक लोग मरते। सरकार की ओर से कमी रही है। हमें भी यह सुन कर उनकी अप्रसन्नता है कि राज्यपाल प्रधान मंत्री के साथ रात्रि भोजन के लिए दिल्ली में थे। यह समाचार पत्रों में बताया गया है, हम नहीं जानते कि यह कहां तक सही है।

लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी। यहां वर्षों से तीर्थयात्रा होती आ रही है। यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा मौसम रहा होगा और अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही पहले भी की गई होगी। यह दि हिन्दुस्तान टाइम्स अथवा टाइम्स आफ इंडिया में लिखा गया है।

अतः महोदय, हम इसपर बारीकी से चर्चा करना चाहते हैं। कश्मीर तथा अन्य भागों के सभी सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, और जैसा कि आपके कक्ष में निर्णय किया गया है सर्वप्रथम मैं यह अनुरोध करूंगा कि सरकार बताये कि उसे सम्बन्धित अधिकारियों से अब तक क्या सूचना प्राप्त हुई है और इसपर चर्चा करने की तिथि निर्धारित करें।

महोदय, हम स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते है। यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत की जानी चाहिए। हर एक बात में स्थगन प्रस्ताव लाना अति है। हम

इसे नहीं चाहते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले कश्मीर से आए सदस्यों को एक एक करके बोलने की अनुमति दें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अधीर न हों। मैं सब को बुलाऊंगा (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, कल रात को टी.वी. पर से नम्बर बताए थे कि जिस किसी को कश्मीर के विषय में जानकारी लेनी हो वे इन नम्बरों पर टेलीफोन करें। ... (**व्यवधान**) मैंने आज अब जब इस नम्बर पर टेलीफोन किया तो पता लगा कि यह एक प्राइवेट व्यक्ति का नम्बर है। (**व्यवधान**) ... (कार्यवही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे टेलीफोन नम्बर देने के लिए नहीं कहा। यह कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह राष्ट्रीय शोक का विषय है और हम सभी को इसपर दुख है। इस दुखद घटना पर सारे देश में शोक व्यक्त है। इस मामले को राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है। निःसन्देह इस मामले पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए लेकिन समुचित जानकारी और सामग्री प्राप्त होने पर ही। जैसा कि हमें बताया गया है, गृह मंत्री महोदय वहां गए है। मैं आशा करता हूं कि वह वहां पहुंच गए होंगे क्योंकि मौसम ठीक हो गया है। उनके आज वापस आने की आशा है, और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके आने पर वह एक व्यापक वक्तव्य देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन को समुचित सामग्री उपलब्ध होने पर ही राष्ट्रीय शोक में इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए ताकि चर्चा कारगर रहे। सुझाव दिए जा सकते हैं। सरकार की स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी है। स्पष्टीकारण देना सरकार का कर्त्तव्य है।

मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय शोक के इस मामले का जिससे आप ठीक ही प्रेरित हुए है निधन सम्बन्धी वक्तव्य में उल्लेख करने पर, जो आपने दिया है सदन को विभाजित नहीं होना चाहिए। देश में मतवैभिन्नय नहीं फैलाना चाहिए। इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए। सरकार को सुझाव दो, सरकार की खिंचाई करो और करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करना चाहिए। यदि कोई चूक की गई है तो उसके लिए उसे दोषी ठहराना चाहिए। इसलिए सभी से मेरी अपील है कि हमें गृह मंत्री के वापस आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि उनके आज वापस आने की आशा है और प्राप्त सामग्री के आधार पर हम सार्थक चर्चा करेंगे।

जहां तक हमारी सहानुभूति का सम्बन्ध है, हम अपनी पूर्ण सहानुभूति दे रहे हैं। अपने दल की ओर से मुझे पूरा विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को अपनी संवेदनाए भेजने में सभी मेरे साथ हैं। हमें आशा करनी चाहिए कि यह सदन एक होकर इस मामले पर चर्चा करेगा और इस मामले पर सदन विभाजित नहीं होगा यही मेरा अनुरोध है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि मैंने पहले भी दो बार अमरनाथ यात्रा का इशु हाउस में उठाया था। उस समय यहां पर माननीय प्रधानीमंत्री जी भी बैठे थे और मैंने उनसे कहा था। अभी चटर्जी साहब ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा सारे देश की यात्रा है, यह यात्रा देश की एकता और अखंडता को प्रकट करने वाली यात्रा है। लोग रामेश्वरम से जल लेकर अमरनाथ पर जाकर चढ़ाते हैं। मैने उस वक्त यह भी कहा था कि वहां पर 15 रुपए तक चाय का कप मिलता है। वहां पर यात्रा के दिनों में लोगों को एक कम्बल का दो सौ रुपए किराया देना पड़ता है यह रिकार्ड पर है। उस समय मैने इस इशु को खड़ा करके गवर्नमेंट से प्रार्थना की थी कि आपको पहले से वहां पर कुछ प्रबन्ध करने चाहिए। इस बार की यात्रा पर रिकार्ड यात्रा थी। एक तरफ उग्रवादियों का चेलैंज था और दूसरी तरफ देश ने इस चेलैंज को कबूल किया था। डेढ़ लाख के करीब यात्री 16 तारीख को जम्मू में पहुंच चुके थे। आप अंदाजा करिए कि इस सारे हालात के अंदर सरकार द्वारा यात्रियों को कितना केजुअल लिया गया। आज कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं और उनको इस यात्रा का प्रबन्ध सौंपा गया। डी. सी. अनंतनाग को यह यात्रा का प्रबन्ध दिया गया और उसके पास जो अपना स्टाफ था वह भी सहयोग देने को तैयार नहीं था। न ही कोई एडीशनल स्टाफ आप वहां पर पहुंचा सके जोकि वे वहां कोई प्रबन्ध करते।

अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते है कि पहलगाम तक गाड़ियां जा सकती है। उसके बाद 50 किलोमीटर की जो यात्रा है वह इतनी कठिन यात्रा है, पिसु घाटी इसके अंदर आती है। 15 हजार फुट की बुलंदी तक लोगों को पहुंचाना होता है। शेषनाग, पंचतरणी, ये सारे के सारे इलाके पूरी तरह से बर्फ से भरे हुए है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के पास जो प्रबन्ध था वह मात्र टोटल 20 हजार लोगों का ही था।

वहां पर डेढ़ लाख के करीब यात्री पहुंच चुके थे लेकिन उनके इंतजाम के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई आदमी नहीं था और आज तक भी वहां पर पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है। 22 तारीख को वहां का मौसम बिगड़ जाता है, मौसम पहले भी बिगड़ते रहे हैं लेकिन हाई लैटिट्यूड की स्थिति से निपटने के लिए जो प्रबंध होने चाहिए थे उसके लिए किसी ने कोई योजना नहीं बनाई। फौर्सिज के पास इसके प्रबंध थे, लेकिन किसी ने इसके लिए कोई प्लॉनिग नहीं की, कोई इसको हाथ में लेने के लिए वहां पर नहीं था। नतीजा यह हुआ कि वहां पर मौसम के खराब होते ही यात्री फंस गये और पूरी तरह से अफरातफरी की स्थिति हो गयी। जम्मू में आज तक कोई कंट्रोल रूप नहीं था। कल 25 तारीख के 2 बजे के रेडियों के बुलेटिन में बताया गया कि कंट्रोल रूप श्रीनगर में स्थापित किया गया है। 22 तारीख को यात्री मरने शुरू हो गये थे और कुट्रोल रूम 25 को श्रीनगर के अंदर शुरू होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर क्या कर रही थी। 24 तारीख की वहां पर एनाउंस कर दिया जाता है कि यात्रा आगे नहीं जाएगी, और स्पेशल ट्रेनें जम्मू स्टेशन पर लगा दी गयी हैं। इसके बाद 15 हजार यात्री वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वापसी के लिए साढ़े ग्यारह बजे रात को ट्रेन चलनी थी।

अपराह्न 12.27 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात के डेढ़ बजे तक वहां पर कोई ट्रेन नहीं थी। वहां पर यात्री परेशान थे। आज भी 8 ट्रेनों के वहां पर लगाए जाने का अखबार में लिखा है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी स्पेशल ट्रेन नहीं चली है। चलती भी कैसे? एक तरफ तो एनाऊसमेंट हो रही है कि यात्रा स्थगित हो गयी है। दूसरी तरफ राज्यपाल कल यहां से वहां पहुंचते है। तीन दिन यहां पर अपनी दावत का इंतजार करने के बाद वहां पहुंचते हैं। आपको यह जानकार हैरानी होगी कि जम्मू के अंदर डिवीजनल कमिश्नर उपलब्ध नहीं है।

कश्मीर का चीफ-सैक्रेट्री यहां आकर बैठा हुआ है। इतने लोग मर रहे हैं लेकिन वहां पर केवल एक सकलानी के कोई नजर नहीं आता। उसकी कैपेसिटी को हम जानते हैं। वह कैसे वहां पर चीजों को डील करता रहा इस बात को भी हम जानते हैं। वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वहां पर आर्मी को जाकर कंटेक्ट करता, उनको वहां पर बुलाता। उपाध्यक्ष जी, इस यात्रा को सरकार ने बहुत ही मिनिमाइज किया, बहुत कम करके आंका, इसके महत्व को कम किया, जिसका यह सब नतीजा हुआ है।

जिस धर्म-निरपेक्षता की यह सरकार दुहाई देती है उसी धर्म-निरपेक्षता का यह एक सही नमूना था। अमरनाथ में जितना चढ़ावा आता है वह तीन हिस्सों में बांटा जाता है। एक, जो मन्दिर के पंडे है उनमें। दूसरे, जो छड़ी लेकर जाने वला महंत है उनमें और तीसरा हिस्सा वहां के जो मुस्लिम भाई हैं मलिक, उनको दिया जाता है। यह इतनी पवित्र यात्रा है लेकिन सरकार की तरफ से जितनी बाते हो रही हैं उन्हे सुनकर आश्चर्य होता है।

यहां पर बताया जा रहा है कि एक दुसरा भी रास्ता है बालटाल का रास्ता। कहा जा रहा है कि हम हैलीकोप्टर से लाशे ला रहे हैं। मेरी अपनी जानकारी है कि आज तक 60 लाशें जला दी गयी है। जो लाशें सड़क पर मिल रही हैं उन सबको जलाया जा रहा है। लोगों की लाशें उनके संबंधियों तक पहुंच सके इसका भी वहां पर कोई प्रबंध नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी लोग मरे हैं, उनकी लाशों को उनके परिवार वालो तक पहुंचाने का प्रबंध सरकार खुद करे, क्योंकि हवाई जहाजों द्वारा लाशें लाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लाशों को लाने का प्रबंध स्वयं करे। वहां पर रिलीफ देने का प्रबंध भी सरकार को तुरंत करना चाहिए। वहां की हालत यह है कि वहां वह न दवाइयां पहुंचा पा रही है न ही खाना पहुंचा पा रहा है। फूड पैकेट्स वहां पर दूसरी सरकारें पहुंचा रही हैं। आज वहां फ्यूल की बिल्कूल कमी है। कंबल वहां पर नहीं हैं। इन सब चीजों को तुरंत वहां पर पहुंचाया जाए। जम्मू और कश्मीर के बीच की सड़क इस समय बिल्कुल टूट चुकी है।

अगर आम तौर पर कश्मीर की सरकार पर यह काम छोड़ दिया गया तो वह शायद एक महीने तक तैयार नहीं हो पाएगा। बाकी देश को जोड़ने वाला यह एक ही रास्ता है। इसको तुरन्त वार फुटिंग पर ठीक करना चाहिए, यह मेरी इस्तुदा है। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का इस मामले में जितना बड़ा फेलियर है, उसको देखते हुए हमारा एडजर्नमैंट मोशन स्वीकार किया जाए ताकि इसपर हाउस में डिबेट हो सके। ... (**व्यवधान**)

प्रो. रासा सिंह रावत : इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन है।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, अमरनाथ के इस बड़े हादसे के बारे में जो ऑनरेबल मैम्बर पहले यहां कह चुके हैं, मैं अपने आप को उनके ख्यालात से जोड़ता हूं। वहां पूरे देश के यात्री पहुंचे हुए है। देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके बन्धु, उनके रिश्तेदार और उनके भाइयों के मुत्तलिक क्या खबर है, वे कहां है और क्या उनकी हालत है? दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर में कोई ऐसा इनफर्मेशन सैंटर नहीं है जहां से लोगों को पता लगे कि जो मरे है, वे कौन हैं, उनके क्या नाम है तथा जो बचे है, वे कहां हैं, उनकी क्या हालत है, जो अस्पतालों में है, उनकी क्या हालत है, वे किस-किस अस्पताल में हैं? मै ऐसा समझता हूं कि पूरे देश के लोग पेरशानी की हालत में हैं और वे अपने भाइयों और रिश्तेदारों के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले जम्मू-कश्मीर सरकार को यह हिदायत दी जाए कि वह स्वर्गवासी लोगों का और अस्पतालों में पड़े लोगों का डिटेल से पता लगाए। वे जहां-जहां रुके हुए है, उनके बारे में पूरे देश को इतला मिलनी चाहिए।

यह वाकया पहली दफा नहीं हुआ है। 1973 में भी ऐसा ही वाक्या हुआ था और मौसम खराब हो गया था। उस समय लगभग सौ यात्री मर गए थे। चूंकि यह पहला वाकया नहीं है, जम्मू-कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज और इस यात्रा के प्लैनर्स को बरसात के खराब मौसम को देखते हुए ऐसा प्लान करना चाहिए था कि अगर मौसम खराब हो जाएगा तो गर्म कपड़े दिए जाएंगे, कम्बल दिए जाएंगे, उनके रहने का तथा खाने-पीने का इंतजाम किया जाएगा लेकिन ऐसा प्लान नहीं किया गया। कम लोगों के आने के लिहाज से और अच्छे मौसम के लिहाज से प्लान किया गया। यह एक अफसोस की बात है। इसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। वहां की प्लानिंग और इंतजाम को देखकर लाखों लोगों को दुख पंहुचा है। इसके कारण कीमती जाने तलफ हो गई है। इसके लिए सारे हाउस को अफसोस है। सब लोग इस चिंता में शामिल है। इसमें जो लोग मर गए हैं, हम उनके लवाहिकीन से इजहारे हमदर्दी करते है। हम चाहते है कि जो लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं, उनके लिए अच्छा इंतजाम किया जाए। उनको अपने घरों में पहुंचाने के लिए रेल का इंतजाम हो। जम्मू श्रीनगर का रास्ता फौरी तौर पर खोला जाए। जिन लोगों के पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं, उन्हें पैसा दिया जाए और जो बीमार है, उनके इलाज का अच्छे ढंग से इंतजाम किया जाए। अगर हमारी आर्म्ड फोर्सिज और एअर फोर्स इसमें दखल नहीं देती तो और बड़ी ट्रैजडी होती और इससे कही अधिक लोग इसमे शहीद होते। मैं इस मौके पर आर्म्ड फोर्सिज, एअर फोर्स, बी.एस.एफ. और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की सराहना करता हूं। टैररिस्टों ने दावा किया था कि हम यात्रा नहीं होने देंगे, कश्मीरी अवाम ने इसमें हिस्सा लेकर उनके इस दावे को विफल कर दिया। टैररिस्टों की तरफ से कोई वाकया नहीं होने का मतलब यह निकलता है कि कश्मीर की आम जनता और खासकर मुस्लिम भाई हिन्दुस्तान में और रियासत में अमन चाहते हैं तथा गवर्नमैंट को ताबुन दे रहे हैं। मैं उनके इस रोल की सराहना करता हूं। बाकी जो फलियर हुआ है, उसकी

इनक्वायरी करायी जाए, और कसूरवार को सजा दी जाये। जहां लोग फंसे हुये है, उनको निकालने का यत्न किया जाये। जो बीमार है, उनका इलाज किया जाये। सारे देश को बिलकुल बाखबर रखा जाये कि उनके संबंधी, मित्र और रिस्तेदार कहां है, कैसे हैं और किस हालत में है? मैं समझता हूं कि सारे सदन को इस ट्रेजेटी की निन्दा करनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर हुआ है, उनको सजा दी जाये ताकि आइंदा ऐसा न हो। ऐसे लोगों की यात्रा के लिये ठीक इंतजाम किया जाये। इसके अलावा हमारे कांग्रेस के मैम्बरों ने नियम 188 के तहत जो नोटिस दिया है, उस पर डिसकशन किया जाये।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय शोक है। श्री जसवंत सिंह और श्री चमन लाल जी ने इस सदन में जो कुछ कहा है, यदि उसका 50 प्रतिशत अंश सही है तो इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार खराब मौसम के कारण उत्पन्न स्थिति के प्रति न केवल असंवेदनशील थी बल्कि उस दुर्घटना के बाद सरकार निर्दय भी है उसपर अपने कर्त्तव्य पालन में ढील बरतने पर दोषरोहण किया जाना चाहिए।

कोई भी आशा नहीं कर सकता कि इतनी बडी दुर्घटना के बाद राज्यपाल दिल्ली में रहे। ऐसा कोई कारण नहीं कि वे जम्मू या कश्मीर नहीं जाते और वहां प्रबन्ध व्यवस्था नहीं करते। सरकार से यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि राज्यपाल के दिल्ली में रहने के ऐसे क्या कारण थे और कश्मीर के सभी अधिकारी दुर्घटना स्थल पर क्यों नहीं गए? प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सहित भारत के उत्तरदायी अधिकारियों ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दुर्घटना स्थल पर पहुंचना क्यों नहीं उचित समझा? कोई और अत्यावश्यक समस्या नहीं थी और मैं जानता हूं कि सरकार कोई महत्पूर्ण निर्णय करने में व्यस्त नहीं है जिससे कि देश के भाग्य का निश्चत हो। फिर उन्होंने इस त्रासदी पर ध्यान क्यों नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भावनात्मक विषय है। मैं माननीय विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगा कि इसे पक्षपाती मामला न बनाएं। किन्तु मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्थिति को समझते हुए कोई टालमटोल की बात न करें। यह ऐसी स्थिति है जिसमें हम सभी को एक होकर यह पता लगाना चाहिए कि कमी कहां रही है। कौन लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें छोडा नहीं जाए। मुझे किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध कोई रंजिश नहीं है। मुझे "गोली चलने" के बारे में कोई पता नहीं है। किन्तु महोदय, राष्ट्र के लिए इससे अधिक निर्लज्जता और खेद की बात नहीं हो सकती। प्राकृतिक आपदाएं होती है और हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन श्री चमन लाल जी ने जो कुछ कहा है वह बहुत आघात पहुंचाने वाली बात है कि तीन या चार दिन के बाद तो वहां नियंत्रण कक्ष बन पाया। यह दुर्घटना के एक दो घण्टे के भीतर ही बन जाना चाहिए। ऐसी गम्भीर दुर्घटना के तीन दिन बात तक सरकार क्या करती रही? रक्षा बलों को स्तर्क क्यों नहीं किया गया और उन्हें तुरन्त नियंत्रण कक्ष शुरू करने के लिए क्यों नहीं कहा गया?

महोदय, मैं इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि कश्मीर सरकार से इससे अधिक निकृष्ट की ही अपेक्षा की जा सकती है। और यदि मैं इस सरकार के बारे में भी यही कहुं तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यदि गृह मंत्री वक्तव्य दें तो उन्हें श्री जसवंत सिंह और श्री चमन लाल जी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए। तभी इस विषय पर चर्चा सार्थक सिद्ध होगी।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए सारा सदन समवेत स्वर से चिन्तित है। इस घटना को राजनैतिक रूप देने का प्रश्न नहीं है और न ही नेता प्रतिपक्ष ने और न ही श्री जसवंत सिंह जी ने इसको राजनैतिक रूप देने की चेष्टा की है और न वे चाहेंगे कि इस घटना को राजनैतिक रूप दिया जाये। यह एक राष्ट्रीय दुर्घटना है और उसी परिप्रेक्ष्य में उस पर विचार करना चाहिये। विचार की बात यह है कि इस दुर्घटना के बारे में बहुत पहले से संकेत दिया जा रहे थे।

मुझे स्मरण है कि इसी सदन में हमारे सम्माननीय गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वह पूरा प्रबंध करेंगे, पूरी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे और ऐसा इंतजाम करेंगे जैसा पहले नहीं हुआ, उससे बेहतर इंतजाम करेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरह से यदि है जब श्री चमन लाल जी ने यह सवाल पहली बार उठाया था तो उसका जवाब माननीय गृह मंत्री जी ने यहां इस आश्वासन के रूप में दिया था। मैं जानना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद गृह मंत्रालय ने और कश्मीर सरकार ने क्या कदम उठाए। किस रूप में उन्होंने इस आश्वासन को लिया और किस तरह उन्होंने वहां इंतजामात किये? मेरे पास कल से जो कल से जो खबरे आ रही थी, मैंने गृह सचिव महोदय को बार-बार बताया कि वहां मृतकों की संख्या 120 या 160 नहीं है, 400 या 500 से अधिक लोग वहां काल के कराल में जा सकते हैं। सवेरे मेरे पास वहां से टेलीफोन आया कि 400 से अधिक और 500 के लगभग तक शव लोगों ने देखे हैं और यह भी बताया गया कि बहुत से शव जलाए जा रहे हैं, उनकी पहचान नहीं की जा रही है और उनके परिवारजनों को सूचना नहीं दी जा रही है।

अपराहन् 12.41 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे पास कल से आज तक करीब-करीब 60-70 स्थानों से टेलीफोन आए जिनके घर वालों को यह चिन्ता है कि हमारे परिवार के लोग कहां है और उनकी कोई सूचना उनके पास नहीं है। वे वहां जा नहीं सकते। वहां से उनको लाया नहीं जा सकता जो वहां यात्रा के लिए गए थे। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने सारे कार्यों को छोड़कर इस घटना के बारे में विचार करें तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन श्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि गृह मंत्री जी वहां गए हैं और अगर गृह मंत्री जी और सरकार इस बारे में कहना चाहती है तो वह बताए। हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार का अभी तक क्या रेस्पोन्स रहा? बहुत अफसोसा की बात है कि शुरू में ही जैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष की ओर से और उप नेता प्रतिपक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव की बात कही गई थी, तो सरकार कम से कम यहां अपनी जानकारी रखने के लिए उपस्थित होती लेकिन हमें अफसोस है कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया न केवल कश्मीर सरकार, बल्कि मुझे लगता है कि पूरी की पूरी केन्द्रीय सरकार भी इस मामले में संवेदनशून्य है। वहां मुझे

बताया गया कि जो लोग वापस आना चाहते हैं, रेल विभाग के लोग उनसे जम्मू में कह रहे हैं कि आप प्रमाण पत्र दीजिए कि आप रोड ब्लोकेड की वजह से वापस लौट रहे है। उनका आरक्षण पांच-छः दिन आगे का था, 28 तारीख के बाद का था। उनको यात्रा समाप्त होने की सूचना दी गई तो वे लोग लौटने लगे। जब वे रेल काउंटर पर अपना टिकट लेकर पहुंचते है तो रेल काउंटर पर उनको कहा जाता है कि आप यह प्रमाण-पत्र दीजिए कि आप सड़क अवरुद्ध होने के कारण वापस लौट रहे हैं, तक हम आपको जगह देंगे। एक तरफ कहा जाता है कि हम गाड़ियां चला रहे है और दूसरी तरफ ये सूचनाएं मिलती हैं। मै नही जानता कि इसमें कोई अधिकारी इस तरह का रुख कैसे ले सकता है। यह तो नितांत संवेदनशून्यता का प्रतीक है कि एक तरफ लोग वहां मर जांए, वे अटक जाएं, मौसम खराब हो और वे लोग घर आना चाहें और सरकार उसका भी प्रबंध न करे। यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए और जैसा श्री चमन लाल जी ने बताया, यह यात्रा भारत की एकता-अखंडता का प्रतीक है, भाई-चारे का प्रतीक है और लोगों के उद्यम और साहस का प्रतीक है। ऐसे लोग जो लाखों की तादाद में कश्मीर पहुंचे हैं, जो आतंकवाद से ग्रस्त है, यह उनके साहस और भारत के प्रति उनकी निष्ठा का अपमान कर रहे हैं अगर आप उनके लिए कोई प्रबंध नहीं करते हैं। आप उन लाखों लोगों को जो रामेश्वरम से आए है और जो श्रीनगर और अनंतनाग होते हुए अमरनाथ जा रहे हैं भारत भूमि के लिए अपनी भावनाएं लेकर जा रहे है, देश की एकता-अखंडता के लिए जो सर्वस्व अर्पण करने जा रहे हैं, चुनौती को स्वीकार रहे हैं, मुझे बहुत अफसोसा के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उनकी भावना को परिलक्षित नहीं किया, उसको अपमानित किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर बिलकुल संजीदगी से बहस हो और सबसे अच्छा यह हो की श्री जसवंत सिंह जी ने यहां स्थगन प्रस्ताव रखा है, हम उस पर बहस करें, उसके आधार पर काम रोकें और इस सारी समस्या पर शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करें और इस बारे में सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : जनाब स्पीकर साहब, हम चार मेम्बरान बैली से ताल्लूक रखते है और हमने सुबह आपसे रैक्वैस्ट की थी कि अमरनाथ यात्रा के सिलिसिले में जो अंदोहनाक हादसा हुआ, उस पर बहस हो सके, इसके लिए क्वश्चन अवर मुल्तवी किया जाए। मैं समझता हूं कि उस रेक्वैस्ट करने में और ऐडजर्नमेंट मोशन में या हमने इसको जीरो अवर में उठाया, उसमें कोई फर्क नहीं। आपने जो एक किसम की रूलिंग दी कि इस पर बहस हो सकती है, हमको बहस करनी चाहिए।

मै कानून का इतना वाकिफ नहीं हूं। उसके बाद एडजर्नमैंट मोशन को जेरेबहस लाना या पेश करने का तरीका मुनासिब नहीं था। यह हादसा कोई एक तबके या खास लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखता। जो शिव पुजारी है वे आम तौर पर अमरनाथ यात्रा पर हर साल जाया करते है। इस अमरनाथ यात्रा का हिस्टोरीकल बैकग्राउंड कोई हजारों साल का नहीं है। यह महाराज प्रताप सिंह के वक्त में एक मुसलमान नंबरदार मिलिक ने इस गुफा को लोकेट किया और महाराजा साहब के नोटिस में लाया। तब से वहां छड़ी मुबारक आना-जाना शुरू होती है। बर्फ के नाते शिवलिंग वहां 15 दिन उभरता है और अब बर्फ पिघलती है तो 15 दिन में फिर नीचे आ जाता है। हम इसकी बहुत कद्र करते हैं। जैसे प्रो. चमनलाल गुप्ता ने कहा कि वहां पट्टसन के पंच, दूसरे मिलिक और तीसरे महंत, जो आमदनी आती है, मसावी तौर पर बांट लेते हैं। वहां जाने के दो रास्ते है-एक रास्ता पहलगाम से और दूसरा कारगिल की सड़क पर बालताल से, जहां से यात्रा शुरू होती है। यह रास्ता नजदीकी रास्ता है और गुज़िश्ता 40 साल से इस यात्रा में आहिस्ता-आहिस्ता बतद्रीज इजाफा होता जा रहा है लेकिन सड़क नहीं बनाई, जिसके लिए हुकूमत और हम जिम्मेदार हैं। आम तौर पर पहलगाम से आगे यह यात्रा चल पड़ती है। पहले तो श्रीनगर से छड़ी मुबारक चलती थी। लेकिन दहशतगर्दो की वजह से, मिलिटेंसी की वजह से अब जम्मू से छड़ी मुकारक चलती है। मैं महसूस करता हूं गुज़िश्ता 7 साल में जितने अन्दोहनाक वाकयात हुए, मै सियासी मसाइल को यहां पर उभारना नहीं चाहता हूं, इस नेशनल हाइवे पर एक बनिहाल टनल में दो साल पहले बर्फबारी की वजह से सौ लोग मारे गये और बेशुमार गाड़ियां फंस गई। किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। नेशनल हाइवे साल भर में तीन महीने बंद रहता है, कोई पुख्ता सड़क नही है। आजकल के साईंटिफिक जमाने में हम पहलगाम से गुफा तक सड़क नहीं बना पाये। वहां यात्रियों के लिए इंतजाम नहीं कर पाये। मैं समझता हूं यह एक कौमी हादसा है। आज मुलक भर के लोग परेशान हैं। एक लाख के करीब यात्री आ गये। आप चाहे सियासी मसीदों के पेशेनजर एडजर्नमेंट मोशन लाकर पास कर लें, हुकूमत की मलामत कर ले या कश्मीर की सरकार की मलामत कर लें, मैं समझता हूं कि जजमेंट देने से पहले इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें सी. आई. डी. इंक्वयरी होनी चाहिए, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनकी जांच होनी चाहिए।

आज लोग मर रहे हैं और गवर्नर वहां टस से मस नहीं होता है। यहां बीसों दफा बड़े नेताओं ने कहा कि इस गवर्नन को वहां से हटाना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि हमारे वक्त में भी बड़ी डिमांड रही, आज भी हम डिमांड करते हैं कि इस एरोगेट गवर्नर को, जो वहां बैठा हुआ है, वहां से निकालना चाहिए, पूरे तौर पर उसकी सजा मिलनी चाहिए। लोगों में एक इत्तेहाद पैदा होगा, एक एहसास पैदा होगा कि मरकजी सरकार एक्शन लेने वाली है और जो यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं उन्हें सरकार को संभालना चाहिए, उनके लिए रोटी का बंदोबस्त होना चाहिए। वहां 25 रुपए में दाल की एक प्लेट बिकती है। रास्ते में 5 से 10 रुपए में चाय का एक कप बिकता है। उनके पास कपड़े और रहने का कोई इंतजाम नहीं है। मै समझता हूं यह शर्मनाक है, हमें शर्मिंदा होना चाहिए। बजाय इसके कि इसे हमे पोलिटिकल मसला बनायें, मैं चाहता हूं कि कि हाम मिनिस्टर साहब एक स्टेटमैंट देंगे और स्टेटमैंट देकर अपनी कमजोरियों को बतायेंगे, उनको छिपाना नहीं चाहिए और मैं अपोजीशन लीडर वाजपेयी साहब से गुजारिश करुंगा कि बजाय इसको अपना मसला बनायें, कौमी मसला बनाने के नाते हमको इस पर बात करनी चाहिए और बहस तब हो सकती है जब हमारे सामने सरकार की तरफ से मैटीरियल आ जाए। मैं प्रो. चमन लाल गुप्ता के जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं।

आज वहां लोगो के जजबात इतने मजरूह हैं, हर कश्मीरी के जजबात इतने मजरूह है कि हर टैक्सी वाला, बस वाला और जितने इर्द-गिर्द रहने वाले लोग हैं, वहां इस वक्त कोई हिन्दू नहीं, मुसलमान ही इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, मुसलमान ही मदद करते हैं। हम उसमें मदद करते हैं। इतने सालों की मिलिटेंसी के बावजूद भी वहां इतने लोग यात्रा के लिए आ गए, हमारे लोगो ने वैलकम किया,

मुसलमानों ने वैलकम किया और मैं महसूस करता हूं, कि होम मिनिस्टर को यहां आकर स्टेटमैंट देना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें वहां से निकालना चाहिए।

मैंने आज जो दो साल पहले कहा था कि वहां तीन फौजी जनरल और एक पोस्टमास्टर ये चार लोग मिलकर ही हकूमत चलाते थे। अब हफ्तेभर की बात है, इस महीने वहां इलैक्शन होने वाले हैं। कल चूंकि यहां कश्मीर का बजट आ रहा है, मैं उस पर भी कुछ कहना चाहूंगा लेकिन हमें खबर होनी चाहिए। जब नई सरकार वहां आ जाएगी, उसे अमरनाथ यात्रा को आसान बनाना चाहिए। यात्रा के दौरान रसद का इंतजाम, होटलों का इंतजाम और लोगों के ठहरने का इंतजाम करना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब वहां हमारी सरकार, एक जवाबदेह सरकार मुंतजिम हो। इसलिए मैं चहता हूं कि एडजर्नमेंट मोशन को वापस लेना चाहिए, कौमी एकता के तौर पर कोई मुश्तरका फैसला हमें इस मसले पर करना चाहिए और इस यात्रा को आसान बनाना चाहिए। हमें गुफा की पवित्रता को महफूज रखना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ हिन्दू शिवभक्त पुजारी ही वहां न जाएं, बल्कि दूसरे लोग जो शिव के पुजारी नहीं है, वे भी वहां जाएं, मुसलमान भी जाएं और एक किस्म की कौमी एकता के तौर पर यह यात्रा होनी चाहिए। यही वाजपेयी जी, मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा। जिन्होंने यहां एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है, मैं समझता हूं कि उसे पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि लापरवाही हुई है, हम उस लापरवाही के लिए शर्मिन्दा हैं, हमारा सिर झुक जाता है। इस मसले पर तफसील के साथ हमें बात करनी चाहिए। इतना ही कहते हुए, मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री गुलाम रसूल कलो (बारामूला): जनाब स्पीकर साहब, हम चार ممبران دہلی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم نے صبح آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ امرناتھ یاترا کے سلسلے میں جو اندوہناک حادثہ ہوا ہے اس پر بحث ہو سکے اس کے لئے کوشچن اور ملتوی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ریکویسٹ کرنے میں اور ایڈجارنمنٹ موشن میں یا ہم نے اس کو زیر و آور میں اٹھایا اس میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے جو ایک قسم کی رولنگ دی کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے ہم کو بحث کرنی چاہیئے۔

میں قانون کا اتنا واقف نہیں ہوں۔ اس کے بعد ایڈجارنمنٹ موشن کو زیر بحث لانا یا پیش کرنے کا طریقہ مناسب نہیں تھا۔ یہ حادثہ کوئی ایک طبقہ یا خاص لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ جو شو پجاری ہے وہ عام طور پر امرناتھ یاترا پر ہر سال جایا کرتے ہیں۔ اس امرناتھ یاترا کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کوئی ہزاروں سال کا نہیں ہے۔ یہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے وقت میں ایک مسلمان نمبردار ملک نے اس گفا کو لوکیٹ کیا اور مہاراجہ صاحب کے نوٹس میں لایا۔ تب سے وہی چھڑی مبارک آنا جانا شروع ہوئی ہے۔ برف کے ناتے شولنگ وہاں ۵ دن ابھرتا ہے اور جب برف پگھلتی ہے تو ۵ دن میں پھر نیچے آجاتا ہے۔ ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جیسے پروفیسر چمن لال گپتا نے کہا کہ وہاں پٹن کے بیچ دوسرے ملک اور تیسرے مہنت جو آمدنی آتی ہے مساوی طور پر بانٹ لیتے ہیں۔ وہاں جانے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ بیلگام سے اور دوسرا راستہ کلوگل کی سڑک پر بال تال سے جہاں سے یاترا شروع ہوتی ہے۔ یہ راستہ نزدیکی راستہ ہے اور گزشتہ ۴۰ سال سے اس یاترا میں آہستہ آہستہ بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن سڑک نہیں بنائی جس کے لئے حکومت اور ہم ذمہ دار ہیں۔ عام طور پر بیلگام سے آگے یہ یاترا چل پڑتی ہے۔ پہلے تو سری نگر سے چھڑی مبارک چلتی ہے۔ لیکن دہشت گردوں کی وجہ سے ملیٹینسی کی وجہ سے اب جموں سے چھڑی مبارک چلتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں گزشتہ ۷ سال میں جتنے واقعات ہوئے ہیں میں سیاسی مسائل کو یہاں ابھارنا نہیں چاہتا ہوں اس نیشنل ہائی وے پر ایک بنی ہال شل میں دو سال پہلے برف باری کی وجہ سے سو لوگ مارے گئے اور بے شمار گاڑیاں پھنس گئیں۔ کسی نے ایڈمنسٹریشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ نیشنل ہائی وے سال بھر میں تین مہینے بند رہتا ہے۔ کوئی پختہ سڑک نہیں ہے۔ آجکل کے سائنٹفک زمانے میں ہم بیلگام سے گفا تک سڑک نہیں بنا پائے۔ وہاں یاتریوں کے لئے انتظام نہیں کر پائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک قومی حادثہ ہے۔ آج ملک بھر کے لوگ پریشان ہیں۔ ایک لاکھ کے قریب یاتری آگئے

آپ چاہے سیاسی مسودوں کے پیش نظر ایڈجونمنٹ موشن لاکر پاس کرلے حکومت کی ملامت کرلیں یا کشمیر سرکار کی ملامت کرلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمینٹ دینے سے پہلے اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہئے اس میں سی۔ آئی۔ ڈی۔ انٹلوائری ہونی چاہئے۔ جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان کی جانچ ہونی چاہئے۔

آج لوگ مر رہے ہیں اور گورنر وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بیسیوں دفعہ بڑے نیتاؤں نے کہا کہ اس گورنر کو وہاں سے ہٹانا چاہئے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے وقت میں بھی بڑی ڈیمانڈ رہی آج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ایرو گینٹ گورنر کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے نکالنا چاہئے۔ پورے طور پر اس کو سزا ملنی چاہئے۔ لوگوں میں ایک اتحاد پیدا ہوگا ایک احساس پیدا ہوگا کہ مرکزی سرکار ایکشن لینے والی ہے اور جو یاتری راستے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں سرکار کو سنبھالنا چاہئے

ان کے لئے روٹی کا بندوبست ہونا چاہئے۔ وہاں ۲۵ روپے میں دال کی ایک پلیٹ ملتی ہے۔ راستے میں ۵ سے ۱ روپے کا چائے کا ایک کپ ملتا ہے۔ ان کے پاس کپڑے اور رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک ہے ہمیں شرمندہ ہونا چاہئے۔ بجائے اس کے کہ اسے ہم پولیٹیکل مسئلہ بنائیں میں چاہتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب ایک اسٹیٹمینٹ دیں گے اور اسٹیٹمینٹ دے کر اپنی کمزوریوں کو بتائیں گے ان کو چھپانا نہیں چاہئے اور میں اپوزیشن لیڈر واجپئی صاحب سے گذارش کروں گا کہ بجائے اس کو اپنا مسئلہ بنائیں قومی مسئلہ بنانے کے ناتے ہم کو اس پر بات کرنی چاہئے اور یہ تب ہو سکتی ہے جب ہمارے سامنے سرکار کی طرف سے مینوپل آجائے میں پروفیسر حسن لال کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں

آج وہاں لوگوں کے جذبات اتنے مجروح ہیں ہر کشمیری کے جذبات اتنے مجروح ہیں کہ ہر ٹیکسی والا بس والا اور جتنا ردگرد رہنے والے لوگ ہیں وہاں اس وقت کوئی ہندو نہیں مسلمان ہی اس یاترا کو آگے بڑھاتے ہیں مسلمان ہی مدد کرتے ہیں۔ ہم اس میں مدد کرتے ہیں۔ اتنے سالوں کی میلیٹنس کے باوجود بھی وہاں اتنے لوگ یاترا کے لئے آگئے۔ ہمارے لوگوں نے ویلکم کیا مسلمانوں نے ویلکم کیا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہوم منسٹر کو یہاں آکر اسٹیٹمینٹ دینا چاہئے اور جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں انہیں وہاں سے نکالنا چاہئے۔

میں نے آج سے دو سال پہلے کہا تھا کہ وہاں تین فوجی جنرل اور ایک پوسٹ ماسٹر یہ چار لوگ ہی مل کر حکومت چلاتے ہیں۔ اب ہفتہ بھر کی بات ہے اس مہینے وہاں الیکشن ہونے والے ہیں۔ کل چونکہ یہاں کشمیر کا بجٹ آرہا ہے میں اس پر بھی کچھ کہنا چاہوں گا لیکن ہمیں خبر ہونی چاہئے جب نئی سرکار

وہاں آجائے گی اسے امرناتھ یاترا آسان بنانا چاہئے۔ یاترا کے دوران رسد کا انتظام ہوٹلوں کا انتظام اور لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام کرنا چاہئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب وہاں ہماری سرکار ایک جواب دہ سرکار منتظم ہو۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایڈجونمنٹ موشن کو واپس لینا چاہئے قومی ایکتا کے طور پر کوئی مشترکہ فیصلہ ہمیں اس مسئلہ پر کرنا چاہئے اور اس یاترا کو آسان بنانا چاہئے۔ ہمیں گفا کی پوترتا کو محفوظ رکھنا چاہئے اور یہ کوشش کرنی چاہئے کہ صرف ہندو شو بھکت پجاری ہی وہاں نہ جائیں بلکہ دوسرے لوگ جو شو کے پجاری نہیں ہیں وہ بھی وہاں جائیں مسلمان بھی وہاں جائیں اور ایک قسم کی قومی ایکتا کے طور پر یہ یاترا ہونی چاہئے۔ یہی واجپئی جی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا۔ جنہوں نے یہاں ایڈجونمنٹ موشن پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ اسے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لاپرواہی ہوئی ہے ہم اس لاپرواہی کے لئے شرمندہ ہیں ہمارا سر جھک جاتا ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہئے۔ اتنا ہی کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर यदि यह कोई मामला है तो काफी चर्चा हो चुकी है। तापमान में गिरावट आने पर बर्फ का तूफान आता है। ऐसा समस्त विश्व में होता है और यहां भी हुआ है। दुर्भाग्यवश यह बहुत तेज हिमपात था। अमरनाथ जाने वाले लोग इस खराब मौसम को भली-भांति परिचित हैं लेकिन उन्हें इतने गम्भीर हिमतूफान की आशा नहीं थी।

अब मैं तो सरकार को यही सुझाव दूगां कि वह तीर्थयात्रियों को समुचित रूप से वहां से निकाले। उनसे टिकट या भाडे की मांग नहीं की जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वहां से सभी लोगों को निकाल लिया गया है। मैं रेल मंत्री से, जो यहां उपस्थित हैं यही मांग करूगां कि वह यह बात सुनिश्चित करें। दूसरे मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जो कुछ हो गया वह हो गया। अब हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर सकते हैं-आगे के लिए सीधे गुफा तक जाने के लिए राष्ट्रीय राज मार्ग बनाया जाए। स्थान-स्थान पर तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए विश्राम स्थल या निवास बनाए जाएं और उनका विशेष ध्यान रखा जाए। यह एक राष्ट्रीय मामला है और तीर्थयात्री सारे देश से आते हैं। पहलगाम से मान्दी तक समुचित सड़क व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। ऐसे किसी और हिमतूफान के आने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के उचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए। जो भी चर्चा होनी है वह होगी ही किन्तु यह तो अग्नि शमन प्रबन्धों की तरह के ही प्रबन्ध हों जिनका मैंने सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बाते ही कहना चाहूंगा और थोड़ा ही समय लूंगा। विगत 22 तारीख को जो यह ट्रैजडी हुई, मैं जानना चाहता हूं कि उस दिन प्रधानमंत्री जी कहां थे, गृह मंत्री जी कहां थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में तुरन्त किससे सम्पर्क किया, वह कौन सा

सोर्स था जिससे उन्होंने इन्फौर्मेशन ली? मुझे चिन्ता यह है कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, जब भी अमरनाथ की यात्रा हुई है, यदि वह सफलतापूर्वक हो जाती है, तब तो केन्द्र सरकार उसका श्रेय लेती है।

बाकायदा पब्लिकली यह समाचार दिया गया है कि होम मिनिस्ट्री ने यह अप्रसन्नता व्यक्त की है कि गवर्नर यहां क्यों थे और वहां स्टेट गवर्नमेंट का इनएडिक्वेट रेस्पोंस रहा है। मैं केवल स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पोंसिबिलिटी नहीं मानता, बल्कि मैं इसमें मैनली सेन्ट्रल गवर्नमेंट की रेस्पोंसिबिलिटी मानता हूं। प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण जरूर दें।

दूसरी बात यह है कि गवर्नर यहां थे, मुख्य सचिव यहां थे, चीफ सैक्रेटी यहां थे। क्या तत्काल पी. एम. ओ. ऑफिस से या प्राईम मिनिस्टर या गृह मंत्री को यह निर्देश नहीं देना चाहिए था कि वे वहां तुरन्त जाएं। क्या आपको खबर है कि चीफ सैकट्री आज भी यहीं हैं? अब वे चले गए है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है। जब वे लोग यहां पर थे तो उनको कोई निर्देश देने वाला नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसलिए वे वापस जाएं। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में अच्छा यह होगा कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त करें, हाउस की एक कमेटी बनाएं ओर 4-5 मुख्य नेता हों। वे जाकर यह देखें कि क्या लैप्सेज हुए हैं। वे यह भी देखे इसमें सैन्ट्रलय गवर्नमेंट जिम्मेदार है या स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे ही वहां हैल्पलेस है। अनंतनाग के डी. सी. को वहां कौनसा बड़ा काम करना है?

मै यह भी जानना चाहता हूं कि एयरफोर्स और आर्मी ने जो काम किया है वह किसके कमांड में किया है? Who was guiding them? कौन सा कंट्रोल रूम है जो जम्मू, दिल्ली या श्रीनगर में स्थापित नहीं हो सकता था?

मैं एडजर्नमेंट मोशन के बारे में चन्द्रशेखर जी से सहमत नहीं हूं कि कोई बात उठाई जाए तो उसे पार्टिजान कहा जाए। आखिर चर्चा का कोई न कोई तरीका होता है। एडजर्नमेंट मोशन में कोई भी बात उठाई जाएगी तो क्या उसको पार्टिजाल माना जाएगा? यह क्या बात हुई? सरकार की आलोचना का कोई रास्ता निकालना पार्टिजान नही कहा जो सकता और उसको इस तरह से परिभाषित करना ठीक नहीं है। सब लोग सहमत हैं कि चर्चा होनी चाहिए तो फिर एडजर्नमेंट मोशन में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?

दूसरी बात यह है कि जो लोग मरे हैं उनकी लाशें उनके वारिसों या उनके परिवार तक पंहुचाने की जिम्मेदारी सरकार लेकर उनको मुआवजा दें। अभी पता चला है कि प्रधान मंत्री जी ने 50 हजार रुपये मरने वालों के आश्रितों को देने की बात कही है। मैं कहना चाहूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है। इनको इसके बारे में और अधिक विचार करना चाहिए और ज्यादा कंपनसेशन दिया जाए। वहां पर जो लैप्सेज हुए हैं उनकी पूरी जांच की जाए और केन्द्र सरकार तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स की जाए, यह मेरी मांग है।

(व्यवधान)

श्री हरभजन लाखा (फिल्लौर) : अध्यक्ष महोदय, हमको रमेश चन्द्रा कमेंटी की रिपोर्ट के बारे में कहना है। संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है ... (व्यवधान) हमको भी बोलने का मौका दिया जाए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सर्योतदार ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पहले इसे समाप्त करेगें।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : विपक्ष के नेता और श्री जसवंत सिंह ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसका मूल कारण यह है कि अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को सदा कठिनाइयों का सामना करना पडता है, यह कोई नई बात नहीं है। इस विशेष समस्या के बारे में सदन में चर्चा हुई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि तीर्थयात्रियों की देखभाल के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जायेंगे। मैं यह नहीं समझ पाता कि जब वहां मौसम अस्थिर रहता है तो यह क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वह यह देखे कि क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिए गए हैं? क्या यह देखना सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वहां सड़कें ठीक ठाक है और नियंत्रण कक्ष तथा अन्य सभी प्रबन्ध कर लिए गए हैं?

यह विशेष दुर्घटना 22 अगस्त को घटी। मुझे आज भी स्थिति का पता नहीं है। गृह मंत्री, इन्द्रजीत गुप्त कल वहां गए थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनसे पहले वहां कितने अधिकारी गए है। उस कार्य संचालन का प्रभारी कौन है? वहां स्थिति को देखने के लिए कौन प्रभारी है?

अपराह्न 1.00 बजे

सेना को अनुदेश देने के लिए वहां कौन अधिकारी है ताकि वे तुरन्त बचाव कार्य आरम्भ कर सके? वहां कौन सी सरकार चल रही है? जब लाखों लोग इतनी गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं और जब उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार मौन धारण करे बैठी रहे तो मैं यही कहूंगा कि कुछ गडबड है। यह कल्पनातीत है। सरकार काम करने वाली होनी चाहिए। वह सक्रिया होनी चाहिए। सरकार को तुरन्त निर्णय लेने की स्थिति में होना चाहिए। लेकिन हम यह कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मुझे पता नहीं कितने तीर्थयात्री मर गए है। हमें मरने वालों की संख्या का पता नहीं है। यह तो बाद की बात है स्थिति की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। निवारात्मक कार्यवाही कौन करने जा रहा है? आज भी केन्द्रीय सरकार ने तीर्थ यात्रियों के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए क्या किया है? उन्होंने क्या किया? सौभाग्य से प्रधान मंत्री यहां हैं। मेरा प्रधान मंत्री से निवेदन है कि वह तथ्यों का पता लगाएं और सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लें और हमें बताएं कि वहां स्थिति कैसी है और ऐसी परिस्थियां कैसे होने दी गई। वहां स्थिति बहुत भयावह है। क्या यह उन लोगों को दोष है जो वहां गए हैं? क्या उन्हें ऐसी तीर्थयात्रा पर नहीं जाना चाहिए? लोग वहां लाखों की संख्या में जाते हैं। क्या यह सरकार की मूलभूत जिम्मेदारी नहीं थी कि वह उन्हें सभी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराती? अन्य प्रबंधों के साथ-साथ सरकार को उनके

जीवन की सुरक्षा तथा उनके परिवहन का प्रबन्ध भी करना चाहिए था। लेकिन सरकार इसमें बुरी तरह विफल रही है। अतः मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि यह स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया जाए।

माननीय श्री संतोष मोहन देव ने सुझाव दिया है कि चर्चा नियम 193 के अधीन की जानी चाहिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। सरकार कब सक्रिय बनेगी जब इस तरह का निन्दा प्रस्ताव आए तभी सरकार अधिकाधिक सक्रिय बनेगी और स्थिति का सामना करेगी और कम से कम भविष्य में तो करेगी ही। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकेगी।

अतः मैं पुनः अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव गृहीत किया जाए और तुरन्त चर्चा आरम्भ कराई जाए। चर्चा के बाद प्रक्रिया के अनुसार अन्तिम परिणाम से हम सभी को अवगत कराया जाए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन सरकार की तरफ से देश के लोगों के सामने कोई बयान नहीं आया है जिससे देश की जनता को विश्वास हो कि देश या प्रदेश की सरकार उस मामले में कोई काम कर रही है। विपक्ष के नेता ने "काम रोको प्रस्ताव" लाने की बात कही, तो कुछ नेताओं ने कहा कि "काम रोको प्रस्ताव" पेश नहीं हो सकता, बल्कि यह मसला 193 के तहत आना चाहिए और इस मुद्दे को राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह सरकार राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बनती है? फिर क्या कारण है कि आज ऐसा कहा जा रहा है। जहां इस घटना से सारा देश दुखी है वहां इस सरकार ने वहां के गवर्नर और चीफ सेक्रेट्री को वहां क्यों नहीं भेजा। वहां के चीफ सेक्रेट्री और गवर्नर अभी तक दिल्ली में बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी क्या देश के प्रधान मंत्री और देश के गृह मंत्री की नहीं है? देश के प्रधान मंत्री और देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में तीन-तीन और छः-छः हैलीकाप्टर लेकर चले गए और जलसे करते रहे और वहां के गवर्नर और चीफ सैक्रेट्री को वहां भिजवाने में इतना समय लगा। मैं मानता हूं कि इसमें सारा दोष सरकार का है।

माननीय सदस्य ने यहां पर अभी कहा कि हम इस बारे में पहले ही बता चुके थे। यदि सरकार के पास काबिल गवर्नर नहीं है, तो फौरी तौर पर उनको बदल देना चाहिए। हम यह सुनने को कतई तैयार नहीं है कि इस मसले को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष जो भी मुद्दा लाता है, पक्ष हमेशा यही कहता है कि मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या राजनीतिक मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है और क्या राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार नहीं बनती है?

मेरा आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी वहां की कार्रवाई को संसद के सामने बताएं कि क्या किया है? रु. 50-50 हजार प्रत्येक मृतक के आश्रितों को दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये लोग विपक्ष में थे तब कहते थे कि प्राकृतिक आपदा में मृतक के परिवार को पांच-पांच लाख रुपए देने चाहिए। मेरा प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि जो मरे हैं उनके आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए दिए जाने चाहिए।

लाशों को जल्दी से जल्दी परिवार वालों को सुपुर्द करना चाहिए। वहां लाशें जलाई जा रही हैं। जब तक उनके परिवार वालों को ठीक तरह से लाशें सुपुर्द नहीं की जायेंगी तब तक उनको क्या पता की आदमी मर गया है या गुम है। इसमें भी सरकार की बहुत सी खामियां हैं। सरकार सारे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। यह सारा मामला काम रोको प्रस्ताव के तहत जनता के सामने आना चाहिए। सरकार इस बहस से क्यों पीछे हट रही है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि सरकार को इस काम रोको प्रस्ताव को मानना चाहिए और इस पर बहस करवानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं हमने इसपर वादविवाद नहीं किया है। मैं समझता हूं कि सदन की सर्वसम्मति है कि हमें इस पर वादविवाद करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में सभी बोलें। इस पर सरकार का क्या मत है?

प्रधान मंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा) : महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है जहां सम्पूर्ण सदन इस दुःखद दुर्घटना के बारे में चिंताकुल है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ऐसी किसी भी जानकारी को दबाना नहीं चाहती जहां तक इस आपदा के बारे में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है। हमारे गृह मंत्री जम्मू गए हुए हैं और वह घटनास्थल पर भी गए हैं। यदि मौसम ठीक रहा तो वह गुफा तक भी जायेंगे और यह देखेंगे कि वहां कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं रह गया है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि यदि मौसम ठीक रहा तो वास्तविक स्थिति को जानने के लिए वह अमरनाथ की गुफा तक भी जाएं और सम्पूर्ण स्थिति का जायजा लेकर आज वापस आजाएं।

महोदय, मुझे आज पता चला की सभी दलों के नेताओं की बैठक में यह मामला उठा था और वे सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंचे कि इस मामले पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जाए और यदि कहीं चूक या खामी रह गई है तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार उस अधिकारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचायेगी जिसने सही समय पर समुचित कार्यवाही नहीं की है। यदि गृह मंत्री आज ही आजाते हैं तो वह सदन में सम्पूर्ण स्थिति के बारे में ब्यौरेवार वक्तव्य देंगे और गृह मंत्री के वक्तव्य के बाद चर्चा आरम्भ की जा सकती है।

महोदय, मुझे कुछ जानकारी मिली है। मैं टुकड़ों में जानकारी नहीं देना चाहता। मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि मैंने क्या कार्यवाही की है अथवा केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है। राज्य सरकार ने पहले क्या कार्यवाही की, यह सभी जानकारी गृह मंत्री के वापस आने पर मैं आपको दूंगा। अतः सभी दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चर्चा की जाए। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अनुसूची के अनुसार गृहमंत्री के कब तक आने की आशा है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : उनके 5 बजे से पहले आने की आशा है। सभी दलों के नेताओं की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मैं तुरन्त चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हूं।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : गुजरात से बहुत अधिक संख्या में लोग

वहां गए है। हजारों गुजराती वहां गए हैं। उनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। चर्चा आरम्भ होने से पहले भारत सरकार ऐसा प्रबन्ध करे जिससे प्रातः सांय और हर समय हमें उन लोगों के बारे में जानकारी मिलती रहे जो वहां गए हुए हैं। इस बात पर चर्चा के अलावा आज से ही ऐसे कदम उठाये जाए। हमें सूचना नहीं मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कोई अभी अन्तिम बार नहीं है।

श्री सनत मेहता : चर्चा आरम्भ होने से पहले हम जानकारी चाहते हैं। वहां गए लोगों के सम्बन्धियों को जानकारी देने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं? यह मुद्दा है ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिहं रावत (अजमेर) : राजस्थान से बहुत लोग गए है। ... **(व्यवधान)** उनकी क्या स्थिति है इसकी जानकारी दी जाए। ... **(व्यवधान)** रेडियों और टेलिविजन पर सूचना दी जानी चाहिए ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : जिन लोगों ने नोटिस दिए हैं यदि आप उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दोगे और जब तक सरकार उन मुद्दों के बारे में नहीं सुनेगी तो गृहमंत्री कैसे आयेगें और उन प्रश्नों का कैसे उत्तर देंगे? गृह मंत्री तो स्वतः ही वक्तव्य दे देंगे। वक्तव्य के बाद हम कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मांग सकते। नियम यही है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

श्री पी. आर. दास मुंशी : देश के सभी भागों से के लोग प्रभावित हुए हैं। मैने एक नोटिस दिया है **(व्यवधान)**

मैंने राज्यपाल से बात की। मैंने मुख्य सचिव को फैक्स से सन्देश भेजा। मैं रात भर बैठा उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। राज्यपाल ने मुझ से सम्पर्क करने की परवाह नहीं की। मुझ से किसी ने सम्पर्क नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रहीं है। उनके घर के लोग दुखी है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : गृहमंत्री कल सुबह कलकत्ता में थे। मैंने उन्हें पांच बार टेलीफोन किया। हर बार यही उत्तर मिला कि वह व्यस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

श्री पी. आर. दासमुंशी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहूंगा। .. ..**(व्यवधान)** मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊ? इसका कोई औचित्य नहीं है। सरकार बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही है। ऐसी घटनाएं हो रही है। सारे देश के लोग वहां गए हैं और इस दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं। सरकार आराम से बैठी है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, मुझे आप बाहर फैंक सकते हैं ... (व्यवधान) बहुत लोग मरे हैं। उनके सम्बन्धी किसी से सम्पर्क नहीं कर सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं। सब लोगों की भावनाओं का पता है। गृह मंत्री घटनास्थल पर है। उन्हें वापस आने दें।

श्री पी. आर. दासमुंशी : गृह मंत्री को सूचना देनी चाहिए कि अन्य क्या कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी खड़े हैं। यह कुछ कार्यवाही वृतान्त में नही जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि माननीय सदस्यों की भावनाएं कितनी उत्तेजित हैं। वे किसी विशेष पार्टी से जुडे हुए हैं इसलिए इस तरह के भाव प्रकट कर रहें हैं, यह समझने का कोई कारण नहीं है। यहां पार्टियों की रेखाएं तिरोहित हो गई है। चर्चा का रूप क्या हो, इस पर भले ही मतभेद होगा लेकिन इस सवाल पर सदन में कोई मतभेद नहीं है कि बड़ी भारी त्रासदी हुई हैं, बड़ी भारी ट्रैजडी हुई है। सरकार ने लापरवाही से काम लिया है और उसमें जम्मू कश्मीर का प्रशासन भरी शामिल है। केन्द्र को भी अपने दायित्व का जिस तरह से पालन करना चाहिए था, उस तरह से केन्द्र ने नहीं किया। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के नाते मेरा क्या कर्तव्य है। अगर हमने काम रोको प्रस्ताव पेश किया है तो कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया। वह भी चर्चा करने का एक तरीका है और हमारे सदस्य जो पहले हमारे साथ बैठा करते थे, उधर चले गए हैं, वे इस तरीके का अवलंबन करते थे। काम रोको प्रस्ताव इसी भावना से दिया गया है कि उस पर चर्चा हो और सरकार की आलोचना करने का अवसर मिले।

सरकारी पार्टियों से संबंधित सदस्य जो बोले हैं, उनकी भावनाएं, भी इस मामले में उग्र हैं। उनके हृदय में भी दुख है, पीडा है। चन्द्र शेखर जी, मैं नहीं जानता किस पार्टी से संबंधित हैं लेकिन बोलने में कितना दर्द था और इसलिए उन्होंने अपील की। मैं उनकी अपील को महत्व देता हूं कि इस काम रोको प्रस्ताव न लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आप भी प्रतिपक्ष में रहे हैं। ऐसे अवसर पर प्रतिपक्ष क्या करें। अभी भी सरकार की ओर से कोई ब्यौरेवार उत्तर देने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी वहां गए हैं, बहुत अच्छा है। गृह मंत्री जी के आने तक हम प्रतीक्षा

करने को तैयार हैं और इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप हमारे काम रोको प्रस्ताव को कल तक के लिए स्थगित कर दिजिए। हम गृह मंत्री जी को सुनेंगे। इस सदन में जो प्रश्न खड़े किए गए हैं, उनको भी ध्यान में रखकर गृह मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए और अगर उत्तर संतोषजनक नहीं होगा तो कल हम फिर काम रोको प्रस्ताव पर बल देंगे। प्रधानमंत्री जी से मैं आशा करता था कि वे थोड़ा सा विवरण और देंगे।

सारे देश में एक बेचैनी है, लोग वहां फंसे हुए है, वे जीवित हैं या नहीं, घर वापस आएंगे या नहीं? वे किस स्थिति में हैं? जो सर्दी से सिकुड गए, उन्हें पर्याप्त कपड़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? जम्मू से गाड़ी चली या नहीं चली, यह भी विवाद का विषय बन गया है। आखिर सरकार के पास रेडियो है, टेलीविजन है। प्रचार के साधन है, इस तरह से मौसम बिगड़ जाएगा, क्या सरकार इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दे सकती थी? पहले भी 70-80 हजार लोग यात्रा में जा चुके हैं और उनका प्रबन्ध हो चुका है। इस बार क्या हुआ, थोड़े से ज्यादा लोग है, सवा लाख के करीब है। यह ठीक है कि मौसम बिगड़ा, मगर बिगड़ा हुआ मौसम भी तो हमारा इम्तिहान लेता है।

अध्यक्ष महोदय, दो तरह की मुसीबतें होती हैं, एक तो आसमानी और दूसरी सुल्तानी, यहां दोनो मुसीबतें मिल गई। आसमान ने साथ नहीं दिया और शासन बेखबर था। श्रीनगर में कोई ध्यान देने वाला नहीं था। मै किसी अधिकारी का नाम लेकर आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन यह किस तरह का शासन है? हम तो यहां राजनीति न करें, मगर सरकार के मंत्री, सरकार में प्रधान मंत्री राजनीति करते हुए घूमें .... (**व्यवधान**) मैं उस मामले को छेड़ना नहीं चाहता। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस सदन के बाहर सब जगह राजनीति हो और इस सदन में ही राजनीति न हो, क्योंकि यह बड़ा राष्ट्रीय मसला है। कौन सा मसला राष्ट्रीय मसला नहीं है? उत्तर प्रदेश में शान्तिपूर्ण चुनाव हो, क्या यह राष्ट्रीय मसला नहीं है? इसके लिए क्य किया जा रहा है? मगर मैं फिर उसको नही उठाना चाहता।

मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि आप मेरा स्थगन प्रस्ताव स्थगित कर दीजिए और जब तक गृह मंत्री का ब्यान नहीं आता, तब तक के लिए स्थगित रखिए और सदन को चर्चा का मौका दीजिए। अगर हमें लगेगा कि संतोषजनक उत्तर नहीं है तो हम इस पर बल देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कांशी राम जी, मेरे पास आपका नोटिस है मैं इसे देख रहा हूं। हमें इस मद को समाप्त कर लेने दें। मुझे आपका नोटिस मिलगया है। मैं उसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष जी, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। अटल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं यह नहीं कहता कि उनका अधिकार नहीं है या वह अनुचित है। मैंने केवल निवेदन किया था, वे अपनी सीमाओं के अन्दर हैं, अपने अधिकार के अन्दर है और वह उनका कर्तव्य भी होता है। मै उस बात पर नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी प्रियरंजन दासमुंशी जी ने और अनत मेहता जी ने सवाल उठाया कि इनके क्षेत्रों के लोग मरे है या गायब हैं, पता नही चलता। क्या सरकार 3-4 दिन के बाद भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कहां के लोग, कितने लोग मर गये हैं? क्या इसकी जानकारी देने के लिए भी चार दिन चाहिए? दूसरा सवाल है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां-हां, बिल्कुल सही है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : एक दूसरा सवाल यह भी उठता है कि जिस दिन सदन शुरू हो रहा था, उसी दिन गृह मंत्री जी के वहां जाने का, शुभ यात्रा का दिन था, वे पहले नहीं जा सकते थे?

डा. सत्यनारायन जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, मरे हुए लोंगो के बारे में क्या होगा, लोगों में बहुत परेशानी है, जो लोग मारे गये हैं ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी के बोलने के बाद मैं नही समझता कि आपके बोलने की आवश्यकता पड़ेगी।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : वहां से कोई इनफोर्मेशन नहीं मिल रही है।

रेलमंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, सरकार के पास सूचनाएं उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्य और नेता विरोधी दल चाहते हैं तो सरकार को अभी भी उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री जी के पास सारे के सारे तथ्य उपस्थित हैं। प्रधान मंत्री जी ने साफ तौर से होम मिनिस्टर को कहा कि बेहतर होगा कि आप अपने स्तर पर स्वयं वहां जाकर स्थिति का अध्ययन कीजिए, जिससे कि सारे तथ्यों को सही ढंग से सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके और किसी चीज में जो कोई भी उसके लिए दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसमें कोई पार्टी पोलिटिक्स, सरकार और विरोधी दल का मामला नहीं है। यदि माननीय सदस्य अभी चाहते हैं कि तुरन्त डिबेट शुरू हो जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की तरफ से हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, होम मिनिस्टर आएंगे, इस तरह से हम कर सकते है, लेकिन जिस तरीके से तमाम दलों के नेताओं की बैठक हुई और उसमे एकमत से यह तय हुआ था कि गृह मंत्री को आने दीजिए, वे आकर एक वक्तव्य देंगे और उस वक्तव्य के आधार पर चर्चा शुरू की जाएगी। जसवंत सिंह जी, जोकि हमारे लायक दोस्त हैं, और अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, वे स्वयं भी मोजूद थे। उस बैठक में यह भी तय हुआ था कि माननीय सदस्य अपनी भावना को व्यक्त करना चाहेंगे तो उसका अवसर दिया जाएगा। उसके आधार पर सारी चीज चल रही है। अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि सरकार को कोर्नर में ले जाने की और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ... (**व्यवधान**) इसलिए यह सदन पर निर्भर है, चेयर का जो भी निर्देश होगा, वह हम मानने को तैयार हैं।

रेल मंत्रालय पर चार्ज लगाए गये हैं। मैं रेल मंत्री की हैसियत से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से 11 रेगुलर ट्रेन चल रही हैं। उनके अलावा नौ स्पेशल ट्रेन वहां से चल रही हैं।

श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" : एक भी गाड़ी नहीं है। ये असत्य कह रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरे पास फैक्ट्स हैं, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है।

श्री सत्यनारायण जटिया : ये मदद करने वाली नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : जम्मू में 9 ट्रेन खड़ी करने की जगह नहीं है। इसलिए जम्मू में एक ट्रेन, साम्भा में दो ट्रेन, पठानकोट में दो ट्रेन, अमृतसर में तीन ट्रेन, जालंधर में एक ट्रेन खड़ी है।

श्री चमन लाल गुप्ता : जम्मू से एक भी गाड़ी नहीं चली है।

श्री राम विलास पासवान : मै जो कह रहा हूं, वह आप सुनें। नौ स्पेशल ट्रेन रेगुलर ट्रेन के अलावा तैयार हैं। तीन ट्रेन पैसेंजर उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां से आ चुकी हैं। ... **(व्यवधान)** हरिन पाठक जी यहां मोजूद नहीं है। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था। उन्होंने कहा कि पासवान जी आपकी सारी ट्रेन जम्मू से दिल्ली आ रहीं है। जो पैसेंजर है वे जम्मू से विभिन्न भागों में जाना चाहते हैं; मैने कहा कि कहां के लिए आप चाहतें हैं तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गाड़ी अहमदाबाद जाए। इस पर मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि तत्काल जम्मू से अहमदाबाद को ट्रेन चलाई जाए। मुझे बताया गया कि जम्मू से जो व्यवस्था है वह दिल्ली आने की है। दिल्ली से जहां जाना चाहते हैं, वहां जा सकते हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि टिकट लेकर जाने दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जो स्पेशल गाड़ियां खड़ी हैं, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है, जो वहां पहुंच चुके है कि वह त्रासदी का मामला है, जो भी यात्री जाना चाहे, वह फ्री जा सकता है और दिल्ली से देश के किसी भी भाग में जाना चाहता है तो मैं रेल मंत्री की हैसियत से यहां कहना चाहता हूं कि वहां बिना टिकट जा सकता है। यह एक मानवीय दृष्टिकोण है। कोई जम्मू से दिल्ली नहीं आ रहा है, दूसरी जगह जाना चाहता है तो मैंने निर्देश दिया है कि वहां के लिए भी रेलगाड़ी की व्यवस्था की जाए। वहां पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, स्पेशल असिस्टेंस बूथ की व्यवस्था की गई है, सुबह टी.वी. पर और रेडियो पर प्रसारण भी किया गया है। जो भी सम्भव व्यवस्था हो सकती है, हमने करने का काम किया है।

सरकार में आप भी रहे हैं और हर पक्ष के लोग रहे है, चार्ज लगाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। आप अभी चाहते हैं तो अभी डिसकशन करवाइये और होम मिनिस्टर के आने के बाद चाहते हैं तो उनके आने के बाद करवाइये। सरकार हमेंशा आपका डिसीजन मानने के लिए तैयार है। लेकिन यह घरना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी चिंता आपको है, सरकार को भी उतनी ही दुःख है। ... **(व्यवधान)**

डा. श्री सत्यनारायण जटिया : जो मर गये हैं, उनकी जानकारी के बारे में सरकार क्या करने जा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं खडा हूं। मैं समझता हूं कि सभी दलों की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि यदि गृह मंत्री आज वापस आगए तो वह वक्तव्य देंगे। अतः मैं इस मामले को स्थगित करता हूं। मैं यह मामला सांय 5 बजे फिर लूंगा। यदि तब तक गृह मंत्री आजाते हैं तो वह वक्तव्य देंगे। मानलो कि मौसम के कारण यदि गृह मंत्री यहां नहीं आपाते हैं तो मैं सरकार से कहुंगा कि जो भी सूचना उसके पास उपलब्ध है वह उसीके आधार पर वक्तव्य दें। प्रधान मंत्री ने कहा है कि उनके पास कुछ जानकारी है। अतः यदि गृह मंत्री आज 5 बजे तक नही आ पाते हैं तो सरकार के पास जो भी जानकारी हैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः यह मामला अब सांय 5 बजे लिया जायेगा।

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.25 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.26 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.25 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, आज संसद के बाहर कुछ मित्रों ने, एक राजनीतिक दल ने प्रदर्शन भी किया है। कुमारी मायावती, जी लखनऊ के गेस्ट हाउस में थी, उनकी हत्या करने का षड्यंत्र श्री मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से किया उस बारे में मैंने मामला उठाया था। जिस समय रमेश चन्द्र कमेटी की रेकमेंडेशन आई थी उस पर आपने इस बात की एक व्यवस्था दी थी कि रमेश चन्द्र कमेटी की रेकमेंडेशन को हाउस के फ्लोर पर रखा जाएगा। उसमें कहा गया है कि सीबीआई और सीआईडी, दोनों से जांच कराई जाए। सी. आई. डी. ने रिपोर्ट की जांच कर ली है और उसकी जांच के बाद श्री मुलायम सिंह यादव तथा बेनी प्रसाद यादव क्रिमिनल क्रांसपिरेंसी, फर्जी कागजात दस्तावेज बनाने के अपराधी और दोषी पाए गए हैं। कोर्ट के अंदर चार्जशीट लग गई, इतना ही नहीं उसके बाद वह हाईकोर्ट quash कराने के लिए गए। वहां भी कैंसिल हो गई हैं। हाईकोर्ट ने कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए कहा हैं लेकिन वह पेश नहीं हो रहे हैं। रमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में कह दिया कि ऐसी रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक सुखराम तो पहले ही पैदा हो चुके हैं और अब दूसरे सुखराम भी पैदा करने की तैयारी की जा रही है। इस तरह से भ्रष्टाचार और अपराधियों का जो जोड़-तोड़ किया जा रहा है वह ठीक नहीं है।

मान्यवर, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया है और इसका नोटिस भी दिया था। मेरा यह कहना है कि इस मामले में रिपोर्ट पेश की जाए और उस पर कार्यवाही की जाए।

अपराह्न 2.31 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए। मैं मद संख्या 9 पर हूं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहाकार समिति

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव की और से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि राष्ट्रीय कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.33 बजे

इण्डियन स्कूल आफ माईन्स, धनबाद की महापरिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुदी राम सैकिया) : महोदय, मैं श्री एस. बार. बोम्मई की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"इण्डियन स्कूल आफ माईन्स, धनवाद के नियमों और विनियमों के नियम 15 के खण्ड (3) के साथ पठित नियम 4 के खण्ड (ii) से (iv) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इण्डियन स्कूल आफ माईन्स, धनवाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इण्डियन स्कूल आफ माईन्स, धनबाद के नियमों और विनियमों के नियम 15 के खण्ड (3) के साथ पठित नियम 4 के खण्ड (ii) से (iv) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन इण्डियन स्कूल आफ माईन्स, धनबाद की महापरिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.35 बजे

भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : महोदय, मैं श्री एस. आर. बोम्मई की और से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान के प्रशासन और सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रबंधन संबंधी योजना के खंड 9(1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान के प्रशासन और सम्पत्तियों तथा निधियों के प्रबंधन संबंधी योजना के खंड 9(1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.36 बजे

राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बाला सुब्रहमण्यन) : महोदय, मैं श्री टी. जी. वैंकटरामन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय पोत परिवहन

बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.36½ बजे

राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बाला सुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं श्री टी. जी. वैंकटरामन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.37 बजे

भारतीय परिचर्चा परिषद

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं श्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय परिचर्चा परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) (ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय परिचर्चा परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय परिचर्चा परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) (ण) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय परिचर्चा परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.38 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **पचौरा और गोरेगांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण सम्बंधी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को रेलवे द्वारा स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री आन्नासहिब एस. के. पाटिल (एरंडोल) : नियम 377 के अधीन मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र एरंडोल के अन्तर्गत पाचोरा से तारखेड़ा होते हुए गालण तक तथा तलेगांव से करजगांव होते हुए घोड़ेगांव तक एक सड़क रेलवे लाइन के साथ-साथ जाती है, लेकिन इस सड़क की हालत अत्यन्त खराब है। जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। इस सड़क पर वाहन गुजरते हैं तो उनकी कुछ न कुछ क्षति हो जाती है तथा बच्चों, बीमार आदमियों एवं वृद्धों के लिए इस सड़क से गुजरना बड़ा ही खतरनाक साबित होता है और उन्हें चोट भी लग जाती है। उपरोक्त गांवों से रेलवे लाइन के साथ गुजरने वाली सड़क को बनवाने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार ने किया, लेकिन रेलवे अथॉरिटी ने इस कार्य में व्यवधान डाला और निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पाचोरा से तारखेड़ा होते हुए गालण गांव की तथा तेलगांव से करजगांव होते हुए घोड़ेगांव तक जो सड़क रेलवे लाइन के साथ-साथ जाती है उसे निर्माण कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को रेलवे अथॉरिटी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(दो) **दक्षिण बिहार को कोयले की आपूर्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता।**

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण बिहार के हजारीबाग, चतरा एवं कोडरमा जिलों में जलावन करने वाले कोयले का नितान्त अभाव है। यद्यपि हजारीबाग जिला में सैंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की अनेक कोयला खाने है। फिर भी हजारीबाग, चतरा एवं कोडरमा के अधिकांश निवासी गरीब हैं। उनका ईंधन का मुख्य साधन कोयला ही है। विगत में इन क्षेत्रों के निवासी कोयले की छोटी-छोटी दुकानों के माध्यम से कोयला खरीदते थे किन्तु गत दस माह से दुकानों में कोयले की आपूर्ति बंद कर दी गई है। फलस्वरूप वहां कोयले के लिए

हाहाकार मचा हुआ है। पूर्व जारी व्यवस्था के अनुसार छोटे-छोटे दुकानदारों को कोयला नही देकर वहां बड़े-बड़े डीलरों को कोयला आपूर्ति हेतु दे रही है। किन्तु बड़े डीलर कोयले की स्थानीय निवासियों में वितरित नही कर जिलों के बाहर कोयला भेज देते हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त क्षेत्रों में कोयले की आपूर्ति पुनः छोटे दुकानदारों के माध्यम से कराने की कृपा करें ताकि क्षेत्र के निवासियों को जलाने हेतु कोयला सुगमतापूर्वक मिल सके।

(तीन) **दिल्ली और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच सीधी विमान सेवा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।**

डा. बल्लभ भाई कठीरिया (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरा के सौराष्ट्र क्षेत्र में दिल्ली से एक भी डायरेक्ट एअर सर्विस नहीं है। सौराष्ट्र का अब बहुत बड़ा औद्योगिक विकास हुआ है। वहां ऑयल मिलें, ब्रास पार्ट, डायमंड कटिंग, सीमेंट ए.सी.पार्ट, लोहा, घड़ी, साड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक आदि अनेक बड़े-बड़े उद्योग हैं लेकिन एक भी एअर सर्विस दिल्ली की नहीं है। पहले राजकोट-दिल्ली एअर सर्विस थी किन्तु वह भी अब नहीं रही। अमरेली, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, जामनगर, जूलागढ़, पोरबंदर कच्छ आदि राब जगह से राजकोट नजदीक पड़ता है। संसद सदस्य 1-2 घंटे में अपने-अपने क्षेत्र से राजकोट आकर दिल्ली प्लेन पकड़ सकते है। व्यापारियों और उद्योगपतियों को दिल्ली, यू.पी., पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हरियाण उद्योग धंधों के लिए आना-जाना पड़ता है। वे भी परेशानी में रहते हैं। उन्हें मुम्बई या अहमदाबाद से प्लेन पकड़कर दिल्ली आना पड़ता है। राजकोट से दिल्ली एयर की सब सुविधा राजकोट में है। अनेक संस्थाओं तथा सदस्यों ने मांग की कि इस मांग को पूरा कर दिल्ली से डायरेक्ट एअर सर्विस की सुविधा प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

(चार) **सीमा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत बाड़मेर जिले को आबंटित राशि को उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर व्यय किया जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता।**

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के पिछड़े और अविकसित बाडमेर और जैसलमेर जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं। गृह मंत्रालय इन जिलों के विकास के लिए प्रतिवर्ष विशेष निधि आबंटित करता है। इस निधि को सीमा क्षेत्र विकास निधि (बी. ए. डी. फ.) कहा जाता हैं। प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 10 से 12 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जाती है।

लेकिन निधियों के आबंटन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानदण्डों और दिशानिर्देशों का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। इन निधियों की प्राथमिकता पेयजल सड़कों शिक्षा और स्वास्थय सेवाओं के लिए होना चाहिए जबकि यह निधि अधिकारियों के लिए बढिया मकानों के निर्माण पर खर्च की जाती हैं।

मैंने यह मुद्दा जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के छः प्रधानों तथा बाड़मेर के कलक्टर के सामने उठाया था। किन्तु अभी तक कोई सकारात्मक व ठोस परिणाम नहीं निकला है।

यह मुद्दा राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया था और एक पत्र लिखा था और फिर 9 जुलाई, 1996 को उनसे हम लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिले थे।

मुझे इस बात की शंका है कि इन निधियों को कम प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः महोदय, मैं आप के माध्ययम से गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्ताक्षेप करे और यह सुनिश्चित करें कि बाड़मेर जिले में गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निधियां गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय की जाएं।

[हिन्दी]

(पांच) **सघन रोजगार योजना का विस्तार बिहार के समस्तीपुर जिले में किए जाने की आवश्यकता।**

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। उद्योग के नाम पर यहां दो चीनी मिले हैं जिसमें एक बंद है। वहां एक रुग्ण जूट मिल तथा एक बंद कागज का कारखाना है। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण यहां के नवयुवक रोजगार पाने की लालसा से पंजाब, हरियाण, दिल्ली आदि राज्यों में पलायन करने को अभिशप्त है। हर वर्ष बेरोजगारों की चाहें वे शिक्षित हो या अशिक्षित, फोज खड़ी होती जा रही है। परिणामस्वरूप जिले में अपराध प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हो रही है और नवयुवक बड़ी संख्या में आतंकवाद की ओर मुड़ रहे है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन जिलों को सघन रोजगार योजना में सम्मिलित कर इन युवकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये।

(छः) **पश्चिम बंगाल में गंगा नदी द्वारा किये गये अत्यधिक भूक्षरण को रोकने की आवश्यकता।**

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : गंगा नदी से हो रहे भूक्षरण मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत गम्भीर समस्या बन गई है। नवद्वीप से कल्याणी माझेरचर तक का विशाल क्षेत्र गम्भीर भूक्षरण से क्षतिग्रस्त हो गया है। फरक्का से हल्दिया तक गंगा तटबन्ध कई स्थानों से कट गया है। नवद्वीप बहुत पुराना नगर है। नवद्वीप गौरांग महाप्रभु की जन्म स्थली है। नवद्वीप नगर पालिका तथा इसके आसपास के क्षेत्र, स्वरूपगंग, नृसिंगापुर, माथीडांगा, तारापुर, सहेदबंग, चरसवरहटी, सन्यालचर माझेचर, बहुत गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केवल यही क्षेत्र नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्र भी गंगा नदी के कटाव से जलमग्न हो गए है।

तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने 1992 में इन क्षेत्रों का दौरा किया था और पश्चिम बंगाल से सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्री से मिला था। राज्य सरकार अपने सीमित धन से कुछ मरम्मत कार्य ही कराती रही हैं किन्तु मरम्मत किया हुआ भाग हर बार गंगा नहीं में बह जाता है। इस तरह गंगा के कटाव से हजारों एकड़ कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती

हैं। भूमि की स्थायी तौर पर सुरक्षा के लिए बहुत अधिक राशि निवेश करने की आवश्यकता है लेकिन राज्य सरकार की मरम्मत किए गए तटबन्ध के सुरक्षात्मक उपायों के लिए अधिक धन व्यय करने की क्षमता नहीं हैं अपितु गंगा का जल केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है और गंगा के पानी से होने वाले भूमि कटाव से गम्भीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। इस भूमिकटाव से नदी का तल प्रतिवर्ष ऊंचा होता जा रहा है। इस के लिए काफी समय से कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया गया है। इस कारण नदी के अनेक बहाव बन गए है और गंगा की असली धारा को पहचानना कठिन हो गया है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में ठोस कदम उठाए जाए और लोगों के जनधन की सुरक्षा की जाए।

(सात) **हिमाचल प्रदेश में गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र शिमला में कुछ क्षेत्र ऐसा है, जिसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। इस संबंध में पहले ही अनुसूचित जनजाति कमीशन द्वारा भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दी गयी है। गिरिपार क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के जौनसार भाभर से काटकर रियासत सिरमौर में शामिल किया गया था तथा जौनसार भाभर जो इस समय जनजाति क्षेत्र है तथा मेरे इस क्षेत्र की सारी बिरादरी एवं रिश्तेदारी इसी क्षेत्र में है, के लोगों द्वारा यह मांग लम्बे समय से की जा रही है। इसके अतिरिक्त रोडू विधान सभा का चौहरा ब्लाक (डोडरायबार चौपाल का नेरूआ सब तहसील) हिस्सा है, को भी जनजाति क्षेत्र में शामिल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इन सबकी रीति-रिवाज़ एक-दूसरे से मिलते हैं तथा एक-दूसरे की दोनों जगह रिश्तेदारी हैं। कई संस्थाओं ने इस क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने के लिए वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री एवं कल्याण मंत्री से भी प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाही नहीं हो पायी है। हाटी सभा जगह-जगह इस संबंध में मांग कर रही है तथा इस क्षेत्र के सारे लोगों को साथ लेकर आवाज उठा रही है। स्थानीय विधायक भी इसके साथ मिलकर मांग उठा रहे हैं।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि अविलम्ब उक्त क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाये ताकि पड़ोसी राज्यों की तरह इन्हें भी जनजाति क्षेत्र का लाभ मिल सके।

(आठ) **अप्रैल, 1995 के असम समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।**

[अनुवाद]

डा. जयंत रंगपी (स्वशासी-जिला) (असम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से में नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अत्यन्त गम्भीर और अविलम्बनीय मामला उठाना चाहता हूं।

असम की करबी अंगलौंग तथा उत्तरी कछार की पहाड़ियों में स्वायत शासी राज्य की मांग को लेकर ए. एस. डी. सी., के. एस. ए., एन. सी. एच. एस. एफ. तथा डी. एस. यू. के नेतृत्व में 1986 से लोक प्रसिद्ध जल आन्दोलन चल रहा है, जिसके बारे में आन्दोलन के संयोजकों तथा असम सरकार के बीच तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री की उपस्थिति में नई दिल्ली में 1 अप्रैल, 1995 को एक समझौता हुआ था। समझौते में कारवी अगंलौंग और उत्तरी कछार की पहाड़ियों की दो विद्यमान स्वायत्तशासी परिषदों को भारत में सविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत और अधिक विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकार देते हुए इन परिषदों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

कानून और व्यवस्था, डी. आर. डी. ए., खाद्य और नागरिक आपूर्ति, परिवहन आदि विभागों से सम्बन्धित स्वायत्तशासी परिषदों को शक्तियों के प्रत्याशेजन सम्बन्धी समझौते के खण्डों को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि इन मामलों में अभी केन्द्रीय सरकार की और भी अनुमति लेनी है। अतः केन्द्रीय गृह मंत्रालय को तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि चर्चा के दौरान सभी पक्षों द्वारा इस मामले के लिए गए सर्वसम्मत निर्णय को और विलम्ब किए बिना कार्यान्वित किया जा सके।

दूसरे, केन्द्रीय सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रों और असम के पर्वतीय परिषदों के लिए निर्धारित निधियां इन दोनों स्वायत्तशासी परिषदों को भी अविलम्ब और बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध हो सकें। यह कार्य भी अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट कर रहा हूं कि वह तुरन्त कार्यवाही करे जिससे समझौता कार्यान्वित किया जाए। दिये गये वचन का पालन हो और लोगों में विश्वास पैदा हो।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं अध्यक्ष पीठको केवल एक मामले की याद दिलाना चाहता हूं जब मैंने 'टाडा' के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए लोगों के बारे में मामला उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देगी। लेकिन मंत्री महोदय ने इस आश्वासन का पालन नहीं किया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मंत्री महोदय को निदेश दें कि सदन को दिए गए आश्वासन के अनुसार यह एक वक्तव्य दें।

अपराह्न 2.53 बजे

सामान्य बजट 1996-97 सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ की जायेगी। इसके लिए 8 घंटे का समय नियत है। अब मैं डा. मुरली मनोहर जोशी को अपना भाषण शुरू करने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 1996-97 के बजट प्रस्ताव पर विचार रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया।

मैंने इस बजट को देखा और मेरी दृष्टि में ऐसा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन

बजट शायद ही कभी आया होगा। इस बजट की न कोई दिशा है न कोई दर्शन है। सामान्य तौर पर बजट सरकार की अर्थव्यवस्था के दर्शन को प्रतिबिम्बित करता है और उसकी दिशा को सुनिश्चित करता है, लेकिन इस बजट में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि इसमें कोई दिशा है और इसके पीछे कोई दर्शन है। यह कांग्रेस बजट है और एक तरह से देखा जाए तो यह श्री मनमोहन सिंह के बजट की एक बहुत ही सस्ती नकल है। मैं नहीं कह सकता कि अगर हमारे तमाम मित्र, खार तौर पर वामपंथी मित्र इस सरकार में सम्मिलित न हुए होते, इस बजट का समर्थन न करते होते तो क्या वे इस बजट का समर्थन करते? अगर आप आंकड़े देखें तो मनमोहन सिंह जी ने जो अंतरित बजट रखा था, उसमें जो कुछ जिस रूप में है, वही इस संयुक्त मोर्चा की सरकार में बजट के रूप में रख दिया गया है। रैवैन्यू रैसीट्स राव साहब के बजट में और मनमोहन सिंह जी के बजट में 1,27,000 करोड़ रुपए थी और संयुक्त मोर्चा के बजट में 1,30,000 करोड़ रुपए है। पूंजीगत प्रप्तियां 70,000 करोड़ रुपए थी और अब 68,000 करोड़ रुपए है। कुल प्राप्तियां 1,97,000 करोड़ रुपए थी और अब 1,98,000 करोड़ रुपए है।

गैर योजना खर्च एक लाख 51 हजार करोड़ और इस साल एक लाख 50 हजार करोड़। योजनागत व्यय 50 हजार करोड़ और इस साल 54 हजार करोड़। कुल व्यय दो लाख एक हजार करोड़ और इस साल दो लाख चार हजार करोड़। फिस्कल डेफिसिट 62 हजार करोड़ और इस साल 62 हजार करोड़। उधार 57 हजार करोड़ और इस साल 56 हजार करोड़। तो आप अगर इस बजट का समर्थन करते हैं, यह वही बजट है जो कि अगर फरवरी में पेश किया जाता और उस समय बहस होती तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे मित्र श्री निर्मल चटर्जी, श्री वासुदेव भट्टाचार्य जी और श्री सोमनाथ चटर्जी इसका समर्थन करते या इसका विरोध करते। अब यह कहा जाता है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर यह बजट बनाया गया है। लेकिन इसमें बहुत से मामलों में, इसके घटकों में मतभेद हैं। मैं कुछ ही उदाहरण दूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश में घटकों में मतभेद हैं। प्लानिंग कमीशन के श्री मधु दंडवते और वित्त मंत्री के बीच में मतभेद हैं। सरकार ने यह कोशिश की है कि वह डिसइंवेस्टमेंट कमीशन बनाये और पांच हजार करोड़ या पांच हजार एक करोड़ का विनिवेश करे। लेकिन प्लानिंग कमीशन के श्री मधु दंडवते, जो इसके उपाध्यक्ष है वह कहते है।

[अनुवाद]

"सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद बनाकर अधिकतर आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र से छुटकारा पाने के बजाए राष्ट्र पर हुए ऋण को चुकाने का यह बेहतर तरीका है।"

वह यह चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया जाए, उसको लाभकारी बनाया जाए। वित्त मंत्री चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे-धीरे डिस्मेंटल किया जाए, इसको डिसइंवेस्ट किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी भी डिसइंवेस्टमेंट के पक्ष में नहीं है। वह श्री सार्वजनिक क्षेत्र को बनाये रखने और सुदृढ करने के पक्ष में है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस बजट के बारे में हमारे इन मित्रों का क्या दृष्टिकोण है? आप इस नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। क्या इस बजट में वही नीतिया प्रतिबिम्बित होती जो श्री मनमोहन सिंह के बजट में हो रही थी और क्या आप इनका समर्थन करेंगे? इस सरकार की इस बजट में एक और विशेषता है और वह यह है कि सीधा विदेशी पूंजी निवेश, यह इनके बजट की अर्थ नीति का एक विशेष अभिलक्षण है, उसकी एक विशेष पहचान है और सरकार यह चाहती है कि 10 बिलियन डॉलर यानी करीब-करीब 35 हजार करोड़ रुपए का सीधा विदेशी विनिवेश होना चाहिए। अब सवाल यह है कि सीधा विदेशी विनिवेश किन क्षेत्रों में होगा, कहां होगा, किस तरह होगा? राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में हमें बताया गया था कि ऐसा निवेश जो पिछली बार हुआ है उसका 54 प्रतिशत यह उपभोक्ता क्षेत्रों में गया है और केवल 40 प्रतिशत जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसमें गया है। क्या यह 35 हजार करोड़ का भी यही हश्र होगा, इसका भी यही विभाजन होगा कि साढ़े 17 हजार करोड़ या 18 हजार करोड़ या 19 हजार करोड़ यह उपभोक्ता क्षेत्रों में जायेगा, कंज्यूमर गुड्स में जायेगा, जिक फूड बनाने में जायेगा, पेप्सी कोला और पोटेटो चिप्स बनाने में जायेगा, कास्मोटिक्स और जूते बनाने में जायेगा। यह हम पूछना चाहते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है? यह निवेश किस तरह से करना चाहती है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, इनकी क्या वरीयताएं है, यह हम जानना चाहेंगे। इस बजट में तो उसका कही उल्लेख नहीं हैं। पता नहीं चलता कि यह सीधा विदेशी पूंजी निवेश किन-किन क्षेत्रों में होगा और अगर यह उपभोक्ता क्षेत्रों में होगा तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि 54 प्रतिशत, 55 प्रतिशत 35 हजार करोड़ का लगभग 19 हजार करोड़ रुपया इस तरह के क्षेत्रों में चला जाए, जो देश के लिए हानिकारक है और केवल कुछ संपन्न वर्गो की सुविधा के लिए ही आप इतना बड़ा पूंजी निवेश करें। अब सरकार की अर्थव्यवस्था में एक दूसरी भी धुरी है, वह है विदेशी ऋण। सरकार कभी-कभी जनता को भ्रमित करना चाहती है। सरकार के बजट के अनुसार घरेलू ऋण 5,52,744 करोड़ और विदेशी ऋण जो सरकार दिखाती है वह 52,66 करोड़ और कुल 6,05,410 करोड़।

अपराह्न 3.00 बजे

मैं नहीं समझता कि इस 52,666 करोड़ रुपए के ऋण को किस तरह दिखाया जाता है जो आज करीब 3,50,000 करोड़ रुपए है, 93 बिलियन के लगभग है और यह सरकार देश की जनता को क्यों भ्रमित करना चाहती है। वास्तव में हम किस हद तक ऋण में डूबे हैं, उसे क्यों बताना नहीं चाहती है। पिछली बार जो यहां श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ है, कम से कम उसके आधार पर, उसके अनुसार आंकड़े दिए जाने चाहिए। बजट में इस तरह का गोरखधंधा करना मेरी समझ में नहीं आता।

हमारे सामने सवाल यह है कि इस ऋण का क्या हुआ, सरकार ने पिछले सालों में जो ऋण लिया, उससे क्या असैट्स बने, उससे क्या परिसम्पत्ति निर्मित हुई। अगर हम 6,05,410 करोड़ रुपए का ऋण मान लें, जो कर्जा हमने लिया, क्या हमारे देश में 6,05410 करोड़ रुपए के बराबर के असैट्स बने हैं, या उससे कुछ कम 90 परसेंट के असैट्स बने हैं-ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि सरकार ने कुल 3,95,252 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति बनाई है। अब सवाल यह है कि बकाया, 2,09,457 करोड़ रुपए कहां गए- उनका उपभोग हो गया, उन्हें सरकार ने खर्च कर दिया यानी कर्जा लेकर सरकार ने अपने खर्चे किए हैं। कर्जे से उसने इस देश के उद्योगो को नहीं बढ़ाया, कृषि को बढ़ाया, रोजगार के साधन नहीं बढ़ाए, इस देश की सुरक्षा, प्रतिरक्षा को नहीं बढ़ाया बल्कि कर्जा लेकर, उसका एक-तिहाई हिस्सा सरकार ने अपने हिसाब से उपयोग कर लिया। यदि कोई निजी कम्पनी

ऐसा करती तो शायद हमारे वित्त मंत्री जी कहते कि वह दिवालिया है। इस आधार पर यह सरकार दिवालिया है, दिवालिएपन की तरफ बढ़ रही है, देश की जनता के भारी श्रम से कमाए हुए पैसे का दुरूपयोग कर रही है। इसके साथ ही साथ विदेशी ऋण का भी दुरूपयोग करती है, घर से जो ऋण ले रही है, उसका भी दुरूपयोग करती है।

अब जरा ऋण की हालत देखें जो इनके बजट से जाहिर होती है, क्या स्थिति इन्होंने बनाई-1995-96 में 70,480 करोड़ रुपए ऋण की अदायगी हुई और 1996-97 के आंकड़ों के अनुसार 68,558 करोड़ रुपए की अदायगी होने का अनुमान है। वर्ष 1995-96 में कुल 52,000 करोड़ रुपए की ऋण अदायगी हुई और इस साल 60,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी प्रकार कुल ऋणशोधन वर्ष 1995-96 में 1,22,480 करोड़ रुपए थे और वर्ष 1996-97 में 1,28,558 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह राशि इससे आगे बढ़ेगी, यही नहीं रूकेगी।

जहां तक राजस्व प्राप्ति या रिवैन्यू रिसीट्स का सवाल है, 1995-96 में 1,00,787 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई और इस साल 1,30,345 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। यदि आप कुल ब्याज भुगतान और कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात देखें तो वह पिछले साल 47.2 था और इस साल 46.0 है। आपकी राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में चला जाता है। यदि इसे ठीक से देखें तो ऋणशोधन में मुलधन की वापसी और ब्याज की वापसी 1,28,000 करोड़ रुपए और कुल राजस्व प्राप्ति 1,30,345 करोड़ रुपए है जिससे पता चलता है कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 98-99 परसेंट हिस्सा कर्जे में चला जाता है। इसलिए आप इस राजस्व प्राप्ति से देश का भला नहीं कर सकते। आप अपनी रिवैन्यू रिसीट्स को पिछले ऋण की अदायगी और उस पर देय ब्याज के भुगतान में पूरा कर देते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। लेकिन वर्तमान बजट में इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि आगे चलकर देश इस परिस्थिति से केसे मुक्त होगा, किस प्रकार हम देश का छुटकारा इस जाल से करेंगे।

अगर आप पब्लिक डैट की स्थिति को देखें तो उसमें भी ऐसी ही हालत है जो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। वर्ष 1990-91 में पब्लिक डैंट 1,05,652 करोड़ रुपए था जो बढ़कर आज 2,33,674 करोड़ रुपए हो गया है। जब पब्लिक डैंट और विदेशी ऋण लेने की आपकी यह दशा है, कुल मिलाकर इस समय आप 10 लाख करोड़ रुपए के चपेटे में है, मैं नहीं समझता की आप किस तरह अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारेंगे और देश को ऋण जाल से मुक्त करेंगे।

बिरला इकोनौमिक रिसर्च फाउन्डेशन के डायरेक्टर जनरल, श्री जी. एस. बंसल ने इस बारे में बहुत चिन्ताजनक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगले साल देश का आंतरिक ऋण, 1995-96 में 11.27 परसेंट की रफ्तार से बढ़ेगा और 6,15,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, और इस बजट में इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। अब यह हालत है जिससे इनको निपटना होगा। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बड़ी कमजोर नकल की है। नकल के लिए भी अक्ल है तो समझ में आता है, लेकिन यह ऐसी नकल है जिसमें कोइ बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया हैं

हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में मैं आगे कहूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। कर्जा बढ़ रहा है। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बिगड़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश में फोरेन एक्सचेंज के बारे में स्कैम्स हो रहे है। अभी प्रश्न संख्या 152, दिनांक 19.7.96 को लोक सभा में सरकार ने यह बताया है कि एनफोर्समेंट डाइरैक्ट्रेट ने यह बताया है कि विदेशी मुद्रा लगभग 546 करोड़ रुपए की विदेश भेजी गई और वह जालसाजी के आधार पर भेजी गई। अब 546 करोड़ रुपए कोई सामान्य राशि नहीं है। वैसे तो देश की जी. डी. पी. और देश के बजट को देखते हुए शायद बड़ी कम राशि लगेगी। लेकिन अगर 546 करोड़ रुपए का एक स्कैम एक जगह पकड़ में आया है तो पता नहीं ऐसी कितनी ही राशि विदेशों में जाली दस्तावेजों के आधार पर स्थानान्तरित की जा रही है। देश में एक तरफ जहां इतना बड़ा वित्तीय संकट है वहां दूसरी तरफ हमारी विदेशी मुद्रा के साथ ऐसा क्रूर मजाक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं नही समझ पाया कि किस तरह से आप अर्थव्यवस्था का प्रबंध करते हैं।

हम जानते हैं कि पहले भी बैंकों में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं और वे इसी तरह जाली रिसीप्ट्स के आधार पर हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए के हुए हैं। तब यह समझा जाता था कि इसके बाद बैंकों के घोटालों पर नजर रखी जाएगी और इस तरह की जाली रसीदें; जाली हुंडियां, जाली दस्तावेज अब बैंकों में प्रचालित नहीं होंगे। लेकिन सरकार 19.7.96 को स्वीकार कर रही है कि अभी भी ऐसे घोटाले जारी हैं और कुछ छोटे-छोटे कर्मचारी भी 546 करोड़ की राशि को इस तरह विदेशों में स्थानान्तरित कर देते हैं।

हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बजट के कई उद्देश्य बताए हैं। आपने कहा था कि इस बजट के सात मुख्य उद्देश्य हैं। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के पथ पर निरन्तर अग्रसर होना। गरीबों की चिंताओं पर ध्यान देना तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से न्यूनतम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना। अधिक रोजगार की उपलब्धि के लिए कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में विकास सुनिश्चित करना। इन तीनो में आप विकास करेंगे। आपने इसमें पहली प्रायोरिटी कृषि को दी है। फिर आप कहते हैं कि राजकोषीय दूरदर्शिता और वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। अब राजकोषीय दूरदर्शिता का आपने उदाहरण दिया कि किस तरह से हमारे राजकोष में जितनी राजकोष की प्राप्ति होती है वह सब कर्जा चुकाने में चली जाती है। अब मुझे पता नहीं कि दूरदर्शिता 100 साल, 200 साल या 250 साल में आएगी। मुझे कहीं दिखाई नहीं देता कि भारत को ऋण से मुक्त कराने की दिशा में आप एक भी कदम बढ़ा रहे हैं।

यहां मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमें यह तर्क दिया जा रहा है कि आखिर कर्जा लेने में बुराई क्या है। हमारी सेविंग्स कम है और दूसरे देशों की सेविंग्स ज्यादा है, इसलिए आने दो। यानी अपने देश को हमेश कर्जदार बनाए रखो, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। हां, देने की स्थिति में होना चाहिए। अब देने की स्थिति में आप है या नहीं, इसका फैसला आप खुद करें, संसद करेगी या देश करेगा। लेकिन यह तर्क मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि दूसरे देशों की बचत दर हमसे अधिक है। लिहाजा, हम दूसरों से कर्जा लेते रहे हैं। यानी इनका तर्क यह कि हमें हमेंशा अपनी बचत दर कम रखनी चाहिए और दूसरों की बचत दर का फायदा उठाना चाहिए। यह एक अजीब तर्क है। इससे विश्व में कौनसी अर्थव्यवस्था बन सकती है? दुनीया के जो आज विकसित देश हैं उन्होंने कब ऐसा किया है। मैं जानना चाहूंगा क्या जर्मनी इसी तरह से आगे आया? क्या जापान और अमरीका इसी तरह

से आगे आया है? विश्व के जो तमाम विकसित देश हैं वे अपनी बचत दर कम रखकर आगे आए हैं। सच तो यह है कि बहुत से देशों की, विशेषकर साउथ-ईस्ट एशिया के देशों की, जापान व चीन की बचत दर 35-36-40 प्रतिशत तक है। इसीलिए वे आगे बढ़े हैं। बचत दर कम करके कोई देश आगे नही बढ़ता।

फिर आपने आग कहा है कि आधारभूत क्षेत्रों का निवेश बढ़ाना। अब आधारभूत क्षेत्रों में निवेश कहां से बढ़ेगा? क्योंकि आपके यहां तो जो फोरेन इन्वेस्टमेंट हो रह है वह कंज्युमर गुड्स में हो रहा है। 54 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट उपभोक्ता क्षेत्र में हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे इस तरह के आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करेंगे। इस बजट में मुझे कहीं भी एक भी बात नजर नहीं आती।

अब मै जरा आपके इस बजट का विश्लेषण करता हूं। आप यह कह रहे हैं कि गरीबों की चिन्ताओं पर ध्यान रखेंगे, अधिक रोजगार की उपलब्धि के लिए कृषि उद्योग तथा सेवाओं का विस्तार करेंगे। अब मैं आपके सामने कृषि की चर्चा करना चाहूंगा, जिसको आपके बजट में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि आपने इसकी तरफ सबसे अधिक दुर्लक्ष्य किया है। ग्रामीण जनसंख्या और कृषि पर आधारित लोगों की जनसंख्या लगभग 77 प्रतिशत है और इस साल कृषि क्षेत्र के विकास के ऊपर, कृषि क्षेत्र के ऊपर किया गया निवेश, यह देश के बहुजन समाज के लिए, देश की बहुसंख्या के लिए हितमय होता और इसी से गरीबी दूर हो सकती है, इसी से रोजगार पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया है। आपने जो कृषि के अंदर विकास किया है, ग्रामीण विकास में वृद्धि की है, आप कहते है और वह सोश्यल सिक्योरिटी एंड वैलफेयर में आपने वृद्धि की है। समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण में वृद्धि की है। यह स्कीम पिछले साल श्री राव ने घोषित की थी। 1995-96 के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। आपने उसके लिए इस बार व्यवस्था कर दी है और आप यह दिखाते हैं कि आपने बहुत बड़ी मात्रा में कृषि के साथ कोई न्याय किया है।

देखिए, मैं आपके बजट का विश्लेषण करना चाहूंगा। 1996-97 में जो बजट का एस्टीमेट कृषि के लिए है उसमें एग्रीमल्चर और कोआपरेशन में जरा देखें 1995-96 के बजट मे अनुमान 1490 करोड़ रुपए का था और 1996-97 में बजट अनुमान 1471 करोड़ रुपए का है। यानी आपने बजट अनुमान पिछले साल से इस साल घटा दिया है। अब एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड एजूकेशन देखिए। आप कृषि विकास करना चाहते हैं। कृषि विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन हालत क्या है, 1995-96 में कृषि की शिक्षा और अनुसंधान के लिए 310 करोड़ रुपए का अनुमान था, जो इस साल आपने 289 करोड़ रुपए कर दिया। इसी तरह से पशुपालन और दुग्ध विकास के लिए 1995-96 के लिए अनुमान 344 करोड़ रुपए था। वह इस बार 264 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से 1995-96 का कुल 2144 रुपए था और इस बार आबंटन का अनुमान 2020 करोड़ रुपए का कर रहे हैं।

फिर आप जरा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार की तरफ ध्यान दीजिए। वित्त मंत्री जी आप रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी, बार-बार रोज हमको उपदेश देते हैं कि वे एक किसान के रूप में प्रधान मंत्री बने हैं, किसान ही रहेंगे, किसान की सेवा करेंगे, किसान का ही विकास करेंगे। यह विकास है जो उनकी कल्पना में से प्रतिविम्बित हो रहा है, जरा आप देखे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार में क्या हाल है। डिपार्टमेंट आफ रूरल डवलपमेंट में 1995-96 में बजट अनुमान 1263 करोड़ रुपए थे और इस बार रखे गए हैं 2195 करोड़ रुपए। डिपार्टमेंट आफ वेस्टलैंडस में 60 करोड पहले थे 60 करोड़ रुपए ही अब हैं।

अपराह्न 3.13 बजे

[श्री चित्त बसु पीठासीन हुए]

डिपार्टमेंट आफ रूरल एम्पलायमेंट एंड पावर्टी में 6437 करोड़ पिछले साल थे। 6437 करोड़ रुपए ही इस साल हैं। इस तरह से जब हम देखतें हैं और जब इनके रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स 1995-96 से भी तुलना करें तो वह 8308 करोड़ रुपए था और इस साल इन्होंने 8619 करोड़ रुपए किया है। अगर हम इनकी ही बात मान लें और चार प्रतिशत का मुद्रा-विस्तार मान लें, तो पहले के 8308 करोड़ रुपए अपने आप 8640 करोड़ रुपए हो जाने चाहिए थे, लेकिन मुद्रा-विस्तार इस समय तो छः प्रतिशत से ऊपर चला गया है। तो उसी स्थिति में 8692 करोड़ रुपए होने चाहिए। इस प्रकार से वास्तविक रूप में यह घट गया है। यह बढ़ा नहीं है। इससे विस्तार नहीं हो सकता है। इससे रोजगार नहीं मिल सकता है।

रोजगार योजना के बारे में आपने जो बहुत ही विशेष कृपा की है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने इसी संसद में एक सवाल पूछा थ कि इलाहाबाद में जवाहर रोजगार योजना में कितना रुपया दिया गया है ओर किस विकास खंड में कितना रोजगार पैदा हुआ है? तो हमें सरकार ने जवाब दिया है कि रुपया तो 21.47 करोड़ दिया गया है, लेकिन हम ये आंकड़े नहीं रखते हैं कि किस विकास खंड में कितना रोजगार पैदा हुआ।

पैसा तो सरकार देती है। जवाहर रोजगार का कुल पैसा केन्द्रीय सरकार की तरफ से जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी मोनीटरिंग क्यों नहीं होती? क्यों नहीं यह पता लगता कि कितना रोजगार मिला है और कितना रोजगार पैदा होना चाहिए था? जहां तक मेरी जानकारी है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुछ अध्ययन कराया है। उन्होंने यह बताया है कि इन रोजगार योजनाओं से अधिक से अधिक 15-20 दिनों का रोजगार मिलता है जबकि आपका दावा है कि आप 100 दिनों का रोजगार देते हैं। आप कैसी कृषि व्यवस्था करते हैं? आप कैसे प्रधानमंत्री हैं, जो कृषकों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। कैसे आपके वित्त मंत्री का भाषण है कि हम रोजगार पैदा करेंगे? कौन से रोजगार पैदा करेंगे? आप किस रोजगार की बात करते हैं? आपकी सरकार में रोजगार नहीं है, आपके पब्लिक सैक्टर में रोजगार नहीं है, निजी कारपोरेट सैक्टर में रोजगार नहीं है। रोजगार कहां है? मैं जानना चाहूंगा कि रोजगार कहां है? मैने पिछली बार राज्य सभा में वित्त मंत्री जी से पूछा था कि देश में कितना रोजगार किस योजना के अन्तर्गत पैदा हुआ? हमें बताया जाये कि विदेशी निवेश से कितना रोजगार इस क्षेत्र में पैदा हुआ? बार-बार वित्त मंत्री कहा करते थे कि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हम इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं? आप योजनायें क्यों चला रहे है? आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? किस गरीब की बात कर रहे हैं? किस किसान की बात कर रहे हैं।

सभापति जी, बड़ी डींगे हांकी जा रही हैं कि कृषि में पैसा बढ़ा दिया गया है। आप डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट देख लें। इसमें सबसे ज्यादा पैसा सोशल

सिक्योरिटी और वेल्फेयर में बढ़ाया गया है। पिछली बार 550 करोड़ रुपये थे और इस बार 932 करोड़ रुपए हैं। चूंकि पिछली बार सरकार ने 15 अगस्त को इस बारे में घोषणा की थी। हम जानना चाहेंगे कि 550 करोड़ रुपया 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक किस तरह से बांटा गया? इसका क्या परिणाम हुआ? कितने लोगों को इससे सोशल सिक्योरिटी मिली? इससे क्या वेल्फेयर हुआ? यह तो आपने गरीबों को पेंशन देने के लिए, वृद्धों को पेंशन देने के लिए आदि कामों के लिये दिया था। कितनों को पेंशन दी गयी? वास्तव में वह पेंशन मिली या नहीं? जिस समय आप कांग्रेस में थे तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पैसा यहां से गांव को जाता है वह 85 प्रतिशत घिस जाता है और वहां पहुंचते-पहुंचते 15 प्रतिशत रह जाता है। शायद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने आर्थिक मामले में एक ही बात सही कही थी जो 100 रुपए यहां से चलते हैं, वे गांव पहुंचते-पहुंचते 15 रह जाते हैं।

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस पैसे का उपयोग कहां है? इसका नतीजा क्या है? रोजगार क्यों नहीं बढ़ता है? हर बार लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, धंधों के लिए क्यों लाइन लगाये हुए रहते हैं? यह सवाल है जिसका उत्तर इस बजट में कहीं नहीं है। रोजगार पैदा करने का सवाल नहीं उठता। आप कभी मैच नहीं करते जो पैसा आप दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, उसके मुताबिक रोजगार पैदा हुआ है या नहीं हुआ। इससे ग्रामीण विकास क्या होगा?

आप वृद्धों को पेंशन बांट देंगे या कुछ गर्भवती महिलाओं को रुपया दे देंगे तो इससे दूरवर्ती ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है। इससे कैसे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यह तो एक सहायता है, एक "डोल" है। उत्पादक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई मतलब नहीं हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं बढ़ता, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी का निर्माण नहीं होता तो आपकी सारी योजनायें बेकार हैं। पिछले दिनों हमने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि पूंजी निवेश और पूंजी का निर्माण बहुत कम हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में पूंजी का निर्माण आधा हो गया है। यह चिन्ताजनक बात है। अगर केपीटल फार्मेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नही होगा तो 77 प्रतिशत जनता को आप किसके रहमो-करम पर छोड़ना चाहेंगे। क्या आप बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों के रहमो-करम पर छोड़ना चाहेंगे? क्या आप उसे उधार देकर जिन्दा रहने के लिए छोड़ना चाहेंगे या गुलाम रहकर जिन्दा रहने के लिए छोडना चाहेंगे?

मैं नहीं जानता कि आप किस तरह से अपने कृषि क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी की रोज घोषण है कि हम कृषि क्षेत्र का विकास करेंगे, हम किसानों का विकास करेंगे। मुझे तो इसमें कहीं किसानों का विकास नहीं दिखाई देता। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने जो बताया था कि सामाजिक सुरक्षा को निकाल दीजिए तो कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में आबंटन घटा है, एलोकेशन घटा है। यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है।

पेयजल की स्थिति गांवों में बहुत खराब है। यह बताया गया था कि आठवें प्लान के प्रारंभिक वर्षों में सारे समस्याग्रस्त गांवों में पानी चला जाएगा अभी तक नही गया है। 1991-93 में जो सर्वेक्षण हुए हैं, उनसे यह पता लगा है कि सिर्फ 56 प्रतिशत बस्तियों ओर गांवों में, जो केवल 48 प्रतिशत आबादी को आच्छादित करती है, पेयजल मिला है। आप किस ग्रामीण विकास की बात कर रहे है। आप पीने का पानी नही दे पा रहे हैं और बजट में पानी के लिए, रूरल वाटर सप्लाई और सैनीटेशन के लिए 1995-96 में आपने 1170 करोड़ रुपए रखे थे, 1995-96 में भी 1170 करोड़ रुपए रखे है। अगर मुद्रा विस्तार को लगाया जाए तो रकम तो घट गई, बढ़ी कहां। आप गांवों के विकास की क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मैं समझ नही पाता हूं। जहां तक मैं देख रहा हूं, कृषि के साथ तो भारी अन्याय हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ है कि पिछले दिनों में कृषि क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हुई है। यह बराबर स्थिर रहा है। 1980-81 में कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश 4,636 करोड़ का था और 1992-93 में वास्तविक निवेश 4,617 करोड़ था। 1980-81 में कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण 18 प्रतिशत था जो 1992-93 में घटकर 9 प्रतिशत रह गया। यह आप कृषि का विकास कर रहे हैं। बजट में कौन सा ऐसा प्रोत्साहन है जो कृषि क्षेत्र का विकास करे। 77 प्रतिशत जनसंख्या के प्रति प्रधानमंत्री जी की घोषणा और आपके भाषण के बाद अगर कृषि क्षेत्र का यह हाल है तो मैं नहीं जानता वित्त मंत्री जी, आपको खेती के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। किसान के बारे में, खेती के बारे में, उन 77 प्रतिशत लोगों की दयनीय दशा के बारे में आप या आपका मंत्रालय कुछ जानता भी है या नहीं। या सिर्फ मल्टी नैशनल्स के लिए कस्टम ड्यूटी घटाकर हमारे उद्यागों को नष्ट करने के अलावा कुछ और भी कर रहा है या नहीं। जब मैं कृषि उत्पादन के आपके आंकड़े देखता हूं तो मुझे बहुत चिन्ता होती है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनुवल ग्रोथ रेट इन प्रोडक्शन ऑफ फूडग्रेन्स में 1990-91 में चावल 1.01 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा था जो 1995-96 में -1.41 हो गया। 1990-91 में गेहूं 10.59 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा था जो 1995-96 में -0.41 हो गया। दालें जो 1990-91 में 10.54 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही थीं वे 1995-96 में 5.32 प्रतिशत रह गई। इस तरह से कुल अनाज जो 1990-91 में 3.31 की दर से बढ़ रहा था वह 1995-96 में घटकर -0.46 रह गया है। यह आप कृषि का विकास कर रहे हैं। यदि कृषि ऐसे चलेगी तब तो मुझे कहना पड़ेगा कि आप इस देश को भुखमरी के कगार पर ले जाएंगे। मुझे लगता है कि अनाज के बारे में आपका बजट हमें कोई भी आशाजनक किरण नहीं देता। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमें 1991 में 510 ग्राम प्रतिदिन आनाज की उपलब्धि थी जो 1993 में घटकर 466 ग्राम रह गई। एक तरफ आप कहते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में अन्न के भंडार हैं, दूसरी तरफ एवेलेबिलिटी का यह हाल है और तीसरी तरफ हमें यह बताया जाता है कि अगर मार्किट फोर्सेस कर दिए जाएं तो दुनियां में मैलन्युट्रिशन खत्म होगा। मेरे पास रोटरी क्लब के एक सदस्य ने पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मार्किट फोर्सेस बिल्कुल खुले छोड़ दिए जाएं तो दुनिया में से मैलन्युट्रिशन खत्म हो जाएगा। इसके लिए अनाज के मामले में मार्किट फोर्सेस बिल्कुल खुलेआम काम करने चाहिए। आपने अनाज के मामले में धीरे-धीरे मार्किट फोर्सेस किए हैं जिसका नतीजा यह है कि हम 510 ग्राम के घटकर 466 ग्राम पर पहुंच गए हैं। मुझे इस मामले में बहुत चिन्ता है क्योंकि विश्व के कृषि क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबर यह बता रहे हैं कि आने वाले चालीस वर्षों में दुनिया में भारी मात्रा में अनाज का अकाल पड़ेगा और उसमें चीन, एशिया और अफ्रीका के तमाम देश अकाल से ग्रस्त होंगे। आप मुझे बताएं कि आप ऐसी स्थिति में कहां से इम्पोर्ट करेंगे। यदि इतनी बड़ी जनसंख्या अनाज के अकाल से ग्रस्त है तो पश्चिम के जो भी देश हैं अफ्रीका इत्यादि, जिनके पास अनाज का सरप्लस है, क्या वे उस तमाम जनसंख्या को, आज चीन, मध्य एशिया, अफ्रीका की एक अरब के करीब जनसंख्या है, खिला सकेंगे? क्या इससे हमारी फूड सिक्युरिटी खतरे

में नहीं पड़ेगी? मैं आपसे कहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कृषि के मामले में आप जनता को धोखें में न रखें, देश को धोखें में न रखें।

सबसे बड़ी बात जिसे देखकर मुझे आश्चर्य होता है, वह सिंचाई के बारे में है। जब मैं आपके बजट को देखता हूं, हर साल के आर्थिक सर्वेक्षण को देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि यह सरकार सिंचाई के मामले में किस तरह से बड़ी चतुराई से जनता को धोखे में रखती है।

इस बार यह बताया गया है कि सिंचाई के लिए बजट बढ़ा दिया गया है, 900 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, पर किसके लिए बढ़ाया गया है, मेजर प्रोजैक्ट्स के लिए बढ़ाया गया है, ऑन गोइंग मेजर प्रोजैक्ट्स के लिए पैसा बढ़ाया गया है, माइनर प्रोजैक्ट्स के लिए, लघु सिंचाई के लिए, मध्यम सिंचाई के लिए वह पैसा नहीं बढ़ाया गया है और इसलिए वे जो बड़े प्रोजैक्ट्स है, केवल उन्हीं में पैसा लगता है। हालत क्या है, क्यों इन बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स में पैसा लगाया जा रहा है, क्या हमारे देश में सिंचाई की क्षमता की कमी है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सिंचाई की क्षमता करीब-करीब 14 मिलियन हैक्टेयर अनुपयुक्त पड़ी है, अनुयूटीयाइज्ड पड़ी है, 14 मिलियन हैक्टेयर्स अनुयूटीलाइज्ड इर्रीगेशन पोटेशियल है, यह मामूली बात नही है। आप देखिये, आर्थिक समीक्षा को मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है कि बड़ी और मझोली योजनाओं के द्वारा करीब-करीब 89.42 मिलियन हैक्टेयर्स सिंचाई की क्षमता का निर्माण होना चाहिए था और इस तरह 46 सालों में आपने 1.45 मिलियन हैक्टेयर्स प्रतिवर्ष की क्षमता बढ़ाई। लेकिन आज हम देखते हैं कि लगभग नौ मिलियन हैक्टेयर्स तो सिंचाई की क्षमता अनुपयोगी पड़ी हुई है और आपने जो आंकड़ों का खेल दिया है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना मजेदार है। उसको देखकर मुझे हैरत होती है कि आप किस तरह देश के लोगों के साथ और आपकी आर्थिक समीक्षाएं किस तरह आंकड़ों का भ्रमजाल पैदा करती हैं।

[अनुवाद]

वर्ष 1991-92 की आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित सातवीं योजना अवधि तक 32.91 लाख हैक्टेयर्स भूमि में सिंचाई क्षमता पैदा की गई है।

[हिन्दी]

और उसमें यूटीलाइजेशं 27.89 मिलियन हैकटेयर्स का हुआ। फिर माइनर इरीगेशन पोटेंशियल 46.83 मिलियन हैक्टेयर्स पैदा हुआ और यूटीलाइजेशन 43.53 मिलियन हैक्टेयर्स हुआ, टोटल 79.74 प्रोड्युस्ड का युटीलाइजेशन 71.42 है। अब इसका मतलब यह है कि यहां तो आपने इसको टोटल 79.74 दिखया है, लकिन जब संबंध प्लान डाक्युमेंट आप लिखते हैं तो इकानोमिक सर्वे 1992-93 में अचानक कहने लगते हैं कि नहीं, एचीवमेंट 76.5 का हुआ है। अब आप देखिये,

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : जोशी जी एक सैकंड, मैं एक अनुरोध करना चहता हूं।

दूसरे सदन में 2.30 बजे वादविवाद शुरू हुआ है दूसरा सदन मुझे पांच मिनट के लिए बुला रहा है। तभी वहां चर्चा आरम्भ की जायेगी। वे भी जोर दे रहे हैं कि जब वे चर्चा आरम्भ करें तो मैं वहां मौजूद रहूं। अतः मुझे 5 मिनट के लिए वहां जाने दें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या हम वादविवाद स्थगित कर दें?

श्री पी. चिदम्बरम् : मै आप को यही बता रहा हूं कि मैं यहां क्यों मौजूद नहीं रहूंगा।

सभापति महोदय : वह पांच मिनट के लिए यहां नहीं रहेगे। अन्य माननीय मंत्री तो मौजूद हैं।

श्री पी. चिदम्बरम् : आप मुझे गलत न समझें कि मैं आपके भाषण का बहिर्गमन कर रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी पलि उनके एवज़ में यहां उपस्थित रहे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उनकी पत्नी।

[हिन्दी]

इसका अर्थ है कि गैप लगभग सात मिलियन हैक्टेयर का यहां है। अचानक 1992-93 की आपकी इकोनोमिक सर्वे कहने लगती है।

[अनुवाद]

सातवी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में और जैसा कि 1992-93 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित है 79.74 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य है और 79.42 लाख हैक्टेयर का उपयोग किया गया है।

[हिन्दी]

यह 3.24 मिलियन हैक्टेयर्स एकदम गायब कर दिये गये। यह यहां चले गए? 1991-92 में जो मौजूद थे, विद्यमान थे, वह एकदम 1992-93 में कहां चले गए, कहां गायब हो गए? इस तरह से आप गौर से देखेंगे कि यह 11-12 मिलियन हैक्टेयर आपके यहां कृषि क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता अभी तक अनुपयुक्त पड़ी है। एक हैक्टेयर सिंचाई की क्षमता को पैदा करने के लिए 60 हजार रुपए खर्च होते हैं। 12 मिलियन हैक्टेयर अगर क्षमता कम हो गई तो 72 हजार करोड़ रुपए का यह स्कैम है। यह कहां गया? इसके लिए पैसा तो दिया गया है। प्लान में तो इसके लिए पैसा खर्च हुआ है। सिंचाई के अन्दर यह 72 हजार करोड़ रुपए का स्कीम किया गया है। यह सब कहां गया, मिनिस्टरों के पास गया, इंजीनियरों के पास गया, ठेकेदारों के पास गया, लेकिन गांव वालों के खेत में तो पानी नहीं मिला और यह और यह मैं समझता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्कैम है, जो आपकी सारी समीक्षाएं प्रकट कर रही हैं। और 60 हजार रुपए तो पुराना दाम है, अगर आज का, करेट प्राइसेज पर उसको देखा जाए तो शायद 70 हजार रुपए से एक हैक्टेयर की सिंचाई की क्षमता बनेगी और आज यह 84 हजार करोड़ रुपए का स्कैम होगा। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वह हमें यह बतायें कि सिंचाई की क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्होंने बजट में क्या प्रावधान किया है? इस क्षमता का उपयोग तभी हो सकता है, जब आप माइनर इरीगेशन के अन्दर

इन्वैस्टमैंट करें, आपका बजट एलोकेशन सिंचाई के अन्दर आएगा, तभी इस क्षमता का उपयोग हो सकेगा, अन्यथा यह क्षमता पड़ी रहेगी। कागज पर पड़ी रहेगी या डैम्स में पानी इकट्ठा होता रहेगा, किसान के पास नहीं जाएगा। मैं यह मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं यह चाहूंगा कि हमें वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया जाय और अगर कृषि मंत्री हो तो वह भी देखें, सिंचाई मंत्री हो तो वह भी देखें ... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : सिंचाई मंत्री तो बैठे हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मौजूद हैं, इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं। जल संसाधन मंत्री हैं, वे बतायें कि यह 11-12 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई की क्षमता कहां चली गई

बजट में आप 900 करोड़ रुपए बड़े डैम्स के लिए रख रहे हैं। क्यों? उसमें खूब किकबैक मिलती है। एक-एक योजना 2-2, 3-3 सौ करोड़ रुपए की होती है, इसीलिए उसमें किकबैक्स की गुंजाइश बहुत है। लघु सिंचाई योजनाएं लाख, दो लाख, 4-5 लाख रुपए की होती हैं, इसलिए इनमें किकबैक्स की गुंजाइश नहीं है और इसलिए कोई मंत्रालय इस बारे में ध्यान देने को तैयार नहीं है कि वह इस देश की कृषि व्यवस्था को ठीक करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बहुत चिन्ता है कि अगर आपने इन सारी बातों को ठीक नहीं किया तो इस देश में न तो गरीबी दूर होगी, जो आपके बजट का एक उद्देश्य है और न ही देश की कृषि व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

रूरल पावर्टी के बारे में यह सरकार जिस तरह के आंकड़े देकर हमें दिग्भ्रमित करती है, उस पर मुझे हंसी आती है। 1987-88 में लाकड़ावाला कमीशन की तरफ से एस्टीमेंट हुआ था, जो यह बताता था कि ग्रामीण गरीबी 39.06 परसेंट है और अर्बन 40.12 परसेंट है। आज 1994-95 में यह आंकड़ा बदल गया है। आज ग्रामीण गरीबी 40 परसेंट हो गई है और शहरी गरीबी 39 परसेंट हो गई है, जो आज से 7-8 साल पहले गांव अधिक धनी थे, शहर अधिक गरीब थे, इन सात-आठ सालों में शहर अधिक अमीर हो गए हैं और गांव अधिक गरीब हो गये हैं। लेकिन 1995-96 के इकोनोमिक सर्वे में यह एकदम कह देते हैं कि परसेंटेज ऑफ पावर्टी केवल 28 प्रतिशत है और हमारे मनमोहन सिंह जी एकदम से 1995-96 में कहने लगते हैं कि यह आंकड़ा भी ठीक नहीं है, गरीबी सिर्फ 21 परसेंट है। आगे चलकर टोटल गरीबी वे 18.96 यानि 19 परसेंट बताते हैं। इतना फर्क तो नहीं हो सकता कि लाकड़ावाला कमीशन कहता है कि 39 परसेंट गरीबी है और मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी कहते हैं कि केवल 19 प्रतिशत गरीबी है। यह आंकड़ों का गोरखधंधा आज तक मेरी समझ में नहीं आता। 1992-93 में गरीबी के बारे में नेशनल सैम्पल सर्वे हुआ था, उसके आंकड़े सरकार छिपाए रही, गुप्त रखे हुए है, पता नहीं लगने दे रही, हवा नहीं लगने दे रही कि वे आंकड़े क्या हैं। मुझे बहुत चिन्ता है कि इस देश में गरीबी बढ़ी है और जो बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने बार-बार इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, मैं यही समझता कि इस बजट में गरीबी दूर करने का एक भी उपाय किया गया है। ग्रामीण गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रमों का पैसा घटाया गया है, शहरी गरीबी को दूर करने वाले आवंटन को घटाया गया है और इस तरह से अगर आप पावर्टी एलीविएशन प्रोग्राम का इन्वैस्टमेंट घटा देंगे, उसका एलोकेशन घटा देंगे तो आप कैसे गरीबी को दूर करने की चिन्ता कर सकते हैं।

इस देश में छोटे उद्योगों पर, कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का एक भी उपाय इस बजट में नहीं है। बड़े उद्योगों में तथा सार्वजनिक क्षेत्र में तो पिछले पांच सालों में रोजगार नगण्य बढ़ा है। इसलिए आपके इस बजट भाषण का मतलब क्या है, बजट में तो वह रिफ्लैक्ट नहीं होता, बजट में तो वह प्रतिबिम्बित नहीं होता। आप इस देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आपने कहा है कि आप आधारभूत क्षेत्रों में बहुत कुछ इन्वैस्टमेंट करना चाहते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ऊर्जा का ही क्षेत्र लें, विद्युत के क्षेत्र में आपने 1995-96 में बजट एलोकेशन 23,795 करोड़ रुपए किया था और 1996-97 में यह एलोकेशन 24,270 करोड़ रुपए हुआ। लेकिन अगर चार परसेंट भी मैं आपका इन्फ्लेशन मान लूं, जिसकी सरकार घोषणा करती है तो 951 करोड़ रुपए इस 23,795 करोड़ रुपए बढ़ने चाहिए थे, वह तो 24,270 करोड़ से ज्यादा हो जाता। लेकिन अगर सही में आप मुद्रा विस्तार के आंकड़े ले तो आज वह लगभग छह प्रतिशत है, तो इसमें 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि होनी चाहिए थी और तब यह करीब-करीब 25-26 हजार करोड़ रुपए ऊर्जा के क्षेत्र में होनी चाहिए थी, लेकिन हम जानना चाहते है कि ऊर्जा के बारे में सरकार करना क्या चाहती है? हमारे देश में आज 88 हजार मैगावाट की स्थापित क्षमता है।

यह कहा गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 30 से 32 हजार मेगावाट स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो गतिविधि है, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि 16 हजार मेगावाट से अधिक हो सकेगा, यह अधिकतम है, अन्यथा विशेषज्ञों की राय 12 से 14 हजार मेगावाट से अधिक की स्थापना नहीं होगी। यदि हम सरकार की चलने वाली योजनाओं को मान भी लें कि वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाएंगी तो 14 से 16 हजार मेगावाट तक क्षमता होगी। इसका अर्थ यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14 हजार मेगावाट का गैप रहेगा। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना आएगी, वह भी करीब-करीब 40 हजार मेगावाट स्थापित करने की बात करेगी, तो उस स्थिति में आपके पास 55-56 हजार मेगावाट का गैप होगा और आपकी कुल क्षमता 88 हजार मेगावाट की होगी और गैप 50 हजार मेगावाट का, तो यह कौन-सी ऊर्जा नीति है, कहां से आप काम करना चाहते हैं। इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे। जिस तरह से आप विदेशी लोगों को निवेश करने के लिए यहां बुला रहे हैं और वे चार करोड़ रुपए, पांच करोड़ रुपए प्रति मेगावाट बिजली पैदा करेंगे तो 40-50 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सारा देश विदेशियों के हाथों में बिक जाएगा और बिजली पैदा नहीं होगी। बिजली के मामले में सरकार देश को क्यों धोखे में रखना चाहती है, बिजली में निवेश किस तरीके से किया जा रहा है, यह मैं आपको बताता हूं।

मैं उत्तर प्रदेश में गया था। मुझे बताते हुए दुःख होता है कि वहां उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को जानबूझ कर केन्द्रीय सरकार ने नष्ट कर दिया है। आज उस बोर्ड के पास कोई भी आन गोइंग योजना नहीं है। सिवाए खम्भे और तार लगाने के उत्तर प्रदेश का विद्युत परिषद कोई काम नहीं कर सकता।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : आप ठीक कह रहे हैं, वे तार भी नहीं लगा रहे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : एक अनपारा 'सी' योजना बनी थी, वह चार हजार करोड़ रुपए की योजना थी। अनपारा 'ए' और 'बी' राज्य सरकार के विद्युत बोर्ड ने बनाई। अनपारा 'सी' प्रधान मंत्री और मुलायम सिंह जी जाकर हुंडई नामक एक विदेशी कम्पनी को दे आए। क्या इस सरकार के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हुंडई ने लखनऊ में साइन कर लिया।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उसके दाम मैंने स्टडी किए हैं। आज ऊर्जा पर बहस नहीं है, जिस दिन होगी उस दिन मैं बताऊंगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड और जनता को लूटा जा रहा है। मैं अपने वामपंथी और जनता दल के मित्रों से जानना चाहता हूं कि चार-छः महीने पहले आप हमारे साथ बैठकर इस प्रकार के निवेश का विरोध करते थे, क्या आज इसका समर्थन करेंगे? क्या यह किसानों के हित में हैं? उत्तर प्रदेश में तमाम इंजीनियर बेकार हो जाएंगे। आज सिविल इंजीनियरिंग का काम उत्तर प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड के पास नहीं है। एक भी नया संयंत्र बनाने का काम नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर बेकार हो जाएंगे, केवल ट्रांसमिशन करेंगे। ऐसे तमाम बिजली बोर्डों को आपने नष्ट किया है। आपकी ऊर्जा नीति देश हित में नहीं है। मैं सदन के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह आपकी ऊर्जा नीति रही तो देश में अनेक स्थानों पर पावर रायट्स होंगे। लोगों को बिजली की जरूरत है। बिजली उन्हें नहीं मिलेगी। कुछ लोगों के घरों में बिजली होगी और कुछ लोगों के घरों में नहीं होगी, तो पावर रायट्स के लिए देश को तैयार रहना चाहिए। अगर बिजली नहीं रहेगी तो ट्यूबवैल नहीं चलेंगे, ट्यूबवैल नहीं चलेंगे तो खेती नहीं हो सकेगी, फिर फूड रायट्स की तरफ देश बढ़ेगा। श्री जनेश्वर मित्र मंद-मंद मुस्करा रहे हैं, यह मुस्कराने की बात नहीं है, यह चिंता की बात है।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : पीछे से कह रहे है कि अब ये कम्युनल रायट्स के बाद पावर रायट्स कराएंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : यही आपके मित्र कम्युलन रायट्स कराते थे, यही अब पावर रायट्स और फूड रायट्स कराएंगे। सारे रायट्स की जिम्मेदारी इन्हीं की है। इसके बारे में जिस दिन बहस होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कैसे साम्प्रदायिक दंगे हुए, उस दिन मैं बताऊंगा। ये लोग कहीं पर कास्ट रायट्स कराते हैं और कहीं पर कम्युनल रायट्स कराते हैं। आपके बजट की दिशा किधर जा रही है। उसमें कौन-सा दर्शन है, कौन-सी दिशा है, बजट के एलोकेशन क्या चीज रिफलैक्ट कर रहे हैं, बजट किस तरफ देश को ले जा रह है, यह में बताना चाहता हूं।

आपने परमाणु ऊर्जा के अंदर कटौती की है, सिर्फ न्युक्लियर विद्युत योजनाओं में कुछ पैसा बढ़ाया है और वह भी इंपलेशन का सामने रखा जाए तो वास्तविक टर्म्स में राशि घट जाती है। इस तरह ऊर्जा की हालत बहुत खराब है। यहां पर ऊर्जा मंत्री नहीं हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा।

लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम व्हाइट पेपर ऑन पॉवर-योजीशन प्रकाशित करें, देश के लोगों को बताएं और फिर देखें कि इस देश में ऊर्जा की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। इस बजट में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब कहा गया है कि हम वैलफेयर कर रहे हैं। वैलफेयर के लिए भी हमारे वित्त मंत्री बार-बार रास्ते सुझा रहे हैं, वैलफेयर के नाम पर खैरात बांटी जा रही है जैसे भिखमंगे बैठे हो और दो आने, आठ आने, एक रुपया, दो रुपया हमारे वित्त मंत्री खैरात बांट रहे हो। कहने हैं कि वृद्धों की सहायता करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में वृद्धों की संख्या कितनी है? देश की जनसंख्या अगर 95 करोड़ है और 10 प्रतिशत वृद्ध मान ले तो 9.5 करोड़ वृद्ध होंगे और सरकार 5 करोड़ रुपए में उनके लिए आवास बनायेगी। समझ में नहीं आता कि कैसे बनायेगी? इसी तरह महिला विकास निगम के लिए 10 करोड़ रुपए हैं। महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति है। देश में करीब-करीब 47-48 करोड़ महिलाएं हैं और उनके विकास के लिए 10 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ की सामूहिक निधि से राष्ट्रीय रुग्णता सहायता केन्द्र स्थापित करेंगे। देश मे दुनिया में सबसे अधिक अंधे, सबसे अधिक कोढ़ी, सबसे अधिक टी.बी. पेशेंट हिन्दुस्तान में रहते हैं और यह सरकार उनके लिए रुग्णावस्था में 5 करोड़ दान में दे रही है। उस्पतालों में एक पैसे की दवाई तो दे नहीं पाते हैं। ए. आई. आई. एम. एस. की क्या हालत बनी हुई है? जो केन्द्र सरकार के अस्पताल हैं, उनकी क्या हालत बनी हुई है? 5 करोड़ रुपया कहां बांट रहे हैं? यह सब सरकारी दफ्तरों में टी.ए.डी.ए. में चला जाएगा। बहुत से मकानों का किराया, कार खरीदना, टलीफोन इत्यादि में ही चला जाएगा और लॉरी या बस चालकों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी जो 5 करोड़ रुपए है। हम्माल भाई जो दिन-रात-मेहनत करते हैं, उनके लिए भी 5 करोड़ रुपए है। अब इस देश को क्या आपने भिखमंगा समझ रखा है? इतना रुपया तो हम्माल भाई ही दे सकते थे। क्यों इस तरह से इस देश के साथ आप मजाक कर रहे हैं? आप देश के लोगो का अपमान कर रहे हैं। क्या आप खैरात बांट रहे हैं? क्या आपने देश की भिखमंगा समझ रखा है जो 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ रुपया दे रहे है। यह आपका समाज कल्याण है? असली समाज कल्याण जो करते हैं, शैडयुल्ड कास्टस तथा शैडयूल्ड ट्राईब्स की हालत देखिए। Welfare of S.C. & S.T. handicapped. यह 1994-95 में 1.17 प्रतिशत प्लान आउट-ले था। 1995-96 में 1.2 प्रतिशत था और 1996-97 में 1.10 प्रतिशत हो गया और अब रेगुलर बजट में जो रखा गया है, वह इंटेरिम बजट था, इसमें 1.07 प्रतिशत हो गया है। सन 1993-94 में भी 1.07 प्रतिशत और 1996-97 में भी 1.07 प्रतिशत था। अगर आप मुद्रा-विस्तार का हिसाब लगा लें तो आपको पता लग जाएगा कि यह संख्या कितनी घट गई है, बढ़ी नहीं है। यह एस.सी.एस.टी. और हैन्डीकैप्ड के वैलफेयर के लिए आबंटन टोटल आउटले का 1.07 प्रतिशत है जो 1993-94 में भी 1.07 प्रतिशत था। सन् 1991-92 में 1.18 प्रतिशत जो शायद सबसे अधिक था, उसके बाद 1994-95 में भी करीब-करीब इतना ही रहा। लेकिन इसको घटाकर अब यह जो कहा जा रहा है कि हम समाज कल्याण, समाज न्याय करेंगे, हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे। ऐसा करके क्या यह गरीबों का उत्थान किया जा रहा है? एस. सी. एस. टी. के लिए आबंटन की राशि घटती चल जा रही है। अगर यहां पर प्रधान मंत्री जी उपस्थित रहते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

हैल्थ एंड फैमिली वैलफेयर की राशि बजट में घटती चली जा रही है। 1994-95 में प्लान एलोकेशन 2.97 प्रतिशत था। 1995-96 में 2.88 प्रतिशत रहा और अब 1996-97 में 2.69 प्रतिशत हो गया। क्या यह हैल्थ एण्ड वैलफेयर है? क्या यह देश में सामाजिक न्याय देंगे? क्या यह देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारेंगे? यह जो हैल्थ में पैसा बढ़ा है, इसमें 195 करोड़ रुपया इन्होंने बढ़ाया है जिसमें 172 करोड़ रुपया सिर्फ एलोपेथी के लिए है और 23 करोड़ रुपया आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए है। हिन्दुस्तान में करीब आज भी 70 प्रतिशत से अधिक लोग आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर करते हैं। उसके लिए बड़ी मुश्किल से पिछली बार लड़-झगड़कर हमने आयुर्वेद और होम्योपैथी का अलग विभाग बनवाया। उसके केवल रख-रखाव के लिए 23 करोड़ रुपया दिया गया है।

ऐलोपैथी के लिए 172 करोड़ रुपया दिया गया है। मेरा ऐलोपैथी से कोई विरोध नहीं है। आप अच्छे-अच्छे मेडिकल संस्थान बनावायें, उनमें पैसा लगायें, लोगों का अच्छी शल्य चिकित्सा दें, ओपन-हार्ट सर्जरी सस्ती करें, किडनी ट्रांसप्लांटेशन सस्ती करें। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आपने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए केवल 23 करोड़ रुपया ही रखा है जो कि डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स और उनके दफ्तरों का खर्चा है। यह कौन सी हैल्थ व्यवस्था कर रहे हैं? आपका बजट किधर जा रहा है? इस बजट की दिशा क्या है? इसका दर्शन क्या है? समझ में नहीं आता। शायद इसका दर्शन केवल एक ही है कि नकल करो। जो श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर कुछ लिपस्टिक, काजल लगाकर बूढ़ी अर्थ-व्यवस्था को जवान दिखाने की कोशिश करो। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।

साइन्स एंड टैक्नॉलोजी में आप देखिए कि किस तरह से बजट घटता चला जा रहा है। सन् 1994-95 में .33 प्रतिशत था। 1995-96 में .31 प्रतिशत था। 1996-97 में .297 रहा है। हमारे वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री ज्ञान-विज्ञान की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि साइन्स एण्ड टैक्नॉलोजी के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं कितना पैसा दे रहे हैं? सिर्फ रकम गिनकर दिखाने से कुछ नहीं होता है। टोटल प्लान ऐलोकेशन में साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी का कितना हिस्सा है, इस पर निर्भर करता है। साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता और आप साइन्स एण्ड टैक्नोलॉजी के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान पर पैसा घट गया हैं और आज हालत यह है कि सीड टैक्नोलॉजी में हम बिल्कुल पिछड़ गए हैं। नए बीजों का निर्माण बिल्कुल बंद हो गया है। सीड्स टक्नालॉजी अगर ठीक नही रहेगी, अगर बीजो की किस्मों मे निरन्तर सुधार नहीं होगा तो उत्पादकता नही बढ़ेगी। इसलिए आपको सभी कृषि, रक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों पर ध्यान देना पडेगा।

आज हमारे देश की जो प्रयोगशालाएं हैं, वे त्राहि-त्राहि कर रही हैं। अगर कहीं पर आधुनिकीकरण के लिए 150 तथा 200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है तो सरकार 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ रुपया देती है। उससे अच्छा है कि आप मत दीजिए। लेकिन जब दीजिए तो पूरा पैसा दीजिए क्योंकि आपकी वजह से प्रयोगशालाएं एक यंत्र मंगाकर दो साल तक चुप नहीं बैठी रहेंगी। लॉक्सटॉक एण्ड बैरल, आप दीजिए तो पूरा एक साथ दीजिए। आप 5 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण कीजिए। लेकिन पूरे तौर पर कीजिए। आधुनिकीकरण के नाम पर हमारे साथ मजाक नहीं कीजिए।

वूमैन एण्ड चाइल्ड डवलपमेंट की भी हालत यह है कि यह 1.09 प्रतिशत था। 1995-96 में अब घटकर .97 प्रतिशत रह गया है। यह आपकी स्थिति है। एजुकेशन की तो हालत बहुत खराब है। एजुकेशन में कहते है कि इस साल बजट 3.89 प्रतिशत हो गया है। 1400 करोड़ रुपया बढ़ाया है। क्या आपने इस देश में यूनिवर्सिटीज के लिए बढ़ाया है?

क्या आपने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा बढ़ाया है? क्या आपने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए बढ़ाया है? जी नहीं। यह 1400 करोड़ रुपया आपने प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को मध्यान्ह भोजन देने के लिए बढ़ाया है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उसको आपने शिक्षा में जोड़ दिया है। वह आपने न्यूट्रीशन में दिया है। वह आपने क्वॉलिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए दिया है। उसको आप शिक्षा में क्यों जोड़ते हैं? क्या वह पैसा आपने भवन बनाने के लिए दिया है? क्या वह पैसा आपने शिक्षा में वैज्ञानिक सामान खरीदने के लिए दिया है? क्या आपने पाठ्य-पुस्तकों के लिए पैसा दिया है? क्या आपने अध्यापकों के वेतनमान ठीक करने के लिए पैसा दिया है? यह पैसा आपने न्यूट्रीशन के लिए दिया है। मगर हमको यह क्यों बताया जा रहा है कि शिक्षा के लिए 1400 करोड़ रुपया दिया गया है। इसका शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं न्यूट्रीशन के हक में हूं। बच्चों को पोषण तो मिलना चाहिए। लेकिन इसको यहां से उठाकर उस खाते में डालिए और कहिए कि यह रुपया हम न्यूट्रीशन में देंगे। लेकिन दिखाने के लिए शिक्षा का बजट 3.89 प्रतिशत कर दिया है। इस तरह की धोखाधड़ी मत कीजिए। इससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा। मैं लम्बे आंकड़े नहीं देना चाहता वर्ना मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरह से देश में आज भी एस. सी. एस. टी. के लोगों में शिक्षा की दरें कितनी कम है और विशेषकर जनजातीय महिलाओं की शिक्षा की दर तो बहुत कम है। उनकी हालत बहुत दयनीय है। उन पर अत्याचार होते है और इसका मुख्य कारण ही यह है कि वे अशिक्षित हैं। वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती। आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है।

डिफेंस इस देश का एक महत्वपूर्ण महकमा है। हमारे देश में सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है। वर्ष 1990-91 में डिफेंस बजट 3.9 प्रतिशत था। आज 2.4 प्रतिशत है। पाकिस्तान का बजट 6.5 परसेंट है और चाइना का बजट भी 6.5 से 7 परसेंट है। चाइना आज पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है। आज ही के अखबारों में यह खबर थी कि पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमको अपने देश की सुरक्षा और देश की प्रतिरक्षा की तरफ बहुत गम्भीरता से ध्यान देना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत पहले हमने अपने देश की सुरक्षा के बारे में इसी तरह से कहा था।

[अनुवाद]

युद्ध के समय शस्त्र और शांति के समय खेती।

[हिन्दी]

हमने सेनाओं को खेत में हल जोतने के लिए भेज दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जब चीन का हमला हुआ तो हम देश में एक पराजित राष्ट्र के रूप में खड़े थे। देश की सुरक्षा की तरफ ध्यान न देकर कॉफी मशीने बनाई गई थी। मेरा निवेदन है कि देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का मजाक मत कीजिए। इसको सन्नद्ध कीजिए और देश के सुरक्षा बजट को बढ़ाइए। आपने रक्षा बजट मे 27-28 हजार करोड़ रुपया रखा है, मैं यह मांग करूंगा कि इसको बढ़ा कर कम से कम 31-32 हजार करोड़ कीजिए। क्योंकि आज का जो डिफेंस बजट है, उसका 75 फीसदी तो पैशन्स, वेतन और सिविलियन खर्चो में चला जाता है, फिर बाकी क्या बचता है। आपने पिछले दस सालों में कोई भी हथियार नहीं खरीदा है। आपकी वायु सेना, आपकी नौसेना ये सब आपकी बिल्कुल पुरानी पड़ गई हैं। प्रतिरक्षा के मामले में देश के साथ इस तरह की लापरवाही यह बजट दिखाता है। बजट में जो पैसा कम किया गया है, वह शायद अमरीकन दबाव के कारण कम किया गया है या शायद दुनिया का यह दिखाने के लिए कि भारत प्रतिरक्षा में पैसा कम

कर रहा है या आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक को दिखाने के लिए हमने ऐसा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में बहुत बड़ी औद्योगिक उन्नति प्रतिरक्षा के साथ मिल कर हो सकती है। जब आप टैक्स बनाते हैं।

[अनुवाद]

समस्त मंत्रिक उद्योग जो इससे संबंधित हैं।

[हिन्दी]

तो बहुत बड़ी मात्रा में धातुओं के उद्योग को बढ़ाते है। जब आप स्पेस में काम करते हैं, अंतरिक्ष में काम करते हैं, तो आप हजारों-हजार वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण करते हैं, जिनकी अन्तराष्ट्रीय मार्केट है। अगर आप विज्ञान और प्रतिरक्षा के मामले में ठीक ढ़ेग से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि देश में औद्योगिक उन्नति जरूरी है। चीन के यहां औद्योगिक उन्नति हुई और पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल मरा हुआ है। लेकिन यह कहना कि आप डिफैंस में पैसा खर्च करेंगे, तो डवलपमंट का क्या होगा, यह बहुत ही पुराना सिद्धान्त है और बहुत गलत सिद्धान्त है।

[अनुवाद]

रक्षा और विकास साथ-साथ हो सकते हैं।

[हिन्दी]

ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहो पर प्रतिरक्षा और देश का औद्योगिक विकास तथा देश का शैक्षिक विकास साथ-साथ चलता है। डी. आर. डी. ओ. में अगर आप ठीक से निवेश करेंगे और प्रतिरक्षा संस्थाओं का आप ठीक से विकास करेंगे, तो इतने बड़े पैमाने पर टैक्नोलॉजी का विकास होता है, जो देश के लिए उपयोगी होता है। हम इस बात को जानते हैं, जब अमरीका ने हमारे देश को सुपर-कम्प्युटर नहीं दिया था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने परम-कम्प्युटर बनाया और हम अन्तराष्ट्रीय मार्किट में फारन-एक्सचेंज प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप प्रतिरक्षा बजट में इस तरह की कोताही करेंगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो यह ठीक नहीं होगा। मैं इस बजट को, इसकी दिशा को समझ पाने में असमर्थ हुं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. जोशी जी, आपके दल को 2 घंटे और 11 मिन्ट का समय आबंटित किया गया है। आपने एक घंटे से अधिक समय ले लिया है। मेरे पास 12 वक्ताओं की सूची है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं अभी समाप्त करता हूं ...(व्यवधान)।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमारी अर्थ व्यवस्था में अधिक समय लिया जाना सामान्य बात है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं यह मानता हूं कि आप मेरा समर्थन कर रहे है।

सभापति महोदय : समय और लागत का बढ़जाना।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं अपने वित्त मंत्री जी के स्थानापन्न या जो भी यहां उपस्थित हों, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बजट को देख कर मुझे इस देश के गरीब आदमी के भविष्य के लिए चिन्ता होती है। मुझे इस देश की रक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए चिन्ता होती है। मुझे इस देश के किसानों के लिए चिन्ता होती है और मुझे इस देश के ड्राइवरों और वैज्ञानिकों के लिए चिन्ता होती है। पैट्रोलियम सैक्टर के लिए मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, जब इस पर बहस हुई थी। इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस देश की जनता पर इतना भारी बजट लाद दिया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाइड्रो कार्बन इन्डरस्ट्री ने 23 हजार करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को दी है। सन् 1980 के दिनों में चार हजार करोड़ रुपया आयल-पुल से सरकार ने निकाला था, जो आजतक वापिस नहीं किया गया है। स्माल-स्केल इन्डस्ट्री के बारे में भी मुझे चिन्ता है। स्माल-स्केल इन्डस्ट्री सबसे अधिक रोजगार देने वाली इन्डस्ट्री है, फिर भी इसमें कोई इन्वैस्टमेंट नहीं किया गया है। टैक्सटाइल, स्माल-स्केल इन्डस्ट्री और जैम्स-ज्वेलरी - ये ऐसे उद्योग हैं, जिनसे देश में रोजगार बढ़ता है। आपने जो दूसरे क्षेत्रों में भी किया है, वह मेरी समझ में नहीं आता है। आप भाषण तो करते हैं कि रोजगार बढ़ायेंगे, लेकिन बजट एन्टी-रोजगार प्रस्तुत करते है। यह बजट गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जन-विरोधी हैं और यह बजट देश हित में नहीं है। मैं अपने सामने के मित्रों से कहूंगा कि जिस तरह से पहले वे बहादुरी के साथ ऐसी नीतियों का विरोध करते थे, आज भी वे ऐसी ही बहादुरी दिखायें और इस बजट का विरोध करें। इन तमाम जन-विरोधी प्रस्तावों का पास न होने दें और अगर जरूरत समझें तो इस सरकार को हटायें, जिसने ऐसा जन-विरोधी बजट यहां सदन में रखा है वरना देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी कि आपने कैसे इस बजट का समर्थन किया है, जो आपकी घोषित नीतियों के खिलाफ है और जो देश के हित में नहीं है। वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आम अपने बजट में परिवर्तन और दर्शन को स्पष्ट करें। उसको गरीबों के हित में, देश के हित में और देश के नौजवानों के हित में बदलें। हजारों-लाखों पढ़े-लिखे इन्जीनियर्स, डाक्टर्स रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। ये लोग देश की प्रतिभा हैं, आपने बजट में इन प्रतिभाओं के लिए कुछ नहीं किया है। आप देश के सारे टेलैंट को मजबूर कर रहे हैं कि वे या तो विदेश चले जायें या विद्रोही हो जायें। मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको इन सारी आर्थिक नीतियों को बदलना चाहिए, नहीं तो कोई भी नागरिक इन नीतियों का और इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता है।

अंत में, मैं इस बजट का पूरे तौर पर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : सभापति महोदय, मुझे याद है जब 1980 में श्री वैंकटरमन जी ने बजट प्रस्तुत किया था और विपक्ष की ओर से पूर्व प्रधानी मंत्री बजट के विरोध में बोले थे। मुझे उनके तुरन्त बाद बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने अपने भाषण के दौरान विपक्ष की और से उठाये गए अनेक मुद्दों

का विरोध किया था।

आज मैं न तो किसी को प्रसन्न करने और ना ही किसी को रूष्ट करने क लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना है और न ही इसलिए समर्थन करना है क्योंकि मैं इस पक्ष मैं बैठा हूं। मैं अत्यन्त व्यावहारिक पक्ष अपनाऊंगा। मैं अपने भाषण में आंकड़े आदि उद्धित नहीं करूंगा। मैं तो उन सिद्धान्तों और नीतियों पर जोर दूंगा जिनके आधार पर बजट तैयार किया जाता है।

अपराह्न 3.58 बजे

[प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुई]

एक बात जो बजट के बारे में कही जाती है वह है निरन्तरता। मैं समझता हुं कि प्रगति, विकास और प्रगति के लिए निरन्तरता की आवश्यकता है। यदि निरन्तरता नहीं रहती है तो विकास और प्रगति नहीं हो सकती। इसके साथ परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। विकास और प्रगति के लिए परिवर्तन और निरन्तरता आवश्यक होती है। इसलिए यदि इस बजट में निरन्तरता की भावना है तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। यदि नीतियां अच्छी हो और स्वीकारर्य हों तो उन्हें दर किनार कर नई नीतियां खोजने का प्रयास करने का कोई औचित नहीं है। यदि ये सही है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि इसमें साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्तर्विष्ट नीतियां प्रतिबिम्बित हों। हम सभी जानते हैं कि यह मिली जुली सरकार है। इस सरकार को सर्वसम्मति लानी थी जिसके फलस्वरूप साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार हुआ है। यदि इस बजट में साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्तर्विष्ट नीतियों का उपयोग किया गया है तो किसी को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि कृषि देश का मेरूदण्ड है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए हमें भारत में कृषि और कृषकों का ध्यान रखना होगा और ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जो वास्तव में कृषि के लिए सहायक हों। मैं यह मानता हूं कि यह सही नीति है और इसका अनुसरण करना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक ही प्रश्न किया जा सकता है कि कृषि के विकास के लिए जो आवश्यक है क्या बजट में इस वर्ष के लिए उसकी व्यवस्था है अथवा नहीं। क्या हम कृषि के लिए वास्तविक रूप से सहायक नीतियों को अपना रहे हैं?

इस समय कृषि के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है ऋण। कृषक को आज अधिकतम रूप से कितना ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? वर्ष 1990 में कृषकों को ऋण के रूप में 9000 करोड़ रुपए दिए गए थे। वर्ष 1996 में यह राशि बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए हो गई है। यह एक बहुत बड़ी छलांग है। ऋण की इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था से कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि परिलक्षित होती है। यदि हम कृषि और कृषक की वास्तव में सहायता करना चाहते हैं तो हमें कृषि ऋण में बहुत अधिक वृद्धि करनी पड़ेगी।

कृषि में अन्य अनेक बातों की आवश्यकता होती है। किसान लाभप्रद मूल्यों की मांग करते आ रहे है। सरकार के सम्मुख यह दुविधा है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य कैसे दिया जाए और उपभोक्ताओं को स्वीकार्य मूल्य पर खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराया जाए। यह वास्तव में असमंजस की बात है। हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि कृषकों को उनके उत्पादों का लाभप्रद मूल्य देने और उपभोक्ताओं को स्वीकार्य मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की समस्या का कैसे समाधान किया जाए। मेरे मतानुसार यदि हम अधिक उत्पादन करें और देश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर कृषि उत्पादों और तैयार माल का विदेशों में निर्यात कर यदि कृषि उत्पादों को तैयार शुदा माल में परिवर्तित करें तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इससे यह समस्या पूर्णरूप से हल हो जायेगी लेकिन कुछ सीमा तक तो हल हो जायेगी। क्या हमारे पास इस प्रकार की कोई योजना है? यदि ऐसी कोई योजना है तो हमें इसे कार्यान्वित करनी चाहिए। हमें अधिक उत्पादन करना चाहिए। हमें अधिक कृषि पर आधारित उद्योग लगाने चाहिए। हमें विदेशों को निर्यात करना चाहिए और कृषि उत्पादों के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त करना चाहिए और इस तरह प्राप्त मूल्य कृषको को दिया जाना चाहिएं ताकि उन्हें लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो और फिर यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता को स्वीकार्य मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त हों।

कृषि के सम्बन्ध में तीसरा अन्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा अनुसन्धान और विकास का है। हम भारत में जनन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कितना धन व्यय कर रहे हैं? छोटी जोत वाले किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृषि उपकरणों का निर्माण करने हेतु हम कितनी धन राशि व्यय कर रहे हैं? हम ऐसे किस्म के बीज तैयार करने के लिए कितना धन व्यय कर रहे हैं जो शुष्क भूमि में उगाए जा सकते हैं, बाढ़ आनेवाली भूमि में उगाए जा सकते हैं और जो कीट रोधी हैं? इन बातों की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। बजट पर विचार करते समय इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना सम्भव नहीं है। कृषि के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय ही हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। यदि हम कृषि और कृषकों की वास्तव में सहायता करना चाहते हैं तो हमें भूमि की उर्वरता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंचाई सुविधाओं का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाए जिसके लिए बजट में कुछ प्रावधान किया गया है और यह एक अच्छी बात है। जल संसाधनों का बहुत समरूपता से उपयोग करना होगा। जल संसाधनों का उपयोग इस ढंग से नहीं करना चाहिए कि कहीं तो भूमि सुखी रह जाए और कहीं अधिक सिंचाई हो जाए। अतः कृषि की दृष्टि से इन सब बातों पर ध्यान देना होगा।

रोजगार के बारे में बजट में बताया गया है कि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। हम इसका स्वागत करतें हैं। प्रश्न यह कि क्या पुरानी छः योजनाओं के जारी रखने से लोगों की रोजगार के लिए मांग पूरी हो जायेगी। लोगों की मांगे बहुत बढ़ गई हैं। अतः पुरानी योजनाओं में सुधार करना आवश्यक हो गया है। महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि शिक्षित लोग बहुत बेरोजगार है और देश में शिक्षित लोगों की समस्या से निपटना बहुत कठिन है। क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना है? अधिक उद्योग लगाकर, सधन तरीके से कृषि करके, परती भूमिका विकास करके, वन भूमि का विकास करके, महासागर संसाधनों का उपयोग करके, और अन्तरिक्ष में सम्भाव्यताओं का प्रयोग करके तथा अधिक निवेश करके हम रोजगार पैदा कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई योजनाएं

है? परन्तु क्या ऐसी कोई परियोजनाएं है? क्या हम इस दिशा में सोच रहे हैं? वास्तविक प्रश्न तो यही है। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ ऐसा करना बहुत आवश्यक होगा।

रोजगार जीवित रहने के अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। काम का अधिकार ही जीने का अधिकार है। यदि व्यक्ति के कोई उद्योग नहीं है, यदि उसके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है और वह कार्य करने में सक्षम है और उसे रोजगार नहीं मिलता है तो मैं समझता हूं कि हम उसे एक तरह से काम के अधिकार से वंचित कर रहे हैं और जीने के अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं। रोजगार की समस्या केवल कुछ काम देने की ही समस्या नहीं है किन्तु इस समस्या पर कुछ दूसरे पहलूओं से भी विचार करना होगा। यह लोगों को जीने के अधिकार प्रदान करने के समान ही है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, डा. जोशी ने अपने भाषण में शिक्षा के लिए आबंटन पर एक बात कही है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। निःसन्देह आबंटन में वृद्धि हुई है। किन्तु वित्त मंत्री ने बहुत विद्धिमत्ता पूर्वक इसे हमारे ऊपर और लोगों के ऊपर लाद दिया है। आबंटन तो बढ़ा है लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग बच्चों के लिए दोपहर के भोजन पर व्यय किया जायेगा। इससे प्राथमिक शिक्षा में कोई अपेक्षित सहायता नहीं मिलेगी, माध्यमिक शिक्षा और तृतीय क्रम की शिक्षा की बात तो अलग रही। यही कारण है कि इतनी आकर्षक दिखाई देने वाला धन वास्तव में पर्याप्त नहीं है। यह तो ठीक है कि आबंटन बढ़ा है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

स्वास्थ्य के बारे में हमारे पास अब दो नई योजनाएं हैं। इन योजनाओं का स्वागत है। इन से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियत धन राशि पर्याप्त है? मेरे मतानुसार यह धन राशि पर्याप्त नहीं है।

जहां तक आवास की बात है भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हम अपने लोगों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा सके है। स्वास्थ्य और शिक्षा की भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन हम अभी तक लोगों को रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने की और पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए हैं। इन्दिरा आवास योजना एक स्कीम है जो लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए बनाई गई है। यह बहुत अच्छी योजना है लेकिन हम लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। यदि हम अभी तक ऐसा नहीं कर सके हैं तो अब समय है जब हमें लोगों के लिए न केवल भूमि का प्लाट या मकान के लिए धन देने के बारे में निर्णय लेना चाहिए बल्कि वास्तव में मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। जरूरत मन्द लोगों को मकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में बजट प्रावधान सनतोषजनक नहीं है।

जहां तक पेयजल का सम्बन्ध है। पेयजल की समस्या बहुत कठिन बनती जा रही है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पेय जल की समस्या बहुत ही कठिन बन रही है और जैसे जैसे समय गुजर रहा है यह उतनी ही कठिन होती जा रही है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है और धन का उपयोग हो रहा है। लेकिन उसका क्या लाभ है? इस धन का उपयोग नलकूप लगाने के लिए किया जाता है जो केवल दो या तीन वर्ष तक चलते है और फिर सूख जाते हैं पेयजल की व्यवस्था करने के लिए जो धन दिया जाता है वह वास्तव में सहायक सिद्ध नहीं होता। एक तरह से पैसा बरबाद होता है। जब सरकार से प्रश्न किया जाता है—वहीं प्रश्न हम से भी पूछा जाता है क्योंकि हम सरकार के अंग होते है कि -"क्या आप लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हो?" कभी-कभी हम में से कोई उत्तर देता है "जब वर्षा ही नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं?" मानव बुद्धि कौशल इतना कमजोर नहीं है। हम पेय जल की व्यवस्था करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ समाधान अवश्य ही खोजा जा सकता है। पेयजल की व्यवस्था करने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिएं। यह निर्णय किया जाना चाहिए कि जिन स्थानों पर जल एकत्र किया जाता है वहां से पाइपों द्वारा गांवों में लेजाया जाए खुली नहरों से नहीं। यह निर्णय किया जाना चाहिए कि जग अनेक स्थानों पर नदियों के पानी को बांधा जाना चाहिए ताकि जमीन में पानी रहे और बाद में वहां से उपयोग में लाया जाए। अनेक गांवो में पानी के जलाशयों से गाद निकाली जानी चाहिए। हमें ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए जिससे कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सके। समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर ऐसे उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इस तरह पेयजल की समस्या बहुत सीमा तक हल की जा सकती है। हमारी समस्या यह है कि हम बहुत अल्पकालिन योजना बनाते हैं और इस समस्या का समाधान भी अल्पकालिक होता है। इसी कारणवश हम इसे कारगर तरीके से हल नहीं कर पाये हैं। दिल्ली में भी कभी-कभी पानी की कमी हो जाती है जबकि दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह समस्या वास्तव में बहुत गम्भीर समस्या है जो केवल शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने भी है। गांवो में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या बहुत विकट हैं इसके समाधान के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हमारी सरकार कहती है कि प्रत्येक बालक को प्राथमिक स्तर तक शिक्षा दी जायेगी; लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी; लोगों को आवास दिए जायेंगे और इस शताब्दी के अन्त तक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। यदि हमारी ऐसी योजना है, हमारा ऐसा भावी स्वरूप ऐसा है तो हमारा वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इसके लिए हमारी कोई अल्पकालिन, मध्यकालिन और दीर्घकालिन वैज्ञानिक योजना है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो हमें स्वंय से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी व्यवस्था का विकास कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम स्तर पर जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है? क्या हम इन प्रयोजनों के लिए पर्याप्त निधियां जुटाने का प्रयास कर रहे हैं? तभी हम यह दावा कर सकते हैं। अन्यथा, यदि हम यह कहते रहें कि शताब्दी के अन्त तक ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करादी जायेंगी और यदि हम अपने बजट में इस सब के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं कर पाए तो हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम स्वयं को धोखा दे रहे है किसी और को नहीं। हमें यह कहने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि सन 2000 ई. तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी अथवा हमें निधियां जुटाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनानी होंगी कि ये सुविधाएं हमें प्राप्त हों।

वित्त मंत्री का कार्य बहुत कठिन होता है। सरकार का कार्य बहुत कठिन होता है। निधियां जुटाना सरल नहीं है। इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाना सरल नहीं है। लेकिन यदि हम इन दिशाओं में प्रयास

नहीं करते हैं और केवल यही कहें कि सन 2000 ई. तक ये सभी लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगें, तो मैं समझता हूं कि संसद के लिए इसे इसी स्तर पर छोडना उचित नहीं है। हमें इस पर विचार करना है हमें इसकी बहुत सावधानी से जांच करनी है और तभी हम किसी निश्चय पर पहुचेंगे।

जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, इस दृष्टि से भारत बहुत सशक्त नहीं है। औद्योगिक विकास की बहुत गुजांईश है। भारत में औद्योगिक मनोवृति का अभाव है। लोग धन लगाकर बहुत अधिक समय तक लाभ की प्रतीक्षा नहीं करना चाहतें क्योंकि उद्योग में राशिनिवेश और लाभ के बीच की अवधि बहुत लम्बी होती है और लोग यह जोखिम नहीं उठाना चाहते। वे यह नहीं जानतें कि औद्योगिक वस्तुएं देश और विदेशों में कैसे बेची जाती हैं। इसलिए हमारे देश में इस मनोवृति का अभाव है जिसका विकास किया जाना है।

दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला पूंजी और सरकार की नीति का है और मैं समझता हूं कि इस सदन में लगभग सभी दलों ने किसी न किसी रूप में और किसी न किसी मुद्दे पर मत वैभिन्नय करते हुए इस नीति को स्वीकार किया है और हमने यह स्वीकार किया है कि पूंजी लोगों से आनी है। गैर सरकारी या निजी पूंजी और सरकारी पूंजी का प्रयोग किया जाना है और आवश्यकता पड़ी तो हम विदेशों से भी पूंजी लेंगे मैं समझता हूं कि पूंजी प्राप्त करने की समस्या कुछ सीमा तक हल हो जायेगी। जहां तक श्रम का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास वैज्ञानिक प्रबन्धक हैं, हमारे पास कार्मिक है जो उत्पादन कर सकते हैं। इसबारे में काई समस्या नहीं है। लेकिन प्रबन्धक की क्षमता इस रूप में उपलब्ध नहीं है जिस रूप में हमें चाहिए। प्रबन्धन की क्षमता में कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कुछ और करने की आवश्यकता है। हमें सीखना है। हमें बेहतर प्रबन्धन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्वदेशी तरीके खोजने होंगे। देश में उद्योग के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बात आज के युग में प्रौद्योगिकी ही है।

हमने 1983 में प्रौद्योगिकी नीति निर्धारित की थी। नीति में बताया गया है कि यदि प्रौद्योगिकी देश में सुगमता से उपलब्ध नहीं होती है तो विदेशों से लानी होगी। लेकिन यदि सुगमता से उपलब्ध नहीं है और यदि श्रेष्ट प्रौद्योगिकी हमें उपलब्ध नहीं हो रही है तो हम इसका देश में ही विकास करेंगे। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां के लिए हमें प्रौद्यागिकी बाहर से नहीं लानी होगी क्योंकि ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसीलिए हमें स्वयं देश में ही प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी।

क्या हम प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विकास के लिए पर्याप्त कार्य कर रहे हैं? मुझे आन्तरिक जानकारी है क्योंकि मुझे वैज्ञानिक विभाग में काफी लम्बी अवधि तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्य क्षेत्रों में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। विश्व में आने वाले दिनों में अत्यन्त व्यापक बात 'ज्ञान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी' की है। इससे अधिक व्यापक नहीं होने वाला है और यह हमें सुगमता से उपलब्ध नहीं होगा। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रौद्योगिकी के विकास, विज्ञान के विकास, अनुसंधान और विकास पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करना होगा?

इन सब के बारे में हमारी नीति क्या है? इस प्रयोजन के लिए जो निधियां उपलब्ध कराई जाती है क्या वह पर्याप्त हैं? मैं समझता हूं ये निधियां पर्याप्त नहीं है। बजट भाषण में क्या कहा गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद—उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का उल्लेख नहीं किया है — को कुछ प्राप्त करना चाहिए और सरकार द्वारा किए गए अंशदान के बराबर अंशदान करना चाहिए। यह बात नहीं है कि ये सभी संगठन धन कमाने वाले हैं। हो सकता है वे धन न कमा पाएं। अब यदि ये अनुसन्धान और विकास कार्य करते हैं और नए नए आविष्कार और खोज करते हैं इन आविष्कारों और खोज कार्यों को किसानों को उपलब्ध कराते हैं, उद्योगपतियों और व्यापारियों तथा अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराते है तो यह उनकी आय है। आप उनकी आय को धन के रूप में नहीं आंक सकते। वे ऐसा नहीं कर पायेंगे और यदि वे प्रौद्योगिकी को बेचते है तो सम्भवतः बाहर के लोग कहेंगे कि उनके पास बेहतर और परिशुद्ध विदेशी प्रौद्योगिकी है और वे इस प्रौद्योगिकी को लेना पसन्द नहीं करेंगे। वे ऐसे संस्थान नहीं है जहां से आप कुछ आय होने की अपेक्षा करें। इसीलिए इस तरह की कोई शर्त वास्तव में सहायक नहीं होगीं।

मुझे ज्ञात है कि अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्य विभागों को काफी धन दिया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद को काफी धन दिया गया है। फिर भी इन पर अधिक धन व्यय करना होगा। हमें अधिक अनुसन्धान और विकास कार्य करने के लिए धन जुटाने हेतु नीति निर्धारित करनी चाहिए। मेरा मत है कि इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का दायित्व केन्द्रीय सरकार के कंधों पर है जो सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारों से अनुसन्धान और विकास पर पर्याप्त मात्रा में धन व्यय करने के लिए कहा जाना चाहिए जो संगत है, जो उनके लिए क्षेत्र-विशिष्ट है। तभी हमारे पास इसके लिए अधिक धन हो सकता है। हमें सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से कहना चाहिए कि वे इस पर धन व्यय करें। निजी या गैर सरकारी क्षेत्र अनुसन्धान और विकास पर वास्तव पर्याप्त मात्रा में धन व्यय नहीं कर रहा है। उनसे भी कहा जाए कि इस क्षेत्र पर धन व्यय करें। जब मैं वहां था तो उन्होंने 500 करोड़ रुपए कमाये थे क्योंकि उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर आय कर में छूट दी गई थी। सरकार भी उनकी सहायता कर रही है। लेकिन यह आवश्यक है कि उन्हें अनुसन्धान और विकास कार्य में कुछ और अधिक करना चाहिए। यदि कोई उद्योग अकेला यह कार्य नहीं कर सकता तो उन्हें सहकारी रुप से मिलकर करना चाहिए संयुक्त रूप से करना चाहिए तभी सम्भव है। अनुसन्धान और विकास के बारे में जो कुछ किया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।

मुझे समाचार पत्रों में यह समाचार पढ कर प्रसन्ता हुई है कि प्रधान मंत्री ने प्रौद्योगिकी कल्पना 2020 (टैक्नालाजी विजन 2020) का विमोजन किया है जो भारत के वैज्ञानिकों ने तीन वर्ष के कार्य के पश्चात तैयार की हैं मुझे इसपर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि 'टैक्नालाजी विजन' के बारे में उनकी क्या करने की मंशा है। मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि यह एक अच्छी कल्पना है जो सहायक सिद्ध हो सकती है। यह जान कर बहुत उत्साहित हूं कि क्या इस के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। लेकिन मै कुछ हतोत्साहित भी हूं कि अनुसन्धान और विकास के लिए पयाप्त धन राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि अनुसन्धान और विकास समुचित रूप से नही किया जायेगा तो कृषि का विकास नहीं होगा, हमें बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी और हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं

कर पायेगें। देश में श्रेष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और उद्योग का वस्तुतः विकास नहीं हो सकेगा। इसके लिए कुछ और अधिक किया जाना होगा।

हम वित्त मंत्री की कठिनाइयां समझते हैं। विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों द्वारा अधिक धन की मांग करना बहुत सरल है। यह तभी हो सकता है यदि वित्त मंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों से मांग करे कि अमुक क्षेत्र पर समुचित रूप से विचार करने पर उनके लिए कुछ आधिक धन जुटाया जा सकता है।

जहां तक मूलभूत ढांचे का सम्बन्ध है, दो क्षेत्रों का सरकार ने पता लगाया है; एक है ऊर्जा और दूसरा है परिवहन। डा. जोशी ने भी इन दोनों मुद्दों का बड़ी कुशलता से और समुचित रूप में उल्लेख किया है। आप ऊर्जा से क्या करना चाहते हैं? आप इस देश में अधिक ऊर्जा कैसे उन्पन्न करना चाहते हैं? हम इस देश में अधिकाधिक जनरेटिंग सैट स्थापित कर ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं। हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? हम इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आने की अनुमति दे रहे है। हम इस क्षेत्र में विदेशी उद्योगों को आने की अनुमति दे रहे है और हम देश में अधिक बिजली घर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन उन बिजली घरों के बारे में क्या है जो पहले ही स्थापित तो कर दिए गए हैं लेकिन अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं? देश के कुछ राज्यों में बिजली घर अपनी क्षमता का केवल 15 से 20 प्रतिशत तक ही उपयोग कर रहे हैं। जब हमने बिजली घरों की क्षमता स्थापित करदी है। यदि वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में सक्षम नहीं हैं तो बिजली की उपलब्धता एक समस्या ही बनी रहेगी। आप कौन से क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि कोयले के भण्डार सीमित है, तेल के भण्डार सीमित हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा के संसाधन सीमित नहीं हैं। हमें इस ओर बहुत ही सावधानी से विचार करना होगा। जापान परमाणु ऊर्जा और आण्विक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। जापान एक ऐसा देश है जिसको बहुत क्षति पहुची है। लेकिन जापान उन देशों में से एक देश है जो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।

मैं समझता हूं कि परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर वे 30 प्रतिशत तक ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। फ्रांस भी ऐसा ही कर रहा है। अन्य बहुत से देश भी यही कर रहे हैं। हम अपने देश में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अधिक ऊर्जा क्यों नहीं पैदा करते? हम ऐसा करने से क्यों संकोच कर रहे हैं? यह जीवन की वास्तविक्ता है और हमें इससे संकोच कर पीछे नहीं हटना चाहिए।

ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत बिजली उत्पादन का चिरस्थायी स्रोत है जो हमें उपलब्ध हो रहा है। सौर-ऊर्जा भी हमें उपलब्ध होने वाली है। हम जैव-ऊर्जा पर जो जोर दे रहे हैं किन्तु सौर ऊर्जा पर नहीं। हम कुछ सीमा तक पवन बिजली पर जोर दे रहे हैं और सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सौर ऊर्जा पवन बिजली, और जल धारा बिजली का प्रयोग आवश्यक है। ताप के विभेद से भी बिजली उत्पादन होती है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम विद्युत में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के क्षेत्र में अधिक ध्यान देना होगा। पनबिजली भी लाभ दायक है लेकिन जब हम पनबिजली का प्रयोग करते है तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमें अपने उद्योग और कृषि क्षेत्र को विद्युत उपलब्ध कराने की समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना होगा। जब तक यह तरीका नहीं अपनाया जायेगा तो निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने या फिर इधर उधर कुछ करोड़ रुपए व्यय करने से हमें वह अपेक्षित सहायता नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए।

बजट में कहा गया है कि सड़क परिवहन के लिए धन की व्यवस्था की गई है। यह बहुत अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या हमने व्यापक दृष्टि से परिवहन की समस्या पर विचार किया है? हम केवल सड़क परिवहन की ही बात कर रहे हैं। भारत में और भारत जैसे देशों में जैसे चीन और ब्राजील में परिवहन की समस्या, कनाडा और अमरीका जैसे देशों में परिवहन की समस्या से भिन्न है। हमें अपने देश में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में बहुत सावधानी बरतनी होगी। जब तक हम व्यापक दृष्टि कोण नही उपनाएंगे यह सम्भव नहीं हो पायेगा। जब हम देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में सोचते है तो हमें सड़क परिवहन, रेलवे, जल मार्गो और हवाई मार्गो पर एक साथ विचार करना होगा। जब तक आप इन सुविधाओं को मिलायेंगे नहीं, जब तक आप व्यापक योजना बनाकर इन सभी परिवहन प्रणालियों का प्रयोग नहीं करेंगे आप ऐसा नहीं कर पायेगे। दुर्भाग्य से भारत में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 25 वर्ष की एक व्यापक सन्दर्शी योजना बनाने का प्रयास किया गया। यदि लोग लम्बी दूरी तक अपना माल ले जाना चाहते हैं तो वे रेलवे अथवा जलमार्ग को वरीयता देते है। यदि वे कम दूरी तक, जैसे 500 किलोमीटर, तो वे सड़क परिवहन को बेहतर समझते हैं। हमें अपने देश की आवश्यकताओं पर भी विचार करना होगा। हमें यह पता लगाना होगा कि देश में रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्गो और विमान परिवहन का कैसे विकास कर सकते हैं। इनका व्यापक और सुव्यवस्थित तरीके से विकास करना होगा। तभी हमें परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। केवल धन उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, कल्पना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह कल्पना, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नही है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बजट केवल आय और व्यय का विवरण मात्र नहीं है। बजट का एक प्रकार का उपकरण है जिसका देश के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। बजट के माध्यम से सिद्धान्त परिकल्पित किए जाते हैं। हमें यह देखना है कि क्या इन आधारों पर कोई सोचविचार किया गया है।

मेरा मत है कि यदि रक्षा मंत्रालय को भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो वित्त मंत्री अधिक धन का प्रावधान करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसका क्या संकेत है? इसका यह संकेत है कि रक्षा मंत्रालय को का धन की आवश्यकता है तथा सरकार और वित्त मंत्रालय यह महसूस करते हैं कि रक्षा मंत्रालय को अधिक धन दिया जाए। किन्तू मै इस सम्मानीय सदन में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि रक्षा व्यवस्था का विकास इस तरह नहीं किया जा सकता। रक्षा के लिए सदैव दीर्घ कालिन दृष्टि की आवश्यकता होती है। आप यह नहीं कह सकते की यदि आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप को धन दिया जायेगा। जब तक आपका यह पता नहीं होगा कि आगामी 20 वर्षो मे, 10 वर्षों में या 5 वर्षों में आपको किस प्रकार की धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ेगी तब तक आप उस तरह योजना नहीं बना पायेंगे जिस तरह रक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाई जाती हैं।

अब बजट में यह संकेत दिया गया है कि धन उपलब्ध कराया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि यह ठीक वचन दिया गया है। लेकिन साथ ही बेहतर होता यदि धन आरम्भिक स्थिति में ही उपलब्ध कराया जाता।

रक्षा मंत्रालय कोई एक वर्ष या 5 वर्ष में तैयार नहीं हो सकती। हमें रक्षा तैयारी के लिए दीर्घ कालिन दृष्टिकोण अपनांना होगा। यह तो संभावित खतरों के अनुरूप तैयारी पर निर्भर करता है। यह विभिन्न दिशाओं से मंडराने वाले खतरों पर निर्भर करता है और एसे दृष्किोण को स्वीकार करना होगा।

एक ओर मुझे प्रसन्नता है कि यह महसूस किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर रक्षा मंत्रालय को अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी ओर मुझे इस बात से उतनी प्रसन्नता नहीं है क्योंकि धन तो आरम्भ में ही दिया जाना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो वे एक वर्ष के लिए अपनी योजना बनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते और इस तरह अपनी पूरी तैयारी रखते। रक्षा व्यय व्यर्थ का व्यय नहीं होता है। एक समय था जब हमने यह सोंचा था रक्षा की तैयारी आवश्यक नहीं है और हम अपनी प्रभुसत्ता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा उन सिद्धान्तों से कर लेंगे जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए थे?

लेकिन 1962 के बाद हमारा दृष्टिकोण पूर्णतः बदल गया है। जितने धन की आवश्यकता पड़ी रक्षा मंत्रायल को आसानी से दिया गया। अब हम तीसरे चरण में हैं। इस चरण में धन तो दिया जाता है लेकिन अनिच्छा से। धन विकास की आवश्यकता के अनुरूप ही दिया जाता हैं। यह गलत नीति नहीं है। ऐसा करना गलत नहीं है। हमें देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। हमें देश में शांति बनाए रखना है और हमें विश्व के अन्य देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने होते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। किन्तू युद्ध में पराजित होना और भी अधिक महंगा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध की तैयारी कोई एक वर्ष या पांच वर्ष की अवधि में पूरी नहीं हो जाती है। जब तक दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए रक्षा समस्या के प्रति दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। यह इस तरह किया जाना चाहिए जिससे हमारे देश की आवश्यकता पूरी हो जाए। सम्भवतः हम गलत दिशा में नही जा रहे हैं बल्कि हम सही दिशा में जा रहे हैं किन्तु इधर उधर सुधार की आवश्यकता होती है क्योंकि हम कई छोटी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।

मुझे बजट भाषण में यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार किया जायेगा और उस पत्र में लोगों को कल्याण सुविधाएं उपलब्ध की सरकार की योजना और कार्यक्रम अन्तर्निहित होंगे। मुझे इस बारे में बहुत प्रसन्नता है। मुझे प्रस्न्नता है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा हैं

अब एक प्रकार का दर्शन विकासित किया जा रहा है। जिसके अनुसार देश के विकास के लिए योजना निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। योजना व्यक्तियों के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए तथा संगठनों के विकास के लिए अनिवार्य होती है और यह योजना देश के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। योजनाएं इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए। योजनाएं ऐसी न हो जो व्यक्तियों सार्वजनिक क्षेत्र या फिर सरकारी क्षेत्र के लिए कठिनाइयां और अडचने पैदा करे। परन्तु वे प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकती हैं और दिशा निर्धारण कर सकती हैं। यह बहुत या दीर्घकालिक योजना हो सकती है। ऐसी योजना आवश्यक है मुझे प्रसन्नता है कि यह काम किया जा रहा है।

यहां सदन में ख[illegible] यही अनुरोध करूंगा कि यह कार्य केवल मंत्रालय में ही नहीं किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण पत्र सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आप यह जानना आवश्यक समझते हैं कि यह वार्षिक बजट कैसा होगा तो संसद को यह क्यों नहीं पता हो कि यह दृष्टिकोण पत्र कैसा है जिसे आप तैयार कर रहे हैं? आप दृष्टिकोण पत्र को तैयार कर सदन में प्रस्तुत करें ताकि सदस्यगण आपको सुझाव दे सकें कि क्या इसे स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। इस पर आप निर्णय करेंगे। लेकिन यह ऐसा पत्र नहीं होना चाहिए जिसे सरकार द्वारा सरकार के लिए ही तैयार किया जाए और संसद को इस के बारे में अंधकार में रखा जाए कि आप नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय कैसा दिशा निर्देश चाहेंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना के तैयार किए जाने के तुरन्त बाद सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिए। लोगों को पता चले कि कृषि, रोजगार, उद्योग, अनुसन्धान और विकास, शिक्षा और परिवहन व्यवस्था पर वास्तव में कितनी कितनी धन राशि व्यय की जाएगी। माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय के बजट पर हम ऊंचे शब्दों में और स्पष्ट रूप से चर्चा कर रहे हैं और हमने कोई बात गोपनीय नहीं रखी है। लेकिन हम दृष्किोण पत्र, पंचवर्षीय योजना तथा पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन पर चर्चा करने के बारे में गम्भीर नहीं है। मेरे विचार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाते हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि वर्तमान सरकार ने कहा है कि उनके पास नौवीं पंचवर्षीय योजना है; और उससे पूर्व उनके पास नौवीं पंचवर्षीय योजना पर दृष्टिकोण पत्र भी होगा। हम अनुरोध करेंगे कि ये दोनों दस्तावेज सदन में प्रस्तुत किए जाए ताकि माननीय सदस्य उनपर अपने विचार व्यक्त कर सकें और सरकार उन विचारों का लाभ उठा सके।

निःसन्देह, हम यह जानते हैं कि योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है; यह वैधानिक निकाय भी नहीं है। इसका कार्य राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके सम्पूर्ण देश के लिए योजना बनाना है। लेकिन संसद को इसकी जानकारी होनी चाहिए। संसद ऐसा स्थान है जहां ये विषय पहले आने चाहिए और ऐसे दस्तावेजों के तैयार किए जाने के बाद इन पर चर्चा की जानी चाहिए और तभी इन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

बजट में एक बात और पायी जाती है और वह केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में है। यह है संघवाद। हम इस विचार का स्वागत करते हैं। देश अनेकताओं का पुंज है। लेकिन एक ऐसा धागा है जो देश को एक लड़ी में पिरोए हुए है। हमे प्रसन्नता होगी यदि राज्यसरकारों को और अधिक शक्तियां प्रदान की जाएं। इस मुद्दे पर देश में सभी प्रधिकारियों के साथ सभी प्रकार के परामर्श किए जाने चाहिए। किन्तु इस मामले में हमें बहुत ही सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों के लिए कुछ धन की मांग की जाए और केन्द्रीय सरकार यह पता नहीं लगा पाती है कि क्या धनराशि समुचित रूप से व्यय की जाती है अथवा नहीं, तो इसके क्या परिणाम होंगे? एक ओर संयुक्त निधियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों मे समान रूप से विभाजित किए जाने और दूसरी ओर सामुहिक उत्तरदायित्व की बात की जाती है। यदि हम इस अत्यन्त महन्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करदें तो लोग पूछेंगे कि जो धन तुम्हें दिया गया था वह कहां चला गया? तब आप उन्हें यह नहीं बतापाओगे कि यह धन कहां चला गया। यदि आप वित्तीय संघवाद अथवा राजनीतिक सघंवाद के सिद्धान्त के अतिरिक्त संघवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो आप इसे स्वीकार करते है। लेकिन ऐसा करते हुए एक सन्तुलन बनाना होगा। यदि हम एक चरम छोर

से दूसरे चरम छोर की ओर जाना चाहें, यदि दोलक छोर एक से दूसरे चरम छोर की ओर घूम जाता है तो इससे समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है।

महोदय, यदि मेरा समय पूरा हो गया हो तो आप इंगित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री शिवराज वी पाटिल : यदि दोलक एक चरम छोर से दूसर चरम छोर की ओर घूम जाता है तो इस सदन में बैठे यदि हम इस की ओर ध्यान नहीं देते तो इन से भविष्य में समस्याएं उत्पन्न होंगी। अतः हमें वह संघीय प्रणाली अपनानी चाहिए जिसका संविधान में प्रावधान है। यदि आवश्यकता पड़े और लोग कहें तथा संसद भी सहमत हो तो संविधान में इधर उधर संशोधन कर संविधान के माध्यम से एक नए प्रकार की संघीय प्रणाली को अपनाना चाहिए। किन्तु ऐसा करते समय एक ओर स्वतंत्रता, प्राधिकार और धन प्राप्त करने तथा व्यय करने की शक्ति होनी चाहिए और दूसरी ओर ये न केवल राज्य विधायिका को ही स्वीकार्य हो लेकिन राष्ट्रीय स्वरूप वाले निकाय को भी स्वीकार्य हो। यह योजना आयोग को स्वीकार्य हो, और वित्त मंत्रालय को भी स्वीकार्य हो। तभी वे यह पता लगा सकते हैं कि क्या धन राशि समुचित रूप से व्यय की गई है अथवा नहीं।

हम कह रहे हैं कि योजनाएं चालू रहेंगी और राज्य सरकारों को धन दिया जायेगा। यदि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की उन योजनाओं के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, धन दिया जाता है तो उसे यूनियन सरकार कहा जाना चाहिए। हम उसे केन्द्रीय सरकार नहीं कहते, 'यूनियन' सरकार कहते हैं क्योंकि यही सही अभिव्यक्ति है और यदि हम यह पाते हैं कि वे धन व्यय नहीं करती है तो हम इसमें क्या करें? उदाहरण के लिए, प्रत्येक सदस्य को एक करोड़ रुपया दिया जाता है। मांग की गई थी कि यह धन यूनियन सरकार से सीधे कलक्टर को पहुंचाया जाये और राज्य सरकारें इसमे हस्ताक्षेप नहीं करेगी। ऐसा क्यों? ऐसी मांग क्यों की गई? इससे पूरा क्षेत्र आबद्ध नहीं होता। लेकिन यह संकेत तो मिलता है कि ऐसी मांग क्यों की गई। यह उन निधियों पर भी लागू है जो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को दी जाती हैं। ये निधियां क्यों दी जाती हैं? यदि यह धन ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुचता है तो ग्राम पंचायतों को धन देने का उद्देश्य विफल हो जाता है। अन्तता जिन लोगों के लिए बजट में धन का प्रावधान किया जाता है वह धन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।

मैं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच और केन्द्र तथा राज्य के निकायों के बीच संघीय सम्बन्धों पर विचार करने का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह चेतावनी दे रहा हूं कि इसका दूसरा पहलू भी है और इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले उस दूसरे पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करते हुए यही कहूंगा। कि बजट कुछ मामलों में बहुत मधुर है और कुछ में कटु तथा कुछ मामलों काषाय है। वे क्षेत्र कौन से हैं जिनके लिए बजट अच्छा है? मेरे विचार से कृषि के बारे में जो दृष्टिकोण स्वीकार किया गया है उससे हम भी सन्तुष्ट हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों को यह आशा बंधाई है कि कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर अवश्य किया जायेगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं खोजी गई हैं। इनसे सहायता मिल सकती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए आंबटित धन 'मिड-डे मील' पर खर्च किया जा रहा है। इसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि उद्योग को सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि हम इस क्षेत्र में कमजोर हैं।

जहां तक घाटे की वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध है उन्होंने भरसक प्रयास किया है कि यह अन्तर कम हो। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है कि लोगों पर और अधिक कर नहीं लगाए जाएं। उन्होंने यह देखने का भी प्रयास किया है कि गरीब लोगों को दी जानी वाली सहायता जारी रहे। इसके साथ ही यदि कहीं कुछ निर्मूल व्यय है तो उन्हें कम किया जाए और इससे कुछ बचत भी हो पायेगी। मेरे विचार से बजट का यह अच्छा भाग है।

वे क्षेत्र कौन से हैं जहां हम पूरी तरह सन्तुष्ट नही हैं? आवास एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सन्तुष्ट नहीं है। यहां कुछ अवश्य किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करना इस वर्ष सम्भव नहीं हो तो हमे पूरे वर्ष भर इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को, विशेषकर गन्दी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास उपलब्ध कराने के लिए हमें कुछ नयी योजनाऐं बनानी होगी।

रोजगार के मामले में भी हमें कुछ और अधिक करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए क्या किया गया है? अशिक्षित और बेरोजगार लोगों के बारे में तो यह ठीक है लेकिन जहां तक शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने का सम्बन्ध है हम सन्तुष्ट नहीं है। हमें कुछ और अधिक प्रयास करना होगा।

पेयजल के बारे मे मैं समझता हूं कि कुछ बेहतर कार्य करना होगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रकृति पर ही पुर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए और इस मामले में मनुष्य को भी निःसहाय नहीं रहना चाहिए। हमें यह विचार त्यागना होगा तथा इस बारे में कुछ और अधिक प्रयास करने होंगे। मैं मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के बारे में पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं हूं।

कटु क्षेत्र कौन से हैं? मेरे विचार में अनुसन्धान और विकास के लिए किए गए प्रावधानों से सम्बन्धित क्षेत्र कटु हैं। हम इससे सन्तुष्ट नहीं है। श्री जोशी ने ठीक ही कहा है और मैं उनसे सहमत हूं। 'अदर वैलफेयर मेजर्स' शीर्षक से एक पैराग्राफ है। 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए का उल्लेख है। मैं नहीं समझता कि बजट भाषण में इसका उल्लेख करना आवश्यक था। यदि यह बजट भाषण में उल्लेख फिर जाने के लायक था तो इतनी अधिक राशि कहां गई। यदि आप 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए 'हम्माल्स' तथा महिला कल्याण सोसायटियों को देते है तो यह निरर्थक है। कई बार हम स्वयं ऐसा सोचते है कि हम अपना मजाक उडा रहे हैं। इस का परिहार किया जा सकता था। यह मेरा मत है। मैं यही कहूंगा कि वित्त मंत्री का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है और उन्होंने यह दायित्व बड़ी शालीणता से निभाया है। बजट वास्तव में सन्तुलित बजट है। कोई भी बजट सदन में सभी सदस्यों तथा देश में सभी लोगों को सन्तुष्ट नहीं कर सकता, किन्तु उन्होंने ऐसा कार्य किया है। साथ ही मेरे मन में यह भावना है कि यह कार्य उतना चित्ताकर्षक और साहसिक नहीं है जितने वित्त मंत्री स्वंय हैं। यह बजट पुरानी और घिसी पिटी लकीर का पालन कर रहा है। यह ऐसा बजट है जिसमे नए नए विचार और संकल्पनाए होनी चाहिएं थी जिनका कोई अभाव नहीं है। आपके पास निधियों की कमी हो सकती है लेकिन विचारों का अभाव नहीं होना चाहिए। यदि आप बजट योजनाओं और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण के माध्यय से विचार प्रस्तुत करते हैं तो आपने संसद सदस्यों तथा देश में और देश से बाहर लोगों को दिशा निर्देश दिया है कि यह समस्या कैसे हल की जा सकती

है। जब विचारों का अभाव होता है, जब कोई प्रतिभाशाली कार्यक्रम या योजना अथवा नीति नहीं है तो हम कुछ हतोत्साहित हो जाते हैं। मैं यही कहुंगा कि यह सन्तुलित बजट है। लेकिन साहसिक बजट नहीं है और चित्ताकर्षक भी नहीं है। लेकिन यह बजट उन परिस्थितियों में बनाया गया है जिनका यह सरकार सामना कर रही है। सम्भवतः इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता और इसलिए इसका सदन में समर्थन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब मैं विदेश मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के बारे में भारत की स्थिति पर एक वक्तव्य दें।

अपराह्न 4.47 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि (सी. टी. बी. टी.) के सम्बन्ध में भारत की स्थिति

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : महोदया, माननीय सदन को स्मरण होगा कि मैंने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी. टी. बी. टी.) के संबंध में सरकार की नीति का खुलासा करते हुए 15 और 31 जुलाई को अपनी ओर से दो वक्तव्य दिए थे। तत्पश्चात जो चर्चा हुई वह वास्तव में सहायक रही और उससे इस विषय पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति परिलक्षित हुई। जेनेवा में निरस्त्रीकरण पर चल रहे सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों से यह बात परिलक्षित होती है। जेनेवा में हाल ही के घटनाक्रम से माननीय सदन को अवगत कराने की आज में अनुमति चाहता हूं

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है सरकार नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में एक सुसंगत और सिद्धांतगत नीति पर चलती रही है। हमारा सदैव यह मानना रहा है कि व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि नाभिकीय निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में पहला निश्चित तथा न बदला जाने वाला कदम होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए वह आवश्यक है कि यह संधि नाभिकीय हथियारों के विकास और परिष्कार को एक व्यापक तरीके से समाप्त करे। यह भी आवश्यक है कि यह संधि नाभिकीय निरस्त्रीकरण संरचना के भीतर सुरक्षात्मक रूप से आधारित हो और उससे एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति वचनबद्धता परिलक्षित होती हो।

वार्ताओं के दौरान हमारा दृष्टिकोण इस नीति के अनुरूप रहा। वास्तव में तदर्थ समिति का प्रादेश स्पष्ट है- "एक ऐसी सार्वभौमिक बहुपक्षीय तथा कारगर रूप से तत्वापनीय व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि-संपन्न करने के लिए गहन बातचीत की जाए जो नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार के सभी पहलुओं को रोकने के लिए, नाभिकीय निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया के लिए तथा इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की बढ़ोतरी के लिए कारगर योगदान दें।" बातचीत के दौरान हमने यह पाया कि संधि के प्रारूप का पाठ इस प्रादेश से हट रहा है। हमने संरचनात्मक भावना से जो प्रस्ताव पेश किए थे वे इस प्रादेश क अनुरूप थे।

हमें इस बात से निराशा हुई कि बातचीत समय से पूर्व तथा सर्वसम्मति कायम किए बिना ही समाप्त कर दी गई है। सर्वसम्मति न होने के कारण स्पष्ट है अर्थात् नाभिकीय शस्त्रों वाले राज्य अपना नाभिकीय आधिपत्य कायम रखना चाहते हैं। एक कृत्रिम समय सीमा बांधकर त्रुटिपूर्ण पाठ तदर्थ समिति को पेश कर दिया गया था। हमने यह कहा था कि भारत ऐसे किसी प्रारूप को स्वीकार नहीं कर सकता हम आज भी अपने इस कथन पर कायम हैं। यह पाठ प्रादेश की पूर्ति तो कर ही नहीं रहा था और साथ ही इसमें अन्य अस्वीकार्य बातें भी थी; विशेषकर अनुच्छेद XIV में प्रवर्तन का सूत्र। यह सूत्र अचानक 28 जून को उस समय पेश किया गया था जब हमने इस प्रारूप पाठ को स्वीकार न करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी और हमने 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय मानिटरिंग व्यवस्था से अपने केन्द्र हटा लिए थे। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि सरकार यह बात दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से कहती रही है कि ऐसी किसी भी भाषा जिससे भारत पर आज अथवा बाद में कभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई बाध्यता लगेगी, से हम अपनी स्थिति का खुलासा करने के लिए बाध्य होंगे हालांकि बहुत से देशों ने हमारे दृष्टिकोण के औचित्य की प्रशंसा की थी फिर भी नाभिकीय हथियारों वाले थोड़े से राज्यों द्वारा अपनाए गए दृढ़ रूख ने इस अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं करने दिया।

परिणामतः अपनी घोषित नीति के अनुरूप हमें तदर्थ समिति में संधि के इस प्रारूप को पारित करने की कार्रवाई का विरोध करना पड़ा। हमने तदर्थ समिति की रिपोर्ट के साथ संधि के पाठ के इस प्रारूप को संलग्न करने का भी इस आधार पर विरोध किया था कि यह एक सर्वसम्मत पाठ नहीं है। 16 अगस्त को तदर्थ समिति ने इस निष्कर्ष के साथ संधि के पाठ के इस प्रारूप के बिना ही अपनी रिपोर्ट पारित कर दी कि "उपर्युक्त धारा VI में निहित (सी. डी./एन. टी. बी. /डब्ल्यू. पी. 330/रेव. 2) के मूल्यांकनों तथा इसे विचाराई निरस्त्रीकरण सम्मेलन को संप्रेषित करने के किसी प्रस्ताव के लिए समर्थन के बावजूद "न तो पाठ पर और न ही प्रस्तावित कार्रवाई पर कोई सर्वसम्मति कायम हो सकी।" इस रिपोर्ट को निरस्त्रीकरण सम्मेलन में पेश किया गया और उसे 20 अगस्त को पूर्ण सभा द्वारा पारित कर दिया गया।

22 अगस्त को बहुत से प्रतिनिधिमंडलों ने यह सुझाव दिया था कि 16 सितंबर को समाप्त होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान सत्र (अर्थात पचासवें सत्र) को यह रिपोर्ट संप्रेषित की जाए। समुचित विचार-विमर्श के बाद हमें विवश होकर यह कहना पड़ा कि ऐसा कोई कदम अनावश्यक है क्योंकि इस रिपोर्ट के साथ सर्वसम्मत पाठ नहीं है। इसलिए हमारे विचार से इस रिपोर्ट को निरस्त्रीकरण सम्मेलन की वार्षिक रिपोर्ट के अंग के रूप में 17 सितंबर को शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के इक्यावनवें सत्र को यथा समय संप्रेषित किया जाए। इस प्रकार हमने किसी विशेष रिपोर्ट को संप्रेषित करने की कार्यवाही को रोक दिया। ये कदम उठाते समय हमने राष्ट्रीय सर्वसम्मति और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखा था।

हमें इस बात की जानकारी है कि बहुत से देश संधि के इस प्रारूप पाठ को न्यूयार्क ले जाने के लिए तथा सितम्बर, 1996 में हस्ताक्षरों के लिए उसे खुलवाने के लिए कृत संकल्प हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार इन घटनाओं पर निगाह रख रही हैं और इस पाठ के प्रति हमारा विरोध प्रकट करने के लिए हमारी नीति के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी।

इसी बीच में यह भी कहना चाहूंगा कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन सर्वसम्मति से निर्णय लेता है कि जबकि सयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने क्रियाविधिक नियम हैं। तथापि, हमारा दृष्टिकोण सिद्धान्तगत है जिसका हम इस मंच पर भी खुलासा करेंगे।

बहुत से देशों ने जिनके साथ हमारे घनिष्ट द्विपक्षीय संबंध है इस मसले पर एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है जो हमारे दृष्टिकोण से भिन्न है। हम अपनी बातचीत के जरिए अपने दृष्टिकोण के औचित्य का खुलासा करने का प्रयास करते रहे हैं। हमारा मानना है कि घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों के लिए सभी मसलों पर सहमति होनी जरूरी नहीं है लेकिन एक-दूसरे की राष्ट्रीय हित-चिन्ताओं के प्रति पारस्परिक सम्मान होना ही चाहिए। हम सभी देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हैं तथा विश्वास है कि इस मसले पर हमारे मतभेद हमारे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अपराह्न 4-48½ बजे

सामान्य बजट, 1996-97-सामान्य चर्चा (जारी)

सभापति महोदय : अब हम सामान्य बजट पर पुनः चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, सबसे पहले मै इस सरकार के वित्त मंत्री माननीय चिदम्बरम साहब का आभार प्रकट करना चहता हूं कि उन्होंने गरीबोंन्मुखी, किसानोन्मुखी, मजदूरोन्मुखी, समतामुखी बजट पेश किया। ... **(व्यवधान)** मैं जानता हूं कि टोका-टोकी होगी। जब नए सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं तो टोका-टोकी होती है। लेकिन जब आदरणीय जोशी जी बोल रहे थे, मैं नहीं समझता कि कहीं से टोका-टोकी की गई हो, हम लोगों ने टोका-टोकी की हो, लेकिन यहां टोका-टोकी होगी ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : नहीं होगी।

सभापति महोदय : नए सदस्य को बोलने दें, कृपया टोका-टोकी न करें।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : गरीबोन्मुखी मैं इसलिए कहता हूं कि गरीबी उन्मूलन के लिए बजट में जो 1263 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 2195 करोड़ रुपए किया गया है। ग्रामीण रोजगार में पहले 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 10.5 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया। जब यह ग्रामीण रोजगारोन्मुखी बजट पेश किया गया तो इसे किसान विरोधी, इसे मजदूर विरोधी कहा गया और इसका विरोध और आलोचना ही विपक्ष द्वारा की गई। मैं कहना चाहता हूं कि यह आलोचना ठीक है, आप करते हैं, करनी चाहिए। आलोचना करना आपका फर्ज है, लेकिन कहा गया कि

अपराह्न 4.50 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बजट में जो राशि है, वह सब ऋण देने में समाप्त हो जाती है और कोई नई आय व उपाय नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई सुझाव आपने प्रस्तुत नहीं किया, आपने कोई ऐसा सुझाव नहीं रखा, लेकिन कहते हैं कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, आशिक्षा दूर होनी चाहिए, सारी चीजें दूर करने की बात करते हैं, लेकिन कैसे दूर होनी चाहिए, इसपर विपक्ष की ओर से कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाता। केवल कह दिया गया है, केवल आलोचना कर दी जाती है। यह बात भी होनी चाहिए कि आपकी ओर से एक ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाय, एक ठोस चीज आप रखें ताकि देश के लोग समझें कि यह किसान विरोधी कैसे है।

जब किसानों के लिए हमने 30 हजार ट्रैक्टर लेने पर सब्सिडी सारे लोगों को दी तो यह किसान विरोधी हो गया। जब मजदूरों के लिए ग्रामीण रोजगार के लिए हम राशि बढ़ा दी तो यह ग्रामीण रोजगार के विरोध में हो गया। ग्रामीण मूल ढांचे के विकास में 2500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आबंटित की गई अब कैसे हैं, ढांचागत उद्योग के लिए, जीवन बीमा को सुदृढ किया गया। एक चीज कही गई कि यह बजट मनमोहन सिंह का बजट है,

अपराह्न 5.00 बजे

मनमोहन सिंह के बजट में अधिक रेवेन्यु जुटाने के लिए कम आय दर पर बुनियाद रखी गई थी। लेकिन मानवीय चिदम्बरम ने कार्पोरेट सरचार्ज को समाप्त करना उचित नहीं समझा। इसके अलावा निगमों पर 12 प्रतिशत वैकल्पिक कर लगाने का प्रस्ताव किया है। मुद्रास्फीति पर 6-7 प्रतिशत तक नियंत्रण रखने की बात कही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ समय बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब 5.00 बजे हैं।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

अमरनाथ यात्रा

प्रधानमंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं क्योंकि माननीय गृह मंत्री अभी तक जम्मू से दिल्ली नहीं आए हैं। आपके निदेशानुसार, मैं वक्तव्य दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि कल जब माननीय गृह मंत्री वापस आ जाएंगे, तब इस सभा को और आगे जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आज यह संभव नहीं हो पाएगा।

इस वर्ष अमरनाथ यात्रा, को अभूतपूर्व खराब मौसम, भारी वर्षा, हिमपात, भूस्खलन और बाढ़ से उत्पन्न महाविपदा के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 121 व्यक्तियों की जाने गयीं, जिनमें से अधिकतर व्यक्तियों की मृत्यु हृदय और सांस की तकलीफ और ठंड लगने से हुई। अत्यन्त खराब मौसम जारी रहने के कारण राहत अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिससे सभी प्रकार की संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी और हवाई जहाज से बचाव और राहत अभियान भी रूका पड़ा रहा।

2. इस वर्ष यात्रा 16 अगस्त को शुरू हुई थी और 28 अगस्त को मुख्य दर्शन के बाद, इसे 3 सितम्बर को पूरी होनी थी। विस्तृत योजना बनायी गयी थी और 1995 में 70,000 और 1994 में 40,000 यात्रियों की तुलना में इस यात्रा में लगभग 1 लाख यात्रियों के भाग लेने के अनुमान के अनुसार प्रबंध किए गए थे।

3. इस वर्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थाएं की गई थी:-

(I) चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी स्थित पड़ावों पर 1200-1200 टेंट अर्थात्, कुल मिलाकर 3600 टेंट लगाए गए थे जबकि 1995 और 1994 के दौरान इन स्थानो पर क्रमशः कुल 900 और 750 टेंट लगाए गए थे। शुरूआत में लगभग 1900 टेंट लगाने की योजना थी किन्तु यात्रियों को अधिक सुविधा देने और यात्रा के लिए अनुमानित से अधिक संख्या में तीर्थ यात्री आ जाने की स्थिति में आपात प्रबंध के रूप में टेंटों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा शेषनाग और पंचतरणी में तीन-तीन कंक्रीट शैड बनाए गए थे। इन प्रबंधों के माध्यम से शेषनाग एवं पंचतरणी, प्रत्येक में लगभग 18,000-20,000 तक तीर्थयात्रियों को ठहराने की व्यवस्था की गई थी।

(II) 25 मीट्रिक टन चावल और आटा, 7 टन चीनी और 8 टन चोकर भी, शेषनाग और पंचतरणी में जमा की गयी थी। ये प्रबन्ध, जम्मू एवं कश्मीर पर्यटन विकास निगम द्वारा चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में तथा पहलगाम एवं पवित्र गुफा के बीच पड़ाव स्थलों पर तीर्थयात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगाए गए 39 निशुल्क लंगरों के अलावा थे। साथ ही, पूरे यात्रा मार्ग पर खाने की चीजें, चाय बिस्कुट आदि बेचने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय निजी दुकानदारों ने दुकानें लगाई थी।

(III) पहलगाम स्थित सरकारी अस्पताल को बेस अस्पताल के रूप में उसकी पूरी क्षमता सहित प्रयोग में लाया गया और वहां पर्याप्त मात्रा में दवाऐं रखी गयी थीं। राज्य सरकार द्वारा चंदनवाड़ी जोजीबल, महागुमास टाप, पंचतरणी और पवित्र गुफा पर चिकित्सा राहत उपलब्ध करवाने के प्रबन्ध किए गए थे। इन स्थानों पर बड़ी मात्रा में दवाओं और आक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराए गए तथा डाक्टर और पैरा मेडीकल स्टाफ वहां तैनात किया गया। इसके अलावा सेना और सीमा सुरक्षा बल ने भी चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में चिकित्सा राहत शिविर लगाए हैं।

(IV) तीर्थयात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे बिस्तरों की कमी को पूरा करने के लिए उनके लिए 14,500 कम्बलों की व्यवस्था की गई।

(V) यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा मे जलाने की लकड़ी रखी गई थी। इसके अतिरिक्त, वहां पर लगाए "लंगरों" की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक हजार से अधिक एल. पी. जी. सिलिन्डर रखे गए थे।

(VI) तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में खच्चरों और कुलियों की व्यवस्था की गई थी।

4. पहलगाम से पवित्र गुफा तक का यात्रा मार्ग 45 कि.मी. से अधिक लम्बा है जिसमें अधिकांशतः 12,000 कि. मी. की ऊंचाई वाला मार्ग दुर्गम पहाड़ों पर सीधी चढ़ाई वाला है। इस ऊंचाई पर सामान्यतः आक्सीजन की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि अधिक आयु और कमजोर लोगों के लिए विशेषरूप से गंभीर हो सकती हैं।

5. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखतें हुए यात्रियों के मार्ग-दर्शन हेतु "क्या करें" और "क्या न करें" तथा बुनियादी सूचना और अपेक्षाओं संबंधी सूचना बहुत पहले ही छपवा ली गयी थी तथा उसको प्रकाशित भी करवा दिया गया था (जानकारी के पर्चों की प्रतिलिपियां संलग्न है।) इन्हें अखबारों इत्यादि के द्वारा व्यापक तौर पर प्रचारित भी किया गया था। इनमे, अन्या बातों के साथ-साथ, जिन बातों पर जोर दिया गया, उनमें शामिल हैं :-

(I) यात्रियों को अपने साथ कम्बल/स्लीपिंग बैग, भारी ऊनी कपड़े, विंड शीटर्स/बरसाती, वाटर-प्रूफ जूते, इत्यादि ले जाने चाहिए। वास्तव में, यह कहा गया था कि उपर्युक्त सामान साथ न ले जाने वाले यात्रियों का यात्रा के लिए पंजीकृत् नहीं किया जाएगा। इस बात की सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई थी कि जम्मू में जिस स्थान पर यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा रहा था वहां पर ये सामान बेचने वाली दुकानें यात्रियों की सुविधा हेतु देर रात तक खुली रहें।

(II) यह सुनिश्चित करवाने के लिए कि वह यात्रा पर जाने के लिए शरीरिक तौर पर स्वस्थ है, प्रत्येक तीर्थयात्री को अपनी चिकित्सा जांच करवाने के लिए कहा गया था।

(III) यात्रियों को अपने साथ बिस्कुट, मिठाई, दुग्ध पाउडर, डिब्बा बंद भोजन, इत्यादि तथा निजी चिकित्सा किट ले जाने की सलाह दी गई थी तथा यह भी सलाह दी गई थी कि वे अपने टीका अवश्य लगवा लें।

6. यात्रा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 16 अगस्त को प्रारम्भ हुई और इसी दिन लगभग 25,000 तीर्थयात्रियों ने जम्मू से पहलगाम की यात्रा शुरू की। 21 अगस्त तक लगभग 1.2 लाख तीर्थयात्री जम्मू से अमरनाथ के लिए चल पड़े थे और तब तक यात्रा सुचारू ढंग से चल रही थी, यद्यपि हृदयगति रूक जाने/श्वास प्रक्रिया बंद हो जाने के कारण 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी।

7. 21-22 अगस्त की रात को मौसम में अचानक परिवर्तन आया और यात्रा के मार्ग, अर्थात पवित्र गुफा, पंचतरणी, महागुमास और शेषनाग पर अधिक ऊंचाई वाले मार्ग पर हिमपात और बर्फीले तूफान सहित भारी

वर्षा होनी शुरू हो गई। अप्रत्याशित वर्षा और हिमपात तथा बर्फीली हवाएं बिना रूके 24 अगस्त तक चलती रही तथा अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान बहुत अधिक गिर गया। अत्यधिक भारी वर्षा के कारण राज्य में अनेक स्थानों पर भू-स्खलन हुआ और बाढ़ आ गई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जम्मू-श्रीनगर और श्रीनगर-पहलगाम के बीच का मार्ग कई स्थानों पर अवरूद्ध हो गया। इसी करण पहलगाम और पवित्र गुफा के बीच कई स्थानों और जम्मू और पहलगाम के बीच के यात्रा मार्ग पर कई स्थानों में तीर्थ यात्री फंस गए। उसी समय, वहां लगातार भारी वर्षा इस सभी के कारण पहलगाम और पवित्र गुफा के बीच के मार्ग पर संकट मे फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए हवाई उड़ाने भरना असम्भव हो गया हालांकि राहत और बचाव अभियान शुरू करने के लिए एक बैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हैलीकाप्टरों को प्रयोग करने के लिए तैयार रखा गया था।

8. 23 अगस्त को लगभग 52,000 तीर्थयात्री पंचतरणी (27,000) शेषनाग (11,000) तथा चंदनवाड़ी (14,500) की ऊंचाई वाली जगहों पर फंसे हुए थे। बरसात एवं बर्फबारी के बावजूद 24 अगस्त को सेना एवं सुरक्षा बल यूनिटों तथा यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस ने ऊंचाई वाली जगहों में फंसे तीर्थयात्रियों को निचले इलाकों तक लाने के लिए भरसक प्रयास किए। 24 अगस्त की शाम के बाद बरसात जैसे ही रूकी, हैलीकाप्टरों को भी काम में जुटा दिया गया और अधिकांश तीर्थयात्रियों को पहलगाम ले आया गया है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार ऊंचाई वाली जगहों पर फंसे तीर्थयात्रियों की संख्या इस प्रकार है : पंचतरणी (150), शेषनाग (100) तथा (चंदनवाड़ी) (8,000)। लगभग 2,000 तीर्थयात्रियों को, अमरनाथ से श्रीनगर को आने वाले एक बैकल्पिक मार्ग पर स्थित बालताल नामक जगह पर भी ने आया गया है और उन्हें श्रीनगर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां कि उन्हें ठहराने के लिए शिविर लगाए गए हैं।

9. भोजन एवं दवाइयों की अतिरिक्त आपूर्ति पहलगाम भेजी गई है तथा शेषनाग और चंदनवाडी के लिए भी आपूर्ति, हवाई मार्ग से भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे 50 व्यक्तियों को जिन्हें तुरन्त ही चिकित्सा सहायता की जरूरत थी, 25 अगस्त को हैलीकाप्टर से श्रीनगर लाया गया। मारे गए व्यक्तियों में से 40 तीर्थयात्रियों के शव बलताल लाए गए हैं और शेष शवों को वहां से लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10. ले. जनरल सकलानी, सलाहाकार (गृह और पर्यटन) जम्मू और कश्मीर सरकार, अमरनाथ यात्रा के ओवरआल इन्चार्ज हैं और वे यात्रा के शुरूआती प्रबन्धों और राहत उपायों की गहनता से देख-रेख कर रहे हैं। उन्होंने पूरे रास्ते पर सभी स्थानों का अनेक बार दौरा किया और जैसे ही मौसम ठीक हुआ, वे चिकित्सा सामग्री, कम्बल इत्यदि के साथ तुरंत पहलगाम और पंचतरणी गए। गृह मंत्रालय ने 23 अगस्त को रक्षा मंत्रालय के साथ सम्पर्क किया और अनुरोध किया कि राहत प्रदान करने के लिए सभी सम्भव सहायता दी जाय। परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की। केन्द्रीय गृह सचिव शनिवार, 24 अगस्त और रविवार 25 अगस्त को पूरे समय कार्यालय में उपस्थित रहे और राज्य सरकार को प्रत्येक तीन घंटे के बाद रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। पुलिस नियंत्रण कक्ष, श्रीनगर में एक विशेष सूचना केन्द्र भी खोला गया ताकि यात्रियों के परिवारों और रिश्तेदारों को उनके बारे में सूचना मिल सके।

11. मृतकों में से लगभग 73 की शिनाख्त कर ली गई है और सूची, प्रैस को जारी कर दी गई है। चूंकि अनन्तनाग और जम्मू के बीच राजमार्ग अवरूद्ध है और इसे खोलने में 2-3 दिन लग जाएंगे इसलिए श्रीनगर से शवों का हवाई मार्ग से लाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं?

12. सीमा सड़क संगठन, अवरूद्ध सड़कों को साफ करने और भूस्खलनों को हटाने के प्रयासों में दिन रात लगा हुआ है ताकि फंसे हुए तीर्थयात्री जम्मू की ओर उतरना शुरू कर सकें। तथापि, पहलगाम एवं खानाबल के बीच तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खानाबल और श्रीनगर के बीच सड़क के पानी में डूब जाने और बाढ़ के कारण भी समस्याओं मे जुझना पड़ रहा है। जिससे सड़क से आवागमन में भी गतिरोध पैदा हुआ है।

13. रेल मंत्रालय ने, तीर्थयात्रियों को बिना किसी विलम्ब के जम्मू से ले जाने के लिए 7 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं।

14. अत्यधिक कठिन मौसमी स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने गुफा की तरफ किसी भी यात्री को आगे बढ़ने से रोक दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सडक अवरूद्ध हो जाने से ऊधमपुर में फंस गई छड़ी मुबारक को भी वायुमार्ग से 25 अगस्त को श्रीनगर ले जाया गया और 28 अगस्त को पवित्र गुफा की और इसकी अंतिम पारंपरिक यात्रा हेतु इसे, साधुओं के एक समूह के साथ 27 अगसत को पंचतरणी ले जाया जाएगा। उसी दिन यह छड़ी मुबारक पंचतरणी लौट आएगी तथा इसे वापस, हवाई मार्ग से ही श्रीनगर ले जाया जाएगा।

15. पिछले दो या तीन वर्षों की भांति, शुरूआत से ही इस बात की आशंका थी कि यात्रियों को उग्रवादियों से सम्भावित खतरा हो सकता है और पारंपरिक पड़ाव स्थलों पर विस्फोटक पदार्थ आदि रखे जाने के संभावित प्रयासों की खबरें थी। इन आशंकाओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा की शुरूआत से ठीक पहले ही चंदनवाड़ी और शेषनाग में शिविरों के स्थल भी, अन्यत्र अवस्थित किए गए ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा संबंधी सावधानियों और कड़े प्रबंधों के परिणाम स्वरूप यात्रा अभी तक शांतिपूर्वक तथा इस परिप्रेक्ष्य में बिना किसी बाधा के गुजरी।

16. पूर्व उल्लिखित बातों से यह पता चलता है कि इस वर्ष यात्रा मे रिकार्ड संख्या में लोगों ने भाग लिया। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए राज्य प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तरह सक्रिय थे और पिछले वर्षो की तुलना में, आवास, बाढ़ चिकित्सा, सहायता इत्यादि की व्यवस्था में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गयी थी। इस बार भी, स्थानीय कर्मचारियों के भरपूर सहयोग से तथा खासतौर से यह बड़ी सुखद बात रही कि स्थानीय जनता के सभी वर्गों, जो यात्रा के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, इस यात्रा में भाग लेकर इस सभी प्रबन्धों को और सुदृढ़ किया। यात्रा 21 अगस्त तक सुचारू रूप से चलती रही जब अचानक

और अभूतपूर्व वर्षा और हिमपात के रूप में यह दुःखद घटना घटी। इस आपदा की विशालता और अभूतपूर्व प्रकृति का पता इस तथ्य से चलता है कि कम से कम चार सुरक्षा बल कार्मिक और 8 कुली और खच्चर वाले भी हताहत हो गए, जोकि आमतौर पर पहाडों की उचाईयों और स्थानीय परिस्थितियों के प्रति अभ्यस्त होते हैं और शरीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं।

17. जो यात्री विभिन्न स्थानों पर रूके पड़े है उन्हें राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवरूद्ध मार्गो को जल्दी से जल्दी साफ किया जाय, ताकि यात्री अपने घरों को जा सकें, राज्य प्रशासन, सेना और सुरक्षा बलों द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं और जारी हैं। इस प्राकृतिक आपदा में जिनकी जानें गयी हैं उनके परिवारों को प्रधानमंत्री के राहत कोष से 50,000 रु. की अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की गयी है और राज्य सरकार द्वारा भी इसके बराबर राशि की अनुग्रहपूर्वक राहत घोषण की गयी है।

श्री अमरनाथ यात्रा

यात्रियों के लिए हिदायात

यात्रा के लिए प्रस्थान करने से महले अपने सभी प्रबन्ध भली प्रकार पूरे कर लिजिए इन में नीचे लिखी बातों पर विशेष ध्यान दें।

1. इस दुर्गम यात्रा पर जाने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच किसी अच्छे डाक्टर से अवश्य करवा लें क्योंकि इस के लिए शरीरिक तन्दरुस्ती अत्यन्त आवश्यक है। इस यात्रा में आपको कठिन पर्वतों को लांघ कर ज़ाना होगा, जिसमें 'महागुणस' की 14000 फुट ऊंची चोटी भी है।

2. यात्रा में आपके साथ निम्नलिखित वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए :-

   (क) तम्बू, (ख) ऊनी वस्त्र, (ग) ओवर कोट, (घ) वरसाती, (ङ) वाटर प्रूफ बूट, (च) टार्च, (छ) छड़ी, (ज) कम्बल-स्लीपिंग बैग।

3. खाने पीने का आवश्यक सामान बिस्कुट, मिठाइयां दूध पौडर तथा कुछ खुराक के बन्द डिब्बे यात्रा मे अपने साथ रक्खें।

4. आपकी सुविधा के लिए राशन, मिट्टी का तेल तथा जलाने की लकड़ी का प्रबन्ध राज्य सरकार की और से निर्धारित मूल्य पर यात्रा के विभिन्न शिविरों पर किया गया है।

5. अपने साथ ले जाने वाले तम्बू का भली प्रकार से निरीक्षण कर लें।

6. क्या आप के साथ जाने वाले मजदूर, घोडे वाले अथवा ढण्डी वाले रजिस्टर्ड (Registered) हैं तथा उनके पास टोकन (Token) हैं।

7. अपने साथ ले जाने वाले घोड़े तथा मजदूरों को अपने साथ रखें। उन से बिछुड जाने पर आपको परेशान होने की संभावना है।

8. यात्रा करते समय अनुशासन रक्खें और धीरे-धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।

9. यात्रा अधिकारी की ओर से समय समय पर दी जाने वाली हिदायतों पर अमल करें।

10. राज्य की और पोलीस, स्वास्थ्य, खुराक इत्यादि विभिन्न विभागों के अधिकारी यात्रा में आपकी सुविधा के लिए आप के साथ रहेंगे।

11. कठिन चढ़ाई पर अपने आप को थकावट से बचाएं। ऐसे स्थान पर आराम के लिए न रुकें जहां ठहरने की मनाही हो।

12. यातायात सम्बन्धी नियमों का पालन कीजिए तथा अपने सह यात्रियों को धकेल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न न करें।

13. सरकार की ओर से कुल्लियों, घोड़ों और ढ़ण्डी वालों के किराए तथा दूसरी खाने पीने की चीजों के मूल्य निर्धारित किए गए हैं इसलिए आप किसी भी स्थान पर अधिक मूल्य न दें।

14. स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा सम्बन्धी प्रबन्ध बिना किसी मूल्य के किए गए हैं।

नोट - बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों, बूढों, अस्वस्थ तथा उपयुक्त कपड़ो के बिना जाने वाले यात्रियों को पहलगाम से आगे जाने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यदि प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को सत्य मान लिया जाए तो सुबह एक घंटे भर तक जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा वह सब असत्य था? वे सारे आरोप निराधार थे? सारी वेदना बेमानी थी। यहां एक-एक सदस्य खड़ा होकर कह रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझ से सम्पर्क कर रहे हैं। हम आगे अधिकारियों से सम्पर्क कर रहे हैं वे मिल नहीं रहे है। हम एक भी बात उनको कहने की स्थिति में नहीं है। यहां प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि पहले के यात्रा के प्रबन्ध भी पर्याप्त ही नहीं बल्कि बढ़िया थे और बाद में भी सारी संभाल सुचारू रूप से की गई है। फिर किस बात की डिसकशन और किस बात की चर्चा, जब इस सारी चर्चा का यह जवाब है। इसका मतलब है जो कुछ हम लोगों ने यहां बोला और दलों की सीमाएं तोड़ करके बोला, अलग-अलग लोगों ने अपने-अपने अनुभव, अपनी-अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अनुभव रखें, अगर उन सब का जवाब प्रधानमंत्री जी का यही है कि यह सत्य है तो फिर किसी चर्चा की जरूरत ही क्या है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आखिरकार इन्होंने इस तमाम चीजों का कोई नोटिस लिया? यहां जो सुबह माननीय सदस्यों ने कहा उसका इन्होंने कोई नोटिस लिया? इन्हें अधिकारियों ने जो वक्तव्य लिख कर दे दिया उसको जस का तस इन्होने पढ़ दिया।. ... **(व्यवधान)** उस सारी चर्चा के क्या मायने हैं? क्या वे सारी बाते असत्य थी? ...**(व्यवधान)** लीपा-पोती भी नहीं है। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मुम्बई के लिए मंत्री जी नहीं बोले हैं। मुम्बई के दो सौ लोग अमरनाथ की यात्रा में फंसे पड़े है। ... **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : यहां जसवंत सिंह जी कह रहे है, सब लोग कह रहे है। ... **(व्यवधान)** अगर प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य सत्य है तो चर्चा की

कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक-ठाक है, अच्छा है, पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है किसी संभाल की जरूरत नहीं है। ... (**व्यवधान**) लोग रो रहे है। वहां लोग फंसे पड़े हैं। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह सहमति हुई थी कि चर्चा की जायेगी। यह वक्तव्य सत्यनिष्ठा को प्रत्यक्ष चुनौती है। चर्चा के दौरान यह किया जा सकता है। यह बहुत गम्भीर आरोप है। हमें सदन को वाक्‌युद्ध का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : वहां खाना भी पर्याप्त था, चीनी भी पर्याप्त थी। वहां गेहूं भी पर्याप्त था ... (**व्यवधान**) दवाइयां भी पर्याप्त थी। सारी संभाल पर्याप्त थी। ... (**व्यवधान**) यह सरकारी वक्तव्य नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। गृह मंत्री महोदय अभी वापस नहीं आए हैं, वे अपनी आंखों से सारी बातें देखकर लौट रहे है, हम उनके निष्कर्षों को भी सुनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद जो प्रश्न बार-बार मन को कुरेदता है वह यह है कि अगर प्रबंध इतना अच्छा था तो क्या केवल प्रकृति के प्रकोप के कारण इतनी मौतें हुई? क्या उस समय प्रशासन को जो कदम उठाने थे वे प्रशासन ने उठाए? सेना को बुलाने में देर क्यों हुई? गवर्नर महोदय यहां दिल्ली में तीन दिन बैठे हुए थे, आपने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। चीफ सैक्रेट्री भी यहां थे। लेकिन दिल्ली में किसी से सम्पर्क नहीं किया जा सकता था। जम्मू में और श्रीनगर में भी कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। ये सब विफलताएं है। अगर अचानक कोई ट्रैजडी हो जाए तो हम उसका सामना कर सकते हैं या नहीं, या पहले का जो बना-बनाया इंतजाम है, हम समझते है कि वही पर्याप्त है। प्रकृति ने तो उसको चुनौती दी और प्रकृति की चुनौती के बाद अगर प्रशासन उस चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा नहीं हो सका तो यह प्रधानमंत्री के लिए भी चिन्ता का विषय होना चाहिए ... (**व्यवधान**) लेकिन प्रधान मंत्री के वक्तव्य से इस तरह की चिंता प्रकट नहीं होती। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री के वक्तव्य के लिए हम रुके। चर्चा के लिए तो सदन तैयार है, चर्चा तो हमें करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मन में यह भाव है कि सब पर लोपा-पोती करनी है और इतनी बड़ी ट्रैजड़ी के बाद यह सिद्ध करना है कि सरकार ने सब कुछ किया, केवल आसमान धोखा दे गया, तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति के साथ न्याय नहीं होगा। अगर फिर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी तो लोगों को मरना नहीं चाहिए, हम लोगों को बचा सकें, इसमें किस तरह की कमी हो रही है, इसकी खोज-बीन करने की जरूरत है।

सवेरे जो वातावरण बनाया गया था कि यह पार्टी का मसला नहीं है। इसकी गहराई में जाकर देखना होगा, सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के वक्तव्य से तो इस तरह की कोई ध्वनि नहीं निकलती। उन्होंने कई मुद्दों को जवाब नहीं दिया, जो सरकार को कटघरों में खड़े करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी थोड़ा गहराई में जाकर देखें और जब कल गृहमंत्री महोदय आयेगें, हम उनका बयान सुनने के बाद तय करेंगे कि चर्चा किस रूप में होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें गृह मंत्री की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : महोदय, मैं आज वक्तव्य देने के लिए तैयार होकर नहीं आया था। मैनें इस बारे में आप से अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है।

श्री एच. डी. देवेगौडा : मैंने अनुरोध किया था कि गृह मंत्री जब वापस आजायेंगे तभी वह वक्तव्य देंगे।

आज प्रातः आपके कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। यह मुझे पता नहीं है। यह सूचना मुझे संसदीय कार्यमंत्री ने दी थी कि गृहमंत्री के वापस आने पर और उनके वक्तव्य देने के बाद इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री ने मुझे यह सूचना दी थी। मैं यहां स्वतः वक्तव्य देने नहीं आया हूं। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि विपक्ष में नेता इस गम्भीर आपदा में राजनीति मिला रहे हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा है। मैंने सदन के पटल पर वहीं प्रस्तुत किया है जो सूचना मेरे पास है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

(**व्यवधान**)

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं (**व्यवधान**) मैं चर्चा कि लिए सहमत हूं। (**व्यवधान**) आप जो चाहे कह सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। आपको प्रधान मंत्री को सुनने के लिए शांत रहना चाहिए।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा : मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है। यदि गृह मंत्री ने आने के बाद कोई और सूचना मिलती है तो वह भी सदन में प्रस्तुत की जायेगी। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : ... (**व्यवधान**) जो ट्रेनें दिल्ली आ रही है उनकी क्या व्यवस्था की जा रही हैं यह बताएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो सूचना प्रधान मंत्री के पास थी वह उन्होंने सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा होता हूं तो आप व्यवधान नहीं डाल

सकते। हम गृह मंत्री के आने तक प्रतीक्षा करेंगे और गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद हम इसके बारे में निर्णय करेंगे।

अब हम सामान्य बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 5-24¾ बजे

सामान्य बजट-1996-97-सामान्य चर्चा (जारी)

[हिन्दी]

श्री विरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, मैं बजट पर बोल रहा था। यह बजट सामाजिक न्याय को झलकाता है और इसमें साम्प्रदायिक सौहार्द झलकता है।

अपराह्न 5.25 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बजट के आंकडों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक सुझाव यहां रखना चाहता हूं। देश में आधे से अधिक और करीब-करीब 50 परसैंट लोग अभी भी अनपढ़ हैं और अशिक्षित हैं। बिहार में तो शिक्षितों की संख्या मात्र 38.5 परसैंट है। देश के लोगों को साक्षर और शिक्षित बनाने की आवश्यकता हैं इसके लिए सभी गांवों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चहिए। जब तक लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे तब तक बजट की असली चीज जो कि गावों और देहातों तक जानी चाहिए, जो 90 परसैंट लोगों को जाननी चाहिए, हम उनको नहीं पहुंचा पाएंगे। उनको सारी जानकारी देने के लिए उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हर जगह विद्यालय खोले जाने चाहिए।

इसके साथ-साथ बचत को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बजट में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। जब बचत अधिक होगी तो अधिक विनियोग होगा और अधिक विनियोग होगा तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा तो अधिक रोजगार मुहैय्या होंगे। इस प्रकार रोजगार का सृजन होगा और देश विकसित होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी और भी दिलाता हूं। उन्होंने देश के 90 परसैंट गरीबों के लिए और किसानों के लिए जो बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ बहुत-बहुत-धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण इस स्वीकारो से आरम्भ कर रहा हूं कि इस बजट में बहुत सी नई बातें हैं। प्रमुख विपक्षी बैंचों के वक्ता डा. मुरली मनोहर जोशी के भाषण में भाषा शोषण का अभाव रहा है। यह भी मेरे लिए आश्चर्य की बात रही है। मुझे अपने पूर्व अध्यक्ष का भाषण सुनने का भी अवसर मिला है जिन्होने कांग्रेस बैंचो की ओर से चर्चा आरम्भ की है।

महोदय, एक प्रकार से हम एक अद्वितीय स्थिति में बजट परचर्चा कर रहे हैं यह सयुक्त मार्चा की मिली जुली सरकार का बजट है। संयुक्त मोर्चा समान दृष्टिकोण, समान न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर समान दृष्टिकोण पैदा करने में सफल रहा है और उसी के आधार पर समान न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया है।

मैं समझता हूं कि आरम्भिक स्थिति में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि न्यूनतम कार्यक्रम से केवल न्यूनतम की ही व्यवस्था होती है। इसके लिए समान दृष्टिकोण पर विचार करना होगा और सम्भवतः इससे भी आगे जाकर क्योंकि यह समान दृष्टिकोण 13 राजनीतिक दलों का मिलाजुला दृष्टिकोण है। मैं इस पर बाद में टिप्पणी करूगां।

मैं समान दृष्टिकोण से ही आरम्भ करता हूं। महोदय, यह अपूर्वता इस समान दृष्टिकोण के अन्तिम पैरे में उल्लिखित हैं। इसे मैं यहां उद्दत कर रहा हूं :- "हमारे मानववादी परम्परा का लोकाचार और स्वतंत्रता संग्राम की महवकांक्षा संयुक्त मोर्चासरकार को उपरोक्त कार्यक्रम चलाने के लिए प्रेरित करती है।" इस मुद्दे का विश्लेषण किया जाना श्रेयठकर रहेगा। स्वतंत्रता आन्दोलन की महत्वाकांक्षा क्या थी। यह थी स्वतंत्रता। हम अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने के लिए स्वतंत्रता चाहते थे और किसी बाहरी शक्ति द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने अपना एक समाज बनाना चाहा जो सविधान में राज्यों के नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों तथा संविधान के अन्य भागों में अंशतः अन्तर्निहित हैं। इसे संक्षेम में यह कहा जा सकता है कि विकास और प्रगति होगी, धन और आय की असमानता में गिरावट आयेगी, सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालको को अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी और सभी के लिए, चाहे वह गरीबी की रेखा से नीचे है अथवा ऊपर, स्वास्थय चिकित्सा सुविधा का प्रावधान होगा।

महोदय, इस प्रेरणा का क्या परिणाम निकला? इन्ही महत्वाकाक्षाओं से यह प्रेरणा आई है। इस महत्वाकांक्षा का सार-स्वतंत्रा आन्दोलन में भाग लेने वाले जानते हैं-मूलतः बलिदान था और फिर हिम्मत और साहस आया जिसका उल्लेख हमारे पूर्वअध्यक्ष के भाषण में भी था। यह बलिदान था, हिम्मत थी, साहस था, जिससे नया मार्ग खोजने में सहायता मिली और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा मिली।

महोदय, इसी कारण संयुक्त मोर्चे के समान दृष्टिकोण में इसका उल्लेख किया गया हैं। इस समान दृष्टिकोण में कुछ और भी बताया गया है। इसे सरकार की विशेषता बताते हुए यह उल्लेख किया गया है कि यह सयुक्त मोर्चा सरकार किसी एक या अधिक शासकों की सरकार नहीं होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि समर्थको का एक वर्ग ऐसा वक्तव्य पसन्द नहीं करता। हमारे पूर्व अध्यक्ष द्वारा सुझाये गए संघवाद, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों, स्वतंत्रता के लिए आदर, खुलेपन और पारदर्शिता पर आधारित शासन के वैकल्पिक नमूने का आरम्भ है। यदि बजट की जांच की जाए तो इस की इस सन्दर्भ में जाचं की जानी चाहिए। इसके अनुरूप हमें बजट में यह देखने का प्रयास करना होगा कि इस परिस्थिति में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। समान दृष्टिकोण के कुछ दूसरे पहलुओं का बाद में वर्णन करूंगा। लेकिन इससे पहले हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण के अद्यतन संस्करण में यह उल्लेख किया गया है—सम्भवतः ठीक ही किया गया है, यद्यपि इस आकड़े पर प्रश्न चिन्ह लगाया

गया है—हमारी प्रगति दर बहुत ऊंची है। कुछ का कहना है कि यह 7 प्रतिशत हैं जबकि कुछ और इसे 6.5 प्रतिशत बताते हैं। फिर भी हमारी प्रगति में यह अच्छा पहलु है। परन्तु आर्थिक सर्वेक्षण में जो कुछ कहा गया है क्या वह सब सही है? सम्भवतः ऐसा ही है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि हम खतरे से बाहर हैं, संकट से बाहर हैं। महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सच नहीं है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। प्रगति दर वास्तव में पिछले तीन वर्षों मे बढ़ी है उससे पहले नहीं। हमें स्मरण होना चाहिए कि प्रगति की दर सर्वप्रथम आठवे दशक में बढ़ी थी। आठवें दशक तक प्रगति दर 3.5 प्रतिशत थी और बाद में इसमें वृद्धि हुई। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1990-91 में हमारी ऐसी स्थिति थी कि हमारे पास आयात कि लिए भुगतान करने के लिए पैसा नहीं था और हमें बैंक आफ इंगलैण्ड में अपने सोने का भण्डार गिरवी रखना पड़ा था। उससे पूर्व यह प्रगति दर बहुत ऊंची थीं 1970 तक या 80 के दशक के आरम्भ तक प्रगति दर 3.5 प्रतिशत थी। बाद में यह बढ़कर 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। फिर अन्तराल आया और परिणाम इतना सुगम नहीं था। यह धमाके के साथ शुरू हुआ और 1991 में समाप्त हुआ जिसे हम सब जानते हैं।

महोदय, यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में हमारा निर्यात आयात की तुलना में बढ़ा है। यह कहां तक सच है? दो वर्षों तक तो यह स्थिति रही जब कि कोई प्रगति नहीं हुई थी। यह बाद के तीन वर्षों के लिए सच नहीं है जबकि प्रगति की दर ऊंची हो रही थी। निर्यात की आयात से तुलना करने पर पता चलेगा कि उन तीन वर्षों में निर्यात कम हुआ है। इससे चिंता होती है। यह 1980 के दशक की स्थिति का आभास दिलाती है। अतः हमें इससे सावधान रहना चाहिए। ... (**व्यवधान**)

अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण के सन्दर्भ में अन्य पहलुओं के बारे में स्थिति चिंताजनक है यह सच है कि ऋण भार बढ़ा है यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता की तुलना में यह कम हो रहा है। चिंता का दूसरा कारण हमारी पिछली नीतियां हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हमारा अंशदान बाहर जा रहा है—केवल ऋण और उस पर ब्याज का भुगतान ही नहीं—जो एक विलियन डालर को भी पार कर गया है। जबकि विदेशी सीधा निवेश दो विलियन डालर से अधिक है किन्तु अशंदान के रूप में हमें एक विलियन डालर से अधिक देना पड़ रहा है। यदि वित्त मंत्री मेरी बात को गलत सिद्ध करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। यह भार बढ़ रहा है जो हमें एक बात की याद दिलाता है। अन्तिम पैरा में यह कहा गया है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ बातों के लिए लड़ रहे थे। यह केवल ऋण नहीं है। लेकिन यह ऐसा भी है। वे व्यापारियों के रूप में आये। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कारणों से देश छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद उन्होंने संगठन बनाए ताकि उपनिवेश समाप्त होने के बाद भी साम्राज्यवादी शोषण किया जा सके। साम्राज्यवाद अब वह शब्द नहीं है जिसका संसदीय प्रक्रिया वाले शिष्ट समाज में उल्लेख किया जाए। किन्तु यह साम्राज्यवादी शोषण है जिसके विरुद्ध हमारा सम्पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम चला था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का यही अर्थ था। अब जब देश का नेतृत्व करने के लिए नए नेता उभरे हैं हम न केवल ऋण के भार में दबे है बल्कि लाभांश के रूप में हमारी आय भी बाहर जा रही है। मैं उस अद्यतन स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे इस बजट की प्रतिक्रिया का पता चल सके। यह दावा किया गया है कि कम से कम पिछले वर्ष कृषि के कारण प्रगति दर प्रणोदिन नहीं हुई है लेकिन उद्योग से ऐसा हुआ है।

हमने पारदर्शिता के बारे में बात की है। औद्योगिक प्रगति के सभी पहलुओं पर दृष्टि डालने का प्रयास करने से पता चलता है कि बजट में उतनी पारदर्शिता नहीं है जितनी होनी चाहिए। सकल घरेलू उत्पादन में यह प्रगति औद्योगिक प्रगति के विशेष मापदण्ड से प्रदर्शित होती है। फिर भी यह औद्योगिक प्रगति पुंजीगत माल में प्रगति से परिलक्षित होती है और बढ़ जाती है। हम दो दिन पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे। हमें पता चला कि पूंजीगत सामान के देश में आने से सदन को आश्चर्य होगा। उदाहरण के लिए मोटर कार उद्योग को लें। उद्योग में सब से अधिक तेज गति वाला क्षेत्र जिसका विकास हुआ है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं। इस विशेष मामले में मोटर कार शामिल नहीं है लेकिन रैफ्रीजरेटर, वाशिंग मशीने, चूल्हे और अन्य वस्तुएं है। मुझे चिन्ता है कि 1991 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों में जो नीतियां अपनाई जाती रहीं और कुछ सीमा तक 80 के दशक में अपनाई जाती रही हैं। हमारा औद्योगिक विकास उसी मापदण्ड पर हो रहा है। इससे हमें एक बार फिर बहुत हानि होगी और इससे लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। हमें तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं कि हमारा विदेशी ऋण हमारे सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के अनुरूप कैसे कम हो रहा है। इसकी पारदर्शिता यह है कि पिछले तीन वर्षों में हमारी विदेशी मुद्रा के भण्डार में हमारे सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता की तुलना में कमी आई है। हमारी आयात आवश्यकताओं की तुलना में हमारे विदेशी मुद्रा भण्डारों में कमी हुइ है। परदर्शिता का यह तकाजा है कि इन पहलुओं का भी उल्लेख किया जाए। हमने आयात पर नियंत्रण लगाए बिना निर्यात को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है।

हाल ही में सरकार के निकट रहने वाले लोगों ने सुझाव दिया है कि हमें अपनी आयात नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। मुझे याद है जब हमारे वर्तमान वित्त मंत्री हमारे वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने एक बार सुझाव दिया था कि हमें सम्भवतः अपनी आयात आवश्यकताओं पर नियंत्रण लगाना होगा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। यह स्थिति हमारे नए प्रशासकों की ओर से नहीं पैदा होनी चाहिए। हमें परिवर्तन लाना होगा। हमें साहसिक रूख अपनाना पड़ेगा जो अतीत से एकदम भिन्न हो। बजट में विद्यमान मूल्यों की स्थिति पर विचार करें। मुझे बहुत आघात पहुंचा। हम पिछले पांच वर्षों से बार-बार मांग कर रहे हैं कि मूल्यों की स्थिति थोकमूल्य सूचकांक के आधार पर नहीं जो निरर्थक वक्तव्य होता है, बल्कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं के आधार पर, लोगों की खपत व्यय की आवश्यकता, कृषि मजदूर वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचांक के आधार पर तथा खेतीहर मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आदि के आधार पर बताई जानी चाहिए और इस अर्थव्यवस्था के लिए यह थोकमूल्य सूचकांक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है, जो बेहतर है। यह हमारे देश की प्रथा है। सम्भवतः हम उसकी तुलना में कुछ अधिक शिष्ट हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि मूल्य कम हो रहे हैं। मैं इस पर भी आऊंगा। इतना ही नहीं तो केवल यही बता रहा हूं कि हम पिछले पांच वर्षों में कहां से कहां आ गए हैं और हमने इन समस्याओं को हल करना आरम्भ कर दिया है।

सरकारी क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में रोजगार घट रहा है। पिछले तीन वर्षों में इन क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की दर घटी है। मेरे पास आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ो का उल्लेख करने में सदन का समय नहीं लूंगा। यदि कोई मेरे से प्रश्न करता है तो मैं उन्हें तुरन्त आंकड़े बता दूंगा। यह स्थिति है रोजगार की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की स्थिति इसी स्तर पर है और फिर गरीबी की रेखा से नीचे रहने

वाले लोग हैं। मैं समझता हूं डा. जोशी ने इसका उल्लेख किया है। ये सब अनुमान है। केवल गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुमान लगाने के मुद्दे पर कोई असहमति नहीं है। इनकी वास्तविक प्रतिशतता के बारे में भूल जाएं। पिछले तीन वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता बढ़ी है। इसका योजना आयोग के विशेषज्ञों में भी इसका प्रतिकार नहीं किया है। यदि हम पूरे पांच वर्षों के आंकड़े ले तो सम्पूर्ण स्थिति बदल जायेगी। लेकिन चूंकि अद्यतन आर्थिक समीक्षा पिछले तीन वर्षों की उच्च प्रगति दर पर जोर देती है, इसलिए हमें इन तीन वर्षों के आंकड़ों को ही देखना है।

उल्लेख किया गया है कि सकल कर राजस्व में वृद्धि हुई है। लेकिन 1991 की दर को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह दावा किया गया है कि प्रत्यक्ष करों का अनुपात बढ़ा है। यह इसलिए है क्योंकि सीमा शुल्क की वसूली में गिरावट आई है। इस तरह उत्पाद शुल्क की वसूली में भी गिरावट आई है।

अब मैं पिछले पांच वर्षों में व्याप्त स्थिति की तुलना में बजट पर दृष्टिपात करूंगा। हमने अधिकारियों से चर्चा भी की हैं। हमने उनसे प्रश्न किया कि इस परिव्यय का लक्ष्य क्या है? उनका उत्तर बड़ा चौंकाने वाला था। प्रथम दो या तीन वर्षों में केवल इसे योजना परिव्यय माना गया। अगले दो या तीन वर्षों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया क्योंकि तब इसे गैर-योजना परिव्यय माना गया। हम मनमाने ढंग से अपने परिव्यय को योजना और गैर-योजना परिव्यय में विभाजित करते हैं।

आज गृह मंत्री अन्तर्राज्यय परिषद के बारे में एक पत्र का उल्लेख कर रहे थे, लेकिन अपने मुख से नहीं क्योंकि वह कश्मीर में थे। इसका उल्लेख दृष्टिकोण पत्र में ही नहीं किया गया है। लेकिन यह दृष्टिकोण पत्र से तार्किक अलगाव है। ऐसा क्यों हुआ है?

मैं श्री शिवराज वी. पाटिल से पूरी तरह सहमत हूं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सांकेतिक योजना के नाम पर योजना को तिलांजलि दे दी गई है। इसलिए संदर्श समाप्त हो गए हैं। जब वे मध्यावधि मूल्यांकन के रूप में कुछ करने का प्रयास करेंगे तो इस तथ्य को सदन से छुपाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए और संघ तथा अर्थव्यवस्था एवं समाज की दृष्टि से योजना आयोग को पूर्णतः स्वतंत्र संगठन होना चाहिए और इसे केन्द्र के अधीन नहीं बल्कि संविधि के अन्तर्गत होना चाहिए। राज्यों को, जो पहले मिले हुए थे और जिन्हें 50 प्रतिशत योजना परिव्यय मिलता था, जो निरन्तर रूप से कम होता चला गया, योजना निर्धारण में समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा अन्तर्राज्यद परिषद के अन्तर्गत कार्यरत संविधि के माध्यम से योजना आयोग को स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। यह कार्य किया जाना चाहिए।

अतः मैं उनके सुझाव का पूरी तरह समर्थन करता हूं। हमने कही और भी सुझाव दिया था कि यदि दृष्टिकोण पत्र तैयार हो जाए तो उसपर चर्चा करने के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या योजना, राज्यों को मिलाकर समूचे देश के लिए नहीं बनाई जाती है? इसे राज्य विधान मण्डलों में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाए और फिर इसे मिलाकर प्रारूप तैयार करना चाहिए ताकि हमारे सभी दृष्टिकोण इस योजना प्रारूप में अन्तर्निहित हो जाएं। मैं इसकी अपेक्षा करता हूं क्योंकि हम इससे उतने ही प्रेरित हैं जितने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान थे।

मैं इसी सन्दर्भ में बजट को देख रहा हूं। इस दृष्टिकोण में और बहुत सी बाते शामिल हैं। अपने पूर्व वक्ताओं के भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि इस बजट पर जो चर्चा हो रही है वह रेल बजट पर हुई चर्चा के ही समान है। हमने सारी रात भर चर्चा की है और इसका एक रिकार्ड बना जो अगल दिन प्रातः 7 बजे उस समय टूटा तब हमने वह चर्चा समाप्त की। लेकिन वह चर्चा किस के बारे में थी? यही चर्चा हुई कि मेरे चुनाव क्षेत्र में रेलवे लाईन हो, लाईन को दोहरा बनाया जाए, इसका विद्युतीकरण किया जाए आदि आदि। रेल बजट पर हमने ऐसी चर्चा की थी। डा. जोशी और श्री पाटिल भी उसी लकीर पर चले। कृपया मुझे बताएं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता का क्षेत्र कौन सा है और कौन सा नहीं है? क्या प्राथमिक शिक्षा उच्चशिक्षा शिक्षा और अनुसन्धान से कम महत्वपूर्ण है? क्या स्वास्थ्य शिक्षा से कम महत्वपूर्ण है? क्या आवास कम महत्वपूर्ण है? क्या विद्युत कम महत्वपूर्ण है? क्या रक्षा कम महत्वपूर्ण हैं? हमारे जीवन का लगभग प्रत्येक पहलू प्राथमिकता के महत्व का है। अर्थव्यवस्था में संकट का यही संकेत है। इससे संकेत मिलता है कि हम संकट में हैं। एक को दूसरों के विरूद्ध करना निरर्थक है। यह कहना व्यर्थ है कि आपने यहां दिया है लेकिन वहां नहीं। आपने यहां अनुपात बढ़ाया है; वहां नहीं। आपने यह धनराशि बढ़ाई है, वहां नहीं। यह कोई आलोचना नहीं है जो वर्तमान परिस्थितियों में वैध है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त कोष एक मुश्त है। हमारी स्वतंत्रता के 50 वर्षों में हरेक आवश्यकता प्राथमिकता वाली बन गई है। जिसके बारे में बजट को प्रतिक्रिया दिखानी है।

बजट क्या करेगा? इसमें संख्या में परिवर्तन हो सकता है। इससे सापेक्ष अनुपात में परिवतन आ सकता है। यदि आप एक अनुपात को बढ़ायेंगे तो दूसरे का कम करना होगा। यह तर्कसंगत बक्तव्य या विवरण है। वित्त मंत्री को इसका क्षेय देते हुए यह कहा जा सकता है कि गत 50 वर्षों में पहली बार शिक्षा क्षेत्र को दो प्रतिशत अधिक धन मिला है। हम चाहते हैं कि यह 6 प्रतिशत कर दिया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में जाने वाले बालकों को भोजन देना शिक्षा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि डा. जोशी, जो एक शिक्षाशास्त्री हैं और कम से कम अपने दल के नेता बनने तक तो शिक्षा शास्त्री रहे हैं जिसके कारण उनकी शैक्षिक प्रतिभा समाप्त हो गई, इस बात को नहीं समझ सके। हम सब जानते हैं। कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बालक विद्यालयों में नहीं जाते हैं।

अपराह्न 6.00 बजे

हम जानते हैं कि बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वालों की संख्या साठ प्रतिशत से अधिक है। उन्हें भोजन देना शिक्षा का अंग नहीं है। मुझे इस वक्तव्य से आश्चर्य है। यदि भोजन देकर हम उनकी उपस्थिति की गारंटी सुनिश्चित करें तो उस स्थिति में शिक्षा देने के लिए और अधिक की आवश्यकता नहीं है।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बजट में शिक्षा के लिए दो प्रतिशत से अधिक प्रावधान किया है। यदि उन्होंने अनुसन्धान और विकास तथा उच्चशिक्षा के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया होता तो अनुसन्धान और विकास कार्य में लगे लोगों के अलावा और कोई प्रसन्न नहीं होता। एक बार श्री

पाटिल ने भी यही कहा था। समस्या यहां नहीं है। मैं अनुपात के विषय पर कुछ समय बाद आऊंगा। केन्द्रीय समस्या जो बजट में नहीं है ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, एक मिनट, मुझे बताया गया है कि आज सुबह बैठक में यह निर्णय किया गया कि सदन की कार्यवाही सांय 7.00 बजे तक चलेगी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं प्राथम्मिक बैस्टमैन की तरह कल अपना भाषण शुरू करना चाहूंगा।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौडगढ़) : महोदय, यह निर्णय किया गया था कि 29 तारीख के बाद ही सदन देर तक बैठेगा ... **(व्यवधान)**

मैं तो केवल सदन को सूचित करने का अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं। आज से 7.00 बजे तक बैठने का निर्णय नहीं किया गया था। निर्णय यह कि सरकार के ... **(व्यवधान)**

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बाला सुब्रहमण्यन) : महोदय, सदन 29 तारीख के बाद 7.00 बजे तक बैठेगा। यह निर्णय पहले किया गया था। इस के बाद सुझाव आया कि आज से ही देर तक बैठा जाए। लेकिन अब यदि माननीय सदस्य चाहें तो कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री चटर्जी आप अपना भाषण कल जारी रख सकते है।

सभा 27 अगस्त, 1996 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 27 अगस्त, 1996/5 भाद्र 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।